



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, April 03, 2025 / Chaitra 13, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, April 03, 2025 / Chaitra 13, 1947 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
OBITUARY REFERENCE	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 461 – 466)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 467 – 480)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 5291 – 5520)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, April 03, 2025 / Chaitra 13, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, April 03, 2025 / Chaitra 13, 1947 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 86
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	286
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 8 th and 9 th Reports	287
STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 7 th Report	287
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 10 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID Shri Manohar Lal	287
MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE	288 - 377
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	378 - 90
Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	378
Shri Damodar Agrawal	378
Dr. Hemant Vishnu Savara	379
Shri Kota Srinivasa Poojary	379
Shri Naveen Jindal	380
Shri Sukanta Kumar Panigrahi	380
Shrimati Malvika Devi	381
Shri Lumba Ram	381

Shri Trivendra Singh Rawat	382
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	382
Shrimati D.K. Aruna	383
Dr. Manna Lal Rawat	384
Shri Pradeep Purohit	384
Shri Kuldeep Indora	385
Dr. Prashant Yadaorao Padole	385
Shri Rahul Kaswan	386
Shri Vijaykumar alias Vijay Vasanth	386
Shri B. Manickam Tagore	387
Shri Virendra Singh	387
Shri Babu Singh Kushwaha	388
Shri G. Selvam	388 - 89
Shri Murasoli S.	389
Dr. Alok Kumar Suman	389
Shri Balashowry Vallabhaneni	390
Shri Hanuman Beniwal	390
COASTAL SHIPPING BILL	391 - 407
(Contd. – Concluded)	
Shri Hanuman Beniwal	391
Shri Sarbananda Sonowal	391 - 99
Motion for Consideration – Adopted	400
Consideration of Clauses	400 - 07
Motion to Pass	407

PROTECTION OF INTEREST IN AIRCRAFT OBJECTS BILL	408 - 80
Motion for Consideration	408
Shri Kinjarapu Rammohan Naidu	408
Dr. M.K. Vishnu Prasad	408 - 11
Shri Rajiv Pratap Rudy	412 - 19
Shrimati Ruchi Vira	420 - 21
Shrimati Pratima Mondal	422 - 23
Shri N.K. Premachandran	424 - 25
Shri C.N. Annadurai	426 - 27
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	428 - 30
Shri Ramprit Mandal	431 - 32
Shri Anil Yeshwant Desai	433 - 34
Shrimati Supriya Sule	435 - 37
Shri Naresh Ganpat Mhaske	438 - 39
Shri Radhakrishna	440 - 41
Shri Darshan Singh Choudhary	442 - 43
Shri E.T. Mohammed Basheer	444 - 45
Dr. Rajkumar Sangwan	446 - 47
@ Dr. D. Ravi Kumar	448
Shri Tangella Uday Srinivas	449 - 50
Adv. Francis George	451 - 52
Shri Hanuman Beniwal	453 - 54
Shri Ravindra Shukla <i>Alias</i> Ravi Kishan	455 - 56
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	457
Shri D.M. Kathir Anand	458 - 59

Shri Vijay Kumar Dubey	460
Shri Kodikunnil Suresh	461 - 62
Shri Jagdambika Pal	463 - 64
Shri Kinjarapu Rammohan Naidu	465 - 79
Motion for Consideration – Adopted	479
Consideration of Clauses	479
Motion to Pass	480

XXXX

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, April 03, 2025 / Chaitra 13, 1947 (Saka)

S U P P L E M E N T

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
PROTECTION OF INTEREST IN AIRCRAFT OBJECTS BILL	448A - 48B
XXX	XXX
Dr. D. Ravi Kumar	448A - 48B
XXX	XXX

(1100/MK/SMN)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ, सभा को हमारे एक पूर्व साथी श्री ए.मुरुगेसन के निधन के बारे में सूचित करना है। वे तमिलनाडु के चिदंबरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री ए.मुरुगेसन का निधन 31 मार्च, 2025 को 86 की आयु में चेन्नई में हुआ।

यह सभा श्री ए.मुरुगेसन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष: ओम शांतिः, शांतिः, शांति।

... (व्यवधान)

(Q. 461)

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you, Speaker Sir.

Thank you, our hon. Prime Minister and our hon. Minister of Food Processing Industries Shri Chirag Paswan Ji for giving such a detailed answer.

Through you, Speaker Sir, I would like to ask the Minister what steps are being taken to promote and encourage organic processed food products.

SHRI CHIRAG PASWAN: Sir, through you, I would like to inform the hon. Member that organic food products are those products in which the input has been organic, that has been processed from the ingredients by using the organic farming methods. ... (*Interruptions*)

To promote the organic farming, I am very happy and very proud to share this that in the past one decade under the leadership and the guidance of our Prime Minister, the processing and the farming of the organic food process have been made more organized and a lot of schemes through various other Ministries has been floated to enhance organic farming. ... (*Interruptions*)

Through these schemes, even through the Agriculture Ministry, they have come up with two new schemes that were started in the year 2015-16. Paramparagat Krishi Vikas Yojana was there in all the States except the North-Eastern States and there was the separate scheme for the North-Eastern States and that scheme was for the North-Eastern States. Mission Organic Value Chain Development (MOVCD) for the North Eastern Region. ... (*Interruptions*)

So, through these schemes, end to end support to the farmers, who are engaged in organic farming, was provided right from the production to processing, certification to marketing to post-harvest management training was provided. ... (*Interruptions*)

I am very happy to share the data, through you, to the hon. Member that under these schemes, cumulative of Rs. 3674.84 crore has been released, which has benefited around 27.4 lakh farmers across the country.

(1105/SM/MK)

Sir, in my Ministry, through PMKSY, PMFME, and PLI Schemes, we are promoting organic farming, especially for organic food products... (*Interruptions*) We have created a dedicated category for innovation and organic food products under the PLI scheme... (*Interruptions*)

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): What mechanisms have been put in place by the Ministry to curb the sale of counterfeit, spurious, and adulterated products? ... (*Interruptions*)

SHRI CHIRAG PASWAN: Sir, first of all, I am surprised that when such important questions are being asked concerning the consumers और अन्नदाताओं को लेकर जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो विपक्ष का यह रवैया कभी-कभी चिंताजनक हो जाता है। प्रश्न काल के वक्त जब विपक्ष ऐसे करता है तो देश की जनता देखती है कि किसानों और कंज्यूमर्स को लेकर ये कितने चिंतित हैं।... (*Interruptions*)

1106 hours

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shrimati Supriya Sule and some other hon. Members left the House.)

Coming back to the question that was asked by the hon. Member, while curbing the sale of counterfeit and spurious adulterated food products, to be very honest, it does not directly come under the mandate of my Ministry. However, the Government of India, through various other Ministries, including mine, has a comprehensive legal and institutional framework to address such issues, through the Consumer Protection Act, the Trade Marks Act, and the Food Safety and Standards Act of 2006, Bureau of Indian Standards Act of 2016 as well as the Bharatiya Nyaya Sanhita of 2023.

Through these frameworks, we try to control all the adulteration that is happening. They are the regulatory bodies that make regulations for this. This robust network of food testing laboratories notified by FSSAI plays a very critical role. We also support them through PMKSY and we provide these food testing labs across the country.

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा फेक प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए देशभर में 209 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई गई हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में कृषि क्षेत्र में अभी तक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित नहीं की गई है।

सर, आप जानते हैं कि आजकल खाने के अंदर कई बार बहुत अधिक पेस्टिसाइड, विडिसाइड और कैमिकल की मात्रा पाई जाती है, जो खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन फूड टेस्टिंग लैब' के सिद्धांत पर चलते हुए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के हित में और वहां के किसानों के विकास के लिए फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी? धन्यवाद।

श्री चिराग पासवान : सर, माननीय संसद सदस्य की चिंता एकदम जायज है। यह चिंता हमारी सरकार की भी है। जहां हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहीं सरकार फूड सेफ्टी पर भी उतनी ही प्राथमिकता देने का कार्य करती है। इस बात की निरंतरता में, through all the possible regulatory bodies इस बात को हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर किसी तरीके का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय-समय पर जब भी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आई हैं, हम लोगों ने इस व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त और मजबूत करने का प्रयास किया है।

सर, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 में जब माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया था तो उसमें 100 नये फूड टेस्टिंग लैब्स के प्रावधानों को जोड़ा गया था। अभी देश में जैसा माननीय संसद सदस्य कह रहे थे, 205 फूड टेस्टिंग लेबोरेट्रीज हैं, जिनको लगभग 503.47 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, उनमें से 169 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 100 नये फूड टेस्टिंग लैब्स को आने वाले दिनों में देश भर में लाया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फूड की गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता न हो, मैं माननीय संसद सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ सुझाव आते हैं और समय-समय पर पोर्टल खुलता है। जैसा मैंने अभी कहा कि अभी 100 नये फूड टेस्टिंग लैब्स आ रहे हैं। जब आप प्रस्ताव भिजवाएंगे तो उस पर जरूर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

धन्यवाद।

(ends)

(1110/MM/RP)

(प्रश्न 462)

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बागपत जिले में अभी तक एसएलएनपी लागू क्यों नहीं किया गया है? इस जिले में योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसकी संभावित समय सीमा क्या है? क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनायी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह तेजी से एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम लागू हो?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम का विषय है, वर्ष 2015 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और सभी प्रदेशों में इसके लिए एमओयू किए गए। कुछ प्रदेशों ने एमओयू करने में कठिनाई बतायी, फिर भी 29 प्रदेशों ने इसमें भाग लिया और कुछ संस्थाओं ने अलग से भी अपने-अपने एमओयू किए। इस समय तक देश भर में कुल 1 करोड़ 31 लाख स्ट्रीट लाइट्स ईईएसएल द्वारा लगायी गयी हैं। इससे हर वर्ष 6000 करोड़ रुपये की हर वर्ष बचत हो रही है। एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन डाईऑक्साइड में भी काफी कमी आयी है। जहां तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात है तो यह सब स्टेट पर निर्भर करता है और जब हम प्रदेशों को एमओयू साइन करने के लिए कहते हैं तो जिस जगह पर वह कहते हैं, हम वहां अपनी ईईएसएल टीम भेजकर शीघ्रातिशीघ्र सर्वे करवाकर इस काम को करते हैं।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सर, मैंने बागपत जिले के बारे में जानना चाहा था, लेकिन माननीय मंत्री जी उस पर कोई बात नहीं बता पाए हैं। मेरा आग्रह है कि बागपत जिले के बारे में बताएं, क्योंकि वहां अभी कोई काम नहीं हुआ है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन शहरों की नगरपालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे पास विषय आए हैं, उनमें बागपत की नगरपालिका ने अपना हिस्सा नहीं लिया है। बागपत की ओर से हमारे पास कोई भी डिमांड नहीं आयी है। इसलिए बागपत को इसमें नहीं लिया गया है। Baghpat District in Uttar Pradesh did not opt for participation in SLFT. As per the State Government's Circular dated 2nd April 2018, Baghpat was an identified ULB. The EESL made follow up, however, the ULB chose to implement its own independent programme for street light upgrades, and it had chosen not to participate in EESL-centric SLNP.

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : सर, आपने मुझे राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम के बारे में पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, यह भारत सरकार की योजना है। राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम वर्ष 2015 में लागू किया गया था। यह केन्द्र की योजना है और मंत्री जी जवाब में दे रहे हैं कि इसके लिए हमने एक पैसा भी नहीं दिया है। मंत्री जी, यह कैसी योजना है, जिसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और लाइट्स लग नहीं रही हैं? मेरे लोक सभा क्षेत्र में 12 नगरपालिकाएं हैं, उनमें से एक में भी अगर लगी हों तो मुझे बता दीजिए अन्यथा यह भ्रामक जवाब देना बंद करें। धन्यवाद।

श्री मनोहर लाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश में हर प्रकार की योजना होती है, लेकिन देश में पहली बार ऐसी योजना बनायी गयी, जिसमें जो काम म्यूनिसिपैलिटीस अपनी ट्रेडिशनल लाइटिंग से करते थे, उसमें बिजली की खपत बहुत होती थी और कार्बनडाइऑक्साइड का एमिशन भी बहुत ज्यादा होता था। इस कंपनी के माध्यम से एक प्रोग्राम बनाया गया कि अगर आप इस कंपनी के माध्यम से कोई चीज करवाते हैं तो सात साल तक आपको किसी प्रकार का बिल नहीं देना पड़ेगा और सात साल तक आपको बिजली की जो बचत होगी, वह आपको मिलेगी। इसमें केवल इंस्टॉलेशन का खर्च ही आपको देना है। इस योजना में 1 करोड़ 31 लाख लाइट्स लग चुकी हैं। इसमें बाकी बचे हुए भी आगे आएंगे तो उनको इससे भरपूर लाभ होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो कुल-मिलाकर रोशनी से मतलब नहीं है, उनको अंधेरे से ज्यादा मतलब होता है। इसलिए वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मैं इनके मन की बात बताना चाहता हूँ-

“बहुत सुकून से रहते थे हम अंधेरे में,
फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से।”

(1115/MM/VR)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रश्न काल में शेरों-शायरी नहीं होती है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, जब यह सोलर लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम वर्ष 2015 में शुरू हुआ तो सभी सांसदों को एक सुविधा मिली थी कि आप वन-फोर्थ राशि अपनी सांसद निधि से दीजिए और तीन-चौथाई राशि केन्द्र सरकार देगी। उसके तहत मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन हजार सोलर लाइट्स लगी थीं। ईईएसएल के द्वारा जो लाइट्स लगायी गयी थीं, मैं नौ साल बाद जब वहां गया तो वे सोलर लाइट्स 70 परसेंट जगहों पर आज भी जल रही थीं। लेकिन, बिहार सरकार के द्वारा और ग्राम प्रधानों के द्वारा जो सोलर लाइट्स पिछले एक साल में लगा है, उनमें से 80 प्रतिशत सोलर लाइट्स बंद हो गयी हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सांसद निधि से इन सोलर लाइट्स के लिए वन-फोर्थ पैसा हम दें और तीन-चौथाई पैसा केन्द्र सरकार देकर इस योजना को क्या पुनः चालू करेंगे? इसके अलावा जो लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, उनके सोलर पैनल्स और पोल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, केवल बैटरी चेंज करनी है। अगर आप बैटरी चेंज करवा देंगे तो सभी सांसदों का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमारी सोलर लाइट्स भी अच्छे से चलेंगी। मंत्री जी क्या इस विषय में कुछ करना चाहेंगे?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी किसी प्रकार की कोई कंडिशन नहीं है कि किस मद से कितना पैसा वहां लगना है। हमारा तो ईईएसएल के माध्यम से एमओयू होता है कि सात साल तक लाइट को मैनटेन वे करेंगे और लगाएंगे वे और उससे बिजली की बचत होगी, उस बचत को सात साल तक वह अपने पास लेंगे। यह आज भी चल रही है और कोई भी नगरपालिका, कोई भी प्रदेश एमओयू साइन करने के बाद अपने नये स्थानों का चयन कर सकता है या जहां सात साल पूरे हो गए हैं, उन स्थानों पर एक्सटेंड भी कर सकता है। यह योजना कहीं रुकी नहीं है।

(इति)

(प्रश्न 463)

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सीबीजी के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। घरेलू इंधन उत्पादन से आयात निर्भरता घटेगी और किसानों को अपशिष्ट से आय का एक नया स्रोत मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सीबीजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में अभी तक कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं और इसके अगले पांच वर्षों में देश में कितने सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, the shift from traditional energy to clean and green energy involves a number of tracks: I might mention, as we have in the body of the answer, biofuel blending, green hydrogen, which is the energy for the future, and as the hon. Member mentioned, compressed biogas (CBG).

Now, compressed biogas is an area where very ambitious targets have been set by the Government. In fact, the plan is ultimately to establish a Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT). The target is very large. Today, we have 94 CBG plants which are operational. Out of these 94 plants, if I might add, 11 of them are operational in Maharashtra. We have around 70 CBG plants in process which are at various stages of construction.

Sir, in order to encourage CBG, the Government is taking a number of steps. I will, with your permission, list out some of the incentives or steps we are taking to popularise the use of CBG.

(1120/SNT/SJN)

One is that we have a system of a short price for the take-off of CBG through long-term agreements with the oil marketing companies. Secondly, we have an umbrella scheme of the National Bio-energy Programme by the MNRE, which is providing Central financial assistance to all kinds of CBG and biogas plants. Additional Central assistance is also being provided for municipal solid waste-based CBG plants under the Swachh Bharat Mission – Urban 2.0.

Amongst the other things I might mention, Sir, is that whenever somebody wants to set up a CBG plant, the Government is providing assistance in terms of 50 per cent of the cost of the plant by way of assistance up front. Then there is a Rs. 10 crore capital subsidy from the Ministry of New and Renewable Energy, and the inclusion of bio-manure produced from CBG plants under the

Fertilizer Control Order 1985. Market development assistance is being provided up to Rs. 1.5 per kilogram for fertilized organic manure to promote organic fertilizer produced from CBG projects. When you produce CBG, there is also manure produced which is very rich and can be sold, so some assistance is provided for offtake from there. Inclusion of CBG projects under priority sector lending by the Reserve Bank of India has led to a Rs. 1,000 crore scheme being set up.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षिप्त जवाब दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would be happy to share very detailed information on this with the hon. Member.

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस विषय पर बहुत सारी और अच्छी जानकारी दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और आयातित ज्वलनशील ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए बायो सीएनजी, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जैसे स्वच्छ ईंधनों को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में बायो सीएनजी, हरित हाइड्रोजन एवं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जैसे स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? इसमें निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई विशेष प्रोत्साहन योजना को लागू करने का विचार है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I should like to start by providing a little explanation that we are moving, in overall terms, from toxic fuels to cleaner fuels. This is not going to be an easy journey; it is going to be a long journey. Even when this discussion at the international level commenced about doing away with fossil fuels, there were people, economists in 1976, who predicted that oil would reach a peak by the year 2000, but it did not happen. Today, if you were to ask any economist working in the energy sector, by when will oil peak – I am not so sure – nobody will even stick their necks out. Today, India is consuming 6.3 per cent of the world's primary energy, which will go up to 12.5 per cent by the year 2050. We have to try within this process to move away from all the traditional toxic fuels to cleaner and cleaner fuels.

The hon. Member mentioned biofuels. As far as biofuels are concerned, they are already a clean fuel. I mean, in the year 2014, when the hon. Prime Minister assumed responsibility, our total biofuel blending was only 1.4 per cent.

In fact, in a previous era, a target was set for five per cent biofuel blending in 10 of our States and Union Territories, and we were never able to proceed beyond 1.4 per cent. We set ourselves a target of 10 per cent blending by November 2022, and we were able to do that five months in advance. We set ourselves a target of 20 per cent blending six years later from now. We have almost reached 20 per cent. In fact, the last month's figures that we have, as my senior colleague would know, show that we have already reached 19.6 per cent. So, biofuels are doing very well.

Now, you also mentioned green hydrogen. Green hydrogen, I maintain is actually the energy, the fuel of the future. Why do I say it? It is because in order to produce green hydrogen, all you require is clean natural green solar energy, an electrolyser, and the ability to scale that up with new technologies like pump storage, etc.

(1125/AK/SPS)

It is proceeding very well. But the fact of the matter is that green hydrogen is a very new development. Now, what are the targets that we are setting for ourselves? The Government has set a target of 5,000 million tonnes for 2030. I personally believe that with the involvement of the private sector --and the hon. Member had read that, it is too conservative a target -- I believe with new technologies like pump storage, with the cost of batteries internationally coming down, and batteries having more storage, green hydrogen will take off. But when will it take off, I still think that we are only in 2025.

The fact of the matter is that we spend annually \$150 billion on the import of energy. Now, if we are in a position to produce green hydrogen and the cost is the most important thing, the most optimistic figures I have seen is the cost of green hydrogen per kilo would be about \$5 or so, and if we can bring it down to two \$2½ dollars, I can understand that we will be in a situation where people will say, let us move from traditional toxic fuels to green hydrogen straightaway.

I should have mentioned that our target is five million tonnes by 2030, not 5,000 million tonnes. That was slip of the tongue. But I also want to say that the Government is doing whatever it can. The Government introduced a PLI scheme for electrolyzers and I think it is about Rs. 19,700 crore or Rs. 20,000 crore, and there is a very good off-take on that.

In so far as the other fuels are concerned, let me tell you that all the green energy has positive outputs. When we did biofuel blending, today we have saved something like Rs. 110,000 crore on import bill and जैसा मैंने पहले कई बार कहा है कि हमारे जो अन्नदाता हैं, they are also financing the Annadatas. That money has been transferred to the agricultural sector as a result of the savings in that. So, the two are complimentary.

In regard to all the other areas of movement, there is definite progress in all the areas, but as I would like to say, the progress has to be realistically assessed. Why do I say that? It is because still a very large percentage of our economic needs on energy are met from coal and from fossil fuels. We are trying to progressively move away from that and most of our assessments all over the world said India's growth will take place. The World bp Outlook said 4 to 6 per cent growth will take place. ... (*Interruptions*)

I am always ready to oblige. I will just conclude by saying that the International Energy Agency in Paris predicts that of all the growth that will take place in the next 20 years, two decades, 25 per cent of that growth in energy will come from India. It is our collective resolve that we will make more and more and we will shift to green energy, as is the thrust of this Question.

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से पूरे देश में हो रहा है। मैं आदणीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे विस्तृत जानकारी दी है।

मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में गैस ग्रिड और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है, और इस योजना के लिए अब तक आवंटित धनराशि और अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है? इसके अलावा, इस योजना के तहत गैस ग्रिड की उपलब्धता और विकास से संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं? विशेष रूप से बालाघाट-सिवनी संसदीय क्षेत्र में, जहां ऊर्जा और गैस आधारित ढांचे की उपलब्धता की दिशा में खास चुनौती है, वहां इस योजना के तहत सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में भी विकास कार्यों को गति दी जा सके और स्थानीय जनसंख्या को इसके लाभ मिल सकें?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, after the 12th and 12A CGD bidding round, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has authorized entities for the development of CGD network in 307 geographical areas, which almost covers 100 per cent of our mainland territory.

(1130/UB/KDS)

In fact, we are now moving to the island territories and other areas. But typically, what happens when you set up a plant wherever the CBG is being produced is that you need to provide connectivity to the existing pipeline. So, the Government is also providing incentives to make sure that this is going to move forward and take it to the pipeline so that the CBG producer is able to get a return on that straightway.

There are other incentives which I had mentioned when I was responding to the hon. Member earlier. Insofar as the areas which were covered, you have sought the figures for Madhya Pradesh. I will share the figures straightway. I will just add the figures regarding Maharashtra with me. There are plants by HPCL, MNGL, and IOCL in different places. But in all the States of the country, we are doing that. I will provide the precise figures for Madhya Pradesh in a minute. We have installed 17 CBG plants in Madhya Pradesh. I also have the figures for districts. And wherever a CBG plant comes up, the economic benefits also come along for the local people. It also benefits the agricultural community and others. I am very happy to sit with the hon. Member and go through our experience in respect of the 94 CBG plants which are already operational, and we are also thinking what more we can do in order to further generate economic activity through this.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what steps is the Ministry taking to attract domestic and foreign investment in clean energy initiatives. Are there any research and development initiatives focusing on carbon capture, storage, and utilization in collaboration with global partners?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें और संक्षेप में उत्तर दिया जाए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the specific question is, whether we have a system whereby we seek or allow foreign direct investment or foreign collaboration. Yes, a green hydrogen, I think, is a case in point. I think one of the entities which is operating in that sector, if memory serves me right, has something like 32 billion dollars of foreign investment or collaborations which have come in for the production of green hydrogen. In the first instance, they are producing green ammonia which is being sold to entities in Europe and Singapore. There is an entity in Singapore; they are setting up a new generation

electricity plant with GE, and the green ammonia is going to be supplied by an Indian party. So, the answer is yes.

Insofar as our overall policies are concerned, it is our intention to take natural gas as a percentage in the energy mix from the current six per cent to 15 per cent. I would have been much happier if I could say that we are close to 15 per cent. No! I think we are still closer to six per cent, but we are moving clearly, and in the coming few years, we will be inching forward to 15 per cent. This involves a foreign investment of 72 billion dollars that will come from foreign investment. The technologies are incubated here. I can tell you for instance, in the case of biofuels, some of the second-generation plants which have been set up are all domestically produced technologies. I can tell you about a 2G plant in Panipat operated by IOCL. It is a local party of Pune which has developed the technology. The bamboo plant is also there.

Insofar as carbon capture is concerned, I have met various global CEOs of companies like Occidental and Schlumberger which use carbon sequestration for enhanced oil recovery. But again, this is a larger subject. I would be very happy to sit with the hon. Member. I am always ready for a discussion like this. (1135/GM/YSH)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही सिम्पल सा सवाल है। प्रधान मंत्री जी ने ग्लासगो में पंचामृत का आह्वान किया था और यूक्रेन वॉर के बाद पता चला कि जब पूरे यूरोप को रूस ने गैस देने से मना कर दिया तो पूरी तबाही सी हो गई। अभी हमारे यहां पर 33 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। हम पूरे सिस्टम को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा था। उसके लिए पूरे देश में 309 बिडिंग की गई है, ताकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारे यहां पर फॉसिल फ्यूल के तौर पर कोयला है और कोल बेड मीथेन एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक समय पर कोयला खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या भारत सरकार कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर कोल बेड मीथेन का एक्सप्लोरेशन करके इम्पोर्ट बिल को घटाएगी तथा क्या उसके माध्यम से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट करेगी?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I don't think I am the correct person to answer when coal will be exhausted or when we will move to biogas and other cleaner energies. I can tell you that the effort on behalf of all my senior colleagues who are present here and otherwise is to move more and more rapidly in all forms of energy utilisation, whether it is transportation or refineries, to move to green energy.

The specific question on when we will be able to move away from coal is not easy to answer. When the discussion on energy transition took place internationally, very ambitious targets were set for energy transition. But I think some very basic mistakes were also made. You cannot transition from the present to the future unless you have the green fuel ready to transition away from coal. You cannot say you will stop using coal and fossil fuel like crude oil and suddenly not have a replacement. So today, the effort is to redouble on that. Insofar as this is concerned, I have recently taken a review of ONGC and they have recently started coal-based methane in several areas.

Again, that is a subject which we need to discuss and see what more can be done. But I can assure you that even the oil marketing companies which have traditionally dealt with fossil fuels and crude oil, are also increasingly having their attention occupied by the transition to green energy.

(ends)

(Q. 464)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Speaker Sir, in the statement, the hon. Minister states that 9,21,448 trainees were trained at the operational IDTRs from 2015 to 2023, with a peak of 1,59,182 in 2019-20, followed by a decline in COVID times. However, no direct correlation is provided between this training and the reduction in the road accidents caused by driver errors, given that India reported 4,61,312 road accidents in 2022, with over 70 per cent attributed to human error as per the Ministry's data. Can the hon. Minister clarify how the Government assesses the scheme's impact on reducing such accidents, and what specific metrics or studies link the training of 9,21,448 drivers to improve road safety outcomes?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker Sir, one of the important things related with road safety is the training of drivers. Actually, in India, we have a shortage of 22 lakh skilled drivers. It is from the World Bank report. Firstly, it is very important that we need to have good facilities for training drivers. Not only that, we are now going to start learner's license module with Aadhaar-based face authentication. On that basis, a person can use his mobile or his computer, he can give that test, and after passing that test, he will get a certificate or license for driving.

(1140/RCP/RAJ)

The test can be given from home also. We have three schemes. One is the Institute of Driving Training and Research (IDTR). The second is the Regional Driving Training Centre (RDTC), and the third is the District Driving Training Centre (DTC). So, it is very important. Our Ministry has taken a new decision and has now launched a policy regarding Driving Training Centres, which was launched on 7th January, 2025. The capital investment for this scheme is Rs.4,500 crore. This scheme is going to generate 50 lakh employments. So, 1,600 institutes will be set up in the three-tier system with an additional grant of Rs.1.5 crore for every District Training Centre with fitness station cluster. Recently, I have sanctioned 12 proposals worth Rs.33.5 crore for RDTCs and DTCs under the new policy in the States of Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra, out of which eight proposals are in the rural and aspirational districts. So, my request to all the Members of Parliament is this. This is a very important scheme. The Government is giving

a support of Rs.2.5 crore per Driving Training Centre, particularly in the area which is socially, economically and educationally backward, the tribal area, aspirational districts and aspirational tahsils. If we can start a Driving Training Centre, it can be an opportunity for them to get employment.

Under this new policy, already 32 new proposals are received. Already, we have called the meeting of Transport Ministers. We have a full discussion on this issue. This new policy is very friendly and supportive, and it is giving more grants. That is to be a very attractive scheme. So, there will be one DTC in each district, with priority to rural and aspirational districts. In the North Eastern States, and also in the Union Territories, one RDTC will be set up irrespective of population.

This is a three-tier system. The first tier is the institute at the State-level. Already, 22 drivers is the capacity of this centre. Financial support from the Government is Rs.17.25 crore. The population criteria is 2.5 crore. Under the new policy, 30 centres are to be sanctioned. In tier-two, that is Regional Driving Training Centres (RDTCs), the annual training capacity is 11,000 drivers, financial support is Rs.5.5 crore, and population criteria is one crore. Previously, in the old policy, it was 2.5 crore. Under the new policy, 125 centres are to be sanctioned. In tier-three, that is District Training Centre, the annual training capacity is 6,700 drivers; financial support is Rs.2.5 crore. In the old one, it was Rs.1 crore. Population criteria is 10 lakhs. In the old one, it was 20 lakhs. Under the new policy, we can sanction 1,500 Driver Training Schools. I request all the Members of Parliament and all the State Governments that if they can take advantage of this scheme, this scheme is going to create more employment potential in the backward areas.

One of the reasons is related to accidents. This is also very important. Already, in our country, we have 1,80,000 deaths. There are 30,000 deaths because of the truck drivers, without licence. So, this is the time that in our country, we have to make driving training of international standard. It is very important. India is the country in the whole world where you can get a driving licence very easily. We have to make it with a correct procedure to make it qualitatively, and we are trying for that.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, the hon. Minister has given a detailed reply. I represent an aspirational district called Virudhunagar in

Tamil Nadu. In his statement, the hon. Minister indicated that out of 87 sanctioned centres, only 27 are operational now with just three out of the 41 DTCs functional. This leaves over 90 per cent of the sanctioned DTCs non-operational.

(1145/PS/SK)

What are the primary reasons for the significant delay in operationalising these centres, particularly the DTCs meant for rural and aspirational districts, including the one which is being sanctioned at Virudhunagar district? The District Administration has handed over the land but there is no progress in this direction.

What are the concrete timelines the Government has set to ensure that all the 87 centres are fully operational by the end of the 15th Finance Commission cycle in 2025-26? Thank you, Sir.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, actually, we had only received two proposals from the State Government of Tamil Nadu previously. But after declaring the new policy, we have not received any proposal from Tamil Nadu.

The IDTR-III centres are required in Tamil Nadu; an RTDC-7 is required in Tamil Nadu; a DTC-78 is required in Tamil Nadu. I am always trying to convince the Transport Minister and the State Government to send a proposal. And for that reason, we have now relaxed that condition that your proposal should be recommended by the RTO or by the Transport Ministry. Now, we have given an alternative that even a collector can recommend it and we can consider that.

So, my suggestion is this. I am open for that. We are ready to sanction it. We only need an application from the State of Tamil Nadu. There is a huge potential which is available. Particularly for Tirunelveli, CRT observation is shared with the State and response is awaited. With respect to Salem, CRT observation is shared with the State and response is awaited.

My suggestion to the hon. Member is, please convince your Transport Minister and please send me the proposal. I am ready to sanction it.

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Thank you, hon. Speaker, Sir.

The revised guidelines in January, 2025 have enhanced Central assistance for DCCs. However, given the persistent shortage of trained

commercial vehicle drivers, how does the Government plan to address the increase in demand for trained commercial vehicle drivers?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, actually, the World Bank Report indicates that we have a shortage of 22 lakh drivers. There is an increase in economic growth. And the problem is that with an increase in economic growth, 80 per cent of our goods traffic is on the road. Now, our drivers are working for 16 hours. As per the labour laws, it is not correct and it is not lawful. But the problem is that if you are going to restrict it to eight hours, there will be a big shortage of drivers. So, today, it is important that we have to train the drivers. There is a huge potential for employment. The Government is very positive about it.

Our new policy, which has already been declared in January, is very friendly. Even I am requesting all the Members of Parliament to start these Driving Training Centres in their constituencies, which are going to create employment potential. Even you can start a fitness centre there. You can start a scrapping centre. Making this cluster is economically viable. The Government is giving special grants for all these things. So, it is to be professionally and economically viable. And that is the reason, today, our country has a huge potential in the field of drivers. There is a huge potential for scrapping. There is a huge potential for fitness centres. Already, the Government has formulated a law for that.

In this situation, these proposals are very attractive and now the policy is very friendly. I am requesting the Members of Parliament and all the State Governments that -- under the leadership of Prime Minister Modi ji -- on the basis of the friendly policy that we have, you can think about it and take the initiative. My Ministry is ready to cooperate and support you.

श्री राजीव राय (घोसी) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का विभाग ऐसा है जिसमें नई योजनाएं शुरू होती रहती हैं। यह योजना भी तारीफ के काबिल है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने डीटीसी सैंटर्स खुले हैं? अगर खुले हैं तो क्या मऊ और बलिया में हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं, हमारे यहां एक्सीडेंट्स होते हैं और ड्राइवर्स की मौत हो जाती है। ये मौतें ओवर ड्राइविंग करने की वजह से होती है यानी 10, 12, 14 या 16 घंटे ड्राइविंग करने से होती है। क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा सकता है ताकि ड्राइवर्स सीमित घंटे से ज्यादा ड्राइविंग न करें? ड्राइवर्स

अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में आते हैं, कई तो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अगर इनके लाइसेंस के साथ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो जाए तो दुर्घटना होने पर इनके परिवारों को सहारा मिल जाएगा।

(1150/KN/SMN)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे एक्सीडेंट्स ड्राइवर्स के द्वारा क्यों होते हैं? आपने सही बात कही है कि वे 16-16 घंटे काम करते हैं और उसमें 46-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसलिए अब हमारे डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि इसके बाद कोई भी ट्रक, जो नया आएगा, वह एयर कंडीशन कैबिन के साथ ही आएगा, ताकि ड्राइवर अच्छा काम कर सके। अगर यहां पर ए.सी. नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती, इसलिए हमने उसको मेनडेटरी किया है।

दूसरी बात यह है कि हमने एक्टिव सेफ्टी सिस्टम इम्प्लिमेंट किए हैं। हमने इलैक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ट्रक ड्राइवर, ट्रक सिस्टम में लाये हैं। हेवी ब्रेकिंग होने पर गाड़ी एकदम स्थिर होती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) – 12 प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें ड्राइवर को एकदम से ब्रेक मारने पर कॉलिजन से बचाता है। ड्राइवर ड्राउजीनैस सिस्टम – ड्राइवर को नींद आने पर एक अलार्म बजेगा, ताकि ड्राइवर तुरंत अलर्ट हो जाएगा। ड्राइवर को अलर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है।

दूसरी बात यह है कि हथौड़े लेकर बस की बॉडी बनाने का काम हमारे देश में चलता है। मैंने दयालु दृष्टिकोण रखकर बहुत दिनों तक उनको मदद दी कि आप अच्छी बॉडी बनाओ। इस प्रकार के हरियाणा में बहुत लोग हैं। जालंधर, लुधियाना और इंदौर में हैं। हमारा रोजगार जाएगा। मैं कहता हूं कि आप नई इंडस्ट्री चालू करो और इंटरनेशनल बॉडी बनाओ। मैं 11 साल से मंत्री हूं। मैं थक गया हूं। अब मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, क्योंकि हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक बस गिर गई, जिसमें 40 लोग मर गए। इसके बाद हम बस-बॉडी कोड को लाये हैं। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड की ही बस तैयार होगी। यह हथौड़े छाप बसेस बनाने की बॉडी अब बंद होगी।

उत्तर प्रदेश की जो बात है, मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप प्राइवेट प्रोजेक्ट लाइये। आप मेरे पास ले आइये। मैं आपको देने के लिए तैयार हूं और आपकी हर तहसील में देने के लिए तैयार हूं। आप वहां ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाइये, स्कैपिंग सेंटर बनाइये और फिटनेस सेंटर भी बनाइये। उससे कम से कम 700-800 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम आपको जरूर सहयोग करेंगे।

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Sir, how many driving training centres have been established in Odisha and how many drivers have been trained during these years and what is the present status?

Sir, I want to know whether the Government is aware of the fact that many accidents are frequently taking place due to the worst road conditions of the NH from Bhadrak to Baleshwar. In spite of repeated requests, these things have not been developed. So, will the Minister take care of it?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, today, my Question is related to driving training centres but whatever suggestions are given by hon. Member, I will consider that. If the blackspots are there or any reasons are there for those accidents, we will find out and I will do it.

उत्तर प्रदेश में नई स्कीम के अंदर आईडीटीआर 10, रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर 24, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर 236 मंजूर हो सकते हैं। उसी प्रकार से ओडिशा में, इसमें से केवल तीन सैंक्शन हो गए हैं, बाकी खाली पड़े हैं। आप अप्लाई करिये। ओडिशा में केवल दो सैंक्शन हुए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक हम 53 सेंटर्स इसमें आईडीटीआर 2, रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर 5, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स (डीटीसी) 46 सैंक्शन कर सकते हैं। आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए। आप प्रपोजल तैयार करके लाओ। प्रपोजल कैसे बनाना है, अगर इसके बारे में मदद चाहिए तो मेरे ऑफिस में आओ। मैंने आपको उसकी बुक तैयार करके दी है। इसके कारण आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम सबको उसके लिए मदद देने को तैयार हैं।

(इति)

(Q. 465)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 465.

श्रीमती रुचि वीरा जी – उपस्थित नहीं।

SHRI JAGADISH SHETTAR (BELGAUM): Thank you Sir for giving me an opportunity to supplement a question.

Here, the important thing is that the Union Government launched the Regional Connectivity Scheme (UDAN Scheme) on 21.10.2016 to facilitate and stimulate regional air connectivity by having unserved and underserved airports in Tier-2 and Tier-3 cities.

(1155/SM/VB)

It is because of the UDAN Scheme airports have developed in many Tier 2 cities. Take for example, Belgaum. Due to the UDAN Scheme, Belgaum has gained connectivity to more than 14 cities. However, my only request and insistence to the Civil Aviation Minister is that after the lapse of the UDAN Scheme, all airlines are withdrawing their flights to other cities.

We initially had 14 cities connected, but now we have only seven or eight cities. Is there any consideration for the extension of the Scheme for Tier 2 cities? If this Scheme is extended, it will lead to the development of the airports. **SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU:** Sir, the hon. Member has asked a very important question that often comes into discussion: how long will the UDAN Scheme run? When the bidding for the UDAN scheme is completed and the airlines are ready to operate the route, it is granted for three years. The Government's intention is not to continuously fund the airlines or passenger airfare, but to provide a kick-start to operations from that airport, especially on routes where viability is lacking.

That is why, we have stated that UDAN Scheme will serve unserved areas, where there are no operations at all, or underserved areas, where there are fewer than seven flights operating from that airport. For instance, at Belgaum Airport, we initiated the UDAN scheme, and now, if you observe, there are more than 98 flights operating from Bangalore, Delhi, Shamshabad, Ahmedabad, Mumbai, Jaipur, Nagpur, and Tirupati. Due to the demand, many operations are now in place.

However, even after three years of running that route, if we still find that connectivity to those airports is inadequate, we can bid for the route again within a one-year cooling period, allowing the UDAN Scheme to restart itself for another three years. Moreover, the UDAN Scheme was originally envisaged for ten years. It started in 2016 and is up to 2026. We anticipated that this would be the period during which regional connectivity would receive a significant boost.

Under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have now extended it for another ten years. Not only that, but we also aspire to connect 120 new destinations. So, this is just the beginning. We believe there is substantial scope for the growth of aviation in the country. When it comes to the UDAN Scheme, let us all remember that we are implementing it to kick start the operations, not to continuously fund the route itself.

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में पीतल और हस्तशिल्प के व्यवसाय के लिए देश भर से लोग आते हैं।

माननीय अध्यक्ष : भदौरिया जी, आपको मुरादाबाद में प्लेन चलाने के संबंध में पूछना है न, तो आप सीधे रूप से पूछिए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : महोदय, मुरादाबाद स्थित जो मुंधा पांडे विमानपत्तन है, वहाँ पर पिछले साल दिसम्बर से उड़ानें रद्द हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ कब तक हवाई सेवाएं प्रारम्भ हो जाएंगी?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, मुरादाबाद एयरपोर्ट एआई एयरपोर्ट था। हमने 'उडान' योजना के तहत 30 करोड़ रुपए खर्च करके एक अच्छी-सी टर्मिनल बिल्डिंग भी बनायी गयी है, उसके बाद उस एयरपोर्ट को 'उडान' में लिस्ट करके बिडिंग के द्वारा मुरादाबाद और लखनऊ के रूट को फ्लाईबिग एयरलाइंस ने लिया और उसे अगस्त में चालू भी किया था। अगस्त के बाद नवम्बर में, चूंकि नॉर्थ इंडिया में नवम्बर के महीने में थोड़ा फॉग होता है और उसमें विजिबिलिटी का इश्यू होता है, इस कारण से उन्होंने उस समय इसे बंद किया था। फॉग का सीजन खत्म हो गया, समर सीजन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी एक और चैलेंज आ गया है कि लखनऊ एयरपोर्ट का जो रनवे है, उसके रीसरफेसिंग का काम चल रहा है। रीसरफेसिंग के काम के कारण डे-टाइम ऑपरेशन्स में जो मेजॉरिटी टाइम है, वह 11 बजे से 5 बजे शाम तक है। वह पूरी तरह से बंद पड़ा है। अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर कोई ऑपरेशन्स नहीं हो रहे हैं। इसके कारण न केवल मुरादाबाद का, बल्कि जो भी छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स लखनऊ एयरपोर्ट से कनेक्टेड हैं, उन सबकी कनेक्टिविटी में थोड़ी-सी दिक्कत है।

15 जुलाई तक रिसरफेसिंग का काम खत्म होने वाला है, उसके बाद उस एयरलाइन के साथ फिर से बात की जाएगी। इसके साथ ही, आजमगढ़ एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट भी है, ऐसे चार-पाँच एयरपोर्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहाँ आज 16 एयरपोर्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। यह स्वाभाविक है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सबसे पहले उनकी कनेक्टिविटी राजधानी से हो, यही उनकी इच्छा रहती है। जितनी एयरलाइंस ने भी जहाँ के लिए बिड किया है, जहाँ पर भी अवॉर्डेड है, हम उनसे बात करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी शुरू करें।

(इति)

(1200/PC/RP)

(प्रश्न 466)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 466, श्री ए. राजा जी – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मुझे एक क्वेश्चन लेना था।

... (व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/PC/RP)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :- श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री गौरव गोगोई, श्री मनीश तिवारी, श्री बैन्नी बेहनन, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्री टी. आर. बालू। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, ओके। आपको बोलने का मौका देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 3, श्री अजय टम्टा जी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1083(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-86 पर कानपुर-कबरई खण्ड के वर्तमान कि.मी. 7.430 से कि.मी. 130.100 (डिजाइन चेनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 123.863) तक चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.1084(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-167बीजी के कि.मी. 0.000 से 36.400 तक सीतारामपुरम से दत्तलुर खंड की पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.1132(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-8बी पर कि.मी. 143.00 से कि.मी. 160.00 (गोंडल-रिब्दा खंड) तक तथा कि.मी. 0.00 से 143.00

और 160.00 से कि.मी. 217.00 (पोरबंदर-राजकोट-बामनबोर खंड) तक के खंड को बीओटी (टोल) आधार पर दो लेन से चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (चार) का.आ.1133(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-530बी के मथुरा से देवीनगर बाईपास के डिजाइन कि.मी. 0.000 से डिजाइन कि.मी. 66.000 तक के खण्ड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का.आ.1179(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-352ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 40.601 तक जींद-गोहाना खंड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का.आ.1180 (अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965 के डिजाइन कि.मी. 166.400 से कि.मी. 220.900 तक आलंदी पालखी मार्ग खंड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का.आ.1181(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-930 के डिजाइन कि.मी. 30.600 से कि.मी. 67.880 (वर्तमान कि.मी. 30.600 से कि.मी. 67.800) तक झलमला-शेरपुर खंड को पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का.आ.1242(अ) जो 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में एनएच-65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के चेनेज कि.मी. 40.000 से कि.मी. 221.500 तक चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का.आ.1243(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में एनएच-11 के डिजाइन कि.मी. 0.00 से कि.मी. 44.50 (वर्तमान कि.मी. 11.78 से कि.मी. 56.90) तक रेवाड़ी से नारनौल खंड और एनएच-11 के डिजाइन कि.मी.

0.00 से कि.मी. 14.40 (वर्तमान कि.मी. 0.00 से कि.मी. 14.40) तक रेवाड़ी बाईपास परियोजना के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की संशोधन शुल्क अधिसूचना का.आ. 5415 (अ) के प्रकाशन के बारे में है।

- (दस) का.आ.1313(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली से प्रयागराज तक डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 87.156 (एनएच-24बी के वर्तमान कि.मी. 82.650 से कि.मी. 161.450 तक) को चार लेन वाला बनाने की परियोजना तथा एनएच 24बी के कि.मी. 161.450 से एनएच 30 के एनएच 2 (नया एनएच-19) के कि.मी. 641.350 तक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ.1314(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-330ए के कि.मी. 42.500 से कि.मी. 47.720 तक के खंड को छोड़कर, डिजाइन कि.मी. 00.000 से कि.मी. 50.120 (वर्तमान चेनेज कि.मी. 0.00 से कि.मी. 47.930) तक रायबरेली-जगदीशपुर खंड को पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो/चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ.5320(अ) जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 घोषित किया गया है।
- (तेरह) का.आ.5419(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753एल के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (चौदह) का.आ.5420(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पंद्रह) का.आ.5421(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347ख के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- (सोलह) का.आ.5422(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के उसमें उल्लिखित खंडों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा गया है।
- (सत्रह) का.आ.5531(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 61 घोषित किया गया है।
- (अठारह) का.आ.5577(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1670(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का.आ.5578(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनई 8, एनएच-751 और एनएच-751डी के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (बीस) का.आ.5579(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का.आ.5580(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.3140(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ.5581(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.146 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तेईस) का.आ.5582(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का.आ. 1278(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 की घोषणा की गई है।

- (पच्चीस) का.आ. 1279 (अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347बी और 753एल की घोषणा की गई है।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (बारह) से (सोलह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) का.आ.1280(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.978(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ.1281(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.386(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.1282(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 2nd April, 2025, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th March, 2025, in the Boilers Bill, 2024:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, **for** the words “Seventy-fifth”, the words “Seventy-sixth” be **substituted**.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 5, **for** the figure “2024”, the figure “2025” be **substituted**.”

I also have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd April, 2025, agreed without any amendment to the Immigration and Foreigners Bill, 2025, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th March, 2025.”

**STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
AND PANCHAYATI RAJ
8th and 9th Reports**

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

- (1) Eighth Report on 'Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)' pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).
- (2) Ninth Report on 'Impact of National Social Assistance Programme (NSAP) on the Poor and Destitute in the Villages' pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

1203 hours

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

**STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
7th Report**

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on the subject 'Implementation and Utilization of District Mineral Foundation (DMF) Fund and Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) – A Review' relating to the Ministry of Mines.

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) पर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

*लोक महत्व के विषय

1204 बजे

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अवधेश प्रसाद जी।

... (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद (फैजाबाद) : मान्यवर, 'जल जीवन मिशन' सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत पूरे देश में स्वच्छ जल पिलाने की योजना है।

मान्यवर, मेरा संसदीय क्षेत्र जनपद अयोध्या है, जहां से आप भी जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे जिले में जितनी भी सड़कें थीं, वे सब खोद दी गई हैं।

(1205/CS/VR)

चाहे पीडब्ल्यूडी द्वारा बनायी गई सड़कें हों, चाहे विधायक निधि द्वारा बनाई गई सड़कें हों, चाहे सांसद की विकास निधि द्वारा बनायी गई सड़कें हों, सारी सड़कें खोद दी गई हैं। सड़कें खोदकर नाली बनायी गई है। जो उस नाली में पाइप डाला गया है, वह बहुत ही घटिया है। यह आलम है कि इस योजना पर करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च किए गए हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी गाँव के किसी भी घर में एक बूँद पानी नहीं है और कहीं-कहीं अगर थोड़ा-बहुत पानी है भी तो अगर बाल्टी नल के नीचे रख दें तो 10 घंटे में भी वह बाल्टी नहीं भरेगी। यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए पूरी तरह से लूटपाट की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है।

महोदय, मैं माँग करता हूँ कि यह पूरे देश का मामला है, यह किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य के यहाँ भी समस्या है और दिल्ली में भी समस्या है। मैं माँग करता हूँ कि इसकी जाँच की जाए और जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस देश में पेयजल की जो समस्या है, यह गर्मी का मौसम है, पेयजल योजना के लिए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप ही सफल होगा, उसको किया जाए। इस योजना में जो भी खामियाँ हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, इसकी जाँच कराकर उनको दंडित करने का काम किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : श्री बलराम नायक जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके संज्ञान के लिए बता दूँ कि आप 'दिशा' की बैठक में, जिस भी कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि खोदने के बाद इंटरलॉकिंग सड़क बनायेगा। आप अपनी 'दिशा' की बैठक में इस संबंध में बात करें। ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बलराम नायक जी।

आप 'दिशा' के चेयरमैन हैं, कलेक्टर आपका सेक्रेटरी है। श्री बलराम नायक जी।
श्री भर्तृहरि महताब जी।

... (व्यवधान)

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, for ages Mahanadi is the only river in Odisha which has a perennial flow of water. However, due to construction of some large barrages in the river's catchment areas in neighbouring Chhattisgarh, the flow of water in Mahanadi has been adversely affected. Water levels in Odisha's Hirakud Dam are going down posing water crisis in downstream regions. The crisis is alarming as Mahanadi is almost dry two weeks before the month of Baishak. Our concern lies in having water during non-monsoon times as well. The river is exposed to severe erosion. Sand and Silt too are a bane. The bed of the river is rising due to sand formation and endangering the embankments. The river's earlier capacity of handling 9 lakh cusecs of water has been upgraded to 11 lakh cusecs.

All embankments are in dangerous condition. If floods happen, then embankments will collapse. So, I request the central government for dredging the riverbeds. The Centre and the state government should jointly carry out the dredging in Mahanadi and its subsidiary rivers as soon as possible, so that Odisha can be saved from floods.

(1210/SNT/RV)

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I bring to your attention a pressing matter that affects the livelihoods of millions of Indians.

The recent RBI rule change requiring full repayment of gold loans along with interest after 12 months has imposed a significant financial burden on vulnerable sections of our society, including farmers, small business owners, fishermen, and low-income individuals. The gold loans have been a vital source of financing for these individuals, providing quick liquidity during critical times. However, the new rule has taken away the flexibility to renew loans by paying only the interest, forcing them to seek help from informal lenders who charge exorbitant interest rates.

* Original in Odiya

To address this issue, I propose the following: There should be jewel loans with easy interest payment and renewal options; education loans should be given without collateral security as most of the banks are asking for collateral security; and hassle-free loans for MSMEs should also be given without collateral security. The RBI's recent changes to the gold loan rules aim to promote a more transparent and secure gold lending ecosystem. However, we must ensure that these changes do not inadvertently harm the common man.

I request the Government to reconsider the recent RBI rule change and provide relief to the vulnerable section of our society. Thank you.

श्री बलराम नाइक पोरिका (महबूबाबाद) : साहब, नमस्कार।

साहब, मेरे तेलंगाना में महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट है और वह पूरा का पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में दो-तीन नवोदय विद्यालयों की सख्त जरूरत है। वहां नवोदय विद्यालय का होना जरूरी है क्योंकि वह एक ट्राइबल क्षेत्र है। वह छत्तीसगढ़ और ओड़िशा का बॉर्डर है। इसलिए वहां के लिए दो-तीन नवोदय विद्यालय दे देंगे तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और ट्राइबल, आदिवासियों को आगे बढ़ाने की गवर्नमेंट की जो इच्छा है, वह इच्छा इससे पूरी हो सकती है।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से वर्सोवा जेट्टी से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाना चाहता हूं, जो मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कोली (मछुआरा) समुदाय कई वर्षों से मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के कारण उनका जीवन और रोजगार दोनों संकट में हैं। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए और वर्सोवा जेट्टी का आधुनिकीकरण करना चाहिए।

महोदय, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से वर्सोवा जेट्टी के पुनरुद्धार, मछुआरों की आजीविका का संरक्षण, और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग करता हूँ। यह पैकेज आधुनिक जेट्टी निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, स्वच्छता, नौकाओं की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। यदि ये कदम जल्द नहीं उठाए गए, तो यह क्षेत्र और यहां का मछुआरा समुदाय गहरे संकट में चला जाएगा। सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाना चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है, जो भारत-नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र में है, जहां से होकर राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी के साथ-साथ नेपाल से आने वाले कई पहाड़ी नाले बहते हैं, जिनमें बरसात के दिनों में लगभग हर साल बाढ़ आने के कारण भारी जान-माल का नुकसान होता है। यहां पक्के पुल न होने के कारण आज भी लोग नावों के द्वारा नदी पार करते हैं, जिससे नाव पलटने और जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिन पर जनहित में पक्के पुल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी पर विकास खंड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत बेला घाट पर पक्के पुल का निर्माण होना चाहिए। विकास खंड श्रीदत्तगंज बेलहा मार्ग के ग्राम पंचायत खमरिया घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिए। हरैया सतघरवा ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम पंचायत के ढोढरी घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिए। विकास खंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत पैगापुर के आवर घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिए। ग्राम पंचायत भिटौढ़ी घाट, विकास खंड श्रीदत्तगंज बलरामपुर उतरौला मार्ग पर पुल का निर्माण होना चाहिए। ग्राम पंचायत गोपालपुर, करमहना घाट-बलरामपुर बेलहा मार्ग को जोड़ने वाले रास्ते पर पुल का निर्माण होना चाहिए।

(1215/GG/AK)

इसी तरह बुढ़ी राप्ती पर ग्राम पंचायत भगवानपुर खादर के भगवानपुर घाट पर सिद्धार्थनगर और पचपेड़वा के बीच पुल का निर्माण होना चाहिए। साथ ही, ग्राम पंचायत सुस्ता हरनहवा के पूर्वी घाट -बेलहा गैसड़ी तुलसीपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण होना चाहिए। और भाभर नाले पर नेपाल से नाले से निकला हुआ ग्राम पंचायत रजडेखाँ थारू मुख्यालय (भारत नेपाल सीमा) पर और ग्राम पंचायत सेमगढड़ा पचपेड़वा ब्लॉक गैसड़ी पहाड़ी नाले (पथराहवा नाले) पर पुल का निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी पर मथुरा घाट ग्राम पंचायत राजघर गुलरिहा विकास खंड इकौना पर पुल का निर्माण होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन तमाम जगहों पर जनहित में पक्के पुल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मेरी मांग है कि इन सभी जगहों पर जनहित में जल्द से जल्द पक्के पुल निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप बिस्कोहर-पचपेड़वा के बीच में छगड़ेवा पुल कैसे भूल गए?

श्री छोटेलाल जी।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सर, हमारे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा, सदर विधान सभा, नगवा ब्लॉक, चोपन ब्लॉक, कोन ब्लॉक, नौगढ़, चकिया ब्लॉक के गांवों में दलित आदिवासियों को वनाधिकार के तहत जितना पट्टा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उनके बाप-दादा के जमाने से, एस्टेट राजा के जमाने से जो जमीन मिली हुई थी चकिया विधानसभा में, वह जमीन दलित, पिछड़े, आदिवासियों व किसानों से छीनी जा रही है।

आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को लगभग 50 सालों से सर्वे में बाहरी आदमी व दबंग पैसे वालों ने अपने नाम करा लिया है। उनकी जमीन भी सर्वे कराकर वापस की जाए। किसी पुलिस, लेखपाल से कब्जा न कराया जाए। वह गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से नाम कराया गया था। आदिवासी आज तक काबिज हैं। उस जमीन पर आज तक आदिवासियों का कब्जा है। उनकी जमीन उनके नाम करके वापस दी जाए और ज्यादा से ज्यादा वनाधिकार के तहत गरीब, दलित, आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। सर, आप कहते हैं कि दिशा की बैठक में अधिकारी सुनते हैं। वे सुनने वाले नहीं हैं। वहां पर अधिकारी मनमानी करते हैं। किसी की सुनते नहीं हैं। अधिकारियों को

निर्देश दिया जाए कि जो आदेश 'दिशा' की बैठक में दिया जाता है, वह कार्य किया जाना चाहिए। वे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वहां आदेश दिया जाए कि जो कहा जाता है, उसको कायदे से सुन लें।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और शून्य काल में 20 सदस्यों में से सात समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी कोयला परियोजनाएँ चल रही हैं उन्हें CTO देने के लिए जो शर्तें दी गयी थीं, उनका अनुपालन किया जाना था, जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण और अन्य जो भी कार्य हैं जिनके लिए अलग से राशि का प्रावधान है, लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा।

कोयला परियोजनाओं को CTO देने के लिए शर्तों का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की जाए और साथ ही गिरिडीह नगर के पूर्वी क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से गादी श्रीरामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद, फुलची पंचायत के गावों में प्रदूषण फैलाया जा रहा है।

प्रदूषण की स्थिति इतने सालों में अब इतनी भयावह हो गयी है कि लोग सांस की बीमारी से मर रहे हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि बंजर हो गयी है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ भी नष्ट हो चुके हैं। भूजल का स्तर काफी गिर गया और महुआटांड़ गाँव तो जलविहीन हो गया है। उसरी नदी के पानी को भी इन फैक्ट्रीज द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जिसके वजह से उसका अस्तित्व आज खतरे में है। जिला प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन के बावजूद कंपनियों द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन रोकने के लिए तय मानकों के ESP तक का प्रयोग नहीं कर रही। इन्हें रोकने के लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन असमर्थ है। अब वहाँ के ग्रामीण इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वहाँ के लोगों ने इस बार वोट का भी बहिष्कार किया है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण हेतु आपके माध्यम से मेरा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध है की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन फैक्ट्रीज की पर्यावरण मंजूरी और संचालन करने की सहमति कैसे दी जा रही है इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करें और जब तक सारे पर्यावरण मानकों को पूरा न कर लिया जाए तब तक इन्हें बंद रखें।

(1220/UB/MY)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my 'Zero Hour' submission is relating to construction of an underpass at Vettuthara junction on National Highway-66 in my constituency.

Sir, Vettuthara is an important junction which is connecting the eastern part of my constituency to National Highway-66 covering Thekkumbhagam gram panchayat, Thevalakkara gram panchayat and so many other places in the eastern part. Those people are dependent on this route. They connect to the

National Highway through Vettuthara junction. Unfortunately, there is no vehicular underpass at that particular junction.

And further, as far as the service roads are concerned, it was originally planned to have seven metres of width of the service road, but unfortunately, the width has come down to four metres, which has made the movement very difficult for the residents of the eastern part of that junction. Hundreds of vehicles are coming from the eastern part to get to the National Highway-66, but there is no underpass leading to difficulties. I learned that there is a proposal to construct an underpass with the width of 22.9 metres near the Neendakara Bridge. My suggestion is, either a new vehicular underpass be constructed at Vettuthara junction or the newly proposed underpass with 22.9 metre width be shifted to Vettuthara junction to resolve this problem. I would urge the Government to do it at the earliest for the convenience of the people at large.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। आज पूरे देश के दलित समुदायों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर से अन्याय एवं अत्याचार हो रहा है कि एनसीआरबी के डेटा भी कहा रहा है कि अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर है।

सभापति जी, अभी 31 मार्च को ईद के मौके पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था। मैं लोगों को ईद की मुबारकवाद दे रहा था। वहां मेरे पास अचानक सूचना आती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के ही तरवा थाना के ओहनी पट्टी गांव के सन्नी कुमार नाम के एक 22 वर्षीय नौजवान को तीन पहले से ही थाने में बैठा रखा था। सन्नी कुमार दलित समुदाय से आते हैं। न्यायालय का सीधा-सीधा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर चालान होना चाहिए और मसला न्यायालय के सामने जाना चाहिए। उस पर न्यायालय फैसला लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है। पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है। पुलिस को कोई भी नियम-कानून और न्यायालय के मार्गदर्शन मान्य नहीं है।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : इसमें केंद्र की क्या एकाउंटबिलिटी है?

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, थाना तरवा के अंदर सन्नी कुमार की हत्या कर दी गई और सूचना क्या दी गई कि लोअर के नाड़े से उसने फाँसी लगा ली।

सभापति जी, तीन किलोमीटर दूर पर गांव था, लेकिन सन्नी कुमार की हत्या के बाद परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई। उसके बाद डेड बॉडी सीधे मोर्चुअरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि उसने फाँसी लगा ली।

सभापति जी, मैं मोर्चुअरी के पास जाकर उनके परिवार से मिला। अगर आप भी उनके बारे में सुनेंगे तो एकदम द्रवित हो जाएंगे। वह केवल तीन बहन-भाई है। वह अपने परिवार का अकेला बेटा

था। अब दो बहनें बची हुई हैं। उनमें से एक बहन विकलांग है। अब उस परिवार का कोई भविष्य नहीं बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के हैं। मैंने अपनी पार्टी की ओर से, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। सन्नी कुमार के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले। यह हमारी मांग है।

सभापति जी, मैं आपसे एक और चीज कहूंगा। मैंने कल भी जीरो आवर का नोटिस दिया था। बैलेटिंग में मेरा नाम भी है। दलित समुदाय से जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर जिस कदर हमला हुआ, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप दो विषय मत लीजिए। आप केवल एक विषय के बारे में बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, उनकी आप सुरक्षा तो बढ़ाइए। क्या आप उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाएंगे?... (व्यवधान)

माननीय सभापति: धर्मेन्द्र जी, आपकी बात आ गई है।

... (व्यवधान)

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(1225/CP/GM)

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में सेना के दो रेजिमेंट सेंटर्स स्थित हैं, एक राजपूत रेजिमेंट है और दूसरा सिखलाई रेजिमेंट है। ... (व्यवधान) यहां पूर्व सैनिकों के उपचार के लिए एकमात्र पूर्व सैनिक पोली क्लीनिक स्थित है, जिसमें मात्र प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। वहां भर्ती की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पूर्व सैनिकों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होने पर उन्हें आगरा, लखनऊ, कानपुर, आदि जगह रेफर कर दिया जाता है, जो जनपद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

महोदय, कभी-कभी इलाज के अभाव में उन्हें जान भी गंवानी पड़ती है। यहां पर एक छोटा सा मिलिट्री हॉस्पिटल है, जिसमें हृदय रोग, नाक, कान, गला, आंख सम्बन्धी चिकित्सक नहीं हैं एवं चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं हैं। यहां पर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी टेस्टिंग की कोई व्यवस्था भी नहीं है। फर्रुखाबाद में ईसीएचएस को कवर करने वाला कोई सिविल अस्पताल नहीं है। जनपद फर्रुखाबाद में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सेना में बहुत से नौजवान हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत से जवान शहीद भी हुए हैं। हमें उन पर गर्व है। हमारे जनपद में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी रहते हैं। उनके परिवारों को आए-दिन इलाज की आवश्यकता पड़ने पर फतेहगढ़ कैंट स्थित पोली क्लीनिक जाना पड़ता है, जिसमें इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें व उनके परिजनों को काफी कठिनाइयां होती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा

मंत्री जी से आग्रह है कि फतेहगढ़ कैंट स्थित, जहां दो रेजीमेंट्स हैं, वहां पोली क्लीनिक एवं मिलिट्री हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित कराने कष्ट करें, जिससे जनपद के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों का इलाज व्यवस्थित तरीके से हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Hon Chairman Sir, I wholeheartedly thank you for allowing me to raise an important issue pertaining to my Pollachi parliamentary constituency. The National Highway no 209 between Dindigul and Kamalapuram is being constructed through Puliampatti, Kittasurampalayam Kurumbapalayam and Achipatti. Since this National Highway is being laid at an elevated level of 20 feet high for a stretch of 3 kilometres, people are unable to reach their agricultural fields. Particularly the farmers who have given their lands for this Highway project are facing the difficulties. In the absence of approach roads, farmers are suffering a lot as they are unable to transport the agricultural produce grown in their fields. As a result the livelihood of farmers are very much affected in this area. On behalf of the villagers of this area, I make a fervent appeal to the Union Government that these approach roads should be constructed at the earliest without any difficulty to the people and the vehicular traffic of this area. Further, as this area is near the Pollachi Municipality, it is included in the model list of areas which are identified for expansion of Municipality jurisdiction. As these villages are growing fast, I urge that these approach roads should be constructed on both the sides of the Highway at the actual ground level in order to help the farmers and general public of this area. Moreover I urge that permanent road should be constructed near the Kittasurampalayam bus terminus, for the transport of Light Motor Vehicles. Vedappatti village near Madathukulam has become like an isolated island due to non-availability of over-bridge and underpass. I urge that over-bridge and underpass should be constructed in this area. Along the Pollachi-Dindigul National Highway, between Marappettai to Unjavelampatti, several accidents take place resulting in loss of lives due to the median constructed on this stretch of the Highway. We have requested the National Highways Project Directorate to remove this median on this road. I on behalf of the people of my Pollachi parliamentary Constituency once again request for removal of this Median along the Marappettai-Unjavelampatti stretch of Pollachi-Dindigul National Highway in order to prevent loss of precious lives due to accidents. Thank you Vanakkam.

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : सभापति जी, केंद्र सरकार ने हरियाणा में एक नया आईआईटी खोलने की घोषणा की है। मेरा लोक सभा क्षेत्र एनसीआर रीजन में आता है और इसका मात्र दो घंटे का रास्ता है। नेशनल हाईवे के ऊपर मेरे तीन डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, भिवानी, दादरी और महेन्द्रगढ़। 300 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक पंचायतों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन के प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को भेजे हैं कि यह आईआईटी मेरे क्षेत्र में बनाया जाए।

(1230/NK/RCP)

एनवायरनमेंट के हिसाब से दिल्ली में प्रदूषण बहुत रहता है और हमारा क्षेत्र प्रदूषण रहित है। देश के लगभग सभी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, अलग-अलग आईआईटी की स्थापना हो चुकी है। अभी तक हरियाणा इससे वंचित है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हरियाणा के बाकी जिलों में कई महत्वपूर्ण संस्थान और अनुसंधान केन्द्र पहले से मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है, पंचकुला में फैशन डिजाइनर का केन्द्र है, रोहतक में भी एक प्रबंधन संस्थान है। झरझर और भिवाड़ी में एम्स है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र चरखी-दादरी, भिवानी या महेन्द्रगढ़ में

अभी तक राष्ट्रीय स्तर का कोई भी बड़ा संस्थान स्थापित नहीं हुआ है। यदि आईआईटी की स्थापना होती है तो न केवल इससे इस क्षेत्र में युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा में नयी प्रस्तावित आईआईटी को मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी, महेन्द्रगढ़ में लाया जाए। हमारे यहां पाली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एजुकेशन टाउनशिप बनायी जाए। वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टैस्टिक्सकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेशनल फैशन डिजाइनर और केन्द्रीय विद्यालय है। वहां टोटल 500 एकड़ का रकबा है। इसे एजुकेशन टाउनशिप के रूप में चेंज कर दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : सुश्री इकरा चौधरी-उपस्थित नहीं।

श्री मनीष जायसवाल (हजारीबाग) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, क्षेत्र के विस्थापन का विषय रखा था। आपने आधे मिनट का समय दिया था, इसलिए पूरी बात नहीं रख पाया था। आज मैं उसी बात को पूरा कर रहा हूँ।

हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा में सीसीएल और एनटीपीसी के द्वारा कोयला खदानों के लिए विस्थापन किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के केरडारी, बड़कागांव, डारी, चुरचु और रामगढ़ जिले के मांडू और रजरप्पा में।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य आपका विषय भैरवा जलाशय के बारे में था।

श्री मनीष जायसवाल (हजारीबाग) : सभापति महोदय, मैंने लिख कर दिया है। एनटीपीसी की कोल माइनिंग परियोजना में कम्पेनसेशन के रूप में चार चीज देते हैं, पहला, जमीन का दाम देते हैं जो कि अभी 24 लाख रुपये दे रहे हैं, जबकि मार्केट में जमीन का रेट बहुत ज्यादा है। कम से कम उसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये देना चाहिए, इस विषय को मैंने पहले भी रखा था।

दूसरा, असेट्स का कम्पेनसेशन देते हैं। अगर मेरा मकान बना हुआ है तो पक्के मकान का 950 रुपये कम्पेनसेशन देते हैं और कच्चे मकान का 650 रुपये प्रति स्कवॉयर फीट कम्पेनसेशन देते हैं। यह अन्याय है। अगर ये लोग अपनी स्कीम बनाते हैं तो 2200 से 2500 प्रति स्कवॉयर फीट रखते हैं, जब गरीबों को कम्पेनसेशन देने की बारी आती है तो बिल्कुल आधा देते हैं।

मेरी मांग है कि मकान के कम्पेनसेशन के दाम को बढ़ाना चाहिए। अभी पक्के मकान का जो 950 रुपये है, उसे 2000 रुपये करना चाहिए और कच्चे मकान का 650 रुपये से 1500 रुपये करना चाहिए। विस्थापन के लाभ पर पेंच फंसेता है। 16-05-2016 को पकड़ी बड़वाडीह में इनकी माइन शुरू होती है। उन्होंने एक कट ऑफ डेट तय की कि 16-05-2016 को जिन लोगों की आयु 18 साल की होगी, हम केवल उनको देंगे। लेकिन जमीन का विस्थापन कब कर रहे हैं? वर्ष 2025-2026 में जमीन से विस्थापन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रोक दिया, वर्ष 2016 के बाद मैं उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सेक्शन 4 और 9 लागू हो जाता है, हम न वहां घर बना सकते हैं, न बेच सकते हैं। अगर आज हमसे लेते हैं, जिस दिन वह लेंगे, उसी दिन का कम्पेनसेशन देना चाहिए, यह न्यायोचित होगा।

मेरी मांग है कि कम्पेनसेशन के रेट को बढ़ाना चाहिए। आज बहुत मुश्किल से मेरा समय आया है।

(1235/MK/PS)

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उस इलाके में एनटीपीसी टोटल मैकेनाइज कर रही है। कन्वेयर बेल्ट से कोयला आया और अपने आप रैंक लोडिंग सिस्टम से लोड हो जाएगा। इसका मतलब वहां के लोगों को केवल देखना है, आवाज सुनना है और धूल सहना है। जितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, अभी आप देखेंगे कि आज के दिन में 15 मिलियन टन कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उन्होंने व्यवस्था की है कि वर्ष 2025 में 3 मिलियन टन कोयला रोड से जाएगा और वर्ष 2026 के बाद जीरो हो जाएगा। उससे टोटल रोजगार खत्म हो जाएगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए। हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, लेकिन रोजगार भी महत्वपूर्ण है। जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो लोग वहां लोकल रोजगार करते हैं, उन सभी लोगों को बैलेंस करना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। केवल मैकेनाइज करने से काम नहीं चलेगा। पेड़ तो बचेगा, लेकिन वहां पर आदमी खत्म हो जाएगा। आदमी और पर्यावरण के बीच में एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए। मेरी इस महत्वपूर्ण मांग पर सम्माननीय मंत्री जी विचार करें। मेरी आपसे यही आग्रह और विनती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : धन्यवाद सभापति महोदय। सर्वप्रथम मुझे मेरे मत विस्तार लोक सभा साबरकांठा के कुछ अति महत्वपूर्ण विषय उठाने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद करती हूँ। साथ ही, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने साबरकांठा जिले में 14.2 किलोमीटर लंबी इंदर-बडोली बाईपास के चौड़ीकरण के लिए 705.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
1237 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 848 (के) की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो नडियाद-आनंद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से प्रारंभ होकर कठलाल, कपड़वंज, बायड, धनसुरा, मोडासा होते हुए शामलाजी से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को जोड़ता है। लगभग 137 किलो मीटर लंबा यह मार्ग यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, भारत सरकार द्वारा इसे दिनांक 27 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, परंतु वर्तमान में यह सड़क राज्य सरकार की Annuity Model के अंतर्गत आती है, जिसकी अवधि जुलाई, 2026 में समाप्त हो रही है। इस मार्ग पर 33,000 से अधिक पीसीयू यातायात का दबाव है, जिससे भारी जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौजूदा 10 मीटर चौड़ाई की वजह से यह यातायात प्रवाह के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है। अरवल्ली जिले के मोडासा, धनसुरा, बायड व उमाई के बीच भारी वाहनों की अधिकता के कारण प्रशासन को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है, जिससे व्यापार, औद्योगिक एकमो और ट्रांसपोर्टों को नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगी। धनसुरा, बायड एवं डेमई जैसे प्रमुख नगरों में बाईपास सड़क एवं वायाडक्ट डिजाइन ओवरब्रिज की जरूरत है।

अतः मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 848 (के) को फोर लेन किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसकी विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कार्य शीघ्र आरंभ करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। बायड, धनसुरा एवं डेमई नगरों में यातायात को सुगम बनाने हेतु बाईपास सड़क एवं वायाडक्ट डिज़ाइन ओवरब्रिज की योजना को डीपीआर में सम्मिलित करने की कृपा करें। राज्य सरकार द्वारा इस राजमार्ग के लिए जो वार्षिकी योजना चल रही है, उसके पूर्ण होने से पहले भूमि अधिग्रहण एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए भी मैं अनुरोध करती हूँ, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

महोदय, वात्रक नदी पर वात्रक गाँव के समीप स्थित पुल की अत्यंत जर्जर स्थिति को देखते हुए, उसके पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें, जिससे आने-जाने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर उस क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI DIMPLE YADAV (MAINPURI): Thank you, hon. Speaker, Sir.

I would like to speak on a very important matter, and I believe that most of the Members of Parliament sitting in the House -- now, not present in the House -- are going to align with it. It is regarding the stepmotherly and unethical treatment being meted out to the ex-servicemen under the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme.

(1240/SMN/SJN)

I am given to understand that presently the scheme is facing a shortfall of more than Rs. 5000 crore. Moreover, since September, 2023, the fund allotment to the scheme has been erratic and scarce compared to the projected requirements.

The Central Government Health Scheme (CGHS) in spite of having a high per capita expenditure does not fix any issues and continues to be well-funded which is much appreciated but at the same time, this is leading to humiliation and discrimination against the ECHS patients in empanelled hospitals. At times, if in one family or in one friend circle or community, there are CGHS, ECHS, the State ESI and PSU members and when all of them approach the same empanelled hospital, the ECHS members are subtly turned away stating there is a lack of beds whereas others continue to be attended to.

In addition to this, the trauma of the illness and the financial distress is causing the proud soldier to face loss in the society and in the long run, it will be detrimental to the image of the soldiers of the nation as a whole.

Though this discrimination in fund allotment has been going on earlier also, this year, it has been monumental. The empanelled hospitals are forced to close the financial year due to the shortfall in each ECHS payments. In the long run, these hospitals will not be empanelled with ECHS again.

Most cancer and expensive medicines are not available in the ECHS clinics and the soldiers are being given non-availability certificates to buy from the market and they are told to claim this money and when these soldiers apply for reimbursement of money, this claim is not passed as they have no funds with the ECHS.

Sir, I would like the Ministry to take immediate steps regarding the release of complete requirement of ECHS funds so that the empanelled facilities can continue. At the same time, I would request the hon. Minister to look into the matter and to do the needful. The soldiers have given the prime of their life to the nation and I being the daughter of an ex-serviceman also, I understand their plight and their situation which these soldiers are facing. I do not want these soldiers to be humiliated and discriminated in old age.

Thank you, Sir.

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय,

“शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा”।

महोदय, मैं आज उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम सुनते ही हर व्यक्ति में जोश आ जाता है। आज से पांच साल पहले मुझे त्रिपुरा जाने का मौका मिला था। जब मैं एयरपोर्ट से उतर रहा था, तब मैंने वहाँ एक स्टेडियम देखा और उस स्टेडियम का नाम भगत सिंह स्टेडियम, त्रिपुरा था। भगत सिंह पंजाब में पैदा हुए थे, लेकिन त्रिपुरा की धरती पर भगत सिंह जी का नाम दिखा, तब मुझे गौरव और गर्व महसूस हुआ।

मैं आज उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश की आजादी और देश की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। मैं वह बात दोहराना चाहता हूँ, यह बात 23 मार्च, 1931 की शाम की है, जब भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तब एक अफसर ने दरवाजा खोला और उनसे कहा कि फरमान आ गया है कि आपको फांसी दी जानी है। उन्होंने अपनी आंख उठाए बिना किताब पढ़ते हुए कहा कि अभी एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है, दो मिनट रुक जाइए। मौत की परवाह ने करते हुए उन्होंने कहा कि ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय क्या है?

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : महोदय, मुझे बोलते हुए सिर्फ आधा मिनट हुआ है, आपने मेरा फ्लो तोड़ दिया है।

(1245/SPS/SM)

माननीय अध्यक्ष : आप पंजाब में भी भगत सिंह स्टेडियम पढ़ लेते।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : माननीय स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भगत सिंह आजादी के इस रास्ते पर चल रहे थे, आज से ठीक 95 साल पहले सामने वाली बिल्डिंग, जिसे केन्द्रीय विधान सभा कहा जाता था, वहां पर गूंगी-बहरी अंग्रेज सरकार को धमाका करके देशवासियों की आवाज सुनाने का काम किया। भगत सिंह की मां की इच्छा क्या थी? उन्होंने भगत सिंह को कहा था कि मैं आपकी शादी होते देखना चाहती हूं, आपके बच्चे देखना चाहती हूं और आप मेरी अर्थी को कंधा देंगे। मैं यह महसूस करती हूं। उन्होंने अपनी मां को कहा कि मेरी शादी फांसी के फंदे से हो चुकी है।

महोदय, 8 अप्रैल का वह वाक्या है। आज मैं उस व्यक्ति के लिए 95 साल बाद यह मांग करना चाहता हूं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको भारत रत्न अवॉर्ड से नवाजा जाए। आपने हजारों लोगों को भारत रत्न दिया, घर बैठे लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन आज तक भगत सिंह को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। मेरी मांग है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा और भारत रत्न देने का काम केन्द्र सरकार करे।

माननीय अध्यक्ष : सब मांग कर रहे हैं। मांग करने वालों को भी विचार करना चाहिए और इधर भी विचार करना चाहिए।

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार की राष्ट्रीय टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी ने माना है कि देश के कुल टाइगरों की 30 परसेंट संख्या नोटीफाइड वन क्षेत्र के बाहर है। मेरे जनपद खीरी व पड़ोस के जनपद बहराइच और पीलीभीत में पिछले चार वर्षों में 65 से ज्यादा मनुष्यों की वन प्राणियों द्वारा जान जा चुकी है। गन्ने की दस महीने की फसल में सात-आठ महीने में गन्ना काफी बड़ा हो जाता है, जिसे बाघ स्वाभाविक रूप से रहने योग्य मानता है। दुधवा के जंगलों में वर्ष 2008 में आई बाढ़ ने बायो डायवर्सिटी बिगाड़ दी है, जिससे छोटी घास खत्म हो गयी है। इसके कारण छोटे जानवर जंगल से बाहर आये और उनके पीछे बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवर शिकार के लिए बाहर आ गए, जहां उनके लिए आवारा पशु आसानी से उपलब्ध हैं। बाघिन गन्ने के खेत में शावकों को जन्म दे रही है और वापस जंगल नहीं जा रही है। किसान और मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए दहशत और जान का खतरा बना हुआ है।

मैं मांग करता हूं कि अविलम्ब इस समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाकर मानव-वन प्राणी टकराव रोकें। वन प्राणियों से मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर कम से 25 लाख की जाए, पालतू पशुओं व फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए और वन प्राणियों को पकड़ कर वापस जंगल में छोड़ा जाए। धन्यवाद।

*SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Hon'ble Speaker Sir, today I rise to urge you to confer Bharat Ratna Award upon Bhausaheb Panjabrao Deshmukh. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh was a member of this House and as the first Agriculture Minister of India, he contributed a lot in the field of agriculture and for the welfare of farmers.

Hon'ble Sir, he was also a member of the constituent assembly of the Indian constitution and had made a great contribution to the constitutional bench. He has also contributed his best while working with Dr. Baba Sahib Ambedkar for the eradication of untouchability.

By establishing Shivaji Education Society, he opened the doors of education for the poor Bahujans not only from Vidarbha region but also from the entire Maharashtra, and it was a remarkable and gigantic task. So, I request the government to confer Bharat Ratna Award upon Bhausaheb Panjabrao Deshmukh posthumously. And also requesting you that Amravati Airport be named as Bhausaheb Panjabrao Deshmukh Amravati Airport. Thank you.

(1250/MM/RP)

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र कैराना और वहां के नागरिकों के लिए न केवल आस्था व रोजगार का विषय है, बल्कि उनकी सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा हुआ है। हर साल कई निर्दोष नागरिक, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग असुरक्षित घाटों के कारण यमुना नदी में डूबकर अपनी जान गवां देते हैं। इन घाटों पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी तीर्थयात्री आते हैं। घाटों पर उचित सुरक्षा उपायों का अभाव है। कैराना क्षेत्र के लिए यमुना नदी के ये घाट न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए, बल्कि वहां के लोगों के रोजगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के यात्रा करने से मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को रोजगार मिलता है। इन घाटों के सुधार से कैराना क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होने के बावजूद भी इन घाटों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन घाटों पर बढ़ती डूबने की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इसलिए मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में यमुना नदी के घाटों को विकसित कराने की कृपा करें ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं मिल सकें।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI RAHUL GANDHI): Thank you, Speaker Sir, for letting me raise a matter of urgent public importance.

Sir, it is a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometres of our territory. I was shocked some time back to see that our Foreign Secretary was cutting a cake with the Chinese Ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory. China has taken 4,000 square kilometres, and our Foreign Secretary is cutting a cake with the Chinese Ambassador. 4000 किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एंबेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे। उनके शहादत की सेलिब्रेशन केक काटकर हो रही है। हम नॉर्मल्सी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मल्सी से पहले स्टैटसको होना चाहिए। We should get our land back.

It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese Ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them.

Foreign policy is about managing the relations with external countries. You have given China 4,000 square kilometres of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us at the rate of 26 per cent, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, and our pharmaceutical industry, are all on the line, including our agriculture. So, I am wondering. Somebody once asked Indira Gandhiji: "In the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right?" Indira Gandhi answered: "I do not lean left or right, I stand straight. I am Indian and I stand straight." The BJP and the RSS have a different philosophy. When asked: "Do you lean left or do you lean right?" They said: "No, no, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us." Sir, this is something that is in their culture. It is in their history, we know that. But, we would like an answer from the Government of India. What are they doing about our land? What are they going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you.

(1255/VR/KDS)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, yesterday, the State Assembly of Tamil Nadu has adopted a Special Resolution moved by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy Thiru M.K. Stalin, regarding the unconstitutional ceding of Indian territory, Katchatheevu, to Sri Lanka.

Sir, why am I saying it an unconstitutional move? In 1974, there was an International Maritime Boundary Agreement between India and Sri Lanka. In 1976, there was one more agreement between India and Sri Lanka regarding demarcation of specific number of points on the maritime boundary. The State of Tamil Nadu was not a party to both these agreements.

Finally, before I say anything, I would also like to mention the Supreme Court Order of 1960 which dealt with a territorial dispute between India and Pakistan over the Berubari region. In that case the Supreme Court clearly held that ceding of any land territory should not be done without the approval from the Parliament. The Parliament will have to ratify it. But ceding of Katchatheevu happened in 1976 during the imposition of the President's Rule. At that time, they did not consult the State Government. They did not consult the Parliament. This was done without any ratification of the Parliament. That is why, I mentioned that is unconstitutional.*(Interruptions)*

Sir, ceding of Katchatheevu, the sole breadwinner for fishermen of Tamil Nadu, is still unconstitutional. It should be retrieved by the hon. Minister who is sitting there. They should intimate the Prime Minister of India or the Minister of External Affairs so that it can happen quickly. Otherwise, the agreement is still unconstitutional. There is no Parliament sanction to it.*(Interruptions)* There is no ratification by the Parliament of India. Therefore, I request the Government of India to retrieve it as early as possible. Thank you.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूँ।

जब से भारत आज़ाद हुआ, तब से हमारी सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन-सी मजबूरी थी? अक्सर चीन का एरिया किसके समय में चीन ने हथिया लिया और उस समय किसकी सरकार थी? ... (व्यवधान) कब 'हिंदू-चीनी भाई-भाई' कहते रहे और पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था? ... (व्यवधान) तब किसकी सरकार थी और वे नेता कौन थे, जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज़ सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ आकर खड़े नहीं हुए? वे कौन-सी फाउंडेशन है, जिससे चाइना के अधिकारियों द्वारा पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वह पैसा लिया था? उन्होंने क्यों पैसा लिया था? ... (व्यवधान) किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम यह कह सकते हैं कि डोकलाम की घटना के समय भी भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। प्रधान मंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए और सेना का मनोबल बढ़ाया। ... (व्यवधान)

(1300/YSH/SNT)

कुछ लोग चाइना के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था? ... (व्यवधान)

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारतीय आम व्यक्ति की आम जीवन में आने वाली रोज की समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। टोल बूथ पर लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के कारण, जहां सरकार चाहती है कि हाईवेज बेहतर हों, सड़कें बेहतर हों और उन सड़कों पर लोगों की सुगम यात्रा हो, वहीं टोल बूथ के कर्मचारी लगातार दुर्व्यवहार करके तथा अपने गलत आचरण और व्यवहार के कारण सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, इन टोल बूथ्स पर लगातार महिलाओं, आर्मी ऑफिसर्स, किसान और मेडिकल इमरजेंसीज को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। टोल बूथ्स पर मनमाने तरीके से दोगुना टोल लिया जाता है। ऐसे स्टाफ को रखा जाता है, जो अपने परिवार और परिवार के मुखिया के साथ भी लगातार दुर्व्यवहार करते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के कारण 200 से 250 किलोमीटर रोजाना आते-जाते हैं, लेकिन कई बार अगर सुरक्षाकर्मी साथ न हो तो वे संसद के पास और विधान सभा के पास को भी मानने से इनकार कर देते हैं, जो बेहद निंदनीय है।

इस समस्या का संज्ञान लिया जाना चाहिए। इससे एक बड़ा असंतोष भारत की जनता में उत्पन्न हो रहा है, जो भविष्य में सड़कों के क्षेत्र में की जा रही मेहनत को व्यर्थ कर रहा है। इसलिए समय-समय पर इन टोल बूथ्स के स्टाफ की काउंसलिंग होनी चाहिए। हेल्पलाइन जारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण भारत की प्रत्येक जनता के व्यक्ति को और इस सदन को मिलेगा।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): India, with the world's largest youth population, is grappling with an alarming surge in drug abuse and violent crimes. Mafia networks are actively trapping young minds, infiltrating colleges and educational institutions to expand their influence. The illusion of social media and the glorification of violence in films are distorting reality, normalising crime and aggression among the youth. Meanwhile, unchecked drug trafficking networks continue to spread, poisoning an entire generation.

Kerala is at a breaking point. In the last two months, many brutal murders have been reported. Political backing and societal tolerance for criminals have emboldened lawlessness, pushing society to the brink of chaos.

The drug menace is no longer confined to urban centres, it has infiltrated schools, colleges, and even rural areas, affecting families across all social strata. This is no longer just a law enforcement issue; it is a national crisis. Awareness alone would not work. The Government must act decisively with strict enforcement, harsher punishments, and a zero-tolerance policy toward drug peddlers and violent offenders. Strengthening border security, enhancing intelligence networks, and launching nationwide crackdowns on drug syndicates

are crucial. Educational institutions must be safeguarded from becoming hubs of drug circulation. A dedicated task force should be formed to combat the growing drug crisis with Central and State coordination. The Central Government must prioritise this crisis with urgent policy interventions and swift, decisive action.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : यह दो तारीख की जीरो आवर की लिस्ट चल रही है इसलिए आप अपनी बात जल्दी-जल्दी खत्म कीजिए।

1304 बजे

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सभापति महोदया, हमारे देश में युवाओं के बीच में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विशेष रूप से कोविड के बाद जिस प्रकार से युवा लोग आज सोशल मीडिया पर निर्भर हो चुके हैं, वह हमारे लिए एक तरह के संकट का माहौल है, क्योंकि इस प्रकार का जो यूसेज बढ़ रहा है, उसके साथ ही स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, सोशल एंजाइटीज़ बढ़ रही हैं और मेंटल हेल्थ पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।

(1305/RAJ/AK)

महोदया, एक चिंताजनक आंकड़ा आया है कि पिछले पांच वर्षों में स्टुडेंट्स के बीच में लगभग 40 हजार से ज्यादा सुसाइड्स हो चुके हैं। हमारा यह देश किस तरफ जा रहा है? जब पिछले पांच वर्षों में 40 हजार युवाओं ने सुसाइड किया है, तो मैं आपका ध्यान बार-बार इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में नेटफ्लिक्स का एक शो एडोलेंस भी आया, जिसमें दिखाया गया कि जब इन्टेन्स एकेडमिक प्रेशर होता है, सोशल मीडिया पर बुलिंग होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, तो हमारे युवाओं पर किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

A growing number of young men are also looking up to online male influencers who promote a version of masculinity which is pushing back on feminism. This toxic masculinity affects both men and women.

Therefore, I would request you to have a healthy debate in the Parliament on mental health in young people. We need to teach our youth that real strength lies in facing our emotions, not in repressing them. We need to teach our youth about the value of emotional intelligence. We need to encourage a debate on the role of young men and women, and how they can navigate stresses and anxieties. Thank you very much.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity.

Today, I would like to raise an alarming crisis that is threatening the very soul of our democracy. The systematic erosion of freedom of speech is happening in this country whether it is in media or in social media or in movies. In Kerala, for the last so many days, we are witnessing a serious attack on a movie named 'Empuraan'. Why is that attack happening? The film has got censorship certificate. In the Censor Board the BJP leaders are sitting. They have given clearance for the film and the film was released. But a systematic attack has happened on the actors, producers and directors of the film. Now, they are forced to cut 24 parts of the film.

Actually, it is a shame for the nation that after the Censor Board gave the certificate, some people feel that it is not fit for them because that film narrates about the Gujarat riots. Hence, some people thinking that this film cannot be shown. How can it be so? Therefore, whether it is in journalism, or other media there is a clear-cut systematic attack on freedom of expression that is happening we can see that. The YouTubers are under attack; certain journalists are under attack.

Whenever somebody is talking against the Government or against the BJP Party, they are under threat and the entire machinery of ... (*Expunged as ordered by the Chair*) and BJP are behind them. Therefore, this is going to ruin our democratic values.

They are systematically trying to finish the Right to Information Act. The Right to Information Act is one of the best weapons for the common people of this country. They are trying to finish that Right to Informational Act. They are trying to finish the freedom of expression.

How can a country like India that flourished due to democracy function like this? Therefore, my prayer is that the Government has to protect freedom of expression and those who are threatening or creating problem have to be taken seriously.

Madam, thank you very much.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि सभी अपने-अपने विषय को एक-एक मिनट में रखने का प्रयास करें।

डॉ. जयंत कुमार राय जी – उपस्थित नहीं।

श्री मनीश तिवारी जी।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, चंडीगढ़ एक केन्द्रशासित प्रदेश है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वहां अप्रैल, 2025 को चंडीगढ़ में संपत्ति कर और कलेक्टर रेट को तीन गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसका कारण यह बताया जाता है कि चंडीगढ़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिवालिया निकला हुआ है।

सभापति महोदया, वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार से, केन्द्रीय बजट से चंडीगढ़ को साल के 6100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत 30 प्रतिशत पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाना चाहिए, जो 1700-1800 करोड़ रुपए बनते हैं।

(1310/SK/UB)

इनको महज 570 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के अधीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पैसा बनता है, 1700-1800 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। संपत्ति कर बढ़ाकर कलेक्टर रेट बढ़ाकर लोगों पर जो बोझ डाला जा रहा है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

***SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE):** Thank you, hon. Chairperson. I wish to raise the issues pertaining to K. V. Kuppam Assembly constituency in my Vellore parliamentary constituency, in this august House. Along the railway route in K. V. Kuppam area, on one side we have areas like Latteri, Senji, Arumbakkam, Kalambattu, Panamadangi and Thodan Thulasi. On the other side of this railway route we have places like Annagudi, Vilunthakkal, Thirumeni, Cholamur and Kothamangalam. I urge that a Railway Over-bridge should be constructed in this area for people to get access to both the sides of this railway line. I urge that an Over-Bridge or Underpass should be constructed across Level Crossing No.58, to prevent the traffic congestion and to provide connectivity. I also urge in this House for construction of a Railway over-bridge or underpass across Level Crossing No.57 on this rail route. Moreover, I urge that the construction work of Underpass at Rangampettai LC No-58 should be expedited and completed. I also urge the Railway Minister for an Underpass near the already constructed over-bridge at Vaduganthangal across LC-59. I urge upon the hon. Railway Minister to do the needful in fulfilling these demands. Thank you.

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर से श्रद्धालु भाई-बहन बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। यात्रा पर जाने से पहले पंजीयन करवाना पड़ता है और इनको पंजीयन कराने के लिए गुजरात प्रदेश के दाहोद में जाना पड़ता है। यहां लंबी कतार होती है और इससे मेरे क्षेत्र के भाई-बहन परेशान हो जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि पंजीयन अलीराजपुर व झाबुआ जिले में शुरू कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के भाई-बहनों को सुविधा हो सके।

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के डिसा तहसील में पटाखा गोदाम में आग लगने से 20 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई और सात की हालत गंभीर है। 20 में से 18 श्रमिक मध्य प्रदेश से हैं जो गुजरात में रोजगार के लिए आए थे और अपनी जान गंवा बैठे। मैं इस घटना में मृतक व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं तथा परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। इसके साथ ही मैं गंभीर रूप से घायल श्रमिकों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती हूं कि मृतकों के परिवारों के लिए पांच लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जाए।

***SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. More than 2 lakh tribal people live in the surrounding hilly areas such as Yercaud, Pachaimalai Neyyamalai, Aranoothumalai, Kalvarayanmalai, Vellimalai and Dharmadurai of my Kallakurichi parliamentary constituency. They belong to the most backward areas. They are living a simple life. Our Union Government is giving houses to them under the Prime Minister's Housing Scheme, PMAY. Amount provided under this Scheme for construction of houses is very less. An amount of Rs. 2,78,460 is being provided to each beneficiary. The expenses are doubled as regards the procurement of the raw material and construction material for these tribal people. Therefore, keeping in view of this surge in material cost, I urge that the amount disbursed under PMAY should be enhanced for the tribal people of my area. The Adidravida and Tribal People Welfare Department of Tamil Nadu under the able guidance of Hon Chief Minister of Tamil Nadu is providing Rs. 5,35,140 for construction of houses by these tribal people. I wish to make a mention about this here. I urge that a similar enhanced amount should be provided by the Union Government for construction of houses by these tribal people under PMAY.

Thank you. Vanakkam.

(1315/KN/GM)

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर में अंडे की कीमतों को लेकर पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण का पूर्णतः अभाव, जो न केवल उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, बल्कि छोटे मुर्गीपालकों को भी संकट में डालता है। दूध और पनीर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत जहां सरकारी तंत्र या सहकारी समितियों के माध्यम से तय की जाती है, वहीं अंडे जैसे मूलभूत पोषण स्रोत की कीमतें रोजाना एक निजी संस्थान नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा तय की जाती हैं, जिसके पास न तो कोई कानूनी अधिकार है और न ही पारदर्शिता की कोई गारंटी है।

माननीय सभापति महोदया, इस सदन को यह जानकारी चाहिए कि जनवरी, 2022 में प्रतिस्पर्धा आयोग ने एनईसीसी को प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का दोषी पाया था। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंडे की कीमतें बाजार की शक्तियों से तय नहीं हो रही थीं, बल्कि एनईसीसी के केन्द्रीय समिति द्वारा हर सप्ताह जोनल चेयरमैन के बीच समन्वय से तय होती थीं। एनईसीसी किसानों पर इस घोषित कीमतों को लागू करने का दबाव बना रहा था। सितंबर, 2022 में एनसीएलटी ने भी इस आदेश को सही ठहराया, हालांकि जुर्माना नहीं लगाया गया, यह कहते हुए कि एनईसीसी छोटे किसानों के हित में कार्य कर रहा है। ... (व्यवधान)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Chairperson, Madam, I rise today to highlight an urgent issue concerning consumer safety. Recently, the Bureau of Indian Standards raided warehouses of e-commerce giants Amazon and Flipkart in Tiruvallur, Tamil Nadu and Delhi. They seized thousands of products worth over Rs. 1 crore being sold without mandatory BIS certification or with fake ISI mark. These included everyday household items like stainless bottles, geysers, food mixers and sports items. Sub-standard products can pose serious health and safety risk. This is not an isolated incident but a growing and alarming trend. E-commerce platforms dominate the online market space, yet many of them continue to allow uncertified products to be sold, misleading customers who trust these platforms for quality and safety. While the BIS Act prescribes penalties, its enforcement happens only after raids. By then, many unsafe products have already reached homes across India.

I urge the hon. Minister to strengthen BIS enforcement to prevent the sale of uncertified goods at the source, promote the BIS mark so that consumers can verify certification before purchase, hold e-commerce platforms accountable, ensuring that they list only BIS certified products, strengthen the legal framework to ensure that no company is able to escape from the consumer products' quality and standard.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे जी।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैडम, माइक चालू नहीं हुआ है। हमारा माइक चालू नहीं हो रहा है। मैडम, माइक शुरू करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम टीवी में नहीं आ रहा है और कल भी नहीं आया था। पांच मिनट का पूरा भाषण हो गया था, लेकिन टीवी में मेरा नाम नहीं आया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपने विषय को रखिये।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैडम, टीवी में मेरा नाम नहीं आ रहा है। मतदान क्षेत्र में कैसे जाएगा? देखिये, अभी मेरा नाम आया है। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपने विषय को रखिये।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : महोदया, वर्ष 2024 में मेरे संसदीय क्षेत्र में 1300 से ज्यादा काम जल जीवन मिशन के अंदर मंजूर किए गए। केन्द्र की निधि, जो 40 करोड़ रुपये मिलनी थी, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये मिले। उस वजह से 578 काम ही पूरे हो सके हैं।

(1320/VB/RCP)

अभी भी 724 काम बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के नागपुर के लिए जो बकाया निधि है, वह दी जाए। जिस तरह से जल शक्ति का विषय आता है, तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री को भगीरथ कहते हैं, क्या वे सही में भगीरथ हैं? वर्ष 2024 में जो योजना पूर्ण होनी थी, उसे आपने वर्ष 2027 तक एक्टेन्ड कर दिया है। यह अच्छा हुआ कि आपने एक्टेन्शन दिया, लेकिन क्या आप उसमें नये काम शामिल करने वाले हैं, कामों की जो त्रुटियाँ हैं, क्या उनको दूर करने वाले हैं?

श्री राम प्रसाद चौधरी (बरस्ती) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो बहुत ही पिछड़ा है। आज भी बिजली विभाग बहुत से गांवों में बाँस-बल्लियों के सहारे बिजली की लाइन पहुँची है। यह गर्मी का दिन है। रबी की फसल बिल्कुल तैयार है। आज के मौसम में कुछ प्रकृति की देन भी है कि हवाएँ तेज चलती हैं। इसके कारण बाँस-बल्लियों से होकर जो बिजली के तार गये हुए हैं, वे तेज हवा के कारण गिरती हैं। सैंकड़ों एकड़ जमीनें, जिनमें गेहूँ की फसल तैयार है, उसमें आग लग जाती है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के बारे में कह रहे थे। पहले उसका एरिया तहसील था, उसके बाद ब्लॉक था, अब इसका एरिया गांव और पंचायत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बहुत से गांव-पंचायत ऐसे हैं, जिनमें लगभग आठ-दस मजरे हैं। मैं मांग करता हूँ कि गांवों में जो बाँस-बल्लियों के सहारे बिजली पहुँची है, उसकी व्यवस्था ठीक तरह से की जाए। मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को राजस्व गांव में भी दिया जाए।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, Madam. I would like to draw your attention to the distressing situation involving seven Indian seafarers whom pirates at sea have kidnapped. Among them is Shri Rajeendran Bhargavan from my constituency, Kasaragod, along with another individual from Kochi, Kerala. The other five seafarers are from a different part of India. This incident occurred aboard the ship *Bitu River*, managed by Maritec Tanker Management Pvt. Ltd.

The journey began on September 6, 2024, and the last contact was made on March 17, 2025. On March 18, the families were informed of the hijacking. Shri Rajeendran's family, hailing from a poor fishing community, is in severe distress. His wife, who is in the advanced stages of pregnancy, is living in fear and uncertainty, without any updates on his safety. The families of the other kidnapped crew members are also experiencing similar anguish.

This matter is of national concern. Therefore, I urge upon the Government of India to take immediate and decisive action to locate and rescue these seven Indians and provide relief to these families and ensure the safety of our Indian seafarers.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री एम. के. राघवन – उपस्थित नहीं।

श्री पुट्टा महेश कुमार – उपस्थित नहीं।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैं जिस सीमांत एवं थार के मरुस्थलीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर से आता हूँ, उस क्षेत्र की जनता आज भी पीने के पानी सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है।

जल-जीवन मिशन योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2019 तक हर घर को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 10 से 15 परसेंट काम भी नहीं हुए हैं। प्रशासन द्वारा सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि वहाँ घरों में पानी पहुँचा दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ घरों के अन्दर एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है।

(1325/PC/PS)

माननीय सभापति महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस योजना के अंदर जो बड़े स्तर पर घोटले हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए। ... (व्यवधान) मरुस्थलीय क्षेत्र हमेशा पानी से संकटग्रस्त क्षेत्र रहा है, इसलिए ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद जी।

... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : माननीय सभापति महोदया, मैं संत कबीर जनपद से आता हूँ। मैं आपका ध्यान एक अति-महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। औद्योगिक शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये स्वदेशी उद्योग खंडहर बन चुके हैं और हजारों कारीगर भुखमरी की कगार पर हैं।

माननीय सभापति महोदया, वर्ष 1977 में स्थापित मगहर स्पिनिंग मिल पिछले 27 वर्षों से बंद है, जहां कभी डेढ़ हजार कर्मचारी कार्यरत थे और हजारों परिवारों का भरण-पोषण होता था। मेरे जनपद में जिस लघु उद्योग को पीतल की नगरी और बखीरा बाजार कहा जाता था, आज वहां के सारे उद्योग पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। वहां के कारीगर भुखमरी के कगार पर हैं।

सभापति महोदया, हमारा जनपद बुनकर बाहुल्य है, जहां बुनकरों द्वारा कपड़ा बुनाई का काम होता है। वहां उनको फ्लैट-रेट पर जो बिजली मिलती थी, वह खत्म कर दी गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बुनकरों को फ्लैट-रेट पर बिजली दी जाए और उनके द्वारा जो कपड़े बुने जाते हैं, उन्हें रेलवे में चादर के रूप में सप्लाई किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर जी।

... (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं इस सदन का ध्यान आढ़ती और राइस-मिलर्स के मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभापति जी, वर्ष 2019-20 तक, जो हमारे आढ़ती हैं, उनका गेहूं और धान पर जो कमीशन था, वह एमएसपी के रेट का ढाई परसेंट फिक्स था। लेकिन, वर्ष 2019-20 के बाद सरकार ने उसे 46 रुपए-पर-क्विंटल पर फिक्स कर दिया।

आप देखिए कि उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ गई, चीजों के कितने रेट्स बढ़ गए। लेकिन, उनकी कमाई आज भी फिक्स है, जिस वजह से उन्होंने लास्ट इयर भी प्रोटेस्ट किया था। इस कारण हमारा प्रोक्योरमेंट का जो सीज़न था, उसमें भी डिस्टर्बेंसेज़ हुए।

अतः मेरी सरकार से विनती है कि उनका कमीशन पहले की तरह, एमएसपी के रेट का ढाई परसेंट फिक्स किया जाए। दूसरा, जो राइस-मिलें हैं, उनमें पंजाब को स्पेस नहीं मिल रही है, जिस वजह से राइस की मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके कारण हमारे गोदामों में स्पेस नहीं बन रही है।

इसके कारण यह हो रहा है कि हमारे राइस-मिलर्स पहले मार्च-अप्रैल तक फ्री हो जाते थे, आज उनको छः-छः महीने ज्यादा लग रहे हैं। गर्मी का मौसम है, दाना टूट रहा है जिस वजह से करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है।

माननीय सभापति : श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही जी।

... (व्यवधान)

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): Hon. Chairperson, Madam, I wish to bring to the attention of the Government the rich yet neglected Buddhist heritage of Boudh District of Odisha. The very name Boudh signifies its historical connection with Lord Buddha and Buddhism. Yet, the region has not received due recognition and support for its preservation and promotion.

Archaeological findings including a large image of Lord Buddha in Bhumisparsha Mudra, ancient monastic remains, pillars, bricks, and votive stupas, indicate that Boudh was once a flourishing centre of Buddhism. Additionally, Dambarugarh was a known hub of Tantric Buddhism, where scholars wrote influential Buddhist scripts. Despite these discoveries, Boudh remains out of India's officially-recognised Buddhist Circuit.

I urge the hon. Minister of Culture and Tourism to take the following steps, which include, to direct the Archaeological Survey of India to conduct a comprehensive study ... (*Interruptions*)

(1330/CS/SMN)

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर है, जिसका जिला मुख्यालय भी शिवहर ही है। यह वर्ष 1994 में सीतामढ़ी जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। लेकिन खेद है कि आज दशकों बाद भी इसका प्रधान डाकघर अभी तक सीतामढ़ी में ही अवस्थित है, जिससे शिवहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय दूरसंचार मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस दिशा में विभाग को शीघ्र समुचित निर्देश दें ताकि शिवहर जिले का प्रधान डाकघर शिवहर में सुचारु रूप से काम करना शुरू करे और स्थानीय लोगों को कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र शिवहर में एक मेडिकल कॉलेज और एक एम्स के लिए भी माँग करती हूँ, क्योंकि यह लोगों के इलाज के लिए जरूरी है।

महोदया, इसके साथ ही एक बहुत ही गंभीर मामला है कि राज्य सभा में, उच्च सदन में एक सपा के सांसद के द्वारा हमारे महापुरुष राणा सांगा को गाली दी गई है... (व्यवधान) उन्हें गद्दार कहा गया... (व्यवधान) उन पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है... (व्यवधान)

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : महोदया, धन्यवाद।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में ही बनायी जाती हैं। बिहार में जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, वह कम गुणवत्ता के आधार पर बनायी जा रही हैं। सड़क निर्माण में जीएसबी करने के बाद डब्ल्यूएमएम ग्रेड-III कर एमएसएस (मिक्स शील सरफेस) कर छोड़ दिया जाता है। पहले सड़क निर्माण में बीएम एवं एसडीबीसी का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे सड़क कमजोर बनती है। ग्रामीण सड़कों पर भी भारी वाहन चलने लगे हैं। सड़क कमजोर रहने

से सड़क टूट जाती है और जल्द ही सड़क की बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केन्द्र सरकार की 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रहती है। सड़क निर्माण में बीएम-50एमएम एवं एसडीबीसी-25एमएम जोड़ने से अत्यधिक राशि भी नहीं लगेगी और इससे सड़क भी मजबूत बनेगी।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क की गुणवत्ता को देखते हुए उसमें बीएम और एसडीबीसी को जोड़ने का प्रावधान किया जाए... (व्यवधान)

डॉ. नामदेव किरसान (गड़चिरोली-चिमुर) : महोदया, धन्यवाद।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो अनाज की खरीदी होती है, मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर में धान यानी चावल ज्यादा पैमाने पर उगाया जाता है... (व्यवधान) इसकी समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होती है, वह खरीदी सोसायटी के माध्यम से होती है... (व्यवधान) राइस मिलर्स को मिलिंग के लिए वह धान दिया जाता है ताकि वे चावल बनाएँ और एफसीआई के गोडाउन को सप्लाई करें... (व्यवधान) ये राइस मिलर्स इसमें बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। वे जो चावल बनाते हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, उससे जो चावल निकलता है, वे उसे बाहर मार्केट में बेचते हैं और निम्नतम क्वालिटी का जो सड़ा हुआ अनाज है, उसे बाहर से लाकर उसे एफसीआई के गोडाउन को सप्लाई करते हैं। वही अनाज या चावल फिर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, राशन की दुकानों से लोगों को दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो राइस मिलर्स इस तरह का घोटाला करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगायी जाए। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनकी इंकवायरी की जाए, मैं यह माँग करता हूँ... (व्यवधान)

*SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Indian Institute of Technology, IIT is situated in Chennai and the National Institute of Technology, NIT is situated in Tiruchy. These are the premier educational institutions imparting Engineering Education. In order to get access to the world class education available in IIT, Chennai, students of my Erode constituency have to travel long for 400 kilometers facing so many hardships. I therefore urge upon that the institutions of higher learning such as IIT and NIT should be set up in the educational district of Erode, in the western region of Tamil Nadu, which has large number of aspiring students of Engineering. Erode is one among the fast-developing Cities of Tamil Nadu and under the able Government led by Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru M.K. Stalin, monthly assistance of Rs. 1000 is being provided as an encouragement to the students pursuing higher secondary education in Government Schools. As the Tamil Nadu government is giving more importance to education, the State is fast developing in the field of education. There is a need for setting up of institutes of higher learning such as IITs and NITs in Cities of Tamil Nadu, particularly in Erode. I urge upon you to set-up an IIT or NIT in Erode for the benefit of students of Erode and surrounding constituencies. Thank you. Tamil Nadu will fight for its rights. Tamil Nadu will win. Thank you.

(1335/RV/SM)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

“अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाला।”

इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। ‘लीडर ऑफ ऑपोजीशन’ को देख कर मुझे शर्म भी आयी। अमेरिका का राष्ट्रपति माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री उनको ‘बॉस’ कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री उनके पैर छूते हैं, यह स्थिति है और आपके प्रधान मंत्री, जिन्होंने तिब्बत दे दिया, जिसने चाइना को भूमि दे दी और आज जो बालू का दर्द था कि करुणानिधि जी को करप्शन के आधार पर जेल में बंद करके इन्दिरा गांधी जी ने कच्चातिवु श्री लंका को दे दिया... (व्यवधान) आज का समय आपके जैसे कमजोर प्रधान मंत्री का नहीं है, नेहरू का यह देश नहीं है... (व्यवधान) चाइना को हमने एक इंच भी भूमि नहीं दी है... (व्यवधान) चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमने कोई एम.ओ.यू. साइन नहीं किया है... (व्यवधान) आपने सारे देश को कमजोर करके रख दिया। आपके प्रधान मंत्रियों ने बार-बार ऐसे समझौते किए, जिसमें चाइना आज हमारे बगल में है और हमारा दुश्मन है। तिब्बत के साथ आपने गलत समझौता किया। हमारे बगल में अनुराग जी बैठे हैं। दलाई लामा को हम इतने दिनों से अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए हमें गर्व है कि आज इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी हैं और पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है... (व्यवधान)

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Thank you, Madam. Today, I rise to bring to the notice of the House a unique and historically significant form of theatre called ‘Tiatr’, which is in existence for 133 years. Now, Tiatr is the only popular theatre form in Asia which is truly democratic, secular, community-oriented, and independent of elite and feudal influences. I request the Ministry of Culture, Government of India, to take immediate steps to initiate and support the process of seeking UNESCO’s Intangible Cultural Heritage inscription for this Tiatr.

I would like to place a few demands before the Ministry of Culture. First, recognise Tiatr as a nationally important cultural tradition and take all necessary measures to ensure its promotion, conservation, and documentation. Secondly, establish a task force committee under the Ministry of Culture in collaboration with the Government of Goa and representatives from the Tiatr community to facilitate the process of UNESCO inscription. Thirdly, encourage national and international research, academic collaboration, and digital archiving of theatre performances to preserve their historical, artistic, and cultural significance.

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रयागराज से आता हूं। यह लगभग 70 लाख की आबादी वाला जिला है, लेकिन यहां कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। इसके बगल में चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, मैहर आदि क्षेत्र के मरीज भी प्रयागराज आते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जिले में अभी लाखों-करोड़ों श्रद्धालु आए, जिसकी महिमा और गुणगान प्रधान मंत्री जी ने भी किया, लेकिन वहां एक एम्स अस्पताल देने के नाम पर कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रयागराज का कोई मरीज दिल्ली में आकर इलाज कराता है तो एम्स में उसको दो-दो सालों की वेटिंग मिलती है। आज एम्स की बदहाली का हाल यह है, वहां की फैकल्टीज में चिकित्सकों की कमी का हाल यह है कि मरीज मर जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नयी दिल्ली में डॉक्टरों के 390 पद खाली हैं, जिनमें प्रोफेसर के 115 पद और सहायक प्रोफेसर के 275 पद खाली हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, धन्यवाद।

माननीय सदस्य श्री गोविन्द मकथप्पा जी।

... (व्यवधान)

(1340/GG/RP)

*DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon. Chairperson, I would like to draw this august House's attention towards a demand to construct a Tribal Museum at Baghlan in my Lok Sabha Constituency, Dhule. There are more than 150 villages in Baghlan Tehsil and traditional forms of arts, handicrafts, Paintings, Warli art and culture etc. have been conserved and protected by the local tribal community. It would help to keep this tribal culture alive and preserve the cultural heritage. Mangitungi is also a famous pilgrimage centre for Jain community. A 108 feet height statue of Shri Rishabhdev is also erected there and Salher-Mulher fort of Chhatrapati Shivaji Maharaj is also located in this area. It is also recognized as a proposed UNESCO world Heritage Site.

It would definitely boost tourism in this region and help for employment generation. It is also beneficial for the local artists, artisans and traders.

Therefore, I request Hon. Tribal Affairs Minister and Culture Minister to provide sufficient funds for the construction of this Tribal Museum so that it can help to preserve the cultural heritage of tribals there. It is surely going to help the tribals not only from my State Maharashtra, but also the tribals living in other States of our country.

Thank you.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री जी. एम. हरीश बालयोगी – उपस्थित नहीं।

श्री जी. लक्ष्मीनारायण – उपस्थित नहीं।

***SHRI KHAGEN MURMU (MALDAH UTTAR):** Thank You, Chairperson, for letting me speak during the Zero Hour. I would like to mention in the August house a tragic and horrific incident that has recently occurred. On March 27, in the Mothabari Assembly Constitution of West Bengal, some jihadi Muslim militants attacked the homes of the Santani Hindus. They attacked the house of a villager named Rajkumar Chowdhury and molested his wife and daughter. They were on a rampage. They are committing atrocities on the Hindus of Sanatan Dharma. They kept urging all the Muslims to come out and attack Hindu houses. Catching the Hindus and slaughtering them was their motto.

Sanatan Dharma is under attack in West Bengal. Hindus are under attack. The police are standing by and watching everything unfold. These incidents are happening in front of the police. Mothers are being attacked. A mother was kicked in the chest by the police. Later they attacked her son.

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Thank you very much, Madam, for allowing me to bring an issue of national importance to the attention of this august House. It concerns our Bandipur Tiger Reserve.

Madam, in 2009, the Karnataka Government implemented a night ban over NH-766 which runs through Chamarajanagar district in Karnataka and connects to Wayanad in Kerala. Despite this progressive policy which was put into place to ensure that wildlife collisions are at a minimum, and also that the illegal activity that happens during the night time is also at a minimum, the Kerala Government has repeatedly sought to lift this ban. Time and again, they have approached the Karnataka Government. The sitting Chief Minister, who was also the Chief Minister in his previous term, had denied the lifting of the night ban twice. Despite this, recently an affidavit was submitted to the Supreme Court which advocated for an elevated road on an alternative route and keeping NH-766 only for local community use and

* Original in Bengali

emergency vehicles. The senior leaders within the Congress have exerted pressure on the Karnataka Government to reconsider lifting the ban and also take back the affidavit that was filed in the Supreme Court.

Madam, such interference in Karnataka's affairs, which undermines the State's efforts to protect its natural heritage for the benefit of a few political figures is deeply condemnable. I respectfully urge you to direct through this House the Ministry concerned to take a firm stance regarding safeguarding our tiger reserves and ensuring that they are not compromised for the political interests of a select few. Thank you.

(1345/MY/VR)

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Chairperson, I would like to draw the attention of this august House towards an important issue which is related to the young and unemployed youth of my constituency. My district is at 3rd position in the list of most backward districts of our country. Around 310 hectare land of Kawadgaon MIDC and 89 hectare land of Wadgaon MIDC is lying vacant.

One new MIDC is proposed at Tamalwadi and Shiradon. Madam, through you, I would like to request Central Govt. to develop an industrial cluster there so that the local youths would get employment opportunities at the same place. If the industries related to Terkheda crackers market, leather market at Yedki, Khoa market at Bhoom Paranda and Osmanabadi goats, get developed in my Constituency, it would be very beneficial.

Therefore, I request you to start and develop the industry which consume less water to empower the unemployed youth of my constituency.

Thank you.

डॉ. धर्मवीर गांधी (पटियाला) : मैडम चेयरमैन, मैं अपने क्षेत्र पटियाला का एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पटियाला हमारे मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। इस क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं की बहुत कमी है। पिछले दस सालों से इस क्षेत्र की अवहेलना हो रही है। हालांकि राजपुरा-बठिंडा तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी हो चुका है। इस लाइन का बिजलीकरण भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां के लिए कोई प्रीमियम ट्रेन नहीं चलाई गई है। कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई गई है। कोई जन शताब्दी ट्रेन नहीं चलाई गई है। पंजाब के इस मालवा क्षेत्र को सिर्फ 10 परसेंट सुविधाएं दी जाती हैं। यह क्षेत्र पंजाब का दो-तिहाई बनता है। बाकी पंजाब के 10 परसेंट क्षेत्र को 90 परसेंट सुविधाएं दी जाती हैं। आज हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र मालवा और पटियाला के बारे में रेल मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो अवहेलना हो रही है, जिन सुविधाओं की कमी है, उसको पूरा किया जाए।

वहां के लिए प्रीमियम ट्रेन चलाई जाए। वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाए। अगर संभव हो सके तो जन शताब्दी ट्रेन भी चलाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद... (व्यवधान)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान भारत में बढ़ती क्रिप्टो करेंसी पूंजी योजना और इनके विनियम की अनिवार्यता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत में क्रिप्टो करेंसी धारकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप से क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। लेकिन, विडंबना यह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 परसेंट टैक्स और 1 परसेंट टीडीएस वसूल कर रही है। अभी तक इसका कोई ठोस विनियमन नहीं किया गया और न ही कोई नियामक निकाय गठित किया गया है।

महोदया, देश में कई क्रिप्टो पूंजी योजनाएं चल रही हैं, जहां आम जनता को उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगा जा रहा है। हाल में कई राज्यों में ऐसे घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, जहां निवेशकों की हजारों करोड़ रुपये की पूंजी लूटी गई है।

महोदया, चूंकि क्रिप्टो करेंसी का लेने-देने विकेंद्रित ढंग से होता है, इसलिए निवेशकों के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा या शिकायत का निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं है। मेरे क्षेत्र में दो साल पहले जलसा-जून क्रिप्टो में शानदार आमदनी का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को ठगा गया।

महोदया, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर और जापान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए सख्त कानून बनाये हैं। अमेरिका में सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन और यूरोप में मार्केटिंग क्रिप्टो एसेट जैसे नियामक निकाय इस पर निगरानी करते हैं।

(1350/CP/SNT)

सरकार जब क्रिप्टो करेंसी से टैक्स वसूल कर रही है, तो इसका विनियमन क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार जल्दी ही एंटी मनी लांड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने वाला एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करेगी? क्या सरकार क्रिप्टो पूंजी योजना पर रोक लगाने ... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर) : महोदया, मेरा लोक सभा क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, एनसीआर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र, जहां मध्यम वर्गीय छात्र रहते हैं, लगभग 8 लाख से अधिक की जनसंख्या वहां रहती है और शहर बसने के समय से ही, इस विषय को सामने रखकर कि यहां मेट्रो आने वाली है, यह शहर बसाया गया था। 8 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और मैंने नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. एम. लोकेश से सूचना प्राप्त की है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से का अंश भारत सरकार को दे चुकी है, लेकिन पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से शहरी विकास मंत्रालय के पास यह फाइल लम्बित है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि शहरी विकास मंत्रालय ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो परियोजना पर तुरन्त कार्रवाई करे। वहां ट्रैफिक जाम की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है और विकास की समस्या है।

जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का गौरव है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लोकार्पण के लिए तैयार है। ... (व्यवधान) एक्सप्रेस-वे पर इस व्यवस्था को तुरन्त चालू किया जाए।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Chairperson, I am raising a very urgent and important matter regarding the incident which has happened in Jabalpur, Madhya Pradesh, where Catholic priests and laity were brutally attacked by Hindutva extremists.

On 1st April, 2025, a group of Catholic pilgrims from Mandla parish, who were peacefully participating in Jubilee 2025 religious observances, were unlawfully detained twice by extremist elements and subjected to violence. Notably, when senior priests, including the Vicar General of Jabalpur, arrived to support the victims, they too were assaulted. Such brazen attacks on religious minorities not only violate constitutional rights but also expose the growing climate of intolerance and impunity for extremist violence.

Despite claims of disassociation by the RSS, the incident raises serious concerns about law and order, religious freedom, and the safety of citizens practising their faith. The Government must take urgent and decisive action to ensure swift and impartial action against the perpetrators.

Thank you, Madam.

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोजपुर) : महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे क्षेत्र फिरोजपुर से तीन कैनाल निकलती हैं। 1 अप्रैल से पैडी का सीजन शुरू हो गया है। अभी वहां जो सिस्टम है, वह वर्ष 1965 का बना हुआ है। आज के मुकाबले में तब वन-फोर्थ एरिया में इरीगेशन होता था। आज उसी सिस्टम से ही इरीगेशन के लिए नहरों का पानी जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फिरोजपुर के कैनाल सिस्टम की रीमॉडलिंग की जाए। हमारे एरिया में सभी कॉस्टली बासमती चावल पैदा होते हैं। वहां का ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जा रहा है। उसको रोकने के लिए आप कृपा करें और वहां के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर दोबारा इस एरिया को पानी देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

(1355/NK/AK)

श्री दिनेशभाई मकवाणा (अहमदाबाद पश्चिम) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद और असारवा रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज सदन में एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ, जो न केवल राज्य की यातायात की सुविधा को बेहतर बनाएगा बल्कि लोगों के समय और संसाधनों की भी बचत करेगा।

बड़ोदरा और अहमदाबाद में ट्रेन को राजकोट तक बढ़ाया जाए। बड़ोदरा और अहमदाबाद के बीच ट्रेन सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह दोनों शहरों के बीच यातायात को सुगम बनाती है। राजकोट प्रमुख शहर है और व्यापार, शिक्षा व पर्यटन का केन्द्र है। वहां तक इस ट्रेन सेवा का विस्तार करने से इस क्षेत्र के

लोगों के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी योगदान होगा। राजकोट के बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण इस ट्रेन सेवा का विस्तार इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और लोगों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा प्रदान करेगा।

रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और शीघ्र ही बड़ोदरा और अहमदाबाद मेमू ट्रेन को राजकोट तक बढ़ाया जाए। धन्यवाद।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल के दौरान सिंचाई से संबंधित लोक महत्व के विषय को उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे भरूच लोक सभा क्षेत्र में सागबारा तहसील, डेढ़परा तहसील, जगड़िया और नेहतंग में भारी संख्या में किसान सिंचाई से वंचित हैं। ऐसे किसानों को आसपास के एरिया में नर्मदा बांध के माध्यम से, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा राज्य सरकार और भारत सरकार उपलब्ध कराए, मैं इसकी मांग करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रंजीत दत्ता (सोनितपुर) : सभापति महोदय, आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

गौसपुर से नुमालीगढ़ 15 हजार करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से टनल जाएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा टनल होगा। यह टनल ब्रह्मपुत्र नदी के बीच से जाएगा। माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है कि जुलाई-अगस्त में इसका शिलान्यास होगा।

मैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि गौहपुर टूलखीमपुर नेशनल हाईवे का रास्ता बहुत खराब है। मैं नितिन गडकरी जी से अनुरोध करता हूँ कि उसको तुरंत बनाने के लिए कदम उठाएं।

श्री अक्षय यादव (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। मेरा क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां रोजगार लेबर के तौर पर सबसे ज्यादा मिलता है। फिरोजाबाद की लेबर क्लास की दुर्दशा हो रखी है। लेबर क्लॉस में सबसे ज्यादा मुस्लिम, दलित और पिछड़े लोग काम करते हैं। बड़े-बड़े उद्योग चलते हैं, जिसमें तय सीमा से ज्यादा देर तक काम कराया जाता है, लेकिन वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। ज्यादा देर तक काम करने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। (1400/MK/UB)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि फिरोजाबाद के अंदर एक ईएसआई अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। वहां पर जो लेबर क्लास काम कर रही है, उसको वाजिब मूल्य मिल सके और उसको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे मिलती रहें। वहां ठेकेदारों के द्वारा उन लोगों को जो परेशान किया जाता है, उसको खत्म करवाया जाए।

धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री भरतभाई मनुभाई सुतारिया जी – उपस्थित नहीं।

श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोरा (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदया, अपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले चार-पांच वर्षों से सुरेन्द्रनगर जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए गुजरात और भारत सरकार में पूर्व विधायकों और सांसदों के माध्यम से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। हमारे लोगों ने प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय टेक्सटाइल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात की थी। पूर्व में, भारत सरकार ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों को स्वीकृति दी थी, जिसमें से एक गुजरात में नवसारी में स्थापित हो रहा है। हाल ही में, मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात आए थे तो उन्होंने सुरेन्द्रनगर में इस प्रकार की योजना की इच्छा व्यक्त की थी। वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पानी उपलब्ध है, जमीन सस्ती कीमत पर मिल रही है और बिजली की भी सुविधा है। मेरे क्षेत्र किसानों द्वारा कॉटन का बहुत उत्पादन किया जाता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सुरेन्द्रनगर जिले की कपास खेती को ध्यान में रखते हुए, वहां नेचुरल फाइबर आधारित मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति दी जाय।

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का छोटा उदयपुर है। उस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की आबादी काफी बड़ी है। साथ ही, उस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यु ऑफ यूनिटी स्थित है, जो न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। गुजरात सरकार और भारत सरकार ने पीने और कृषि के लिए पानी की व्यवस्था करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शेष क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मदद उपलब्ध कराई जाए। वह न केवल स्थानीय निवासियों के लिए जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के माध्यम से कच्छ और उत्तर गुजरात में पानी जाता है। मेरा निवेदन है कि छोटा उदयपुर के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री रामभुआल निषाद जी – उपस्थित नहीं।

श्री भोजराज नाग (कांकेर) : सभापति महोदया, आज मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ कांकेर लोक सभा क्षेत्र उत्तर बस्तर क्षेत्र से आता हूँ। हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, वहां की जो सांस्कृतिक रीति-रिवाज और परम्परा है, वह दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्परा है, वह खतरे में है, क्योंकि वहां अवैध रूप से अनेक धर्मांतरण के कार्य चल रहे हैं। उसके कारण वहां के जो सामाजिक

कार्यक्रम हैं, जैसे मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार और नामकरण संस्कार, उसको लेकर जाति समुदाय में आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं।

(1405/SJN/GM)

एक ही पिता की दो संतानें हैं, जिनमें से एक ने धर्मांतरण कर लिया है। उसके कारण जो हमारा समाजिक रीति-रिवाज और ताना-बाना है, उस पर अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 341 में लिखा है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह से अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करेगा, तो उसको आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री रामभुआल निषाद – उपस्थित नहीं।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा जी।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आदरणीय महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से सूरत से रायपुर और रायपुर से सूरत आने-जाने के लिए सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता का मामला उठाना चाहता हूँ। सूरत भारत का एक विकसित शहर है, जिसे डायमंड सिटी कहा जाता है और अब लैब-ग्रोन डायमंड सिटी एवं टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में बनाए गए आठ इकोनॉमिक रीजन्स में से सूरत भी एक इकोनॉमिक रीजन है। सूरत में हरेक राज्य के लाखों लोग रोजगार एवं व्यवसाय करने हेतु रहते हैं और उनका हमेशा वहां आना-जाना लगा रहता है।

सूरत एवं रायपुर व्यावसायिक तौर पर एक-दूसरे के पूरक हैं। अब रायपुर में भी डायमंड एवं ज्वेलरी इत्यादि का व्यापार बढ़ रहा है। सूरत से रायपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा न होने के कारण, लोगों को लंबे समय की यात्रा का सामना करना पड़ता है। सूरत से रायपुर और रायपुर से सूरत आने-जाने के लिए सीधी उड़ान सेवा के शुरू होने से व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से यह सेवा अतिशीघ्र शुरू करने की मांग करता हूँ।

माननीय सभापति : श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर – उपस्थित नहीं।

श्री अशोक कुमार रावत जी।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : सभापति महोदया, मेरे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र की बालामऊ विधान सभा में धार्मिक तीर्थ स्थल हत्याहरण स्थित है, जो कि भगवान श्रीराम से गहरा संबंध रखता है। यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार ने 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 'रामायण सर्किट' के विकास के लिए तेजी से कार्य प्रारंभ किया है। 'रामायण सर्किट' में भगवान श्रीराम से जुड़े हुए कई

प्रमुख स्थान हैं। भगवान राम जहां-जहां से गुजरे थे, इसलिए देश के कई राज्यों में से 15 स्थानों का चयन किया गया है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों या जिन-जिन स्थानों से प्रभु श्रीराम गुजरे थे, 'रामायण सर्किट' में उनका चयन किया गया है। इसी तरह से हत्याहरण धार्मिक तीर्थ स्थल को भी इस योजना में चयनित किया जाए और इसके समुचित विकास की व्यवस्था की जाए।

श्री रिचर्ड वनलालहंगइहा (मिज़ोरम) : महोदया, मेरा नंबर बैलट में नहीं आया था, फिर भी आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया जी, पूरे देश में 1,200 केन्द्रीय विद्यालय हैं। मेरे प्रदेश को सन् 1986 में राज्य का दर्जा मिला था, अभी उसके 40 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे प्रदेश में सिर्फ चार केन्द्रीय विद्यालय हैं। दो केन्द्रीय विद्यालय आइजोल जिले में हैं, वह राज्य की राजधानी है तथा एक केन्द्रीय विद्यालय लुंगलेई तथा दूसरा चम्फाई जिले में है। मेरे प्रदेश में 11 जिले हैं। तीन जिलों में तो केन्द्रीय विद्यालय हैं, लेकिन अभी आठ जिलों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मैं हरेक जिले में एक-एक पाठशाला बनाने का अनुरोध करता हूं। अगर एक बार में आठ पाठशालाएं बनाना मुश्किल है, तो मैं कम से कम तीन नए केन्द्रीय विद्यालय बनाने का अनुरोध करता हूं।

(1410/SPS/SRG)

कुमारी सैलजा (सिरसा) : मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हरियाणा के मेरे संसदीय क्षेत्र सिरसा में स्थित थेहड़ को पुरातत्व विभाग ने वर्ष 1932 में सूचीबद्ध किया था। इसकी कितनी भूमि है, उसके लिए एक टीम तय की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह 35 एकड़ भूमि है। वर्ष 2017 में शायद कुछ जूनियर ऑफिसर्स की गलती है या क्या है, उसमें इसे 85.5 एकड़ भूमि दिखाया गया, जो 50 एकड़ ज्यादा है। यह रानियां रोड पर है, जहां पर कॉमर्शियल एरिया भी है और वहां करीब पांच हजार लोग रहते हैं। यहां पर 70-80 सालों से रजिस्ट्री भी हो रही है। थेहड़ की 35 एकड़ भूमि को वर्ष 2017 में कब्जा मुक्त किया गया और वहां रहने वाले 713 परिवारों को विस्थापित करके हुडा सेक्टर 19 में अस्थायी रूप से रखा गया। वहां उनके पास अभी तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो 35 एकड़ भूमि खाली की गई है और वह पुरातत्व विभाग के अधीन है, उसे विकसित किया जाए। उस पर पार्क और संग्रहालय बनाया जाए। जिन परिवारों को विस्थापित किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। इसे 85.5 एकड़ के बजाय 35 एकड़ ही रिपोर्ट के मुताबिक दिखाया जाए।

***DR. GANAPATHY RAJKUMAR P. (COIMBATORE):** Hon Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to raise an important issue pertaining to the workers of cotton mills. There are seven NTC cotton mills in Tamil Nadu. Out of these seven, five NTC mills are in Coimbatore and one each in Sivagangai and Ramanathapuram. There are 4000 workers in these NTC mills. After the Covid-19 lockdown of the year 2020, full salary was provided to the workers of these NTC cotton mills up to 17.5.2020. Thereafter 50 per cent of the salary amount was provided to these workers. After 5 October 2024, the disbursal of salary to these workers was completely stopped. Workers are in deep distress after losing their livelihood. I urge upon the Union Minister of Textiles to take necessary and swift action for making these NTC mills functional and light the lamp in the lives of the workers of these cotton mills. Thank you.

श्री करण भूषण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मुझे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। घर बनाना एक सपना है, जो हर किसी के दिल में बसता है। यह एक ऐसी जगह है, जहां हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। जिनके पास सुरक्षित ठिकाना है, उन्हें अपने जीवन के दूसरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहस प्रदान करता है। मेरा भी एक छोटा सा सुझाव प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों में विभाजन के कारण प्रति वर्ष लाखों की संख्या में आवासविहीन पात्र लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के शाश्वत प्रक्रिया है, जिस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, इसलिए इसके स्थायी समाधान का चिंतन जरूरी है। लम्बे अंतराल तक सर्वे न होने और ऐसे लोगों को पात्रता की सूची में जगह न मिलने के कारण ये आवासविहीन बैकलॉग बनते हैं।

मेरी मांग है कि हर वित्तीय वर्ष में एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मानकों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगो को भी पात्रता सूची में नीचे जोड़ दिया जाना चाहिए, जो वाजिब कारणों से परिवार के विभाजन से आवासविहीन की श्रेणी में आ गए हैं। मेरा दूसरा सुझाव है कि जिस स्वरूप के आवास निर्माण की कल्पना हम करते हैं, वैसा स्वरूप लाभार्थियों के घर पहुंचने पर देखने को नहीं मिलता है। इसके कई कारणों में लोग अलग-अलग तर्क देते हैं। लाभार्थियों का कहना है कि बजट कम है, इसलिए फर्श और प्लास्टर का काम नहीं हो पाता है। कुछ लोग एस्टीमेट और निर्माण सामग्री की कीमत में अंतर को दोष देते हैं। ... (व्यवधान) मैडम, बहुत दिनों बाद समय मिला है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसकी चिंता करें और इसका समाधान करें।

(1415/MM/SRG)

श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव (पंचमहल) : माननीय सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र पंचमहल के गोदरा रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन है जो एक तरफ बड़ौदा के माध्यम से महाराष्ट्र को जोड़ता है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से आगे दिल्ली को जोड़ता है। मेरे क्षेत्र लूनावाड़ा शहर में रेलवे स्टेशन का विकास करने के लिए मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। यह स्टेशन और रेलवे लाइन के विकास से गोदरा-लूनावाड़ा और आगे मोडासा होकर शामलाजी राजस्थान के उदयपुर और जयपुर से जुड़ सकेंगे। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से एक नया लाभ मिलेगा। आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि इस विषय में आगे की कार्यवाही के निर्देशित करें। धन्यवाद।

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Madam, thank you for giving me an opportunity to speak. I would like to draw the attention of the Government to the critical situation concerning seven Indian seafarers aboard the Panama-flagged vessel *MV Bitu River*, which was attacked by armed pirates off the coast of Sao Tomé and Príncipe on 18th March 2025. Among those affected is young Asif Ali from Minicoy Island, Lakshadweep. The family remains without any information about his safety or whereabouts. These seven Indian nationals, who were simply pursuing their livelihood at sea to support their families back home, now face grave danger in foreign waters.

It is deeply concerning that these citizens remain unaccounted for more than two weeks after the attack. The situation has created immense distress for the family, particularly for the concerned families, like the parents of Mr. Asif Ali from my Constituency, who are desperate for any news about their son. The lack of communication and visible action from our authorities has only compounded their suffering.

I urge the Government to take immediate steps to resolve this humanitarian crisis. Our diplomatic missions should be activated without any delay to establish contact with the affected seafarers and coordinate their safe return.

I urge the Government that a robust mechanism must be implemented to better protect Indian seafarers working in high-risk zones. I request the Government to take specific measures, including establishing a special task force to monitor such cases and provide regular updates to the anxious families. The safety and well-being of our citizens abroad must be treated as a priority.

I humbly request the Government, especially the External Affairs Ministry, to act promptly and to ensure these seven Indians are brought back home safely at the earliest.

SHRI PARVATAGOUDA CHANDANAGOUDA GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Madam, I am privileged and take pride in introducing the very beginning of Hindu temple architecture in the Historic sites of Aihole - Badami - Pattadakal. Referred as a cradle of Hindu temple architecture, temples complex of Aihole, dating back to the 4th Century A.D. is the oldest known Hindu temples in the world, and also known as the laboratory for Hindu temple architecture. The grandiose 130 temples complex of Aihole in a single square kilometre was considered the primary and secondary schooling in temple architecture.

The world famous Badami cave temples of the 6th century took 12 years to carve out from a single rock-cut, worthy of coronation arena for Pulikesan II of the glorious Chalukya Empire, which ruled almost all of peninsula India.

The group of monuments at Pattadakal in Karnataka was declared as a UNESCO World Heritage Site in 1987. However, Badami's extraordinary temple complexes, parallel to none in rock-cut temple architecture deserve to have been included in this UNESCO list long back.

Therefore, Madam, through you, I would like to bring this important matter to the notice of the hon. Union Minister of Culture and request him to make renewed efforts for this important historical site of Badami's temple complexes in Karnataka to be included in the UNESCO World Heritage Site List.

श्री अजेन्द्र सिंह लोधी (हमीरपुर) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं परमपूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की तपोभूमि हमीरपुर-महबो-छिंदवारी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसानों की खाद और बीज के लिए काफी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। बुंदेलखंड में किसानों की बुआई के समय आठ-आठ दिन तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब फसल आती है तो मूंगफली की खरीद पर किसानों से अवैध 1500 से 1700 रुपये प्रति किसान से कमिशन लिया गया है तब उन किसानों की मूंगफली एमएसपी पर तौली गयी है।

(1420/KDS/RCP)

तब उस किसान की मूंगफली एमएसपी पर तौली गई है और वर्तमान समय में गेहूं की फसल आ चुकी है, तो मूंगफली की तरह आज भी यही व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है। उनसे अनावश्यक कंडीशन के तौर, सिफारिशों के तौर पर उनके गेहूं की तौल कराई जा रही है। मेरी आपसे विनती है कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को इस अनावश्यक कंडीशन से बचा लिया जाए।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Thank you Chairperson Madam. I feel that there is really a deep denial of the central fact that there is reluctance by the Government and there is a false vision and future. Perhaps, maybe, soft power referendum embraces benevolence. I am worried about the students who are polarising. It is not just that they express themselves in a dangerous way, but it might be anti-social. We see that the NEHU, the oldest Central university in the North-East, has been systematically attacked. The North-East has been systematically attacked. Even the budget is very, very low, which is almost touching zero. A lot of students have gone on hunger strike. Some of them have been hospitalised. But till date, there is no issue raised by the Central Government. I would like to request the Central Government to at least go to the ground zero and then diagnose the situation. What is the reality that is happening? Even the ranking of this university has gone down drastically. It was one of the best universities. But now, the ranking has gone down.

I would also condemn the Vice-Chancellor. It is because of him that the ranking of the university has gone down. It is because of him, the messiness in that university is happening.

Therefore, we should not rely only on messiness of the politics there which requires moderation, which is compromising ultimate realism, but also such civility requires a discussion. Therefore, I would like to request them to at least take up the issue.

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : सभापति महोदया, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली लोक सभा, जहां हम हैं, उसके चारों तरफ जिस रास्ते से हम निकलते हैं, वह एरिया लुटियन्स जोन कहलाता है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत आए, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड्स चली आ रही हैं। इनके नाम उस समय कांग्रेस की सरकार ने रखे थे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट, शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि जो हमारे महापुरुष हुए, हमारे पुरखे, जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयां लड़ीं, उनके नाम से इन रास्तों के नाम रखे जाएं। इन महापुरुषों के कारण ही हम सब आज अस्तित्व में हैं। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ्फरनगर) : धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण विषय को लाकर उस पर कार्यवाही की मांग करता हूं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोटी-बेटी का संबंध है। रोज हजारों की संख्या में लोग यमुना के पार रोजगार

के लिए आते-जाते हैं। यहां तक की किसान भी हरियाणा में जाकर के अपना अनाज बेचते हैं, परंतु आवागमन का कोई सुगम साधन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह बहुत पुरानी मांग है। पानीपत और मेरठ के बीच रेलवे लाइन तथा शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से होते हुए करनाल तक रेलवे लाइन बनाने की कृपा करें। जो रैपिड रेल को मेरठ तक रोक दी गई है, उसे सहारनपुर तक बढ़ाने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं। धन्यवाद। (1425/PS/YSH)

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak in this august House.

Madam, I rise to highlight the dire condition of tea garden workers and small tea growers in North Bengal, including my constituency, Jalpaiguri. Many workers face irregular wage payments with some tea estates, such as Manabari Tea Estate in Malbazar sub-division defaulting on five wage cycles. In several tea gardens, wages are as low as Rs. 150 per day. Adding to their plight, although the provident fund contributions are deducted from their salaries, they are not being deposited in their PF accounts, leaving the workers with financial insecurity.

While only a few major companies have seen a substantial growth and continued to regulate the entire market, many others are struggling. As a result, several tea estates are being leased out to other private entities, which often neglect workers' rights, and this further aggravates the crisis. Meanwhile, the West Bengal Government's move to commercialise tea estate land threatens to displace thousands of workers and destabilize the industry.

I urge the Central Government to take immediate steps to ensure timely wage payments, mandate cost audits for transparency, address the issue of PF non-deposit, and explore the feasibility of a Minimum Support Price for tea leaves.

We must remember that protecting the livelihoods of workers and small tea growers is crucial. ... (*Interruptions*)

श्री रामभुआल निषाद (सुल्तानपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं जिस क्षेत्र, सुल्तानपुर से चुनाव जीतकर आया हूँ, वह क्षेत्र अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मुझसे पहले वहां से बड़े-बड़े नेता चुनाव जीते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। वहां पर जितनी भी सड़कें हैं, वे टूट चुकी हैं। उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। बिजली के तार और ट्रांसफार्मर आए दिन जलकर गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में लोग मर जाते हैं। बिजली विभाग के एसीई स्तर के अधिकारी की लापरवाही से वहां पर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पर गरीब लोग हैं। वहां एक बाध मंडी है। वहां पर छोटे-छोटे किसान बाध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वे अपना सामान बनाकर मंडी में नहीं बेच पा रहे हैं। उनको सरकार से सुविधा नहीं मिल रही है। उनको सुविधा दिलाई जाए।

सभापति महोदया, मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ। वहां के एक निषाद परिवार में पूनम निषाद और उसकी लड़की, अनुष्का निषाद की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन बीजेपी का स्थानीय विधायक ... (व्यवधान)

*SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon'ble Chairperson, Maharashtra state was formed on 1st May, 1960, and we got the statehood after the sacrifice of 106 martyrs. But, at that time many districts like Belgaon, Karwar, Nipani, Bhalki, Bidar etc. did not included in Maharashtra and since then, the people residing there are continuously protesting.

Therefore, injustice has been done to Marathi people. Hon'ble Balasaheb Thakre had started agitations against it in 1969. Some people died even that time also.

Then, Hon'ble Atal Behari Vajpayeeji took an initiative and invited the Chief Minister of both the states. But, Karnataka Chief Minister did not come. A case is pending in Supreme Court of India since 2004 regarding it, but no justice has been delivered yet

Now, Marathi speaking people are being oppressed by the Government of Karnataka. If somebody protests, the government declare him/her as a outlaw or ex communicated.

One person named Subham Shelke, who contested Assembly elections recently, is banned and declared Tadipaar (out law).

Hence, I would like to request you to impose the President's Rule over these disputed districts of Belgaon, Karwar, Nipani, Bhalki, Bidar so that these Marathi speaking people should live a respectful and peaceful life there.

Thank you.

(1430/RAJ/SMN)

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सासाराम लोक सभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम, आपको मालूम होगा, बिहार में जाति जनगणना हुई और जातिगत जनगणना के

अनुसार दिखाया गया कि 9. 2 प्रतिशत आज भी वैसे लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। अब सवाल उठता है कि डोम, चमार, मुसहर और दुसाद कहां रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। बड़ी तादाद में एससी-एसटी वर्ग के लोगों के पास जमीन नहीं है। वे सरकारी जमीन, पोखरा और नहर पर रहते हैं। समय-समय पर बिहार में अतिक्रमण के नाम पर गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं।

हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमारा दिल गरीबों के लिए बहुत है लेकिन इन्होंने गरीबों को मिटा दिया है। मैडम, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज से लगभग 15 साल पहले बिहार सरकार ने एक रणनीति बनाई थी। विधानसभा में रूल पास किया था कि तीन से पांच डिसमिल जमीन चमार, दुसाध, डोम और मुसहर को दी जाएगी, लेकिन आज भी 9. 2 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास में जमीन नहीं है। उनको यह कब मिलेगा?

मैडम, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बिहार का चुनाव सामने है। मैडम, अगर उनको यह नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं... (व्यवधान) मैं पूर्वी राजस्थान के करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं। पूर्वी राजस्थान में एक ईआरसीपी की नहर परियोजना काफी समय से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो यह ईआरसीपी लागू कर देंगे। ईआरसीपी को लागू करने के लिए समझौता भी हुआ। मैंने इस पार्लियामेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कितने एमओयू हुए, कितनी राशि स्वीकृत की गई और कब इसका काम शुरू हो जाएगा? दो मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच में समझौता हो गया। समझौता हुए एक साल हो गया, लेकिन राशि का पता नहीं, एमओयू का पता नहीं, टेंडर का पता नहीं और एक घड़े का जल उधर से और एक घड़े का जल इधर से, दोनों को मिला दिया। सरकार ने इतना असत्य बोल कर वोट बटोर लिए। यह 13 जिलों का यह मामला है। यह ईआरसीपी लागू होना चाहिए। पानी की बहुत जटिल समस्या है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एमओयू हुआ है, उसे शीघ्र धरातल पर लाने का काम करें।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : महोदया, मैं यहां बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट क्षेत्र से चुनकर आई हूं। अभी हाल में ही प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र के आस-पास देश के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं। कुंभ के दौरान बांदा से प्रयागराज जाने हेतु बांदा-बबेरू-राजापुर मार्ग का इस्तेमाल हुआ है।

महोदया, यह मार्ग तीन से चार दिनों की सीमाओं को आपस में जोड़ता है। वर्तमान में इस मार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। इस मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए फोरलेन सड़क निर्माण अत्यधिक आवश्यक है।

महोदया, आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से मेरी मांग है कि बांदा से बबेरु राजापुर होते हुए प्रयागराज तक जाने वाले इस मार्ग को फोरलेन सड़क के रूप में विकसित किया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात को बल मिल सके। धन्यवाद।

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदया, आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली के किसानों की गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है। वर्ष 2015 से वर्ष 2025 तक दिल्ली में एक ऐसी सरकार रही, जिसने दिल्ली की दुर्दशा कर दी। उनके भ्रष्टाचार और काम ना करने की वजह से दिल्ली प्रदूषण की भेंट चढ़ा और इसका परिणाम दिल्ली के किसानों को भुगतना पड़ा। दिल्ली में ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल कर दिया गया, इसीलिए डीजल के व्हीकल्स 10 सालों में बंद हो जाते हैं दिल्ली के किसानों के ट्रैक्टरों को खेतों से, उनके घरों के सामने से 10 साल पूरा होने पर उठा लिया जाता है।

(1435/SK/SM)

महोदया, किसान बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चलाता है और लोन पर ट्रैक्टर लेता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस अवधि को बढ़ाएं और दिल्ली के किसानों को राहत दें।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I would like to raise an important matter related to the State of Kerala. The wages for NREGA workers are pending, which is causing significant hardship for them. For the last three months, they have not received their wages.

In the case of unskilled workers, Rs. 578.12 crore and material costs of Rs. 57.31 crore are pending due to the non-revision of the labour budget of Kerala State. After December, we utilised almost 90 percent of our allocated budget. However, the Union Government is not revising the labour budget, and I request that this be taken into consideration.

Additionally, the National Mobile Monitoring System is creating more trouble for our poor workers. How can women above 55 years old walk from one point to another? Before the information board, they have to take a picture, but they cannot walk more than three kilometres. My constituency is a hilly area, making it even more challenging for them to move from one place to another. Therefore, I urge the Government to kindly take this into consideration.

Furthermore, wage displacement is a critical issue. The hon. Minister stated on this floor that this problem would be resolved before April 10th. So, I urge the Government to kindly disburse the pending wages for NREGA workers. Thank you.

श्री भरतभाई मनुभाई सुतारिया (अमरेली) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र अमरेली में हाल में मीटर गेज रेलवे लाईन है और ब्रॉड गेज की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रॉड गेज लाईन मंजूर हो चुकी है, लेकिन इसका आज तक टेंडर नहीं हुआ है। यह लाईन अमरेली से जूनागढ़ तक है। सूरत, नवसारी, मुम्बई और अहमदाबाद में हमारे क्षेत्र के लोग बसते हैं लेकिन उनको यहां आने-जाने में दिक्कत होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस लाईन का टेंडर निकलवाकर काम शुरू करवाएं। धन्यवाद।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Madam, our banking sector has become like a low-cost airline, where you have to pay to check in your bag, to recline your seat, or even to get a sandwich or a bottle of water.

Our banking sector is now charging for even basic services. If you want to withdraw your own money from an ATM, you have to pay a charge. If you want to get an SMS for your balance, you have to pay a charge. If you want to get a cheque book, you have to pay a charge. The most cruel thing is, if your deposit drops below a minimum balance, they impose a penalty. As it is with this economy, every family is struggling and every individual is struggling. When their money dips in a bank balance, the bank charges a minimum balance fee.

I urge the Finance Ministry and the RBI to rationalise this and ensure that they become customer-friendly. It is not very far away from a day when a bank will start charging people if they come to a branch and want to talk to a person. They are charging for everything that is basic and taken for granted, and this must be rationalised. Thank you very much.

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, शहीद सूबेदार संतोष कुमार पिता श्री अभिमन्यु प्रसाद, ग्राम - अमोखर, पंचायत - मंझियामा, प्रखंड - परैया, जिला - गया के निवासी थे। वह 16 फरवरी 2025 को ड्यूटी के दौरान लेह-लद्दाख में हुए विस्फोट के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।

सूबेदार संतोष कुमार की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि गया-पंडित दीन दयाल रेल खंड में स्थित परैया रेलवे स्टेशन का नाम परैया के लाल शहीद सूबेदार संतोष कुमार रेलवे स्टेशन रखा जाए।

(1440/KN/RP)

यह न केवल एक वीर सैनिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देगा।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि शहीद सूबेदार संतोष कुमार के नाम पर परैया रेलवे स्टेशन के नामकरण करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति महोदया, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित, सामाजिक न्याय के प्रतीक और करोड़ों शोषित-पीड़ित वर्गों व महिलाओं के उद्धारक परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर जी की जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बाबा साहेब का योगदान केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय समाज के पुनर्गठन में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने हमें संविधान दिया, सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त किया और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मौलिक सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र की नींव में स्थापित किया।

उनकी जयंती पूरे देश व दुनिया में उत्सव की तरह मनाई जाती है। सरकारी अवकाश होता है, किन्तु इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पर्व घोषित करने से यह सम्मानजनक मान्यता प्राप्त करेगा और पूरे देश को उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा।

अतः मेरी केंद्र सरकार से माँग है कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जिससे बाबा साहेब के विचारों को और व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित किया जा सके।

जय भीम, जय भारत।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की ओर से एक गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। वर्तमान में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो केवल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को ही बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है। यह सीमा वर्ष 2020 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई थी। लेकिन आज के समय में जब आर्थिक अस्थिरता और महंगाई दोनों बढ़ रही हैं, तो यह सीमा अपर्याप्त साबित हो रही है।

डीआईसीजीसी बैंक की संपूर्ण जमा राशि पर प्रीमियम वसूल करता है। यह बीमा सिद्धांतों के विपरीत है और अन्यायपूर्ण है। वह केवल 5 लाख रुपये तक बीमा का भुगतान करता है। वर्ष 2023-24 में डीआईसीजीसी ने 23,879 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में वसूले, जबकि स्थापना से अब तक केवल 16,326 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, फिर भी जमाकर्ताओं को राहत नहीं मिलती।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर सभी डिपॉजिट्स को 100 परसेंट बीमा सुरक्षा दी जाए। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 को हटाया जाए, ताकि डीआईसीजीसी बीमा भुगतान की राशि बैंक की परिसंपत्तियों से वसूल न करे। जिन जमाकर्ताओं की राशि 5 लाख रुपये से अधिक है और जिन बैंकों से डीआईसीजीसी ने प्रीमियम लिया है, उन्हें भी 100 परसेंट राशि लौटाई जाए। ... (व्यवधान)

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौर बहुत बड़ा जिला है। वहां मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण जनता को चिकित्सा के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने वहां लोगों को गुमराह किया। वहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और न ही बजट है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जालौर के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने का कष्ट कराएं।

मेरे सिरौही जिले से जो कांडला-दिल्ली हाइवे निकलता है, उसके अंदर कई एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे सिरौही जिले के मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर खोलने का कष्ट कराएं। सिरौही मेडिकल कॉलेज में सीटों की और डॉक्टरों की काफी कमी है। उसके अंदर सीटों को बढ़ाने का कष्ट करें। मेरा यही निवेदन है कि आप जालौर में मेडिकल कॉलेज खोलने का कष्ट कराएं। धन्यवाद।

(1445/VB/VR)

***SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):** Madam Chairperson, Vanakkam. Tiruvannamalai and Tirupathur districts are situated in my Tiruvannamalai parliamentary constituency. There are no big industries in this area. Agriculture is the prime profession. Coconut cultivation has been affected very much for the last 2 years. Particularly black headed caterpillar and white flies affect the yield of coconut to a large extent. I submitted a letter to the Hon. Union Minister of Agriculture in this regard and he assured to take necessary and prompt action by sending two Teams of Experts to the affected places. But till now, these insects affecting coconut cultivation are not controlled in my area. I urge upon the Union Government to issue pesticides or by importing pesticides to control these pests affecting coconut trees and their cultivation. I urge the Union Government to safeguard coconut cultivation and coconut growing farmers of Tiruvannamalai constituency. Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, यह विषय सभी सदस्यों के क्षेत्रों से संबंधित है। लगभग 12,93,448 आँगनवाड़ी कर्मी हैं। ये सभी लोक सभा क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की सारी योजनाओं में अपना योगदान देती हैं, चाहे पुष्पाहार वितरण कार्यक्रम हो, पल्स पोलियो प्रोग्राम हो, जनगणना कार्यक्रम हो। ये केन्द्र की सारी स्कीम्स में अपनी भूमिका निभाती हैं। इनको मानदेय के रूप में मात्र 6 हजार रुपए मिलते हैं।

हाल ही में, गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। वहाँ एक स्पेशल सिविल केस के फैसले के तहत कहा गया है कि आँगनवाड़ी केन्द्र सरकार की विस्तारित इकाई है, इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। आज वे मात्र 6 हजार रुपए के मानदेय पर काम कर रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया है, उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो रही है, उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि देश की लाखों आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाए और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उसका पालन किया जाए।

धन्यवाद।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जौनपुर में स्थित ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृश्य, महत्वपूर्ण गुजर ताल के संरक्षण के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर वहाँ का विकास किया जाए, तो वहाँ के स्थानीय कृषि पर्यावरण एवं जैव विविधता बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके साथ ही यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह तालाब उपेक्षा का शिकार रहा है, जिससे जलस्तर घट रहा है और इसकी प्राकृतिक सुन्दरता भी प्रभावित हो रही है। यह तालाब अनेक पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं एवं क्षेत्रीय जानवरों के साथ ही पेड़-पौधों एवं मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका संरक्षण, सौन्दर्य, पर्यटन, रोजगार, उद्योग और मानव जाति के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि इसका उचित संरक्षण किया जाए, तो इससे केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, बल्कि इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ के तालाबों का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण किया जाए। इनके लिए धन आवंटित किए जाएं। अगर इनका विकास किया जाता है, तो इससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय चेयरपर्सन मैडम, मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ।

वर्ष 2007 में, अरुणाचल प्रदेश की सरकार और पावर मिनिस्ट्री के बीच में 2,880 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक एमओयू हुआ था। अभी उस प्रोजेक्ट का काम काफी हद तक आगे बढ़ा है। उस एमओयू में प्रावधान किया गया था कि रिक्रूटमेंट में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ्स में

100 परसेंट लोकल लोग होंगे और 20 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर ऑफिशियल्स डेपुटेशन पर होंगे। People through the local contractors other than the major construction works, and local producers and manufacturers के लिए उस एमओयू में साइन हुआ है। (1450/PC/SNT)

ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर यहां हैं।

मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस इलाके की लोकल कम्युनिटी को आथोराइज़ होने से पहले इस एमओयू के आधार पर, वहां के लोकल्स को बेनिफिट देना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : सभापति महोदया, मैं अपनी कांस्टिट्यूएन्सी के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, हमारे यहां तीन जिलों को जोड़ने वाली सड़क एनएच-128 है। यह सड़क रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, इन तीन जिलों के हैडक्वार्टर को जोड़ती है। यह सड़क जब से बनी है, तब से यह टू-लेन है।

आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि इस सड़क को फोर-लेन किया जाए। इसके ऊपर दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरियाज़ और काफी सारे एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स हैं। यहां हमेशा जाम लगा रहा है।

अतः मेरी दरखास्त है कि इस सड़क को फोर-लेन किया जाए।

धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैडम, बड़े प्रयास के बाद मुझे यह मौका मिला है कि मैं अपनी बात कहूं। मैं उत्तर प्रदेश के चन्दौली जनपद से आता हूं। जहां तक मैं देखता हूं, तो पाता हूं कि शराब की दुकानें गरीब समाज, जैसे मलाह, बिन्द, बियार, अनुसूचित, आदिवासी, इन सब क्षेत्रों में, जहां इन लोगों की बाहुल्यता है, उनके गांवों के बीच में देशी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं।

मैडम, आज स्थिति यह है कि गांवों में अराजकता फैली हुई है और सरकार की निगाह यह है कि जैसे वह आरक्षण में गरीब और पिछड़ों का अधिकार लूट रही है, उसी तरीके से राजीनति में शराब के द्वारा चुनाव के दौरान उनको गुमराह करके उनका वोट लूट लिया जाए।

अतः मैं आपके माध्यम मांग करता हूं कि शराब की नीति में गांवों के अंदर अनुसूचित, विशेष रूप से बिन्द, बियार और तमाम गरीब जाति के लोग ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी सूर्या जी।

... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : मैडम, मांग तो रखने दीजिए। ... (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Madam, the Congress Governments in Telangana and Karnataka seem to have declared a war on the natural heritage, forests, and the environment of Telangana and Karnataka. In

Hyderabad, 400 acres of forest land is being cleared overnight using JCBs and bulldozers at the behest of the real estate mafia in Hyderabad to sell the 400 acres forest land to build an IT park.

In Karnataka, under the pressure of the Congress leadership, more specifically the former MP of Wayanad and the present MP of Wayanad, the Karnataka Government is considering opening Bandipur forest for night traffic coming from Kerala, affecting the sensitive ecological forest area of Bandipur in Karnataka.

I urge, through you, Madam, the Central Government and the Minister of Environment and Forests to immediately take cognisance of this attack on the forest land in Telangana, in Hyderabad, and in Karnataka and prevent this destruction of our ecology.

1454 hours

(At this stage, Shri Virendra Singh came and sat near the Table.)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Thank you, Madam for this opportunity.

I rise today to address a pressing concern that strikes at the heart of our democracy – freedom of expression. The recent attacks on the Malayalam film L2: Empuraan, starring the legend of Indian film Mohanlal and directed by none other than Prithviraj Sukumaran, written by one and only Murli Gopi, by the members of Sangh *parivar*, BJP leaders, and even a Central Minister, expose a dangerous trend of intolerance that we cannot ignore.

(1455/AK/CS)

Who decides what is acceptable expression? If you allow mob sentiment or political agenda to dictate art, we risk losing our cultural soul. Their families are attacked, and an actor like Mohanlal is forced to write an apology. We cannot accept this. Freedom of expression must be upheld.

I would urge this House to reaffirm our commitment to free speech. Let 'Empuraan' be a wake-up call, not a warning of suppression but a testament to resilience.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Madam.

I would like to draw the attention of this House regarding the increasing exploitation of bank employees in the country. The bank employees are

burdened with excessive work load, extended hours of work, and mounting pressure to meet unachievable targets. Bank personnel have tirelessly served the nation even during crises like the COVID-19 pandemic.

The Indian Banks Association has already approved the implementation of a five-day banking week. Yet, the Government has taken no steps to enforce it despite bodies like RBI, insurance companies, and other Government organizations following five-day work week. So, it is only fair that their demand for better working conditions is met, which is a demand on humanitarian grounds.

I would urge the Finance Minister to take immediate action and implement the five-day banking week without further delay. Thank you, Madam.

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : महोदया, धन्यवाद।

इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, परन्तु इनमें से अधिकांश के पास आज की डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती स्किल मिसमैच है यानी नौकरी है, पर सही कौशल नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमें जरूरत है कि हमारे युवाओं का स्किल डेवलपमेंट भी मिशन मोड पर हो। आज जरूरत है कि हम सप्लाई ड्रिवेन स्किलिंग मॉडल की बजाय डिमांड ड्रिवेन स्किलिंग मॉडल की तरफ जाएं। जब तक हमें सही आंकड़े नहीं मिलते हैं, तब तक न नीति बनेगी, न समाधान मिलेगा।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि देश भर में राष्ट्रीय कौशल जनगणना, स्किल सेंसस करायी जाए, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। युवाओं को केवल नौकरी की तलाश में भागीदार नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का शिल्पकार बनाने का समय आ गया है। धन्यवाद।

1457 बजे

(इस समय श्री वीरेन्द्र सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री सागर ईश्वर खंडे (बीदर) : महोदया, धन्यवाद।

महोदया, आज मैं पीएमएवाई-जी के घरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र को 5 हजार घर भी नहीं आए हैं, लेकिन आज एक ही साल में मेरे निरंतर प्रयास से 50 हजार से ज्यादा घरों का टारगेट हमारे बीदर क्षेत्र को मिला है। इसलिए मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस टारगेट में से अभी सिर्फ 35 परसेंट घर सैंक्शन हुए हैं और डेडलाइन की डेट 31 मार्च 2025 थी। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए। मेरी माँग है कि हमारे बीदर क्षेत्र को और ज्यादा 50 हजार एडिशनल घर सैंक्शन करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं आपके माध्यम से देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को मिलने वाले ऋण में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा।

महोदया, यह योजना किसानों की भलाई के लिए लायी गई थी, लेकिन यह योजना लालची लोगों की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जिससे उन्हें खेती-बाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। इस योजना का लाभ किसानों को मिलने की बजाय कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारी, तहसील कर्मचारी तथा इस तंत्र से जुड़े लोग इसे किसानों से अवैध कमाई का जरिया बना चुके हैं।
(1500/RV/UB)

सभापति महोदया, किसान पहले से ही महंगाई, कर्ज और फसल के कम दामों से परेशान है। जब उन्हें सरकारी मदद और राहत मिलनी चाहिए, तब यह भ्रष्टाचार इन्हें और कर्ज के बोझ तले लाद देते हैं।

मान्यवर, जब कोई किसान किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेता है, तो बैंक उससे सर्व रिपोर्ट नामक एक कानूनी दस्तावेज की मांग करता है। वह रिपोर्ट यह साबित करने के लिए होती है कि किसान की जमीन पर कोई और कर्ज या कोई कानूनी विवाद नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट मात्र 200 रुपये या 500 रुपये में आसानी से मिल जाती है। फिर भी किसानों से इसके नाम पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आसानी से वसूला जाता है।

महोदया, मैं बस आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, यह शून्य काल है। प्लीज, अब समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है... (व्यवधान) बैंक के अधिकारी किसानों को बिना सर्व रिपोर्ट के लोन देने से इन्कार कर देते हैं और उन्हें तहसील या अन्य जगह भेज देते हैं... (व्यवधान)

महोदया, मेरी मांग है कि डिजिटल सर्व रिपोर्ट का सिस्टम बनाया जाए... (व्यवधान)

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : महोदया, झारखंड की राजधानी राँची से गुमला को जोड़ने वाली एनएच-23 पर आर.के.डी. कम्पनी काम कर रही है। वहां दो माइनर बच्चे, जो 17 साल के बच्चे थे, वहां उन दोनों बच्चों की मिक्सचर मशीन में मृत्यु हो गयी। उस कंपनी पर माइनिंग सेक्टर में पेनेल्टी भी लगायी गयी। इसके साथ-साथ एनएचएआई की जो गाइडलाइन्स है, उसके अनुसार न ही वहां पर पेड़ लगाए गए, न ही तालाब खोदे गए।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि समुचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : सभापति महोदया, आज आपने मुझे कानपुर की एक विशेष समस्या पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति महोदया, कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। गंगा नदी कटावग्रस्त होने के कारण कानपुर के तट से दूर होती जा रही है। यहां गंगा रिवर फ्रंट बनना आवश्यक है, जिससे कानपुर का विकास हो सके। वर्तमान में कई औद्योगिक इकाइयों के डम्प गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खतरा भी बढ़ गया है। गंगा रिवर फ्रंट बनने के बाद विकास के मानकों के अनुरूप ट्रीटमेंट के उपरान्त इसका डिस्पोजल भी किया जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदया, कानपुर के आम जनमानस के लिए मनोरंजन, सामाजिक जल क्रीड़ा, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए गंगा रिवर फ्रंट का बनना आवश्यक है। इसके बनने के बाद कानपुर एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बन सकेगा।

महोदया, अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अटल घाट से लेकर सिद्धनाथ घाट, जाजमऊ गंगा रिवर फ्रंट बनाने का कष्ट करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत (कोरबा) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं भारतमाला के विषय में बोलना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी 12 मार्च 2025 को इस विषय पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने आर्थिक अनियमितताएं तथा आपराधिक कृत्यों का होना भी स्वीकार किया है। इस भारतमाला परियोजना में भारत सरकार की धनराशि का व्यय हो रहा है, इसलिए प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि सी.बी.आई. से इसकी जांच करायी जाए। लेकिन, वहां की राज्य सरकार ने इसको अमान्य किया है और राजस्व कमिश्नर से जांच कराने को कहा है। उसी दिन शाम को छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का भी निर्णय लिया। चूंकि यह मामला बहुत ही गंभीर है और केन्द्र का है। यह 1,147 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति है और केन्द्र सरकार के साथ आपराधिक षडयंत्र करने वाला मामला है। इसलिए केवल सी.बी.आई. से ही इस अपराध की जांच करायी जाए, ऐसी मेरी मांग है।

(1505/GG/GM)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती तथा नेपाल से सटा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से जान-माल की काफी क्षति होती है। नेपाल में भारी वर्षा और बाढ़ होने के कारण पूरे उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है और यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि नेपाल में हाईडैम का निर्माण कराया जाए, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे उत्तरी बिहार में जान-माल की क्षति को रोका जा सके।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हवाई क्षेत्र में जो लगातार काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट नहीं बने, उतने पिछले दस सालों में बने हैं। एयरपोर्ट्स की संख्या लगभग दुगुनी हुई है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूम रहा है। मैं इंदौर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें लगातार विस्तार हो रहा है, फ्लाइटें भी बढ़ रही हैं और यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है और लगातार स्वच्छता में नंबर वन आ रहा है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। सिविल एविएशन मंत्री जी से मेरी मांग है कि एयरपोर्ट की कैपेसिटी पूर्ण हो चुकी है, आने वाले वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है। इसको ले कर मेरी तीन मांगें हैं। पहली, आने वाले 25 सालों के लिए एक नया टर्मिनल बनाया जाए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा तो है, लेकिन फुल फ्लेज में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, वह बनाया जाए। तीसरी मांग है कि वहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चलाई जाएं।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me the opportunity to talk on the rising MRP of pharmaceuticals. I wish to draw your attention to the recent decision by the National Pharmaceutical Pricing Authority allowing 50 per cent price increase for eight essential medicines used in the treatment of asthma, glaucoma, thalassemia, tuberculosis and mental health disorders. This decision will significantly raise the cost of formulations of life-saving drugs impacting millions of patients across the country, particularly those from the economically weaker sections. While it is important to ensure the viability of pharmaceutical manufacturing, the Government must also consider the affordability of essential medicines for common citizens. Therefore, I urge the Ministry of Chemicals and Fertilizers to take urgent steps to prevent undue financial burden on patients and ensure that essential medicines remain affordable to all.

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Hon. Chairperson, Madam, I stand before this esteemed House today to bring to your attention an urgent and heartfelt request for the inclusion of the Government General Hospital, Kakinada under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. The GGH, Kakinada is a decades-old institution and has been a lifeline for the people across five neighbouring districts - East Godavari, West Godavari, Alluri Sitharamraju, Anakapalle, and Kakinada itself. Beyond serving as a critical healthcare provider, it also functions as a teaching hospital for the Rangaraya Medical College which is shaping the next generation of medical professionals. In the past year alone, the GGH, Kakinada handled over eight lakh out-patients,

70,000 in-patients, and performed more than 45,000 surgeries and conducted nearly seven lakh lab tests. These figures highlight the number of patients who rely on this institution for saving their lives. However, despite its critical role, the GGH, Kakinada is struggling. While it has speciality departments like Cardiology, Neurosurgery, and Oncology, many of them remain severely under-resourced. The hospital is grappling with inadequate infrastructure, outdated equipment and staff shortage. The gap between the rising healthcare needs and available facilities is putting immense pressure on both patients and medical staff and making urgent intervention necessary. Once a leader in cancer treatment in this region, GGH, Kakinada has suffered decades of neglect. I firmly believe this is a cause worth fighting for. I will personally meet the hon. Minister to present a detailed proposal and push for urgent action.

(1510/MY/SRG)

*SHRI KARTICK CHANDRA PAUL (RAIGANJ): Namaskar, Madam. My constituency, Raiganj, is adjacent to the borders, and it is a backward district. AIIMS hospital was sanctioned here in 2008. Later, this AIIMS was relocated to Kalyani, which is in the Nadia district. Through you I will request the Honourable Health Minister to sanction a new AIIMS in Raiganj for the greater good of North Bengal region. Radhikapur is situated near the border area and it has no railway connectivity with the southern part of India. We urgently need a train from Radhikapur to Bangalore. Aluabari Station is situated in another subdivision of my district. Currently, no train runs from Aluabari to Kolkata. This train should kindly be sanctioned.

Despite our district being a backward district, we don't have a tribal school. I will also request to establish a tribal school in our district. There are no women's colleges in our district as well. That's why, madam, through you, I am requesting the honourable ministers to take steps for the development of our backward district in the same vein that the Central government is developing the whole country. I would request them to carry out their welfare works for our district.

Thank you.

* Original in Bengali

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदया, वर्ष 2012 में भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच में यह समझौता हुआ कि साउथ दिल्ली के जौनापुर गांव में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वर्ष 2012 में 38 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उपलब्ध करवा दी गई। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार ने लैंड यूज भी डीडीए से चेंज करवा दिया। वर्ष 2017 में सरकार ने 254 करोड़ रुपये वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूर कर दिया। वर्ष 2018 में निर्माण का काम शुरू हो गया। छह महीने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शिकायत करवा कर उस कार्य को रूकवा दिया। उस यूनिवर्सिटी में हमारे हजारों बच्चों को ट्रेनिंग मिल सकती थी। हजारों बच्चे ट्रेनिंग पाकर देश और विदेश में रोजगार पा सकते थे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जौनापुर में जो वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी बनायी जानी है, उसका कार्य जल्दी से जल्दी से शुरू करवाया जाए। इससे देहाती दिल्ली और दिल्ली के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : शुक्रिया मैडम, मैं आपके सामने एक बहुत ही संगीन मुद्दा रखना चाहती हूँ। हमारे संविधान के पिता बाबा साहेब अंबेडकर जी को सारे देश में बहुत सत्कार और सम्मान के साथ देखा जाता है। बाबा साहेब दबे-कुचले को मान-सम्मान दिलाने वाले महान पुरुष हैं। पंजाब में पिछले तीन महीनों से उनकी स्टैच्यू के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। यह अटैक जनवरी में भी हुआ, फरवरी में भी हुआ और अभी दो दिन पहले भी अटैक हुआ। ये बाहर की ताकतें हैं। सिख फॉर जस्टिस ने क्लेम किया है कि पंजाब में ऐसे सारे स्टैच्यूज तोड़ दिये जाएं। बाबा साहेब की स्टैच्यू तोड़ कर देश को डिस्टैबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी सख्त निंदा करती हूँ। मैं केंद्र सरकार से विनती करती हूँ, क्योंकि हमारे पंजाब की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पंजाब के पुलिस स्टेशन और अमृतसर के मंदिर में भी ग्रेनेड से अटैक हुए हैं। यह पंजाब की अमन-शांति को भंग करने की कोशिश है।

मैडम, मैं दो सेकेंड में अपनी मांग रख लेती हूँ। ये बाहर की ताकतें हैं, जो पंजाब की अमन-शांति भंग कर रही हैं। केंद्र की सरकार इसकी जांच करे। जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सख्त सजा दी जाए, ताकि पंजाब में अमन-शांति बरकरार रहे। शुक्रिया।

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मैडम चेयरपर्सन, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ सारे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के ध्यान आकर्षण और क्रियान्वयन के लिए यह विषय सदन के सामने रख रहा हूँ।

मैडम चेयरपर्सन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के साथ वर्ष 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 24 अप्रैल पंचायती राज डे है। मैं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के लोगों को विकास के साथ जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय डेमोक्रेसी को शक्तिशाली बनाने के लिए और लोकल कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए देश के हर ग्राम पंचायत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने के लिए भारत सरकार से निवेदन करता हूँ।

दूसरा, वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में कुल 6,40,930 गांव है। इन सभी गांवों में ग्राम सभा होती है।

(1515/CP/SRG)

ग्राम सभा का काम ठीक तरीके से नहीं होता है। पब्लिक डोमेन में ग्राम सभा के बारे में डिटेल्स लिखकर कि ग्राम सभा में क्या-क्या डिजीजन्स हुए, उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए।

दूसरा, ग्राम सभा के माध्यम से 20 प्रोजेक्ट्स, 20 स्कीम्स ऑनलाइन में आती हैं, इनको बढ़ाकर मिनिमम 40 स्कीम्स करना चाहिए। मिनिमम 40 स्कीम्स पाइपलाइन में रहनी चाहिए। इसके कंप्लीशन का टाइम लाइन एक साल के अंदर एमजीनरेगा के माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से हो, वह कंप्लीट होना चाहिए। मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है।

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Madam, from my Parliamentary Constituency, Warangal, Kazipet loco running depot is one of the biggest in the South-Central Railway. It is to inform that more than 500 employees have been relocated to Vijayawada in the last 15 years. A small loco running depot in Vijayawada has now become a big one at the cost of Kazipet.

It has come to my notice that currently the employee strength at Kazipet is now 526 against the sanctioned number of 709. Against this background, again the Railways sanctioned 184 new postings to Kazipet loco running station. Surprisingly, all of them have been allotted Vijayawada loco running depot where 1100 employees are already working at Vijayawada.

In this regard, I would bring to your kind notice that due to various reasons, the Railway authorities are shifting large number of employees to Vijayawada, but not taking any effort to fill the vacant post in Kazipet.

Madam, through you, I humbly request the hon. Minister of Railways, Government of India to kindly look into the issue and necessary steps are initiated for filling up the vacant posts at loco running station, Kazipet.

श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण (नांदेड़) : महोदया, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तिलहन और सोयाबीन के किसानों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन वायदा कारोबार पर नवंबर, 2021 में रोक लगा दी। इसके कारण किसान असहाय हो गए। भाव का बेंचमार्क नहीं होने के कारण किसानों को कटाई के समय अपनी उपज के वायदा भाव का पता नहीं चल पाता है। वे मंडी के व्यापारियों पर ही निर्भर रहते हैं। इससे मोल-भाव करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार एनसीडीईएक्स पर तिलहन और सोयाबीन के वायदा कारोबार पर लगी रोक को तुरन्त हटाने की कृपा करे।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Madam, I would like to invite the attention of the hon. Railway Minister and the Ministry to the medical aid centres which were operational on Mumbai's main junctions, like Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Churchgate, Mumbai Central, Dadar, the stations where around 50 lakhs of commuters travel by this lifeline of Mumbai Railways. The medical facility was abruptly stopped there. It really was beneficial for any mishaps, which occurred in the railways like in the local or even long-distance trains. It has been abruptly stopped. I would request, I would urge rather, that the Ministry looks into the matter and revives and resumes this facility, which is of utmost importance to the lives of the people.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री अरुण गोविला

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पप्पू यादव जी।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति जी, मैं यूरिया और डीएपी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। यूरिया साढ़े 4 सौ रुपये और डीएपी 16 सौ रुपये में है। इसकी लगभग कालाबाजारी हो जाती है। रिटेलर, होल सेलर और पदाधिकारी की मिलीभगत से किसानों को समय पर न यूरिया मिलती है और न डीएपी मिलती है। स्थिति यह है, उनको न तो बिजली, न तो पानी और न किसानों को दाम मिलता है। उनके दर्द को देश में देखने वाला कोई नहीं है। आज हालात यह है कि किसान की मकई बहुत सस्ती होने जा रही है क्योंकि उसका उचित दाम नहीं है। मकई के साथ मखाने का भी उचित दाम नहीं है। जो पूर्णिमा, सीमांचल और कोसी है, उस इलाके में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि विशेष तौर पर डीएपी और यूरिया की व्यवस्था करके सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएं। हमारे इलाके में यह पदाधिकारी की मिलीभगत से कालाबाजारी से बांग्लादेश और नेपाल चला जाता है। मैं वहां सभी किसानों को सस्ते दामों पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मकई के दाम के सम्बन्ध में आप तुरन्त निर्णय लें।

(1520/NK/RCP)

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Madam Chairperson, the National Medical Council has announced the year's schedule for post-graduate NEET examination. It is to be held on 5th June. But why is it being held in two shifts? No equality can be achieved if one examination is held in two separate shifts. Last year, when you introduced the two-shift system, there was an uproar among the students as the second shift question papers were considered much tougher than the first shift question paper. Also, the National Medical Council did not release two separate results showing shift-wise performance. It was an admission that if the results were shown separately, it would have exposed the

fact that one shift had an easy question paper and the other shift had a tough question paper. Are the Union government and the National Medical Council so inefficient that they cannot have one simultaneous question paper for two lakh students? If you cannot hold a simultaneous examination for two lakh students, why are you talking about one nation, one election for 96 crore people in India?

I would request, through you, the Union Government to kindly have one simultaneous post-graduate NEET examination. Thank you.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon Chairperson, Vanakkam. I wish to bring to your notice regarding enumeration of Census. We normally conduct Census once in 10 years which is a regular feature. Due to the Covid pandemic, the Census of 2021 could not be enumerated and it has been delayed. But the Union Government is silent and not taking any initiative regarding conduct of Census in the country. This is so shocking for us. The Government is very well aware of the fact that the developmental programmes and the welfare programmes, aimed for upliftment of the weaker sections, could not be implemented in the absence of Census data. Not only that, in order to go for delimitation of parliamentary constituencies, it is important to have up-to-date Census data. This Census is also important for implementing the 33 percent reservation for Women in Legislative Bodies. I therefore urge the Government to start the process for enumeration of Census immediately without any further delay. I also make a request to include caste-based census along with the enumeration of regular Census by the Government. Thank you.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रही हूँ कि अपने विषय को मात्र तीस सेंकड में रखने का प्रयास करें।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का जो बजट है, उसमें कम खर्च किया जा रहा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास योजना के लिए हर वर्ष बजट भले ही दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर परियोजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ रही हैं।

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नये विज्ञापन की भर्ती में हो रही देरी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024 में स्वीकार किया था कि 45,256 शिक्षक के पद वैकेंट पड़े हैं। इतना ही नहीं हर वर्ष लगभग आठ हजार से दस हजार शिक्षक सेवा से रिटायर हो रहे हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अधिक गंभीर हो गई है।

मेरी सरकार से मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और सभी पदों को ट्रांसपेरेंट तरीके से भरा जाए।

(1525/PS/MK)

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to raise an issue of public importance during 'Zero Hour'.

Bengaluru city has got more than 150 Government of India establishments and offices, with nearly 3.65 lakh Central Government employees who are working there. So, there is a need to have, at least, five CGHS wellness centres in Bengaluru. For the same size of CGHS population, Chennai and Hyderabad have got 15 CGHS centres each, but Bengaluru, till now, has only 10 CGHS centres.

So, through you, Madam, I urge the hon. Minister of Health and Family Welfare to establish another five CGHS centres in Bengaluru city because the travel radius is really 50 kilometres. It would be of a great help to the CGHS employees and beneficiaries.

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : सभापति महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 'आयुष्मान भारत योजना' जो सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, मैं आयुष्मान कार्ड के बारे में बोलना चाहता हूँ। आयुष्मान कार्ड से जो लोग इलाज कराना चाहते हैं, पहले तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है और जब वे एडमिट हो जाते हैं तो बहुत-सी चीजों का खर्चा उसमें नहीं जोड़ा जाता है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब यह इतनी प्राथमिकता वाली योजना है तो इसमें सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल उसके मातहत आते हैं, उसमें देश के लोगों का एडमिशन तुरंत होना चाहिए। वह जो पांच लाख रुपये की योजना है, मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी लागत बढ़ाकर 20 लाख कर देनी चाहिए। जितने भी रोग हैं, वे सब उसके अंदर कवर होने चाहिए, ताकि गरीब जनता को मुफ्त में इलाज मिल सके और इस योजना का सही तरीके से लाभ मिल सके। धन्यवाद।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सिक्किम के दो डिस्ट्रिक्ट्स सोरेंग और गेजिंग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिनके वेस्टर्न साइड में इंडो-नेपाल बॉर्डर और कंचनजंघा नेशनल पार्क है, जो एक यूएन हेरिटेज साइट है, उसका एंट्री प्वाइंट भी गेजिंग डिस्ट्रिक्ट में है। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्किम के 25 प्रतिशत से ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, लेकिन अगर आप हाइवे का लेंथ देखेंगे तो वह केवल 32 किलोमीटर का है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मानपुर-जोरथांग-लेगशिप, जोरथांग-दारमदिन-सोमबारिया-सोरेंग-कलुक और डेंटम, डेंटम से लेकर चिवाभंजंग तक तथा गेजिंग-पेलिंग-युक्सोम-ताशीदिंग से लेकर लेगशिप तक जो स्टेट हाइवेज हैं, उन हाइवेज को नेशनल हाइवे घोषित किया जाए और उनको डेवलप करके स्ट्रैथेन किया जाए। धन्यवाद।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Chairperson, I stand today to highlight the serious challenges faced by ASHA workers who are the backbone of India's healthcare system. Despite their crucial role, they continue to struggle due to poor working conditions and low pay.

I request the Government to take urgent steps to declare ASHA workers as last-grade Government employees across the country so that they will get reward for their work. The ASHA workers handle multiple responsibilities, leading to heavy workload and health risks. Many suffer from malnutrition, anaemia, and other diseases due to lack of proper support. The shocking fact is that their current incentive is Rs. 2,000 per month, which is highly inadequate and failing to reflect the critical nature of their services. Also, many are forced to spend from their own pockets for work-related expenses, pushing them further into financial distress.

Madam, in Kerala, the ASHA workers played a crucial role in effectively managing the COVID-19 pandemic. However, the inadequate incentives provided by both the State and Central Governments have left them struggling to make ends meet despite their vital contributions to public health.

DR. RICKY A. J. SYNGKON (SHILLONG): Thank you, Madam Chairperson, for allowing me to speak.

The future, whether good or bad, depends on our action today. On this note, through you, Madam Chairperson, I would like to remind the House that in 2014, the NGT had imposed a ban on mining and transportation of coal in the State of Meghalaya. However, it is very unfortunate that till today, there are a group of people known in our State as 'High Level', who have continuously and blatantly violated this ban. And even the Government machinery, which is supposed to ensure the enforcement of this ban, has miserably failed to enforce this ban.

A leading newspaper of Meghalaya '*The Shillong Times*' dated 26.03.2025 reported that more than 1.92 lakh metric tonnes of illegal coal has been detected. ... (*Interruptions*)

(1530/SMN/SJN)

*SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Jai Jagannath. Thank you Madam for this opportunity. My parliamentary constituency Asika, Ganjam, Odisha is full of natural beauty. Through you, I humbly request that the Lord Jagannath Temple in my parliamentary constituency, which is known as Sharana Shriketra, falls under the Polsara Assembly at Marada. It also comes in my parliamentary constituency which is in a very dilapidated condition. I request the Central Government that if some financial assistance is provided then definitely there will be improvement in my area. It should be declared as a national heritage site. This will increase employment opportunity in my constituency. If a tourism circuit is made around Shri Jagannath temple in Nirmaljar Khalikot, Marada, Sankhemandi, Dharakot, then the whole world will know about this beautiful place and with the help of which, my region will prosper.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): The previous TRS-BRS Government left Telangana totally bankrupt with rupees eight lakh crore and resorted to selling Telangana land. Madam, the current Congress Government also is resorting to the same thing.

I want to draw the attention of the House to a matter of great concern. The Telangana Government has taken a decision to auction 400 acres of ecologically sensitive Hyderabad Central University lands. This land is a home of unique rock formation with rich biodiversity. There are 734 species of plants and 220 species of birds. Moreover, the iconic mushroom rock and lakes in this geological heritage are part of the landscape. The University of Hyderabad's community including students, faculty, and residents are strongly opposed to this. There is police action on them with brutal police force. The Telangana Industrial Infrastructure is planning to go ahead.

Madam, through you, I request the Government to immediately explore options to halt the auction process and set up a review committee.

Thank you, Madam.

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Madam, in my Constituency Tirunelveli in Tamil Nadu, majority of people are farmers and they depend only on agriculture. The wild boar, that is, wild pigs, are coming from the forest in groups and staying in agri-fields and destroying crops like banana, paddy and all other crops and thereby, causing huge loss to the farmers.

*Original in Odia

Many times, they have attacked farmers and caused grievous injuries also. The Union Government is not giving any compensation. Wild boar is included in Schedule III of the Wildlife Protection Act, 1972. It is a Central Act. If the farmers try to prevent the boars, the Forest Department is registering cases against them.

Hence, I request the Union Government to remove wild boar from Schedule III of the Wildlife Protection Act, 1972.

Thank you, Madam.

*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon Chairperson Madam, Vanakkam. In my Ramanathapuram constituency, Thangachimadam railway station was very much operational till 20 years ago. There is a facility of pure drinking water in this place besides the availability of 30 acres of land. Therefore we can create a Railway yard in this place, Thangachimadam. Hon Prime Minister is scheduled to visit Rameswaram of Tamil Nadu to inaugurate the new Pamban Bridge in two days from now. I urge that Hon Prime Minister should make an announcement that the Thangachimadam railway station will be operational as before. Similarly the old Pamban Bridge should be made into an historic Rail Museum depicting the salient features. This Museum should be set-up so as to facilitate the pilgrims visiting Rameswaram temple and the tourists visiting Dhanushkodi. Additional trains should be operated via Karaikkudi to Aranthangi from Rameswaram. I also urge that additional trains should be operated between Aranthangi and Chennai. Thank you.

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I want to bring the attention of this house to the serious health issue of Type 1 Diabetes in children. This is a lifelong disease where the child needs average 4-5 insulin injections every day to survive. Along with this, they need to check their blood glucose regularly.

This creates a big burden on poor families which cannot afford the high cost of treatment. That is why, I request to the Central Government to kindly take the following steps like providing free insulin along with syringes and test strips at all government hospitals, remove GST on insulin, test strips, syringes, and related logistics and provide disability certificates to these children so that it can help to improve the quality of life of these children.

Thank you, Madam.

*Original in Tamil

(1535/SM/SPS)

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Madam, thank you for giving me the opportunity. This is regarding MMTS. I come from the Bhongir constituency. When the BRS was in power in Andhra Pradesh, there was an approval of Rs. 412 crore for a railway line from Ghatkesar to Yadagirigutta.

However, during that period, the Government was not very serious about acquiring the land and obtaining forest clearance. It is still pending. There are a lot of issues regarding transportation in Bhongir. I request the Ministry to intervene, release the money of Rs.412 crore and do this MMTS so that the transportation issues are sorted out. This will increase employment opportunities, urbanization, and educational facilities. Therefore, I request the Ministry to take care of it.

DR. SHARMILA SARKAR (BARDHAMAN PURBA): Thank you very much, Madam, for giving me the opportunity to speak on a very important yet neglected issue, which is mental health awareness.

The prevalence of mental health disorders in India has surged, especially after COVID-19, affecting about 15 per cent of the population. Individuals with mental health issues face considerable personal distress, hindering their ability to maintain relationships, pursue education, and engage socially. These challenges impact communities and the nation by reducing productivity through absenteeism and diminished work efficiency. Ultimately, this hinders the economic growth of the nation.

Socially, the stigma and discrimination surrounding mental health compromise individuals' ability to seek help, leading to delays in diagnosis and treatment, and perpetuating their suffering. This significant mental health burden ultimately affects the nation's growth. What steps has the Government taken to increase awareness?

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : मैडम, आपने बोलने के लिए अलाऊ किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं राजस्थान के झालावाड़-बारां से जीतकर आया हूँ। मुझे वहां के लोगों ने मतदान दिया है और पांचवीं बार मुझे वहां से चुनकर भेजा है। एक उज्जैन टू झालावाड़ रेल लाइन है, जिसका सर्वे हो चुका है। यह ट्रेन लाइन बनने के लिए है।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसके द्वारा उज्जैन जाने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का एक लिंक श्योपुर है, वह बारां से जुड़ जाएगा। बारां और श्योपुर का लिंक होगा

तथा उज्जैन और झालावाड़ का लिंक होगा। इससे हमारे यहां के किसान वर्ग को अच्छी तरह से आने-जाने में सुविधा होगी। इसके द्वारा उज्जैन में ज्योतिर्लिंग जाने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। **श्रीमती वीणा देवी (वैशाली)** : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत नई रेल लाईन साहेबगंज के रास्ते मोतीपुर राजा पट्टी है, जो 58 किलोमीटर की है। उस पर अभी तक लाईन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ है। यह नई रेलवे लाईन मेरे क्षेत्र की लाइफलाइन है। इसके बन जाने और रेल चालू हो जाने से क्षेत्र का काफी विकास होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और हमारे यहां के बेरोजगार लोगों का बड़े शहरों में पलायन रुकेगा।

महोदया, मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि क्षेत्र की जनता काफी आंदोलित है, इसलिए इस नई रेलवे लाईन का काम शीघ्र शुरू कराया जाए। धन्यवाद। (1540/RP/MM)

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Thank you, Madam, for this opportunity. I have been trying to raise this issue for a long time.

There is a young boy of 20 years old Mukesh who has disappeared without any trace since March 2016. The last known location is called Jouzangtek which has become almost like a Bermuda Triangle. There is a case of Linthoingambi and Hemanjit. Two young people have disappeared during this crisis.

We have these cases happening even today under the President's Rule. I would like to draw the attention of the House as well as the Home Minister that protection of life of the people is the paramount duty of our State. So, I would like to draw the attention of this House to look into this case of Mukesh. That is among many cases that have been happening where people disappeared and we do not care about what happened to them.

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) : मेरा संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश अपने गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्वों और विटामिन सी से भरपूर आंवला की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जिसको यदि उचित प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिलें तो न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकता है। मैं सरकार का ध्यान आंवला उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आंवला प्रोसेसिंग के लिए कोई उद्योग या फैक्ट्री स्थापित नहीं है, जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी उपज को कम दामों में बेचना पड़ता है। यह सरकार वहां आधुनिक प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुविधाओं से युक्त आंवला आधारित एक बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री स्थापित करे तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रतापगढ़ में एक आंवला आधारित फैक्ट्री एवं उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस एवं त्वरित कार्यवाही करे।

*SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Madam Chairperson, Vanakkam. I wish to bring to you king notice regarding the order issued by the Reserve Bank of India recently. It has been the practice that farmers get loans every year from the nationalised banks of our country. These loans are to be paid back every year. Only the interest part can be paid and the actual loan can be renewed for the next year as a new loan. This Jewel loan can be extended for a year. But the Reserve Bank of India has issued a recent Order stating that only if both the Principal and Interest portions of the loan are paid in full, you can avail new loans. As a result of this recent Order of RBI, the farmers are perturbed and affected. I therefore humbly request that this Order of Reserve Bank of India should be cancelled and the farmers may be allowed to repay only the interest part and get their loans renewed for the consecutive year as it was done in the past. Thank you.

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गंधमर्दन पहाड़ी पर नृहसिंहनाथ मंदिर के लिए मैं कल्चरल डिपार्टमेंट के मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के लोग यहां लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। इस यात्रा का महत्व बढ़ाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री इसके लिए सहायता राशि की घोषणा करे और उस यात्रा को कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके, इसके लिए केन्द्र हस्तक्षेप करे।

*SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): Hon'ble Chairperson, in our country, farming is considered as a backbone of our economy. Farmers work relentlessly in the farms to fulfill the needs of our country as well as the entire world. Urea is essential for farming and it is being provided at subsidized rates by the government. Industrial usage Urea is also available at higher price.

But, the farmers are facing the acute shortage of Urea and they have to procure it at costlier rates from open market. There is a factory in my constituency called Godrej Agrovat which manufactures fodder and feed for cattle. Around 90 MT of Urea have been seized from this company in a raid.

Subsidized Urea is not available in market in sufficient quantity and hence, the farmers are bound to procure it by paying more money. But, on the other hand, it is being supplied to big companies. So, what is the link between these two cases? How is it happening? From which part of India, it is being supplied?

Government should investigate it properly.

*Original in Tamil

*Original in Marathi

*SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB): Thank you, Madam Chairperson. Through you, I want to bring to the attention of the Govt. an important matter. In 2019, the Government had decided to release the Sikhs imprisoned in jails. A notification had also been issued. Six long years have passed but the Sikhs languishing in jails have not yet been released. They are political prisoners lying in jails for the last 25 to 30 years. They have even completed their terms of sentence.

Madam Chairperson, some of them are unwell. Keeping in view this fact and from a humanitarian point of view, I urge upon the Government to release these imprisoned Sikhs. The Government of India had promised to release them in 2019 via a notification. It will help heal wounds of Punjab. Thank you.

(1545/VR/KDS)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Thank you very much, Madam. The Moonilavu Panchayat is the only SC/ST Panchayat in my Parliament constituency. The Kuda Kallu bridge connects this panchayat with the outside world. This bridge got heavily damaged during the 2001 floods. Even though the State Government got the Disaster Management Fund, they have failed to construct the bridge. The local people have to take a detour of 20 kilometres to reach the settlement. I request the hon. Minister of Tribal Affairs to grant funds to reconstruct the road and the bridge at the earliest. Thank you very much.

श्री हरीभाई पटेल (महेसाणा) : धन्यवाद सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दो गुनी करने का आह्वान किया है और इसे सार्थक बनाने के लिए भारत सरकार के कृषि विभाग ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इससे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। महेसाणा जिला व उत्तर गुजरात के किसान, उद्यमी और साहसी हैं। गुजरात राज्य मसाले की फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे महेसाणा लोक सभा क्षेत्र के उन्जाट में एक मसाला पार्क का निर्माण कराया जाए, जिससे समस्त मसाला करोबारियों और सभी किसान भाइयों को पूर्ण लाभ मिल सके। किसानों के व्यापक हित में इस संबंध में उचित निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करें, ताकि इस क्षेत्र के किसानों को अपनी आय में वृद्धि करके अधिकतम लाभ मिल सके। धन्यवाद।

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson. I would like to draw the attention of the Ministry of Tourism and Culture to the urgent renovation work of Belur Sri Chennakeshava Temple and Shankargouda Sri Bahubali Gomateshwara Temple in my constancy. They are the symbol of our rich history.

The Chennakeshava Temple in Belur showcases the incredible craftsmanship of our Hoysala dynasty which is a UNESCO recognized world heritage site. The Shankargouda Temple is well known for the monolithic statue of Lord Gomateshwara, also known as Bahubali, and is renowned for the Mahamastakabhisheka. However, these heritage sites are facing neglect, with crumbling walls that threaten their beauty. This is an urgent matter and, through you, I would like to urge the Government to take immediate action. Thank you, Madam.

*Original in Punjabi

श्री राजीव राय (घोसी) : धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया समय का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सदन की गरिमा, मंत्रालय की गरिमा और माननीय मंत्री जी की इंटिग्रेटी का भी सवाल है।

महोदया, मैंने एक प्रश्न लगाया था कि हमारे मऊ जनपद में कितने घरों में 'हर-घर जल' की सेवा पहुंच चुकी है? सवाल के जवाब में बताया गया कि 2 लाख 64 हजार 424 घरों में यह सेवा पहुंच चुकी है। मैंने दिशा की बैठक की, तो सारे जनप्रतिनिधियों के सामने, जिलाधिकारी के सामने, सारे अधिकारियों के सामने संबंधित अधिकारी ने स्वीकार किया कि अभी तक केवल 40 गांवों में यह सेवा पहुंच सकी है और धनाभाव के कारण वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सवाल लगाते हैं और इस तरह का जवाब निचले स्तर के अधिकारी से आएगा कि ग्राउंड लेवल पर गलत सूचना दी गई है तथा काम नहीं हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी अपनी साख, अपनी इंटिग्रेटी के लिए एक टास्क फोर्स लगाकर पूर्वांचल, खासकर मऊ में जांच कराएं। अगर धन नहीं है, तो धन उपलब्ध कराएं तथा जिसने भी यह गलत सूचना सदन को देकर गुमराह करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से यह बात सरकार तक अवश्य पहुंचेगी। धन्यवाद।

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील (माधा) : धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र सतारा जिले में राष्ट्रीय अर्थ गुणवत्ता छात्रवृत्ति गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से यह विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ऐसे निर्देश आप कृपया सरकार को दें। धन्यवाद।

(1550/YSH/SNT)

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर दिलाना चाहता हूँ। मेरा लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। मेरे इस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, उसके अलावा युवाओं का भविष्य भी नशे के कारण खतरे में आ रहा है।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बने और इस पर कठोर कदम उठाए जाएं। इसके अलावा हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में तारबंदी के पास, जो किसान रहते हैं, उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां पर बॉर्डर स्कीम

के तहत जो पैसा आता था, वह भी बंद हो गया है, जिसके कारण हमारे उस क्षेत्र में विकास के काम रुक गए हैं।

सभापति महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वह इन सब बातों पर ध्यान दे, ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : सभापति महोदया, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सरकारी नौकरियों की भर्ती कई वर्षों से रुकी हुई है। प्रशासन द्वारा भर्ती की अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती हैं, जिस कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। युवाओं की उम्र की सीमा समाप्त हो रही है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ... (व्यवधान)

मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से, कई विभागों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर पालिका, जिला पंचायत, वन एवं पीडब्ल्यूडी में विभिन्न नियमित पदों पर भर्तियाँ रुकी हुई हैं और जो भी भर्ती हो रही है, वह केवल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो रही है। कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रहे कर्मचारियों को पांच-पांच, छः-छः महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ स्थानीय प्रशासनिक विभागों में भी एलडीसी और ऑपरेटर जैसे पदों पर पर्याप्त संख्या में भर्ती न होने से मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और सभी विभागों में नियमित सरकारी पदों को शीघ्र भरा जाए तथा कांट्रैक्ट सिस्टम को तुरंत बंद किया जाए। ... (व्यवधान)

***SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR):** Hon'ble Chairperson, today, I want to raise a very important issue. Maharashtra is considered as a developed state but, no central university has been established here.

So, our students have to go to other states to take admissions for national level courses. My district Ahmednagar is the largest district in Maharashtra and there is no Central University available here.

Therefore, I request you to establish one Central University here and necessary action should be taken in this regard. It would be very beneficial for the entire Maharashtra as well as Goa State.

One Logistic Park should also be developed in my Lok Sabha constituency.

Thank you

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं स्मार्ट सिटी योजना के बारे में बात करना चाहती हूँ और यह पूछना चाहती हूँ कि क्या यह योजना अभी कार्य कर रही है? मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर राजस्थान की राजधानी है एवं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित है। जयपुर शहर, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहां पर कई स्मारक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं, जिन्हें देखने देश-विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि यहां पर कई कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे कि शहर का सौन्दर्यीकरण खराब हो रहा है तथा यहां आने वाले पर्यटकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर के अन्तर्गत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने का श्रम करावें।

(1555/RAJ/AK)

***SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR):** Hon'ble Chairperson, thank you. Labour Ministry had started EPS 95 pension scheme but now only Rs. 1000 to 4000 is being provided to the retired employees as a pension. These retired employees has paid the EPFO, Rs. 415 in 1995 Rs. 551 since 2001 and Rs 1250 from 2014 onwards as a monthly contribution when they were in service. They served for 40-50 long years and played an important role in nation building and at this age, they are receiving only a few thousand rupees as a monthly pension. This is a meagre amount and not sufficient even for daily needs and expenses. EPS 95 pensioners have deposited lacs of rupees as a contribution which is around Rs 8 crore. Therefore, I request you to provide sufficient pensionary benefits to these 80 lac retired employees as per the recommendations of Koshyari Committee Report. Medical facilities should also be provided to them. Thank you .

श्री मोहिबुल्लाह (रामपुर) : सभापति महोदया, मैं आपका तवज्जो रामपुर जिले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि रामपुर पहली रियासत है, जिसने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शामिल होने के लिए साइन किया था, लेकिन वहां पर विकास का कोई काम नहीं हुआ है। अगर आगरा वाले एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के लिए जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा नियरेस्ट और कोई रास्ता नहीं है। अगर वह रामपुर से होकर निकलेगा तो शहर का विकास भी होगा। वहां आजादी के बाद से कुछ नहीं हुआ है। यह बहुत अच्छी चीज होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री महेश कश्यप (बस्तर) : सभापति महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं जो केरल राज्य से बड़ा और जल-जंगल-जमीन से भरा हुआ क्षेत्र है। बस्तर के लिए इंद्रावती नदी एक जीवनदायिनी नदी रही है। वह नदी ओडिशा राज्य के कालाहांडी से बहती थी, लेकिन जोहरा नाला के डायवर्ट होने के कारण, जल संकट के कारण जगदलपुर शहर में जल संकट बना हुआ है। अभी वहां हजारों एकड़ में मक्के की फसल सूखने जा रही है।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जोहरा नाला और इंद्रावती नदी में जो 50-50 प्रतिशत पानी आने के लिए समझौता हुआ है, वह अभी नहीं आ रहा है, तत्काल उसका समाधान करें। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हर समय बस्तर को रही है। क्योंकि बस्तर रियासत के महाराजा कमलचंद भंजदेव जी को भगवान जगन्नाथ प्रभु जी के द्वारा रथाधिपति का उपाधि मिला है, तो फिर से उनकी कृपा चाहिए।

माननीय जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि इसका समाधान जल्द से जल्द कराएं।

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता और परिवार को छोड़ कर किसी राज्य में जाकर नौकरी करता है, तो वह शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से नौकरी करता है। कोई भी कारखाना, उद्योग या व्यापारी घराना किसी कर्मचारी को अपने यहां नियुक्ति करते हैं तो उस पर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति करते हैं। योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले महाराष्ट्र में पूर्वांचली हिंदीभाषियों पर लगातार एमएनएस के गुंडों के द्वारा मार-पीट की जा रही है। मैं इस विषय को आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्वांचली हिंदीभाषियों को आप संरक्षण दें, क्योंकि जिनका राजनीतिक अस्तित्व खोता जा रहा है, एमएनएस, मनसे के लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक अस्मिता को पाने के लिए ओछी हरकत करने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संधि स्थल सुगौली की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत और नेपाल के संधि के डेढ़ सौ वर्ष से ज्यादा हो गए। दोनों देशों के बीच न केवल बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि हमारा रोटी-बेटी का भी रिश्ता है। आज भी सुगौली संधि स्थल, जहां भारत और नेपाल की संधि हुई थी, वहां बेतिया महाराज ने एक बड़े मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय अथवा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सुगौली संधि स्थल पर कोई स्मारक नहीं बनाया गया है।

(1600/SK/UB)

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सुगौली में जहां नेपाल और भारत की संधि हुई थी, उस स्थल पर बड़ा स्मारक बनाने का कार्य किया जाए जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आ सके।

1600 बजे

(कुमारी सैलजा पीठासीन हुईं)

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Madam, I want to raise the issue regarding food and public distribution. Due to network problems and Aadhaar Cards, the machines are unable to read fingerprints. Almost 32,000 beneficiaries' names have been deleted from the ration cards. The Ministry's directive is that the manual distribution should be restricted and the use of e-PoS machines is imposed and has been made compulsory. In 2022-23, the Government of India allotted 50 godowns in the State of Nagaland, but there is delay in the construction of those godowns because of land clearance issues. So, I would like to request the hon. Minister concerned to look into the matter.

श्री राहुल सिंह लोधी (दमोह) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में सोनार नदी है, इसका उदगम स्थल देवरी विधान सभा में है। सोनार नदी से भरांझ नदी, भरांझ नदी से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। मेरी मांग है कि यदि नर्मदा नदी का जल भरांझ के माध्यम से सोनार नदी में और सोनार से सीधे रहली, गढ़ाकोटा, पथरिया विधान सभा क्षेत्रों से नरसिंगा होते हुए ब्यारमा नदी से जोड़ा जाए। इससे नर्मदा नदी का जल हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, इस कारण सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र के पांच विधान सभा क्षेत्रों, देवरी, रहली, पथरिया और हटा में जल की आपूर्ति हो जाएगी और खेती सुचारु रूप से होने लगेगी। धन्यवाद।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष की जयंती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। भारतीय इतिहास में सबसे महान शासक अशोक महान के साम्राज्य की स्थापना चन्द्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। अशोक की लाट हम लोगों की पहचान है। 5 अप्रैल को पूरे देश में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जाती है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार सरकारी स्तर पर महान अशोक की जयंती मनाए और एक दिन की छुट्टी घोषित करे। धन्यवाद।

*SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Chairperson Madam, Vanakkam. We are very well aware that only by safeguarding the fishing industry which is the only livelihood of our fishermen, we can safeguard our fishermen community. On this basis, fulfilling the expectations of entire Tamil Nadu, with the support of all the political parties of Tamil Nadu, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru M.K. Stalin has passed a resolution in the State Legislative Assembly of Tamil Nadu for retrieving Katchatheevu. I thank the Government of Tamil Nadu at this juncture. Hon Prime Minister *Thiru* Narendra Modi will be going to Sri Lanka on an Official Visit very soon. Sri Lanka has not followed the terms of the agreement of 1973 between India and Sri Lanka on Katchatheevu. Therefore on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam, MDMK, I urge upon the Union Government that the Agreement of 1973, about ceding away of Katchatheevu to Sri Lanka, should be cancelled and determined efforts should be undertaken to reach a permanent solution in retrieving Katchatheevu in the interest of fishermen of Tamil Nadu.

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Madam, I want to draw the attention of this House to the MSMEs. Large businesses are also measured by the same yardstick. The RBI has come up with something called SMA; 30-day late payments, 60-day late payments and 90-day late payments are measured on the same scale as large industries.

(1605/GM/KN)

I request this Government to come up with some measures to ease the pain of small and medium enterprises.

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : सभापति महोदया, हमारे लोक सभा क्षेत्र में चकरनगर ब्लॉक के एरिया में पांच नदियों का संगम है। उसको पंचनदा कहते हैं। मैं आपसे मांग करता हूँ कि वहां पर बांध बनवाना बहुत जरूरी है। लोग कई सालों से इसकी मांग भी कर रहे हैं। उसका कई बार सर्वे भी हो चुका है और सर्वे में कई करोड़ रुपये भी खर्च हुए हैं। अगर आप वहां बांध बनवाने का कष्ट करेंगे तो वहां के हजारों किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। वहां पर औरैया, इटावा, भिन्ड कई जिलों के लोगों को, किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : महोदया, जय जगन्नाथ। मैं एक प्रख्यात, स्वतंत्रता सेनानी पवित्र मोहन प्रधान के नाम से स्मारक, डाक टिकट प्रचलन करने के लिए भारत सरकार से निवेदन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वर्गीय पवित्र मोहन प्रधान कई साल जेल में भी रहे और राज्य सरकार में भी कई बार मंत्री रहे। वर्ष 1977 में इस लोक सभा के सदस्य भी रहे। ओडिशा के प्रख्यात लेखक और कवि रहे।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, राज्य सरकार के मंत्री, लोक सभा के सदस्य स्व. पवित्र मोहन प्रधान के नाम से स्मारक, डाक टिकट प्रचलन किया जाए।

*SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD): Thank you, madam. I would like to draw your kind attention to a very important issue. Aligarh University plays a leading role in the field of education in India. Among the universities that exist, especially for minority Muslims, Aligarh University is one of the most important institutions. There is a financial crisis going on in that university and no matter what is being said by this government, they are not paying attention to this university. Unfortunately, this educational institution is being sabotaged. Besides, Aligarh University has a second campus in Murshidabad. It has been ten years but no measures are being taken to ensure proper management of

that campus. This second campus is in dire financial straits. And no work is being done in the educational upliftment of this university as well.

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा के जनपद सीतापुर, लखीमपुर में आंगनवाड़ी वर्कर्स के चयन में घोर अनियमितता तथा घनघोर भ्रष्टाचार किया गया है। मैरिट की अनदेखी की गई है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उपरोक्त चयन को निरस्त करके पुनः पारदर्शी निष्पक्ष चयन किया जाए। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : सभापति महोदया, हिमाचल प्रदेश देव भूमि के साथ-साथ वीर भूमि भी है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ, जो हिमाचल प्रदेश से थे, को मिला। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें भी 4 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को मिले।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला सिरमौर, पांवटा साहिब में एक सैनिक रेस्ट हाउस बना। सैनिक बोर्ड की मदद से, उस राशि से वर्ष 2010 में उसका निर्माण किया गया। लेकिन 1 सितंबर, 2024 को प्रदेश की सरकार ने उसको बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया, जिसके कारण जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या वीर नारियां हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें इंटरवीन करें और सैनिकों के लिए जो रेस्ट हाउस बना है, उसकी सुविधा सैनिकों को दी जाए।

बहुत- बहुत धन्यवाद।

(1610/SRG/VB)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Madam, the issue which I am raising concerns the environmental and health hazards caused by the improper disposal of phosphogypsum waste by Paradeep Phosphates Limited (PPL) in Jagatsinghpur district of Odisha. A large accumulation of this toxic industrial by-product near Chanakana village has resulted in acidic water leaching into nearby agricultural fields severely impacting soil quality, crop yield, and local biodiversity. The farmers in the region are facing significant losses and contamination poses serious health risks to the local population.

Despite PPL's stated commitments to waste management and recycling, the current situation highlights serious lapses in implementation.

I urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to conduct an immediate investigation and take stringent and exemplary measures to ensure proper disposal and management of industrial waste.

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Madam, I would like to mention a very essential matter that *Barddhaman-Malda* local passenger train (Eastern Zone) used to run regularly. The train would start from *Barddhaman* at 6.00 AM and would reach Malda at 1:00 PM via Bolpur, Rampurhat, Pakur and Farakka. The train again would start from Malda after 1:00 PM and reach *Barddhaman* following the same route. But during COVID-19, the train was stopped. As a result, thousands of daily passengers fell into great problem. Now, there is no COVID situation, there is no reason for keeping the train stopped. Thousands of daily passengers have been suffering a lot for a long time. I, therefore, fervently request the hon. Railway Minister to run the train as soon as possible in the interest of the thousands of daily passengers.

*SHRI AMAR SHARADRAO KALE (WARDHA): Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity. I would like to draw Government's attention towards an important issue.

Government is implementing a house construction scheme for the poor and needy persons called PMAY. For urban beneficiaries, they provide Rs 2.5 lakh and for rural beneficiaries, only Rs 1.2 lakh is being provided. This is a huge difference and it is a grave injustice done to the rural beneficiaries. These rural people have to procure cement, steel, bricks from the urban areas and the transportation cost is very high. Therefore, I request the Government to provide the equal amount of Rs. 2.5 lakh to all the beneficiaries. Thank you.

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : शुक्रिया मैडम। मेरी हम्बल सबमिशन है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कटरा-बारामूला रेललाइन का उद्घाटन करने कश्मीर जा रहे हैं। यह अच्छी बात है। मुझे उनसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करनी है। Since I am in jail, बारामूला पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएन्सी के तहत 18 असेम्बलीज के जो लोग हैं, for God's sake, मैं जेल में हूँ, इसलिए मेरे यहाँ लोगों का ख्याल रखा जाए। They should not be deprived of their rights. वे स्टेट गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी से कहें कि वे मेरे लोगों का ख्याल रखें। मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि जब पीएम साहब कुछ समय पहले कश्मीर गये थे, तो उनको हमारे सीएम साहब ने कहा था कि आसमान बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आसमान में गहरे बादल हैं। इसलिए मेहरबानी करके उसका भी प्रबंध कीजिए। हमारी बात सुनिए, कश्मीर के लोगों की बातें सुनिए। आप वहाँ जा रहे हैं, तो हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी, खास तौर से, मेरी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएन्सी के लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारा पब्लिक रेप्रेजेंटेटिव जेल में है। For God's sake, please respect the political social, religious and human rights of my people.

(1615/PC/RCP)

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बोलने का अवसर दिया है।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता पाने हेतु पूरे उत्तराखंड प्रदेश में मात्र एक हॉस्पिटल है, जो कि देहरादून में है।

मान्यवर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, ये ऐसी जगहें हैं, जहां से वहां जाने में कम से कम 17-18 घंटे लगते हैं। जो हमारी विदेशी सीमाएं हैं, उनसे लगे कुछ गांव हैं, जैसे कुटी, नाभी, रोकन, गुंजी, नपाचल्लू, गरब्यांग, बूंदी, कौलिजॉन्ग यानी कि आदि कैलाश। यहां से आने में भी 17-18 घंटे लगते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक विनम्र अनुरोध है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि एक और हॉस्पिटल कुमायूँ क्षेत्र में हलद्वानी या रुद्रपुर क्षेत्र में जांच कराने के बाद खोल दिया जाए। काफी हॉस्पिटल्स वहां पर हैं। कौन होगा, इसके बारे में मुझे नहीं कहना है, लेकिन जिसे सरकार उचित समझे, उसको खोल दिया जाए।

धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदया, मैं जिला अम्बेडकर नगर से चुनकर आया हूँ। वहां वर्ष 2011 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बना था। करीब 13 साल हो जाने के बाद भी आज उसमें एमएस और एमडी की कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा हो रही है।

हमारी यह मांग है कि वहां पर एनएमसी का जो क्रायटेरिया है, उसमें शिथिलता देकर, नॉर्म्स में शिथिलता देकर एमएस और एमडी की कक्षाओं के लिए मान्यता दी जाए।

इसके साथ ही साथ, वहां लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए, वहां एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का काम किया जाए, ऐसी मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Madam, this is a very important issue relating to my State. It is related to the seafood sector of Andhra Pradesh.

Madam, 11 per cent of our State's GDP, that is the GDP of Andhra Pradesh, is related to the seafood sector, seafood exports. Eight lakh farmers directly or indirectly get benefited by the seafood exports. 3.5 billion dollars of exports happen every year from Andhra Pradesh in seafoods. Last time, when we were burning the midnight oil, there was a tariff that has been imposed on India. There is 26 per cent of tariff that has been imposed on India, whereas the competing country, which is Ecuador, which competes with us in the seafood sector is only limited to 10 per cent. So, the conclusion is this. I know that we

have so much confidence on the Prime Minister that he will be able to help this sector. But I request the Commerce Minister to look at this very seriously because this is a very important sector for Andhra Pradesh. There are eight lakh farmers who are involved in this. The economy is also very much intertwined with this.

So, I request the Commerce Ministry to look into this in a positive way.

*SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Thank you, madam. I am referring to the Dwarakeswar-Gandheswari Reservoir Project, located in my Bishnupur Lok Sabha Constituency. A demand was made to the central government in 2015. If this project kicks off in Tarakeswar, the people of the Onda assembly constituency will get a water connection. And 40 lakh people of the entire Bankura district will benefit from this. Therefore, my request is that Dwarakeswar-Gandheswari Reservoir be constructed in Pratappur of Onda Assembly Constituency and arrangements should be made to deliver water to the people. The farmers will also hugely benefit from this. I am presenting this demand to you, thank you.

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में गणपति महोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी का सितंबर में आगमन होगा और करोड़ों घरों में गणेश जी आएंगे। लेकिन, पीओपी की गणेश मूर्तियों पर जो बैन लगा हुआ है, जो प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके कारण गणेश महोत्सव शायद अच्छे से मनाया नहीं जा सकता।

मैं कहना चाहूंगा कि लाखों-करोड़ों लोग मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियां चाहते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि the Government should intervene और जहां-जहां पीओपी से मूर्तियां बनाई जा सकें और जहां-जहां व्यवस्था निर्माण हो सके, ताकि इन पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन हो सके, वहां-वहां पीओपी की मूर्तियों के लिए एलाऊ किया जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर गणेश जन्मोत्सव अच्छे से मना सकें।

थैंक-यू।

(1620/CS/PS)

*SHRI BAJRANG MANOHAR SONWANE (BEED): Hon. Chairperson, I would like to draw this august house's attention towards an important issue related to my state Maharashtra. There are many sugar mills in my state Maharashtra and no permission is required for crushing of sugarcane to produce sugar and jaggery. It does not require Pollution Control Board clearance and there is also no need to take FRP NOC from the Central government.

Therefore, the State Government had sanctioned many jaggery producing plants for farmers in Maharashtra upto the capacity of 100 tonnes. But, some sugar mills are violating these norms and producing 500-1000 tonne of jaggery in their plants. So, there is a dearth of sugarcane for sugar mills and farmers also not getting a FRP as it was fixed. Hence, the farmers should be allowed to produce jaggery powder and they must also get FRP for it. Thank you.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to speak today. This is a very important issue of my district of Kalahandi. There are two districts in my constituency *namely*, Kalahandi and Nuapada. Madam, Khariar and Nuapada have Kendriya Vidyalayas. They have buildings which have been started for Classes 11th and 12th.

Madam Chairperson, through you, I would like to request the hon. Minister of Education to start these classes as soon as possible so that the kids who have already applied, can start their education and their education does not get hampered.

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : महोदया, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर अंतर्गत हायाघाट विधान सभा में अशोक पेपर मिल करके एक पेपर मिल इंडस्ट्री थी। कई वर्षों से यह अशोक पेपर मिल बंद है और इसके पास लगभग 400 एकड़ जमीन है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 में निर्णय दिया था कि अशोक पेपर मिल को वापस रिवाइव किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अशोक पेपर मिल को रिवाइव नहीं किया गया है। मेरी सरकार से माँग है कि या तो किसी विशेष आर्थिक पैकेज के तहत अशोक पेपर मिल को रिवाइव किया जाए या फिर उसकी जमीन पर इंडस्ट्री लगाकर रोजगार के प्रावधान युवाओं के लिए सुनिश्चित किए जाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon. Chairperson, Amrit Yojana worth Rs 302 crore was sanctioned for my city Yavatmal in 2017 and it was to be completed within 3 years. But, it is now more than 9 years and the work is still incomplete. This scheme meant to provide tap water regularly. But, the people are still suffering and the drinking water is being supplied once in a fortnight.

Around 302 crores have been spent under this scheme but the people still facing water scarcity in this area. For Darwha city, Rs 34.34 crore was spent under Maharashtra Suvarna Jayanti Nagarotthan Abhiyan for drinking water supply in year 2016. But, it is also incomplete till date. Same scheme was sanctioned worth Rs 43 crore for Digras city too and it is also incomplete. Government keep on spending crores of rupees, but the project are still incomplete and people are also suffering a lot due to poor implementation of these schemes. So, an In-depth enquiry should be initiated to find out the reasons due to which it has been delayed and all the officers and contractors should be punished for this inordinate delay.

श्री देवेश शाक्य (एटा) : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मेरे क्षेत्र एटा कासगंज में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जनपद कासगंज में 19 ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएँ कासगंज के गोरहा बाईपास पर होती हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मोड़ होने के कारण ये दुर्घटनाएँ होती हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस मार्ग को सही और सीधा करने का कष्ट किया जाए, जिससे यहाँ पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी आए और लोगों की जान बचायी जा सके। राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम के तहत इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा हेतु मोड़ों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

(1625/RV/SMN)

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

सभापति महोदया, विगत दस वर्षों में मोदी जी की सरकार में रीवा में हाईवेज़, रेलवे और हवाई मार्गों का तेजी से विस्तार हुआ है। रीवा नगर में दो फ्लाई ओवरों का निर्माण हुआ है। रीवा शहर के ढेकहा तिराहे में यातायात का काफी दबाव है। अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि पुरानी बस स्टैण्ड से ढेकहा तिराहे तक एक फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Madam Chairperson, in my Constituency Kolar, a company by name Tata Electronics, an iphone assembly unit, has recruited around 25,000 labourers on contract basis batchwise for three years.

After completion of three years, the company authorities are terminating such labourers and recruiting fresh labourers batchwise. Only a selected few are regularized. These terminated labourers are deprived of jobs in local industries and also not being recruited in the parent companies. Is this appropriate as per labour policy of the Government of India and whether the said company is following labour norms laid out by the law? I humbly request the Ministry to personally look into the same and find an amicable solution or policy to resolve the future of the youth force of the entire nation. Thank you, Madam.

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरा फतेहपुर लोक सभा क्षेत्र गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में है। इसके एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है और दूसरी तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। दोनों के बीच में 2-लेन की सड़क है।

मान्यवर, मेरी मांग है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए, जिसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। इससे आवागमन में सुविधा होगी। यह बहुत ही राजस्व देने वाला मार्ग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए।

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान मऊआइमा कताई मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, हमारे फूलपुर संसदीय क्षेत्र के सोरांव में मऊआइमा कताई मिल स्थित है, जो कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इसकी करीब 200 एकड़ जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। वहां मशीनें रखी हुई हैं। उसमें सरकार का बहुत पैसा लगा हुआ है और उसका लाभ उस क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है।

महोदया, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि मऊआइमा कताई मिल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे वहां के लोगों के लिए रोजगार सृजन हो सके।

*ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Hon. Chairperson, thank you. Cotton is the main crop in Jalgaon, Dhule and Nandurbar districts of North Maharashtra. It is cultivated on 7 lakh hectares of land in this region. Prime Minister Narendra Modi ji had declared many schemes related to cotton research and processing for the cotton farmers of this region in 2014 during his Lok Sabha Elections Campaign. It is now more than 11 years but, nothing has been done in this regard. He had also promised to develop a cotton hub in this area during his Dondaiche poll rally. Therefore, I would like to request the Union Government to develop cotton-based industry and a cotton hub in this northern region of Maharashtra at earliest. Thank you.

(1630/GG/SM)

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you, Madam. I want to raise the issue faced by veteran soldiers in availing of disability pension once they are out of service.

A soldier is never out of duty, but circumstances may lead them to retire, especially in cases of injuries. When such cases occur, we should collectively support the family in obtaining the disability pension. Numerous veterans have reported an overly complex administrative process. Once the documents are submitted and the reports are provided, their applications are often stalled by repeated requests for additional documents and assessments.

Many court cases, litigations, and court appearances are currently taking place. Therefore, I urge the Ministry to ensure that ex-servicemen do not have to endure this. The Ministry should establish a single-window system to enhance accountability and ensure a standardized process so that veterans do not face these challenges in availing of their disability pension. Thank you.

श्री आगा सैय्यद रुहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : मैडम चेयरपर्सन, मैं आपके ज़रिए कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट इश्यू की तरफ, जो एक जुल्म हो रहा है, उसकी ओर गवर्मेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वैरिफिकेशन के नाम पर, जो वैरिफिकेशन रिजीम है, उससे लोगों को सताया जा रहा है। अगर कोई शख्स किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में कहीं पाया गया, उसकी सज़ा सारे रिलेटिव्स को दी जाती है। जॉब की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, बिज़नेस की वेरिफिकेशन बंद की जाती है। यह कांस्टिट्यूशन, लॉ के अगेंस्ट है। किसी एक के क्राइम के बदले पूरी फैमिली, एक्सटेंडिट रिलेटिव्स को सज़ा देना गलत है। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में डायरेक्शन दी है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप भी चेयर के ज़रिए डायरेक्शन दें। मैंने होम मिनिस्ट्री के साथ यह पॉइंट रेज़ किया था। अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। आप डायरेक्शन दें कि कम से कम लॉ का लिहाज़ रखा जाए। एक की सज़ा दूसरे को न दी जाए। यह लॉ एण्ड जस्टिस का वॉयलेशन है।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान डीएनएच और दमन एवं दीव यूटी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन अधिकारियों पर विभिन्न अपराधों तथा भ्रष्टाचार के कृत्य में भी शामिल होने का आरोप है। पिछले कुछ वर्षों में, यूटी प्रशासन ने सरकारी खजाने के पैसे की बर्बादी, संदिग्ध खर्च, अवैध निष्कासन और लोगों का उत्पीड़न जैसे मुद्दों सम्बंधित कई आरोप लगे हैं। जिसमें हमारे डीएनएच के वरिष्ठ नेता एवं इस सदन के सीनियर मोस्ट सांसद जी को आत्महत्या के लिए विवश करने का अपराध भी है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच चल रही होने की जानकारी मिली है।

भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोपों के कारण, यूटी प्रशासन के पदाधिकारियों, जिसमें खुद प्रशासक महोदय और कई मामलों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, इन अधिकारियों से संबंधित कई मामलों में जांच चल रही है। इनमें से कई अधिकारी हमारे प्रशासन के अधीन महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत हैं। प्रशासन में उनकी निरंतर उपस्थिति जांच में अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना को बढ़ाती है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और पक्षपात रहित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मैं इस प्रकार भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह वर्तमान में जांच के अधीन अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।

श्री मनोज तिग्गा (अलीपुरद्वारस) : मैडम, मैं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उत्तर बंगाल के चाय बगान की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 34 सालों तक वामपंथ का शासनकाल था 15 सालों के टीएमसी के शासनकाल में एक के बाद एक चाय बगान बंद होते जा रहे हैं और वहां काम करने वाले आदिवासी और गोरखाओं की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। चाय बगान बंद होने के कारण श्रमिक वहां से पलायन कर रहे हैं और श्रमिकों को मूलभूत सुविधाओं से जैसे पीने के पानी, राशन, आवास इन सभी चीजों से वंचित किया जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन किया जाए और चाय बगान की जो समस्या है, उसकी ठीक ढंग से जांच कर के उसका समाधान करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुन्देलखण्ड की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन भी बुन्देलखण्ड का हिस्सा है। बुन्देलखण्ड में बड़ी संख्या में खनिज की खदानें हैं। इस क्षेत्र में खनन माफिया बेहताशा अवैध रूप से बालू का खनन का कार्य पोकलेण्ड मशीनों द्वारा कर रहे हैं। जिससे नदियों की जलधारा सिकुड़ रही है और उनका प्रवाह बाधित हो रहा है। निरन्तर खनन से आस-पास के हैण्डपम्प और कुओं का जलस्तर गिर रहा है, जिससे गर्मियों में ग्रामीणों को पानी के लिए किल्लत हो रही है। स्वीकृत पट्टा कहीं का होता है और खनन कार्य कहीं और से कराते हैं।

महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के बुन्देलखण्ड में नदी तल का खनन कार्य पहले मजदूरों के द्वारा कराया जाता था, जिससे उन्हें रोजगार मिलता था, लेकिन अब पोकलेण्ड मशीनों द्वारा खनन कार्य कराने से स्थानीय मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कुछ पट्टाधाराक ऐसे भी हैं, जिनका खनन पट्टा कहीं और स्वीकृत होता है, लेकिन वे खनन कार्य किसी अन्य स्थान के साथ-साथ नदी तल के अन्दर पानी में घुस कर लिफ्टर मशीनों द्वारा अवैध खनन कार्य करा रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि हो रहे अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच कराकर खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जाए, जिसे राजस्व की हानि न हो तथा खनन कार्य मजदूरों से कराया जाए जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके और बुन्देलखण्ड की नदियों, कृषि भूमि और जल स्रोतों का बचाव हो सके।

धन्यवाद,

(1635/RP/MY)

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Madam, the drug menace is creating a dangerous social problem in Kerala. Kerala is now flooded with drugs which is available at every nook and corner of the State. It is reported that drugs worth over Rs. 25,000 crore are reaching Kerala from other States including Gujarat and abroad.

Due to this drug addiction, especially among the youth segment, crime has increased in the State substantially. If we are not going to take any strong step, the future of our young generation of Kerala will be at peril because of use of this drugs.

I strongly urge the Government to implement stringent oversight by all relevant agencies to effectively combat drug and narcotic issues, thereby safeguarding the youth and ensuring a brighter future for the next generation of Kerala. Thank you.

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : सभापति महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव लोक सभा क्षेत्र के कवर्धा के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, डाक का प्रचार-प्रसार बहुत बहुत दूर तक हुआ है। हमारे जंगलों में भी डाक की व्यवस्था हुई है। 137 सालों से कवर्धा में डाक घर है, अष्टभोज में उसका उल्लेख है, किंतु अभी भी वहां एक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कवर्धा के अंतर्गत 98 डाक घर हैं, इसलिए वहां सुंदर एवं भव्य डाक घर बनना चाहिए। यह वहां के लोगों की मांग है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ।

महोदया, जिस प्रकार भिलाई से हमारा राजनंदगाँव अलग संभाग बना, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। कवर्धा जिले में भी डाक घर की व्यवस्था हो, इसके लिए आपसे निवेदन है। कवर्धा जिले का केंद्र है।

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : सभापति महोदया, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसका अपना गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली इतिहास है। शिक्षा, पर्यटन और कृषि का यहां बड़ा केंद्र है। मैं आपके माध्यम से आज इस सदन में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश की युवा शक्ति के लिए प्रयास किये हैं। उस युवा शक्ति को इस देश की

युवा शक्ति बनाने की तरफ जिस तरह से योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए।

महोदया, युवाओं को लेकर उनकी जो सोच है, उससे मैं अपने जबलपुर क्षेत्र को संबद्ध करते हुए आपके माध्यम से कुछ मांग करना चाहता हूँ। जबलपुर युवाओं का बड़ा केंद्र है। वहां पाँच विश्वविद्यालय हैं। निश्चित रूप से जबलपुर महाकौशल का मुख्यालय होने के साथ-साथ हमारे विंध्य और बुंदेलखंड का भी कार्य संचालन वहीं से होता है। इसलिए, वहां के युवाओं का ध्यान रखते हुए जबलपुर में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का अनुरोध करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस ओर निश्चित रूप से आपके माध्यम से ध्यान दिया जाएगा।

श्री राजकुमार रोट (बांसवाड़ा) : सभापति महोदया, आपने मुझे एक गंभीर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा विषय है कि वर्तमान में छात्रवृत्ति में जो डिले हो रही है, उससे एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को परेशानी हो रही है। छात्रवृत्ति में डिले होने की वजह से हमारे कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। छात्रवृत्ति में डिले का दर्द मैं भी बखूबी समझता हूँ। मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ। अगर मुझे भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत पिछली बार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन इस बार मात्र 2 लाख रुपये का प्रावधान वर्तमान बजट में किया गया है। एसटी बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले 5,99,00,000 रुपये का प्रावधान था।

(1640/CP/VR)

इस बार इसके लिए मात्र 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

मैं राष्ट्रीय विधेयक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। वर्ष 2013 में हमारे देश से 1 लाख 90 हजार बच्चे विदेश पढ़ने जाते थे और अब 13 से 14 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। वर्ष 2013 में एसटी छात्रों के लिए 20 सीट्स रिजर्व थीं और आज भी उनके लिए 20 सीट्स ही रिजर्व हैं। इस बार दोनों स्कीम्स में उनका बजट बिल्कुल खत्म कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले और जो बजट काटा गया है, उसे उन्हें दिया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदया, आप हमेशा आसन पर बैठा कीजिए तो हम लोगों को अच्छे से बोलने का चान्स मिलेगा। आज मैं जिस विषय को रख रहा हूँ, वह बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के लिए है। इससे अफसोस जरूर होता है कि पिछले एक दशक में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर चले गए, लेकिन बिहार की स्थिति आज बहुत अच्छी है।

23 अप्रैल को बिहार में एक बड़ा समारोह किया जाता है। वीर कुँआर सिंह, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते अपनी जान गंवाई, लेकिन अंग्रेजों को भगाया, उनकी स्मृति में बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस बार बिहार के नागरिकों के लिए इतिहास में और आजादी के बाद पहली बार, मैं देश के प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए पहली बार बाबू कुँआर सिंह की शौर्य दिवस की जयन्ती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर सूर्य किरण, जो भारतीय वायु सेना की एक बड़ी एयरोबैटिक टीम है, उसका एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के 14 करोड़ लोगों की वीर गाथा, वीर कुँआर सिंह के शौर्य दिवस

पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा। इसके साथ-साथ, वहां आकाश गंगा का प्रदर्शन होगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को और देश की सरकार को इस बड़े आयोजन के लिए बधाई दूंगा कि बिहार को इस भव्यता के साथ हम सजा सकेंगे और बिहार के गौरव और शहीद कुँअर सिंह की याददाश्त को हम फिर से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता तक इसे पहुंचाना चाहता हूँ।

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : सभापति महोदया, मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से सरकार को डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी दूरदर्शी पहलुओं के लिए बधाई देना चाहती हूँ। इन योजनाओं ने हमारे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है, स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा दिया है और युवाओं को तकनीकी नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं बुंदेलखंड के सागर सम्भाग के मुख्यालय से आती हूँ। यहां शिक्षा, नवाचार और व्यापार की दृष्टि से अपार सम्भावनाएं हैं। यहां की युवा पीढ़ी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। यदि सागर में एक आईटी स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सेंटर और बीपीओ हब स्थापित किया जाए तो स्थानीय युवाओं को विशेष रूप से रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, घर में काम करने वाली महिलाओं की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे महिलाएं भी अपने कैरियर एवं परिवार दोनों को संतुलित कर सकेंगी और सागर डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केन्द्र बन जाएगा।

महोदया, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। मेरा विश्वास है कि यदि सागर जैसे उभरते शहरों को भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाया जाए, तो यह केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छोटे शहरों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि सागर में आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। यह पहल महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खुलेगी, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।

***DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. In my Cuddalore parliamentary constituency, there is a big shipping harbour. This Shipping harbour, which was successfully operational till some time ago, has now been closed. The workers dependent on this harbour were very much affected due to its closure. Under the Sagarmala Programme, this Cuddalore shipping harbour should be opened once again in the interests of workers of this area. There was a facility for anchoring at least two Ships in this harbour. Due to insufficiency in its operations, this harbour has been closed. I urge that the activities of Cuddalore harbour should be expanded further. Through this, there will an opportunity for setting up of Industries in and around this harbour besides providing livelihood for thousands of workers of this area. This will also generate more income to Cuddalore district as well. I therefore urge upon the Union Government to revive and expand the Cuddalore shipping harbour with adequate allocation of funds. Thank you.

(1645/NK/SNT)

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर के महापुरुष पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को ओर दिलाना चाहता हूं, जो हमारे आदर्श भी हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू-कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अभी कामयाबी भी मिली है। वह हमारे आदर्श हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के पैतृक गांव समैलपुर, सांबा में उनके नाम से एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए और बच्चों व नौजवानों को वहां पर खेल प्रतियोगिता करने का भी मौका मिले। धन्यवाद।

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता हुआ अत्याचार चिंता का विषय है। आज राजस्थान में कोई भी महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है, खेत में सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, गांव में सुरक्षित नहीं है। महिलाओं से छेड़खानी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं और गैंगरेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं।

मेरी सरकार से एक मांग है। भारत सरकार में एक विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग जिसके पास फंड होता है। मेरी मांग है कि उस विभाग को यह फंड दिया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। जो पीड़ित महिलाएं हैं, वे ज्यादातर गरीब तबके की महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकार को आदेश दे कि इसके लिए पुख्ता व्यवस्था करे। धन्यवाद।

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन जिले सीधी, सिंगरौली और शहडोल का ब्यौहारी है। वहां विश्वविद्यालय नहीं है और वहां के छात्र-छात्राओं को लगभग डेढ़-दो सौ किलोमीटर चलकर विश्वविद्यालय के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। विशेष तौर से छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें वहां जाने के बाद अगर रुकना पड़ गया तो उनका बहुत ज्यादा खर्च भी होता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सीधी, सिंगरौली मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इससे हमारे छात्रों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र कोकराझार जो असम में है, यह बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में आता है। कोकराझार में वर्ष 1986 में एक रिले टीवी सेंटर स्थापित किया गया था, लेकिन 31 मार्च, 2022 को इस रेडियो सेंटर को बंद कर दिया गया है।

मेरा इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्टर से आग्रह है कि इस सेंटर को फिर से स्थापित किया जाए। यही मेरी मांग है। धन्यवाद।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पालघर और सफाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग करता हूं। वर्ष 2018 के बाद मेरी कंस्टीट्यूएंसी पालघर में किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने भी पश्चिम रेलवे बोर्ड को भेजे गए पत्र में पालघर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवहार्यता को स्वीकार किया है। जो चार ट्रेनें हैं, उनमें कच्छ एक्सप्रेस, दादर-बीकानेर एक्सप्रेस, बांद्रा-सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस, बांद्रा-गाजीपुर एक्सप्रेस का ठहराव नहीं मिला है।

(1650/MK/AK)

दूसरा, जो लोकशक्ति एक्सप्रेस का ठहराव कोरोना में बंद कर दिया गया था, उसको सफाया स्टेशन पर फिर से शुरू किया जाए। एलसी-42 को सफाया में बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सौ गाँवों को परेशानी हो रही है। इसलिए, उसको तुरंत शुरू किया जाए और उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (काजीरंगा) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है और हेरिटेज पार्क है, वहाँ पर पर-ईयर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं। उन फॉरेन टूरिस्ट्स को मनी एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि काजीरंगा में एक फॉरेन मनी एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया जाए और फॉरेन टूरिस्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए व्यवस्था किया जाए।

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं सदन के माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र अमरोहा की एक अति आवश्यक समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह समस्या अमरोहा-तेलचा बॉर्डर रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है।

महोदया, इस रेलवे ब्रिज का वर्ष 2017-18 में सर्वे हुआ था। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस परियोजना को प्राथमिकता दी जाए और इसके निर्माण कार्य को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए।

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Eswarasamy K.	Shri Arun Nehru Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian
Shrimati Dimple Yadav	Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Shri D. M. Kathir Anand Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian Shri Jagdambika Pal Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Amrinder Singh Raja Warring	Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian Shri Arun Nehru Dr. Prashant Yadaorao Padole Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar
Shri Awadhesh Prasad	Shri Jagdambika Pal
Dr. Nishikant Dubey	Shri Jagdambika Pal
Shri Sukanta Kumar Panigrahi	Shri Jagdambika Pal

Shri Rajkumar Chahar	Shri Jagdambika Pal
Shri Karan Bhushan Singh	Shri Jagdambika Pal
Shri Kuldeep Indora	Shri Ummeda Ram Beniwal
Shri Anil Yeshwant Desai	Shri Arvind Ganpat Sawant
Adv. Chandra Shekhar	Shri Rajesh Ranjan
Shri Rahul Gandhi	Dr. Prashant Yadaorao Padole Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Karti P. Chidambaram	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Arvind Ganpat Sawant	Dr. Prashant Yadaorao Padole Adv. Gowaal Kagada Padavi Shri Anil Yeshwant Desai Shri Bajrang Manohar Sonwane Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil Shri Rajabhau Parag Prakash Waje Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare
Shri Yaduveer Wadiyar	Shri Tejasvi Surya
Dr. Namdeo Kirsan	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane Shri Omprakash Bhupalsinh <i>Alias</i> Pavan Rajenimbalkar
Shri Shyamkumar Daulat Barve	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane
Shri Ravindra Dattaram Waikar	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri K. C. Venugopal	Shri Kodikunnil Suresh
Shri Gaurav Gogoi	Shrimati Supriya Sule Shrimati Dimple Yadav
Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	Shri Rajabhau Parag Prakash Waje Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane
Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil	Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane
Shrimati Pratibha Suresh Dhanorkar	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane

नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए

1652 बजे

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Need to develop wetland recognized cities in the line of Indore and Udaipur to promote sustainable development of cities in the country

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKANT DALAL (SURAT): Indore in Madhya Pradesh and Udaipur in Rajasthan have been included in the list of 31 wetland (moisture or marshy land area) recognized cities of the world. This is an extraordinary feat for both the states as well as the country. This recognition to both the cities reflects India's strong commitment towards sustainable development and nurturing harmony between nature and urban development. This achievement will inspire every citizen of the country to work towards creating greener, cleaner and more eco-friendly urban spaces. Prime Minister has congratulated both the cities on their inclusion in this list. There is tremendous potential in India to develop more such cities in line with Indore & Udaipur. Surat could be one of them. The Government should think of it earliest. Such actions would promote sustainable development of cities in India.

(ends)

Re: Need to construct Ajmer-Kota railway line

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर-कोटा रेल मार्ग की ओर आकृष्ट चाहता हूँ, ज्ञात हो कि वर्ष 2013-2014 में अजमेर रेलवे मंडल द्वारा अजमेर कोटा रूट की सर्वे रिपोर्ट, रेलवे बोर्ड के माध्यम से रेल मंत्रालय में जमा कराई गई थी और इस अजमेर कोटा रेलमार्ग को रेलवे मंत्रालय की पिक बुक में भी शामिल किया गया था, यह मार्ग सामरिक दृष्टि से भी कोटा को जोधपुर सेना के बेस कैंप तक जोड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत नसीराबाद से जलींध्री (मांडलगढ़) वाया केकड़ी-देवली- शक्करगढ़ नई रेल लाइन द्वारा अजमेर से कोटा को रेलमार्ग से जोड़ना प्रस्तावित था। अतः मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि रेल मन्त्रालय द्वारा “अजमेर कोटा रेलवे लाइन” का विकास करके प्रदेश के कई शहरों को आपस में जोड़ने का अति महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करें।

(इति)

**Re: Need to improve passenger facilities at Gholvad Railway Station,
Palghar district, Maharashtra**

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : घोलवड रेलवे स्टेशन, पालघर जिला (महाराष्ट्र) का उपयोग बड़ी संख्या में दैनिक यात्री, विद्यार्थी और कामकाजी लोग करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म संख्या 1 का उपयोग नहीं होता है। जिससे यात्रियों को असुविधा और असुरक्षित आवागमन का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों के लिए यह और भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर और फुटओवर ब्रिज की भी जरूरत है। हाल ही में कई लोकल ट्रेनों को एक्सप्रेस श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। इससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के दैनिक यात्रियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। घोलवड रेलवे स्टेशन से रिटर्न टिकट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को दहानू रोड स्टेशन से टिकट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे उन्हें अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि घोलवड रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 का शीघ्र उपयोग किया जाए तथा एस्केलेटर और फुटओवर ब्रिज की व्यवस्था की जाए। लोकल ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदले जाने की नीति पर पुनर्विचार किया जाए और स्थानीय यात्रियों को विशेष रियायत दी जाए। घोलवड रेलवे स्टेशन पर रिटर्न टिकट जारी करने की सुविधा बहाल की जाए।

(इति)

**Re: Need to expedite laying of CNG pipeline work and supply of CNG to
petrol pumps in Udupi district in Karnataka**

SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR): I urge the Minister of Petroleum and Natural Gas to address the severe Compressed Natural Gas (CNG) shortage in Udupi district, Karnataka, which is causing immense hardship for auto rickshaw drivers and owners. The CNG pumps in the area have kilometre-long queues, forcing people to wait for hours. Despite my repeated efforts to bring this issue to the attention of the Minister of Petroleum and Natural Gas, the problem persists. Therefore, I request the Union Minister of Petroleum and Natural Gas to complete the pending pipeline work and provide CNG to all petrol pumps in Udupi district, thereby resolving the CNG crisis in the area.

(ends)

Re: Need to launch a time-bound National Non-communicable Disease Control Mission and regulation of Branched-Chain Amino-Acids (BCAA) supplements

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): I rise to raise issue of urgent need for a National NCD (Non-Communicable Disease) Control Mission and Regulation of BCAA (Branched-Chain Amino Acids) Supplements. According to the WHO, approximately 5.8 million people in India constituting about 63% of all deaths-die each year due to non-communicable diseases (NCDs) like heart ailments, cancer, diabetes, and lung diseases. The situation not only adds strain to our health system but may also weaken our biggest advantage-the demographic dividend-if our youth succumb to chronic illnesses. As per ICMR report, indiscriminate use of protein supplements containing BCAA (Branched-Chain Amino Acids) and steroids often consumed without medical advice can greatly increase the risk of diabetes, liver damage, and heart disease among the youth. Lured by gyms and social media influences, young people are using these substances, potentially triggering a public health crisis in the future. Hence, I urge the Government to launch a time-bound National NCD Control Mission similar to TB and polio programs, instituting real-time data dashboards at the district level, providing mobile screening vans, and making wellness programs mandatory in schools and workplaces. I also suggest that the Government establish a robust regulatory framework to strictly monitor the sale, advertising, and content related to such supplements and integrate this into the national strategy for NCD prevention which will ensure that our youth receive accurate information and remain safeguarded from these health risks.

(ends)

Re: Need for a multipurpose major irrigation project including construction of dam at Gambhira Darha in Boudh district, Odisha

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): I want to request the Government to consider the proposal for Multipurpose Major Irrigation (MIP) and construct a dam at Gambhira Darha near Gurjimunda, Boudh district, Odisha.

(ends)

**Re: Need to create ecological parks in all the districts including
Kalahandi and Naupada districts of Odisha**

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to request our honourable Minister of Environment, Forest and Climate Change to please consider making and introducing ecological parks in all districts of Odisha covering 10-20 acres of land. This park will not only improve the environment and be a place for people to admire and appreciate beauty of nature but will also help climate change and help us to live a healthier life. A lot of Government lands are turning into big dump and garbage yards which is very sad for our children but this will also teach children from young age how important our environment is for our future generations to have a good and healthy life. They will also help in learning to preserve our Mother Nature and importance of planting trees. Please make two at least to start with in my aspirational district of Kalahandi and Nuapada in my Kalahandi constituency.

(ends)

Re: Railway related issues of Jalore and Sirohi districts, Rajasthan

श्री लुम्बा राम (जालौर) : सिरौही जिला केन्द्र आजादी के 76 वर्षों के बाद भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। सिरौही की जनता को ट्रेन पकड़ने के लिए 30 कि०मी० दूर पिण्डवाडा रेलवे स्टेशन अथवा राजधानी और सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ने के आबूरोड 75 कि० मी० दूर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बागरा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 60 कि० मी० है। सिरौही जिला केन्द्र को मारवाड बागरा और स्वरूपगंज के मार्ग से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए जिससे जालोर सिरौही के प्रमुख रिको औद्योगिक क्षेत्र मंडार रेवदर स्वरूपगंज के साथ साथ सिरौही जिला केन्द्र , यह रूट इन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा। सिरौही में रेलवे स्टेशन होने से पर्यटन एवं औद्योगिकरण क्षेत्र में रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। सिरौही जिला केन्द्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए पुनः सर्वे कर डी०पी०आर० बनवाने की आवश्यकता है। जालोर-सिरौही के लाखों लोग चेन्नई शहर में रहते हैं। इन प्रवासियों के लिए सीधी रेल सेवा नहीं होने से अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे आग्रह है कि चेन्नई से बाडमेर वाया जालोर नई रेल शुरू करने की आवश्यकता है। गांधीधाम जोधपुर एक्सप्रेस 22483/22484 का रानीवाडा में ठहराव दिया जाए।

(इति)

Re: Need to implement land consolidation (Chakbandi) of agricultural landholdings in hill districts of Uttarakhand

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (हरिद्वार) मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि की चकबंदी की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में इन क्षेत्रों में खेतीहारी भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, जिससे किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते और उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए कृषि लोन लेना और चुकाना कठिन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे आजीविका की तलाश में पलायन करने को मजबूर होते हैं। उत्तराखंड का यह सीमावर्ती क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यहां से निरंतर पलायन होता रहा, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाई स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए, पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि की चकबंदी को प्राथमिकता देते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस दिशा में ठोस नीतियां बनाई जाएं और एक विशेष योजना के तहत चकबंदी की प्रक्रिया को अमल में लाया जाए, ताकि किसान अपनी जमीन का समुचित उपयोग कर सकें, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इससे न केवल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पलायन की समस्या भी रुकेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

(इति)

Re: Need for recruitment of staff in Education and Health Departments in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : मेरे संसदीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली में पिछले कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तकनीकी पदों के साथ ही शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक), व्याख्याताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों लिए भर्तियां नहीं की गई हैं। शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के पर्याप्त संख्या में न होने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी से क्षेत्र के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि नियमित भर्तियां नहीं होती हैं, तो विभागों को कामकाज चलाने के लिए अस्थायी कर्मचारियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है, इसलिए सम्बंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में नियमित भर्तियां की जाये जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकेगा।

(इति)

Re: Need for road connectivity to all the unconnected habitations under PMGSY in Mahabubnagar Parliamentary Constituency

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding the dire need to lay roads connecting from unconnected Habitations to Gram Panchayats under PMGSY in identified areas in all 7 Assembly Constituencies which falls in my Mahabubnagar Parliamentary Constituency in Telangana State. I would like to state that totally, there are 5 districts consisting of Mahabubnagar, KV Ranga Reddy, Narayanpet, Wanaparthy, Vikarabad, and 7 Assembly Constituencies Kodangal (CMs Constituency), Jadcherla, Devarakadra, Shadnagar, Maktal, Narayanpet, Mahabubnagar having in my Mahabubnagar Parliamentary Constituency in Telangana State. As we all are aware, Rural Road Connectivity is not only a key component of Rural Development by promoting access to economic and social services and thereby generating increased agricultural incomes and productive employment opportunities in India and as a result, it is a key ingredient in ensuring sustainable poverty reduction of the people living in habitations and to develop such habitations so that the fruits of various products will reach from habitations to Gram Panchayats to Mandal Headquarters to District Headquarters to provide proper connectivity. Notwithstanding the efforts made, over the years, at the State and Central levels, through different Programmes including PMGSY which is 100% Centrally Sponsored Scheme, many Habitations in my Constituency is still not connected by All-weather roads to the eligible unconnected Habitations in the rural areas with a population of 500 persons and above in Plain areas and also to achieve the goal of 'Viksit Bharat 2047'. Whenever I tour in my Constituency, the local people in such habitations remind me to take up this issue at the Ministry level on priority basis. Hence, I request the Hon'ble Minister of Rural Development to kindly intervene in the matter and take steps to lay roads connecting from unconnected Habitations to Gram Panchayats under PMGSY or under any other scheme in identified areas in all 7 Assembly Constituencies which falls in my Mahabubnagar Parliamentary Constituency in Telangana State.

(ends)

Re: Need to build a Memorial in honour of Maharana Pratap, the valiant Rajput ruler at Bandoli village in Chawand, Rajasthan

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप हिन्दुआ सूरज भारतीय इतिहास के एक महान नायक हैं, जिन्होंने सामाजिक समरसता के साथ-साथ विदेशी आक्रांताओं से आजीवन संघर्ष किया। अपने जीवन में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा और अनवरत संघर्ष करते हुए मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। यह एक बड़ी जीत थी, जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा, आन-बान और शान के मूल्यों को जीवित किया, जो इस कालखंड में भी भारत की अस्मिता के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अपने जीवनकाल में उन्होंने जनजाति बहुल क्षेत्र चावण्ड में राजधानी बनाई और शासन में परम वैभव के प्रयास किए। उन्होंने अपना अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत किया और देहवासन हुआ। राजस्व ग्राम बण्डोली में महाराणा प्रताप का समाधि स्थल स्थित है। वे एक महान नायक हैं, जिनके जीवन मूल्य पूरे विश्व में सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुयायियों के लिए अनुकरणीय हैं। सर्व समाज की इच्छा है कि उनके समाधि स्थल पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। इस हेतु भारत सरकार से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत क्षेत्र में "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" की तर्ज पर "स्टैच्यू ऑफ स्वाधीनता" बनाने एवं क्षेत्र में पर्यटन दृष्टिकोण से अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास करने का अनुरोध है।

(इति)

Re: Need to set up a monitoring system to oversee the utilization of funds allocated under MGNREGS in Odisha

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : ओडिशा की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मनरेगा योजना के तहत आवंटित धन को निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य मदों में अनुचित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि श्रमिकों की जगह मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस अनियमितता के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिला, जिससे उन्हें अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे न केवल ओडिशा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि हजारों गरीब श्रमिकों के जीवन-यापन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पूरे मामले की गहन जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की जाए और मनरेगा फंड के उचित उपयोग की निगरानी के लिए एक स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके और जरूरतमंद श्रमिकों को उनके अधिकारों के अनुरूप रोजगार मिल सके।

(इति)

**Re: Need to extend benefits of Government schemes
to families of freedom fighters**

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : मैं स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे हमारे गौरव हैं। उनका योगदान अमूल्य है। मैं अनुरोध करूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, पेंशन, आवास और अन्य सुविधाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। वे इसके हकदार भी हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में आवश्यक प्रयास करेगी। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनकी पहचान की जानी चाहिए।

(इति)

Re: Need to impose ban on single use plastic in stringent manner

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं इस सदन का ध्यान सिंगल-यूज प्लास्टिक से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह प्लास्टिक कचरे के पहाड़, जल स्रोतों के प्रदूषित और जैवविविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके सूक्ष्म कण—माइक्रोप्लास्टिक—मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक साबित हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए हैं, लेकिन इसे पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमें पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना होगा और पुनः उपयोग योग्य उत्पादों को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए नीति बनानी होगी। इस संदर्भ में, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ: क्या सरकार सिंगल-यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने जा रही है? क्या सरकार शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष फंड स्थापित करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार अन्य प्लास्टिक उत्पादों को पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने की नीति बना रही है? सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। मैं सरकार से सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूँ।

(इति)

**Re: Construction of Railway overbridge in Churu
district headquarters in Rajasthan**

श्री राहुल कस्वां (चूरु) : चूरु जिला मुख्यालय के अग्रसेन फाटक पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे के साथ हिस्सेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। दिनांक 25/08/2023 को इस पुल की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी, NIT के अनुसार यह पुल पूरा 4 लेन का बनाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन इस पुल का कुछ हिस्सा बिना स्वीकृति के 4 लेन से 2 लेन कर दिया गया है। जिसके कारण आने वाले समय में चूरु के आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस पुल के रतननगर की ओर उतरने पर लगभग 50 मीटर के बाद ही दूसरा रेल ओवर ब्रिज शुरू हो जाता है, जो कि IIT के रिपोर्ट के अनुसार डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पंखा रोड से आने वाले ट्रैफिक को इस पुल पर आने के लिए 3.75 मीटर की सर्विस लेन दी गई है। जिसके कारण सरदारशहर, रतनगढ़, भालेरी, तारानगर व चूरु शहर के पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में काफी दिक्कत होगी आने वाले समय में बढ़ते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए इस पुल को पुराने डिजाइन के अनुसार पूरा बनाया जाना आवश्यक है। (इति)

**Re: Need for a special scheme to address the problems being faced by
fishermen in Kanyakumari, Tamil Nadu**

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I rise to address an issue of utmost importance – the enhancement of the livelihoods of our fishermen, including those from the coastal region of Kanyakumari. Fishermen play a vital role in our economy and society, often facing numerous challenges in their daily lives. Despite their contributions, many continue to struggle with limited access to modern technology, healthcare, and fair wages. To uplift this community, I propose the creation of a special scheme that allocates Rs. 2000 crore to address the daily needs of our fishermen. This initiative will provide financial support for their livelihoods, ensuring better access to fishing equipment, sustainable practices, and skill development. It will also focus on improving their access to healthcare, education, and social security, ensuring that no fisherman is left behind. This will especially benefit the fishermen of Kanyakumari, a region known for its rich marine biodiversity but also its vulnerability to climate change and economic hardship. By strengthening their financial resilience, we can empower them to lead dignified lives and contribute to the growth of our nation. Let us work together to secure a brighter future for our fishermen and ensure their vital contribution to our economy and society is recognized and valued. (ends)

Re: Need to revise the income limit of Rs. 8 Lakh to determine the creamy layer within the OBC Category

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I rise today to highlight a crucial issue—the creamy layer within the Other Backward Classes (OBC) category and the need for its review in 2025. The creamy layer concept, introduced to ensure only economically disadvantaged members of the OBC community benefit from affirmative action, was last reviewed in 2018. At that time, the income limit for identifying the creamy layer was set at Rs. 8 lakh per annum. As we approach 2025, it is necessary to re-examine this threshold. The current income limit may no longer accurately reflect the economic challenges faced by the truly marginalized in the OBC community. With rising inflation, changing socio-economic conditions, and regional disparities, the current criteria need an urgent review to ensure fairness and effectiveness. We, as a nation, must adopt a more comprehensive and updated approach, which focuses not only on income but also on broader socio-economic factors. It is critical that affirmative action reaches the right people—the ones who need it most. This is not just about policy revision but about upholding justice and ensuring equality for all.

(ends)

Re: Unregistered finance companies

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में ऐसी कितनी माइक्रोफाइनेंस कंपनी चल रही हैं जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रही? देश में कितनी अन-रजिस्टर्ड छोटी-छोटी कंपनियां हैं जो देश के भोले-भाले नागरिकों से झूठे वादे देकर फिक्स्ड डिपॉजिट कराती हैं? उन कंपनियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुयी है। क्या माननीय वित्त मंत्री जी सदन को इससे अवगत कराएंगी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सहारा फाइनेंस कंपनी में जमा सावधि रकम की वापसी की सरकार की कोई ठोस योजना है? यदि है, तो कृपया उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के पीड़ित निवेशको ने जो रकम जमा किए है उनमे जिनको भुगतान किया जा चुका है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं और जिन पीड़ितों को अभीतक उनकी रकम वापस नहीं मिली है उनका भुगतान कब तक होगा इससे भी अवगत कराया जाए।

(इति)

Re: The difficulties faced by the people to record their thumb impression on biometric identification machine to avail the benefits of subsidized foodgrains under National Food Security Act

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो राशन (गेहूं/चावल) मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से संचालित हो रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पात्र लोगों को उनका हक मिल सके। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि थंब इंप्रेशन मिलान में असफलता के कारण बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग के लाभार्थी राशन से वंचित हो रहे हैं। बायोमेट्रिक पहचान में बार-बार विफलता से इन वर्गों के लोग अपना हक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बचा हुआ राशन कोटेदार द्वारा अपनी मर्जी से वितरित कर दिया जाता है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है। अतः सरकार से यह जानना आवश्यक है: 1. थंब इंप्रेशन में विफल होने वाले लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? 2. क्या सरकार ऑफलाइन मोड या आधार प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित कर रही है? 3. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक कार्ययोजना क्या है?

(इति)

Re: Need to address the demands of residents living in the vicinity of the Kalpakkam Nuclear Power Plant in Kancheepuram Parliamentary Constituency

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): I wish to draw attention to fulfill the demands of locals living in the vicinity of Kalpakkam Nuclear Power Plant. Kalpakkam Nuclear power plant under the control of Department of Atomic Energy (DAE) is located in my Kancheepuram Parliamentary Constituency. The Department has acquired the requisite land for this nuclear power plant from the local people to make India proud. But, no assistance is being provided to the local people who are losing their livelihood and living with the danger of radiation. The setting up of NILA (Nuclear Installation Local Authority) committee impose many restrictions to completely crush the livelihood of the local people. I request the DAE to take the actions immediately for the benefit of the local people and to my constituency; the definition of Zone 1, Zone 2 should be deleted; restrictions placed on getting clearance certificate for lands issued by NILA Board/Committee should be removed. NILA committee must meet every 2 months; the CSR funds of Nuclear Plant should be increased and the funds should be used/given to the people of Kalpakkam and its surroundings, instead of being given to other states. Further, the present 15 km surroundings of nuclear power plant should be increased to 20 km for the use of CSR funds; the employment should

be given priority to locals; competitive exams should be held in Tamil Nadu instead of Mumbai as the holding of competitive exams in Mumbai makes very difficult for the local people to participate in the competitive exams thus depriving of their opportunity; the Union Government should ensure that the needs of employees engaged in radiation work are fulfilled in a quality manner and without delay and should be given due recognition and encouraged; vacancies should be filled immediately and local people should be given priority in jobs and selection should be done through direct appointment without SSC examination. Further, Kendriya Vidyalaya and DAE schools should provide opportunities to all locals with transparency.

(ends)

**Re: Establishment of Krishi Vigyan Kendra in
Thanjavur Parliamentary Constituency**

SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): Rice is the primary crop cultivated in Thanjavur Delta region, often called as the Granary of Tamil Nadu. I urge that an Agricultural Science Centre (Krishi Vigyan Kendra) should be set up in Thanjavur benefitting the farmers of this area. This will be helpful in the effective implementation of the newly started National Mission for Agriculture. I therefore urge upon the Union Government to open an Agricultural Science Centre (Krishi Vigyan Kendra) in Thanjavur Parliamentary Constituency for the benefit of farmers.

(ends)

**Re: Need to expedite development of City
Gas Distribution network in Bihar**

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : Compressed Natural Gas (CNG) स्टेशनों की स्थापना करना, Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन प्रदान करना, सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास का भाग है। यह काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। PNGRB ने बिहार में गोपालगंज, सीवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए मई 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। BPCL को इन पांच जिलों में 67 CNG स्टेशनों और 10,10,999 PNG कनेक्शनों को पूरा करना है। 31 जनवरी 2025 तक BPCL ने मात्र 26 CNG स्टेशन और 14,675 PNG कनेक्शन प्रदान किए हैं। PNGRB इन सभी कामों की प्रगति को मॉनिटर करता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री जी से अग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज एवं शेष चार जिलों में PNG कनेक्शनों और CNG स्टेशनों का काम यथाशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाएं।

(इति)

Re: Need for a study by National Centre for Coastal Research to find solution to sea erosion along Chinna Gollapalem village in Andhra Pradesh

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Uppada Beach near Kakinada is rapidly eroding due to Hope Island's growth, displacing residents in Nemam, Ameenabad, Komaragiri, Subbampeta, and Uppada. The coastline has been receding 1.23 meters annually since 1989, with 26.3 meters lost in 2017-18, despite a ₹12.16 crore Geotube built in 2010. The National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai, proposed a ₹323 crore Sea Wall using Tetrapods, and the State Disaster Management Authority (SDMA) submitted the Detailed Project Report (DPR) to the National Disaster Management Authority (NDMA) for approval. The project is under review by the Technical Advisory Committee (TAC) for necessary action. Similarly, for Chinna Gollapalem (Krishna District) fishermen are losing their land to sea, 1000 acres of land has been lost in last 30 years, in this regard, I request the Central Government to instruct the National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai, to carry a study at Chinna Gollapalem as well and submit a detailed report on possible solutions here as well.

(ends)

Re: Need to provide adequate funds under Samagra Shiksha Abhiyan in Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 1200 करोड़ रुपये की कटौती करने से शैक्षणिक कार्यों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि इस कटौती से न तो कोई साइंस लैब खुलेगी, न ही लाइब्रेरी खुलेगी साथ ही छात्राओं के लिए नई सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और खिलाड़ियों के लिए नए उपकरण भी खरीदे नहीं जा सकेंगे जिससे राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी क्योंकि नए स्कूलों को खोलने व अपग्रेड करने, स्कूलों की मजबूती और सुदृढीकरण, फ्री युनिफॉर्म, फ्री किताबें, कम्युनिटी मोबाइल, स्कूल ग्रांट, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल जैसे मद में से भी बजट कटौती करना केंद्र की सरकारी स्कूलों के प्रति उदासीन रवैये को दर्शाता है, विगत वर्ष जहाँ यह बजट 7400 करोड़ रुपये था वहीं केंद्र द्वारा बजट की कटौती के बाद राजस्थान सरकार ने 4800 करोड़ का ही प्रोजेक्ट बना पाई है, एक तरफ जहाँ राजस्थान सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट की भारी कटौती की है, मेरी मांग है की यह कटौती नहीं की जाये।

(इति)

तटीय पोत परिवहन विधेयक पर चर्चा – जारी

1652 बजे

माननीय सभापति: आइटम नम्बर- 10, तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024.

माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, मेरा इस बिल पर आग्रह था। हम इस बिल पर नहीं बोल पाए थे।

माननीय सभापति: ठीक है, आप बोल लीजिए।

1652 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, हम इसमें एक निवेदन करना चाहते हैं। एक राजस्थान का इश्यू है। यह राजस्थान के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र का मुद्दा है। इसमें आपकी सरकार ने कहा था कि गुजरात के मुंद्रा में अडानी की ओर से निजी बंदरगाह बनाया गया है। वहां समुद्र से एक नहर बाड़मेर से बखासर तक लाई जाए। पूर्व में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता है, ताकि समुद्र के पानी में जहाज आसानी से चलाया जा सके। इससे हम राजस्थान के बाड़मेर बंदरगाह को विकसित कर सकते हैं। पूर्व में प्रस्ताव सरकार के पास आए हुए हैं।

माननीय मंत्री जी आप इस पर ध्यान दें, ताकि राजस्थान के विकास को गति मिले। वहां पेट्रोल बड़ी तादाद में निकलता है।

(इति)

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, अब आप समाप्त कीजिए।

माननीय मंत्री जी।

1653 बजे

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): माननीय सभापति महोदया, इस सदन में पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय की एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए मैं सभी सम्माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं। खासकर, पिछले दो दिनों से इस बिल पर जो भी चर्चा हुई है, उस चर्चा में हमारे परम आदरणीय सांसदगण ने बड़ी निष्ठापूर्वक भाग लिया और उस पर अपनी सोच तथा अपने विचार रखे। मैं उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय सांसद श्री बी. मणिकम टैगोर जी, श्री अरुण गोविल जी, श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री डी. एम. कथीर आनंद जी, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी, डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, श्री अनिल यशवंत देसाई जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर जी, कुमारी सुधा आर. जी, श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल जी, श्री मड्डीला गुरुमूर्ति जी,

(1655/SJN/UB)

श्री सुधाकर सिंह जी, श्री तंगेला उदय श्रीनिवास जी, श्री राजा राम सिंह जी, श्री नवासखनी के. जी, श्री आनंद भदौरिया जी, डॉ. रानी श्रीकुमार जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, डॉ. डी. रवि कुमार जी, श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस जी, एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज जी और श्री हनुमान बेनीवाल जी, मैं आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

आप सबको मालूम है कि हमारे देश के आदर्शवादी नेता तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का विकास तेज गति से हो रहा है। देशवासियों ने गंभीरतापूर्वक यह उपलब्धि महसूस की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी नीतियों के जरिए, आज देश को एक नई शक्ति मिली है। देश की सारी जनता को साथ लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्त के लिए भारत सरकार का हरेक मंत्रालय लगा हुआ है।

अलग-अलग मंत्रालयों के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो भी सफलता प्राप्त की है, मैं उसका एक छोटा-सा नमूना पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि यह देश के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि “Without transportation, there cannot be transformation”. आप सबको मालूम है कि यह मंत्रालय देश का सबसे लार्जस्ट ट्रांसपोर्टर है। एग्जिम कार्गो, कोस्टल कार्गो और इनलैंड वॉटर वेज कार्गो, यह मंत्रालय कुल मिलाकर 95 प्रतिशत एग्जिम कार्गो बाई वैल्यूम और 75 प्रतिशत बाई वैल्यू को हैंडल करता है। देश की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए यह मंत्रालय प्रमुख भूमिका निभाता है।

इन्हीं बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से इस मंत्रालय को मान्यता दी है और सहयोग दिया है, उसकी वजह से आज यह मंत्रालय जाग उठा है। पिछले 10 सालों में हमने क्या-क्या सफलता हासिल की है, मैं उसका एक छोटा-सा नमूना पेश करना चाहता हूँ। कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में हमारी ग्रोथ 103 प्रतिशत हुई है। वर्ष 2014 में 800 मिलियन मीट्रिक टन से लेकर आज हमारी क्षमता 1,630 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। यह आंकड़ा हमारा नहीं है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट यह कहती है। हमेशा ग्लोबल रैंकिंग वही तय करती है। The average turnaround time has improved to 0.9 days in 2024; better than the ports in the United States, Germany and Singapore, standing at 1.5 days, 10 days, and one day, respectively. टर्न अराउंड टाइम के सिलसिले में हम लोगों ने विकसित देशों से भी बेहतर परफॉर्म करने में सफलता प्राप्त की है।

इसके साथ ही साथ container dwell time has reduced to three days outperforming several advanced countries. पोर्ट रैंकिंग और परफॉर्मेंस में हम कहां हैं? वर्ष 2014 में हमारे पोर्ट की पोजिशन 54 थी। आज जो विकास हुआ है, आधुनिक नीति और कार्यक्रम सफल रूप से लागू होने की वजह से आज हमारी रैंकिंग 54 से 38 हो गई है।

(1700/SPS/GM)

इंटरनेशनल शिपमेंट्स कैटेगरी में इंडिया की पोजिशन वर्ष 2014 में 44 पर थी, लेकिन आज हमने 22वें नंबर पर आने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के 9 पोर्ट्स ने टॉप 100 पोर्ट्स के बीच में पोजिशन लेने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से विशाखापट्टनम भारत सरकार का पोर्ट है, उसने 19वें नंबर पर अपनी पोजिशन निश्चित की है। शिपिंग सेक्टर अचीवमेंट में हमारे सी फेयरर्स अपॉइंटमेंट के सिलसिले में वर्ष 2014 में it was limited to 1,17,000 only, लेकिन अब 2 लाख 85 हजार तक इसकी बढ़ोत्तरी हुई है, यानी कि इसमें 143 परसेंट की ग्रोथ हुई है। क्रूज पैसेंजर्स पहले 85 हजार तक सीमित रहे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इनका आंकड़ा बदल चुका है, जो 85 हजार से 4 लाख 71 हजार तक पहुंच चुका है। इसमें 454 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है।

मैडम, उसी हिसाब से हमारे शिप बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वधावन पोर्ट, इन बड़े-बड़े पोर्ट्स का भी कंसट्रक्शन विभिन्न-विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ चुका है। तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट में भी हमने सफलता प्राप्त की है और हमने 6 लाख TEUs कैपेसिटी बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। इनलैंड वाटरवेज में जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, वे कांग्रेस के कार्यकाल में कुल मिलाकर वर्ष 2014 तक पांच थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस पर अध्ययन हुआ, अनुसंधान हुआ, टेक्नो इकोनॉमिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट के बाद नया कानून बना और पांच राष्ट्रीय जलमार्ग से 111 जलमार्गों की बढ़ोतरी हुई है। आज इसी जलमार्ग को आधुनिक रूप देने की वजह से, इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से वर्ष 2014 में जलमार्ग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 18 मिलियन मीट्रिक टन रही, जो अब बढ़कर 130 मिलियन मीट्रिक टन हुई है, यानी कि 639 परसेंट की ग्रोथ हुई है।

आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आधुनिक व्यवस्था इस मंत्रालय में प्रस्तुत की गई है और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन की वजह से पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट की वजह से, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजह से, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग का विशेष रूप से विकास होने की वजह से, आज हमारे मंत्रालय ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सिलसिले में सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, हम लोगों ने लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए भी कदम उठाए हैं। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के सिलसिले में हमारे मंत्रालय की तरफ से मोदी जी के नेतृत्व में हमने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट बनाया है, इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2019 बनाया है और रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 बनाया है। उसी हिसाब से इसी सेशन के दौरान मर्चेन्ट शिपिंग बिल, 2014 लाया गया, कोस्टल शिपिंग बिल, जो अब चर्चा में है, इंडियन पोर्ट बिल, कैरिएज ऑफ गुड्स बाई सी बिल, 2024 और बिल ऑफ लेडिंग 2024, इन सभी बिलों को हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के जरिए आधुनिक बनाने के लिए, बिज़नेस फ्रेंडली बनाने के लिए, विशेष रूप से अपने विकास को गति देने के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाए हैं। इसकी वजह से कैपेसिटी एनहांसमेंट हुई है।

(1705/MM/SRG)

हम ग्लोबली और भी कम्पिटिटिव बन चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतने दिनों तक कोस्टल में हमारे जहाजों की गतिविधि कम रही, क्योंकि उसको प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं नहीं थीं। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि हर कानून का अध्ययन करना चाहिए और जहां जो कमजोरी है, उसको बदलना चाहिए और आधुनिक रूप देना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी कम्पिटिटिव बने। आज कोस्टल जोन में हमारी जो भी पोर्टेंशियलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसकी जो शक्ति है, उसका सही दिशा में उपयोग करने के लिए कोस्टल शिपिंग बिल लाया गया है। इसी कोस्टल शिपिंग बिल के जरिए हम क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं, कुल मिलाकर हमारी कोस्टल लाइन 11,098 किलोमीटर है। इससे एनवायरमेंटल सस्टेनबिलिटी हो सकती है। In coastal shipping, there is approximately 15.6 grams of carbon dioxide emission, per tonne per mile. रेल में 21.2 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड प्रति टन प्रति माइल होती है और रोड में 154.1 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड प्रति टन प्रति माइल होती है। So, our coastal shipping should be environment friendly. This will not create pollution, and ultimately, it will enhance the green transport, to achieve the blue economy as per the vision of the hon. Prime Minister Narendra Modi. So, in terms of our logistic cost, this is a very cost effective transportation.

If you compare with other modes of transportation, कोस्टल शिपिंग में 20 पैसे से 30 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर पड़ता है। रेल में 1 रुपये 20 पैसे से डेढ़ रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर पड़ता है और रोड में 2 से 3 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर पड़ता है। So, it is cost effective. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लॉन्च के समय में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यही आग्रह किया था कि देश के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहिए। इसको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए। हम अपने सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फार्मर्स फ्रेंडली, ट्रेडर्स फ्रेंडली बनाएं। It becomes more financially feasible. So, in that way, I believe, the entire approach was taken up. आज हमारा फ्रेट ट्रांसपोर्ट में कितना शेयर है? रोड में लगभग 66 परसेंट फ्रेट मूवमेंट होता है। रेल से 31 परसेंट फ्रेट मूवमेंट होता है और कोस्टल शिपिंग में सिर्फ 5 परसेंट फ्रेट मूवमेंट होता है। इनलैंड वाटर में सिर्फ 2 परसेंट फ्रेट मूवमेंट होता है। एयर ट्रांसपोर्ट से एक परसेंट से भी कम फ्रेट मूवमेंट होता है। It is less than one per cent. That is why, to increase the modal share of freight transport, we have to make coastal shipping more popular, and the commercial activity on coastal shipping must be enhanced.

That is why, this particular legislation is formulated to make it more trade friendly. This is going to make our entire coastal region more viable and there will be more seamless movement for our vessel. It will help boost our economy to create employment opportunities and income generation. If you compare with

the developed countries like the European Union, coastal shipping combined with inland waterways, constitutes approximately 40 per cent of freight transport. (1710/KDS/RCP)

हमारे यहां केवल 5 परसेंट है, यानी हमारे जो सामुद्रिक मार्ग हैं, इन जलमार्गों का हमने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। सही इस्तेमाल करने के लिए वहां रेग्युलेशन लाना होगा, कानून-व्यवस्था ऐसी करनी होगी, ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एसआईजी एक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अवसर मिले।

माननीय सभापति महोदया, मैं, आज की इस चर्चा में परम् आदरणीय सांसद, जिन्होंने भाग लिया था, उनकी तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देना चाहता हूं और आज अधिकतर माननीय सांसद हाउस में नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता, अगर वे उपस्थित होते, क्योंकि इस चर्चा में उन्होंने भाग लिया था। (व्यवधान)

Since time immemorial, our nation has had a glorious maritime history. In fact, our nation's golden ages were the times when we were a maritime prowess too. Right from the world's first dock at Lothal, Gujarat, almost 5,000 years ago, throughout the glorious eras of Mauryas, Vijayanagara empire, Cholas, Cheras, Pandyas and Pallavas up to the impressive fleet of Chatrapati Shivaji Maharaj led by his Chief Commander Kanoji Angre, our nation was on the pinnacle of all maritime trades. Be it shipbuilding, seafaring expertise, ocean voyages, cargo movement to far off ports of the globe, or the use of scientific navigation systems, our nation had skill and supremacy. Such was our nation's maritime imprint upon the world, that even the English word 'navigation' found its origin in the ancient Sanskrit word '*Navgati*' meaning, 'change in course or direction'.

The Coastal Shipping Bill, 2024, which has now been taken up for consideration and passing by this august House, is another example of '*Navgati*'. But this time it signifies not change of direction but course correction, to once again take a direction towards restoring and reviving India's ancient maritime supremacy by focussing on a sector which has been ignored since long – our coastal shipping, the most potential area of our nation.

We have a long coastline of over 11,098 kilometres, and more than 2.3 million square kilometres of Exclusive Economic Zone. In spite of this massive coastal resource at our disposal, successive Governments have, since Independence, completely ignored and neglected this sector and never tried to even look at and try to revive our ancient maritime prowess by way of shoring up our hugely untapped and vast coastal shipping sector. More than 15 per cent

of our nation's population, or approximately 22 crore people may be living in about 70 coastal districts of our nation. Approximately, 42 per cent of our nation's population, or about 60 crore people may be residing in our coastal States and Union Territories today.

(1715/PS/YSH)

Yet, our modal share of coastal shipping of about six per cent is still very meagre as compared to other maritime nations. Respected Madam, the low modal share of coastal shipping has significant implications on increased congestion and pollution levels on key land-based trade routes and high logistic costs.

Maritime India Vision 2030 has estimated that we would be able to save Rs. 9,000 crore to Rs. 10,000 crore in logistic costs annually if we achieve the targeted modal share of coastal shipping. Coastal shipping is an economical as well as highly eco-friendly mode of transportation. We would also be able to meet our obligations under the international environmental treaties if there is a substantial modal shift of domestic transportation of cargo from road and rail to coastal shipping.

Respected Madam, the Coastal Shipping Bil, 2024 is a very important legislation providing for a much-needed, exclusive, strategic, and futuristic law for optimum utilisation of our nation's immense and untapped potential in coastal shipping.

Coming to the issues raised by many of the hon. Members -- Shri B. Manickam Tagore, Shri D. M. Kathir Anand, and Shrimati Supriya Sule ji, who participated in the discussion -- one common issue which came up again and again was that of fishermen. The concerns were regarding safety and security of fishermen, welfare of fishermen, and their livelihood, etc. I would like to mention that the Coastal Shipping Bill, 2024, which has been introduced to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade, etc., keeps out 'fishing' from the definition of coasting trade. This is for your clarification.

The purview of the Bill is limited to issuance of licence and regulation of foreign vessels engaged in coasting trade of India and vessels chartered by Indian entities. The question of licencing and regulation of fishing does not arise as the Bill specifically excludes the activity of fishing from its purview. This has

been done since fishing activity and related matters are already being adequately governed and safeguarded by Central as well as State legislations.

I would also like to mention that under the Sagarmala initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the coastal community is considered as one of the key stakeholders, ensuring that their socio-economic well-being is considered as one of the major objectives.

Madam, 81 coastal community development projects at a cost of Rs. 11,572 crore have been undertaken for implementation out of which many have been completed. The Ministry of Rural Development and Ministry of Ports, Shipping and Waterways are implementing convergence programme for the skill development of the coastal communities under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana Sagarmala Convergence Programme. Thousands of coastal community people have been skilled under this programme. Madam, 37 fishing harbour projects worth Rs. 6,540 crore are being implemented under the Sagarmala Programme of which many have already been completed. Additionally, five fishing harbours adjacent to major ports *namely*, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Mallet Bunder have been sanctioned for modernisation and upgradation.

Hon. MPs Shri Sudhakar Singh and Shri D. M. Kathir Anand had raised the issue of the fishermen and riverine community development initiatives along the national waterways. Let me assure this House that this Government has been giving a never-before given focus for the development of our national waterways through transformational projects like Jal Marg Vikas Project and Arth Ganga.

(1720/SMN/RAJ)

Concerns were raised by hon. MPs Ms. Supriya Sule Ji, Shri Naresh Chandra Uttam Patel Ji, Prof. Sougata Ray Ji and Shri Anil Yeshwant Desai Ji, about the centralisation of power in the hands of the DG(Shipping).

I would like to allay the apprehensions of the hon. MPs. There is no concentration of power with DG (Shipping).

DG (Shipping) is already the statutory administrator for merchant and coastal shipping in India, well within the bounds of law, and there is no overreach in its statutory powers in doing so.

No additional new powers are proposed to be given to the DG (Shipping) under this Bill.

Further, while framing the rules, checks and balances on exercise of DG (Shipping) powers under the Bill would be well ensured.

On the issue of imposition of additional conditions on vessels by DG (Shipping), as raised by hon. MP Rani Srikumar, the reasons have to be recorded in writing which will ensure that there is no discretionary use of power.

The powers of DG (Shipping) to revocation and suspension of licences are also subject to reasonable opportunity being given to be heard, which is in line with principles of natural justice.

As far as concerns raised by hon. MPs Dr. M Kathir Anand, Shri Naresh Chandra Uttam Patel and Ms. Supriya Sule Ji regarding marine pollution owing to coastal shipping, all obligations for mitigation of pollution are regulated by provisions of the Merchant Shipping Act, 1958, incorporated on the basis of International Conventions, which will also be applicable on vessels engaged in coasting trade and licensed under the Bill.

With regard to the issue of offences and penalties raised by hon. MPs Prof. Sougata Ray Ji, Ms. Supriya Sule Ji, Shri Anil Yashwant Desai Ji and Shri Anand Bhadauria Ji, under the Bill, I would like to say that the same have been envisaged with the goal of decriminalisation of commercial laws needed for effective enforcement of its provisions. It is important to provide penalties proportionate to the contraventions as a deterrent.

The revision of penalties and offences for contravention is in line with the needs of the sector and as the current law is more than 67 years old, it was necessary to update it to contemporary times.

Regarding the applicability of clause of this Bill on Indian vessels raised by hon. MP Shri N.K. Premachandran, I would like to clarify that the phrase "save as otherwise provided" in Clause 1(2), accounts for the fact that despite the general application not extending to Indian vessels, the obligation under Clause 6 will be applicable to them.

Concerns regarding need for promotion of Indian shipbuilding industry raised by Ms. Supriya Sule Ji, Prof. Sougata Ray Ji, Shri Lavu Shri Krishna Devarayalu Ji and Shri T. Uday Srinivas Ji, the empowering clause to the Director-General of Shipping to issue licence to foreign vessels after taking into

consideration certain factors including citizenship of the crew and building requirements of the vessel is to ensure creation of more jobs for Indian seafarers and to promote ship building in India.

With reference to global best practices as mentioned by hon. MP Shri Ravindra Dattaram Waikar Ji, the Bill has been drafted after a detailed analysis of the global best practices and dedicated laws of major maritime countries such as the United States, Australia, the European Union, Thailand and China among others.

Accordingly, the provisions of the Bill have been tailored based on the specific needs of the sector in India.

Concerns were also raised about the Bill undermining the role of States - this is very important - by hon. MPs Shri Naresh Chandra Uttam Patel Ji and Shri D.M Kathir Anand Ji, I want to assure this House that the Coastal Shipping Bill, 2024 is firmly grounded in the spirit of cooperative federalism and does not encroach upon the jurisdiction of the States.

(1725/SM/SK)

It does not encroach upon the jurisdiction of the States. Under Clause 8 (3), a committee is to be constituted to present the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan. Therefore, the States and Union Territories will be the equal partners in development and growth of the coastal shipping sector in India. Far from centralising the power, the Bill provides for active representation of nine coastal States and four Union Territories in key institutional mechanism.

माननीय सभापति जी, परम आदरणीय सांसदों ने इस बिल की चर्चा के कालखंड में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ और सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूँ कि इस बिल को पारित करने में मदद करें।

(इति)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा): प्रश्न यह है

“कि तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार की प्रोन्नति के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों से सुसज्जित हो, और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am moving the amendments. When the exploration, research and exploitation of commercial activities are done, the State Governments should also be taken into confidence and they should be consulted.

“I beg to move:

“Page 2, line 14,-

after “coastal waters”

insert “with prior permission of statutory authorities and standard fixed for environmental protection as prescribed”. ” (3)

“Page 2, line 19,-

after “the Central Government”

insert “,with concurrence of the State Government, ”. ” (4)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I have several amendments to this Bill. But since the Minister is a good man and he has replied very peacefully, I will not move any of my amendments.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

“Page 3, line 11,-

<i>for</i>	“specified in that order”	
<i>substitute</i>	“prescribed”.	(5)

“Page 3, line 13,-

<i>after</i>	“subsection (I)”	
<i>insert</i>	“and any such violation shall be deemed to be done by the person who engaged such person”.	(6)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, the point may be taken into consideration: The Director-General is given the subordinate and legislative power to make rules. How can it be so? If it is the Government, it is okay.

According to his whims and fancies, he can make necessary appropriate changes in the rules. How can it be so? It is a subordinate legislative power. It should be vested with the Government and it should not be given to the Director-General. That is my amendment.

HON. CHAIRPERSON: Are you not moving your amendments?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am strongly moving my amendments.

(1730/KN/RP)

I beg to move:-

“Page 3, lines 34 and 35,-

for “the Director-General may consider necessary in furtherance of the objectives of this Act”
substitute “may be prescribed”. (7)

“Page 3, omit lines 38 and 39.” (8)

1730 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:-

“Page 4, omit line 23.” (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I beg to move:-

“Page 4, line 7,-

after “vessel”

insert "including failure to adhere to crew welfare standards, maintenance protocols, and cargo handling regulations;".” (23)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:-

“Page 4, line 32,-

for "the Director-General may deem fit"

substitute "may be prescribed".” (10)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:-

“Page 5, line 36,-

after “shall meet”

insert “once in two months”. (11)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I beg to move:-

“Page 5, line 2,-

after “waterways”

insert “along with an evaluation of environmental impact and sustainability measures required for coastal and inland shipping;”. (24)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 15

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I beg to move:-

“Page 7, for lines 14 to 19,-

substitute

“15. Whoever engages in coasting trade in contravention of the provisions of section 3, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with a fine which may extend to twenty five lakh rupees, or five times the value of all fees or commission or payments received by the owner or charterer of the vessel for the voyage, whichever is greater, or with both, and the vessel shall also be liable for seizure under section 29.” (25)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, उनको पता होना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसके बारे में हनुमान बेनीवाल जी से पूछ लो कि विधेयक के किस खंड में संशोधन दे रहे हैं? वे ज्ञानी व्यक्ति हैं और कागज से निकाल कर आपको बता देंगे।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, सारे लोग कागज से पढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

(1735/VR/VB)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

“Page 1, line 5,-

for "2024"

substitute "2025". (2)

(Shri Sarbananda Sonowal)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventy-fifth"

substitute "Seventy-sixth". (1)

(Shri Sarbananda Sonowal)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस सत्र में आपके तीन विधेयक पारित हुए हैं।

PROTECTION OF INTERESTS IN AIRCRAFT OBJECTS BILL

1738 hours

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 11, वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025
माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU):

Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for protection of interests in aircraft objects and to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, each signed at Cape Town on 16th November, 2001 and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि वायुयान वस्तुओं में हितों का संरक्षण करने और मोबाइल उपस्कर में अन्तरराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय को कार्यान्वित करने तथा वायुयान उपस्कर विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्कर में अन्तरराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय का प्रोटोकॉल, पर केपटाउन में 16 नवंबर, 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे, तथा उनसे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

1739 hours

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025.

1739 hours

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

Sir, once upon a time, going in a flight or an aircraft was a dream. Then, it became a passion. After that, it became an ambition, then luxury and now it is a compulsion.

(1740/AK/PC)

Everybody wants to go in a flight at a cheaper rate. Cheaper, safer and faster is the idea of travel in an aircraft. How do we achieve a safer aircraft? Going safely is a billion-dollar question.

Nowadays, a lot of accidents are taking place. The various reasons for accidents may be weather, engine gear failure, landing gear failure, altimeter error or an error in pilot's judgment, unlike our hon. Member, Mr. Rudy, who is an expert. Of course, weather also plays a major role. At the same time, what are the requirements to get at economical price to fly? We need more competition so that the price will come down. The demand is so high as a lot of people want to go in the flight. Hence, we need more competition. Of course, the Government has to have a cap on the pricing in order to achieve this.

Why do I have to talk about this Bill - the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill? Actually, I want to say a few things before talking about the Bill. We have 149 airports in India, and 1,550 aircraft. It is the third-largest domestic aviation market; 1,300 new orders for more aircraft, and 190 billion passenger traffic is happening in India. This cannot happen overnight. Someone will sow the seed and somebody will enjoy the shade of the tree. In order to achieve this, we should move this Bill immediately.

I welcome this Bill with some observations. Initially, this Bill was introduced in Rajya Sabha in February, 2025. It is in order to align Indian framework in accordance with the Cape Town Convention. In order to achieve a cheaper price and a safer flight, we need more good aircraft.

Initially, I was thinking all the airlines which were operating had their own aircraft. But now I realized that somebody is leasing them out. The airlines which are operating in India, 90 per cent of them are leased or rented aircraft. Most of the rental hubs are in Singapore and one other country, but after this Bill is passed, I think, Gujarat will be having a big swing, the GIFT, that is the Gujarat International Finance Tec-City will be a major aviation leasing hub. I welcome it.

This Bill was introduced in the Rajya Sabha. The Cape Town Convention was signed by India in July 2001, but I think that the Minister mentioned it as 2008. Okay, I stand corrected. It was signed in 2008. Why was it signed? This Bill will ensure that the lessor, that is whoever is giving the aircraft, in case there

is any default of payment by the operators, then they can immediately call back the aircrafts.

This was the major problem with these airline operators. It was always under litigation. Whenever there is any problem or whenever there is bankruptcy in the airlines like it happened in Kingfisher or Jet Airways or Go Air -- these airline operators had a problem financially -- if these operators default, these aircraft cannot be taken back. But this Cape Town Convention was a breakthrough. It was signed in 2008, but till now it has been dragged. This Government was very slack. They did not have a proper vision in that direction. Now, in a hurry they want to pass this Bill.

In the meantime, many investors and creditors who had rented these aircraft had a lot of problems. They wanted to get back the aircraft, but they could not get them in time.

(1745/UB/CS)

So, they had to approach the court. This was the saddest part. In 2019, Jet Airways went to the court. When Kingfisher Airlines had bankruptcy in 2012, it had a problem. In 2015, SpiceJet had to deregister six Boeing 737s, only by going to the court. This delay echoed globally, creating a very bad atmosphere about India. Everyone is afraid to operate in India, to give the aircraft for rent in India. That is the reason there was a premium leasing cost, and financing cost. Even after the Bill is passed, we are going to observe if the Bill ensures that the airfares are coming down. Due to the leasing cost, the burden has been unnecessarily shifted to the innocent and poor citizens of India. They have to bleed to pay the airfares, to travel in the flights. That is the reason why this Bill is important. If the bill is passed today, the airfares should definitely come down. It is the pressure from global creditors and industry players because of which this Government is rushing to revive the Bill, not a commitment to fixing this Indian bankruptcy and insolvency system.

Now, I would go into the salient features of the Bill. DGCA will have the absolute authority in having the record of who has the license and they have the absolute power to register and deregister, which is, of course, important. Most importantly, there are the creditor remedies. If there is any default in the payment, the creditor can call back the aircraft; he can either sell the aircraft, he

can again lease the aircraft to somebody else or he can take back the money earned out of this aircraft.

Lastly, regarding priority over domestic insolvency, this supersedes IBC. But where is the area of concern, where is the ambiguity? We have to see that. This Bill is being brought in very urgently indicating a reactionary response. Then there is conflict with the domestic insolvency framework. This Bill will have financial instability because the court will intervene on and off which will be a major problem because it is superseding IBC. The court will intervene definitely. Most importantly, there is non-compliance with DGCA. Despite our obligation under the Cape Town Convention, DGCA has refused to deregister aircraft. This has forced creditors to seek court intervention as in the 'Go First' case.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Please conclude.

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Sir, in my constituency, there is a place called Neyveli which had a small airport. It was running very well. But a few years back, it stopped functioning. Now, I have requested our hon. Minister to revive this airport, and he has graciously accepted the request and the revival of the airport is already under process. So, I humbly request our hon. Minister to revive that.

Lastly, I am coming to a burning issue. We have 190 million people traveling every year. This is a huge sector. But the prices are exorbitant. And the hon. Minister in his reply during the Starred Question said that the pricing is based on dynamics. When there is a demand, obviously the prices will go up. When the number of visitors on the website is high, the price fluctuates depending on the demand. In this country, agricultural production is a basic necessity for everybody. The farmer cannot even decide the price for the produce. The sugarcane price is fixed by the Government. Rice, bajra, and cotton, all the prices are fixed by the Government. But the pricing in two major sectors, the oil sector and airfares, is not fixed by the Government. They are free. The corporations decide the price. Here, the Government has to take cognizance of this case. The Government should regulate the prices. I once again support the Bill. If this Bill is passed, the world is watching, the airfares have to come down because the premium leasing rate is going to come down.

Thank you.

(ends)

(1750/RV/GM)

1750 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, बाकी यात्रा, बाकी विज्ञान बहुत पुराने हैं। अभी हम जलमार्ग मंत्री जी की बात सुन रहे थे। समुद्र से यात्रा करना, नदियों में यात्रा करना, नाव से यात्रा करना, ये सब दस हजार साल पुरानी बात है, लेकिन हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह जो साइंस है, यह मात्र 125 साल पुराना है। It is not very long ago when in 1903 Wright Brothers flew for the first time. पहला विमान, जिसने यात्रा की, वह मात्र 120 फीट की दूरी तय कर पाया। उसके बाद पहली कॉमर्शियल फ्लाइट वर्ष 1914 में आई और वह मात्र 27 मील और 24 मिनट के लिए आसमान में रही।

महोदय, विमान क्या होता है? विमान वह होता है, जिसमें हम यात्रा करते हैं, समय की बचत करते हैं। उसमें नींद भी ले लेते हैं, किताब भी पढ़ लेते हैं, आई-पैड भी देख लेते हैं। अगर लम्बी यात्रा हो तो उसमें सो भी लेते हैं। उसमें फ्लैट बेड भी होता है, शौचालय भी होता है, खाने की भी व्यवस्था होती है। ऐसी यात्रा की तो शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहां खड़े हैं।

महोदय, विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद कई सारे पैसेंजर प्लेन्स की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पैसेंजर विमान उड़ने लगे। कई बार लोग पूछते हैं - why do we sign these Conventions? इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम सभी लोग यात्रा करते हैं। कोई लंदन जाता है, कोई वाशिंगटन डी.सी. जाता है। हम कहते हैं कि विश्व में सॉवरेन स्टेट्स हैं, सबकी अपनी सॉवरेटी है, तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम दिल्ली हवाई अड्डे पर सो जाते हैं और उसके बाद हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन में उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा के समय हम पाकिस्तान के ऊपर से जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर से जाते हैं, कैस्पियन सी के ऊपर से जाते हैं, अज़रबैजान के ऊपर से जाते हैं, जॉर्जिया के ऊपर से जाते हैं, ब्लैक सी के ऊपर से जाते हैं, रोमानिया जाते हैं, हंगरी जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और फिर जाकर हम लंदन पहुंचते हैं। अगर उससे आगे अमेरिका के लिए निकल गए तो जे.एफ.के. एयरपोर्ट जाने के लिए हम बैरेंट्स सी को क्रॉस करते हैं, ग्रीनलैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं। यही कारण है कि आप जब विमान से यात्रा करते हैं तो आप अनेक देशों के ऊपर से जाते हैं। यह बात सुनकर अजीब लगेगा कि हमारे ऊपर से होकर अगर कोई जहाज लंदन से जापान जा रहा है, तो जितनी देर वह हमारे आसमान में होता है, उतनी देर वह हमारे अधिकार क्षेत्र में है और इस दूरी में वह जो यात्रा करता है, इस यात्रा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पैसा वह भारत को देता है। And this is our sovereign right. यही कारण है कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन्स बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया इस पर एक सहमति दे कि हम इससे पूरी दुनिया के मानकों को लेकर चलेंगे। And the reason for these Conventions is that very reason. Just to take further, we had the Warsaw Convention; then we had the Hague Convention.

जब विमान यात्रा होने लगी, तो लोगों को चोट लगी, किसी का सामान खो गया, किसी को तकलीफ हुई, तो उस पर पेनेल्टीज़ लगने लगे और उसके कानून बदलते-बदलते हेग कंवेन्शन हुआ, जिसमें पैसेंजर्स की लायबिलिटीज़ बढ़ी। फिर मॉन्ट्रियल कंवेन्शन की ओर हम बढ़ गए। फिर यात्रियों के

अधिकार की तरफ बात आई। आज भी हम भारत में कहते हैं कि हम यात्रियों के क्या अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं हैं, बल्कि यहां अगर विदेश से भी कोई आता है और अगर भारत में उसका सामान गुम हो जाता है, तो उसका भी एक अधिकार है। And this is not governed by a sovereign law. Sovereign law is substituted by an international treaty and that happened in the Montreal Convention.

(1755/GG/SRG)

लेकिन सभी कनवेंशंस में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय पर आया है तो वह शिकागो कनवेंशन में आया है। The Chicago Convention is the bible for all the regulations which we see today, and that is where the ICAO came into existence. And that handles so many things like legal and regulatory framework, fair and equal opportunities. sovereignty of airspace, which is very important, aviation safety, the freedom to land and take off, take passengers called the freedom of rights and traffic, aircraft registration, unlawful interference, एक और एक्सपेक्ट आ गया है, पर्यावरण और एनवार्यमेंटल क्लियरेंस का आ गया है।

Sir, it resulted in the ICAO in 1944 and India is a signatory to it. There are many more things to it. I will not mention it as the hon. Minister has said, 'Mr. Rudy, please make it brief.'

Now, we have come back to the Cape Town Convention. What is this Cape Town Convention, the CTC? It was signed in 2001 in South Africa, as mentioned by the hon. Minister, and it has basic ingredients like financial interest, mobile assets etc. This was not only done for that. It was done for the Railways also. It was done for the aircraft also. It was done for the space crafts also. But now we are confining ourselves to the aircraft only. Why? It is because any international action requires legal framework and financial transactions also as we have for international banking, as we have for foreign exchange. This was done basically to establish a legal framework for aircraft financing. Now why aircraft financing? There are many reasons. Mr. Vishnu Prasad Ji just mentioned it.

The other day when I was speaking about prices in this country, I know some of my friends did not like it, but I tried to analyse and say that the prices which you see today are not actually the prices which the passengers pay. It is not actually what the airlines is talking. I will come back to it if I have the time.

Now, coming to point to reduce the cost of financing, and as I am very happy that Mr. Vishnu Prasad mentioned it that Government is not taking one action. As the Minister has always said, we had to deregulate it. We do not have control. We do not have a Government airline today. There are no Government airlines. When

Government airlines existed in this country, with a distortion of Rs. 75,000 crore, we had the right to take that. But we had the right to cushion it by saying: "Okay, the benchmark is fixed by Indian Airlines and the rest you have to match." मुझे याद है, मैं जब 26-27 की उम्र में एमएलए बना, तो कभी-कभी पटना से दिल्ली हवाई जहाज़ से आता था। तब भी टिकट हमारा छह हजार रुपये का हुआ करता था, जो बोइंग विमान है, आज भी मैं छह हजार रुपये में आता हूँ। लेकिन पिछले 70 वर्षों में क्यों हमें ऐसा लगा कि दाम अधिक है, क्योंकि एक फैक्टर डिस्टॉर्टिंग था और देश के टैक्सपेयर्स का 70 हजार करोड़ रुपये हम लोगों ने इस सब्सिडी के रूप में एक मॉडल बना कर दिया। मैं उसके किसी विवाद में नहीं जाना चाहूँगा। मैंने पिछली बार बताया था कि किस तरह से दुनिया भर की एयरलाइंस बंद हुईं। अब यह संकट उत्पन्न कहाँ से हुआ? यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि गो एयरलाइंस बंद हुई। ठीक है, यह बात सही है कि पूरी दुनिया के युद्ध में और जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके पहले कोविड, उसके पहले जेट एयरलाइंस बंद हुई, उसके पहले किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, लेकिन महोदय, गो एयरलाइंस का क्या हुआ? Go Air has triggered off what we are discussing today. How has it happened? Go Air was doing well. We thought there were 57 planes. But COVID-19 did have an effect. Aircraft usually have two kinds of engines. One is the LEAP engine and one is the Pratt & Whitney. Unfortunately, the Pratt & Whitney engines which are manufactured across the world, have a majority of the spares coming from Russia and Ukraine. As a result, that airline went broke. That could not fly. And even many more airlines which had Pratt & Whitney engines could not operate and most of the airlines came down. Fortunately, some of the airlines had LEAP engine and they survived the market. But still in Delhi airport, you can find 40 aircraft which had Pratt & Whitney engine because the spares which were to be manufactured on the titanium made in Ukraine or Russia, could not be provided to these companies. ... (*Interruptions*) LEAP engine is a model of an aircraft engine. I will not get into that.

Then what did Go Airline do. It filed for liquidation saying that they are bankrupt. They are not going. But the only aspect which had happened that the lessors which were five companies across the world which were financing Go Air said, "We have filed a recovery petition earlier." Now Go Air went to NCLT. NCLT gave an order and said, "You cannot take away the planes." When DGCA intervened, NCLT and other agencies took actions. Ultimately it took them one and a half years because they were the planes which were in the international market.

(1800/RCP/MY)

They were supposed to return them or lease them back. The courts intervened. The courts categorically said that we cannot allow this.

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : अगर सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सिर्फ एक ही एक्शन से उसमें क्या हुआ? गो एयरलाइन तो बंद हो गई। उस समय बैंक्स ने कहा कि मेरे पैसे लौटाओ। वेंडर्स में कहा कि मेरे पैसे लौटाओ। कर्मचारियों ने कहा कि मुझे पैसे दो। लीजर्स को कहा गया कि हम जहाज नहीं देंगे, जहाज को रोक कर रखेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? 6500 करोड़ रुपये उससे बैंक्स मांग रहे थे, 2600 करोड़ रुपये लीजिंग कंपनी मांग रही थीं, 1200 करोड़ रुपये वेंडर्स मांग रहे थे। आपको अंदाजा नहीं होगा, मात्र गो एयरलाइन के कारण पूरी दुनिया में लीजिंग रेंटल भारत के इस गतिविधि से बढ़ा कि भारत में 2.7 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट हुआ। That was calculated. The impact of Go airlines shutting down – the international investors who had come for leasing – was 2.1 billion dollars. Who takes this brunt? The airlines do not take this brunt. It is passed on to the passengers. As a result, Rs.24,000 crore was the impact of just not returning the aircraft to the lessors because the Aviation Working Group (AWG) downgraded India from 3 to 2 resulting in a loss of thousands of crores of rupees to all those people who were operating. I will not go into that. That is why I think that the Government of India thought that it is pertinent to do this because this loss was actually passed on to the passengers.

I would just like to tell my friends that we have to remember certain things. I am happy that the Government, the Prime Minister and the Minister have realised it. I am not always very happy when I hear certain things. वायुदूत वर्ष 1997 में बंद हुआ। मोदीलुफ्ट चला और वर्ष 1996 में बंद हुआ। दमानिया एयरलाइंस वर्ष 1997 में बंद हुआ। ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस वर्ष 1997 में बंद हुआ। एनईपीसी वर्ष 1996 में बंद हुआ। एयर सहारा वर्ष 2007 में बंद हुआ। जेट एयरलाइंस वर्ष 2019 में बंद हुआ। डेक्कन एयरलाइंस वर्ष 2007 में बंद हुआ। पैरामाउंट एयरवेज वर्ष

2010 में बंद हुआ। एयर क्रोस्टा वर्ष 2017 में बंद हुआ। गो एयरवेज वर्ष 2023 में बंद हुआ। भारत में जो एयरलाइंस बंद हुई हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि जो एयरलाइंस भारत में चल रही हैं, अब सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि उसे सरकार किस तरह से देखे। हमारे लिए चुनौती है।

महोदय, हम लोग अपनी ताकत तो देखें। इसी संसद में बैठे हुए लोग जब हस्ताक्षर करेंगे तो दुनिया के उस ट्रीटी पर हमारी और आपकी सहमति बन रही है। इंटरनेशनल लीजिंग कंपनीज को हम लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विमान है, तुम्हें पैसा नहीं दिया जाता है तो अपना विमान ले जाइए। जैसे ही दुनिया को यह संवाद मिलेगा कि भारत के सांसदों ने तय कर लिया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे, 15 से 20 परसेंट आपकी लीजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। यह हमारे सांसद की ताकत का कमाल है। इसी विषय को मैं यहां रखना चाह रहा था। This is how international financing makes a difference.

I will come back to some other points. महोदय, किस प्रकार के लीजेज होते हैं? लीजेज भी कई प्रकार के होते हैं? एक वेट लीज है, जो जहाज विदेश से आता है, उसके आप कप्तान, एयर होस्टेज और सबके साथ लेकर उड़ाते हैं तथा उसको रेंटल दे देते हैं। दूसरा, आपके सामने ड्राई लीज होता है, जिसमें विमान ले आते हैं, लेकिन कप्तान और एयर होस्टेस वगैरह आपका होता है और एक डैम्प लीज होता है, जिसमें कुछ कर्मचारी आपके होते हैं एवं बाकी सब हमारे होते हैं। आज इसी तरह से दुनिया में एयरक्राफ्ट लीजिंग का जो बिजनेस है, वह लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। यह लगभग 14 लाख करोड़ रुपये हैं। हमारे भारत का बजट लगभग 45 लाख करोड़ रुपये हैं, लेकिन आज पूरे दुनिया में हवाई जहाज का खरीद और This is what we have to keep in mind.

(1805/CP/PS)

इनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है। दुनिया में 28 हजार के आसपास विमान हैं, जिनमें से 23 हजार विमान अभी उड़ रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा कटाक्ष में सुना कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बनेगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक देश की तरफ देखिए। हमारे मित्र ने कहा कि सिंगापुर से लीजिंग होती है। साहब, सिंगापुर बहुत छोटा है। एक देश है, जहां से पूरी दुनिया की 52 प्रतिशत एयरलाइंस की लीजिंग होती है। ... (व्यवधान)

आयरलैंड एक देश है। आप आयरलैंड के बारे में देखिए, उस छोटे से देश को देखिए, उसकी 15 लाख की आबादी है। ... (व्यवधान) आयरलैंड एक देश है, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। उसका ज्योग्राफिकल एरिया 84 हजार वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत

का एरिया 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसकी आबादी 53 लाख है। उसकी आबादी मेरे जिले के बराबर है। छपरा जिले की जितनी आबादी है, अकेले उसकी आबादी है। मैं एक बात बता दूँ कि 80 प्रतिशत जहाज जिन पर हम उड़ते हैं, वे सब लीज़ पर हैं, रेंटल पर हैं। किसी जहाज का मालिक आज भारत में नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं इस जहाज का मालिक हूँ, I am the owner of this aircraft, तो वह एयरक्राफ्ट उसका नहीं है। 20 पर्सेंट जो भारत में हैं, वह तो एयर इंडिया में अपने जमाने में खरीदे थे, वही ऑनरशिप है जो आज विस्तारा और एयरइंडिया को सौंप दिया गया है। Dublin is the capital, which, of course, is the financial headquarters. Google is there. Facebook is there. That is a small city town and it controls the world's financial business. I must congratulate the Prime Minister and the team today. Though late, but the Finance Minister announced this in the Budget of 2019. Ireland had a National Civil Aviation Policy, which came in 2015. We announced that policy in 2016. But we do not think about it. It was only the Prime Minister who said later that in 2019, we will have a policy, and that is where it started. But we are talking about international financing and that aspect has to be kept in mind. Going further, 60 per cent of the global market of aviation is in Ireland. I will jump most of the figures.

When we talk about the GIFT City, that is a beautiful concept and business convention coming into place and ratifying it. Once the ratification takes place, I can see India becoming a hub of leasing by the next 20 years, and that is the capacity which should have been generated 20 years ago. But we did not have it. That is fine.

India has a financial hub, a tax-free zone which was created to facilitate foreign transition, and 80 per cent of Indian aircraft are on lease. IndiGo has 262 aircraft on lease. Air India has 127 aircraft on lease. Spice Jet has 113 aircraft on lease. Go Air is shut down. Same is the story with Vistara. Every aircraft runs on a model what we are talking today.

Now, there is one aspect which I would like to bring to the notice of the House. What is the number of planes which you are going to buy

in the next ten years? जितने जहाज हम आने वाले दिनों में खरीदने वाले हैं, मात्र एशिया पैसेफिक में, जिसमें भारत, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है, 17 हजार विमान खरीदे जाएंगे, नार्थ अमेरिका में 9 हजार विमान, यूरोप में 8 हजार विमान खरीदे जाएंगे। दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त करने की दिशा में भारत पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा विमान खरीदे जाएंगे तो भारत में खरीदे जाएंगे।

मैं एक बार माननीय मंत्री जी चेम्बर के बाहर गया, तो सबसे ज्यादा सांसदों का आगमन अगर कहीं होता है तो इनके दरवाजे पर होता है, क्योंकि हर किसी की यह आकांक्षा है। मैं जब वहां बैठा था, तो सभी सांसदों, चाहे वह मन्ना लाल रावत उदयपुर के हों, चाहे श्रीमती भारती पारधी महाराष्ट्र की हों, विजय बघेल हों, एंटो एंटोनी हों, महुआ मोइत्रा हों, सुशील कुमार शिंदे हों, वीरेन्द्र सिंह हों, हर कोई चाह रहा है कि हमारे यहां विमान कंपनीज़ जहाज लेकर आए।

एक और चुनौती है कि आने वाले दिनों में 30 हजार पायलट्स की जरूरत है। मुझे पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है या नहीं।

(1810/NK/SMN)

लेकिन ऐसे दो क्षेत्र हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन, माननीय मंत्री जी आप हवाई जहाज बाद में उतारिएगा। लेकिन जितनी भी भारत में हवाई पट्टियां हैं, अगर छोटे भी हैं तो आज की तारीख में वहां फ्लाइट ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन शुरू कराइए। आज एक बच्चे को कप्तान बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी है तो पचास लाख रुपये से लेकर सवा करोड़ रुपये तक लगते हैं। हम भी कप्तान हैं, हम जानते हैं कि कितनी पीड़ा है। हर घर में हमारी बेटियां, हमारा बेटा, हमारे छोटे बच्चे, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़ी जाति के लोगों में एक ऐसी ही भावना है, जिसे लोग प्राप्त करना चाहते हैं। हरेक की इच्छा है, मैं बिहार से हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे हस्ताक्षर से भारत की उस नीति में मेरी भूमिका थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मैं मंत्री था। चन्द्रबाबू नायडू जी उस समय भी हमारी सरकार के सदस्य थे, उस समय मेरी जितनी समझ थी, उस समय मेरी एविएशन के बारे में समझ नहीं थी, फिर भी मुझे दो व्यक्तियों के बारे में याद है। एक नारायण मूर्ति जी, जिन्होंने बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए प्रत्येक दिन आग्रह किया। अंत में एक पत्र लिखकर आग्रह किया और राजीव प्रताप रुड्डी को और वाजपेयी सरकार को धन्यवाद दिया कि आपने देवनाली का एयरपोर्ट स्वीकार किया।

उस समय चन्द्रबाबू नायडू जी का एक बड़ा सपना था कि हैदराबाद को हवाई अड्डा मिले, देवनाली एयरपोर्ट का कन्सेशन एग्रीमेंट हमने किया। आज 22 सालों के बाद माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं, बिहार के चौदह करोड़ लोग जो देश की नीति को समझता

है, मैं पिछले दस सालों से संघर्ष कर रहा हूँ कि बिहार के लोगों को एक ऐसा हवाई अड्डा दें, हमारे बच्चे मुंबई जाकर दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे बेंगलुरु जाकर दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे सैन फ्रांसिस्को कोलकाता होकर जाएंगे।

अगर बिहार को सबसे बड़ा रिफार्म देना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने समय में शम्साबाद को दिया है, हैदराबाद को दिया, बेंगलुरु को दिया, दिल्ली के जीएमआर को दिया, जिस प्रकार से मुंबई के हवाई अड्डे को दिया, बिहार की 14 करोड़ की आबादी को भी मिलना चाहिए। झारखंड भी हमारा पार्ट था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषणा करने से नहीं होता है, पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले तीस सालों से लिखा हुआ है। कई बार हम लोग समझते हैं कि सरकार अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा कर देगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज उड़ने लगेंगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, डिमांड, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एयरस्पेस मैनेजमेंट, लेंथ ऑफ द रनवे, कैपिसिटी, डिमांड, all has to be generated. बिहार एक ऐसा स्थान है, जहां इसकी अपार संभावनाएं हैं।

मंत्री जी ने कहा कि आपको नहीं बोलना है, मैंने कहा कि मैं आपको तब तक बोलता रहूंगा जब तक बिहार का ये हवाई अड्डा जो पटना के निकट है, का निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे, मैं तरह-तरह से आपके समय को लेता रहूंगा। अगर एक ग्लास में पानी रखा हो तो कोई आकर कहे कि यह पेप्सी है, चार लोग कहें कि पेप्सी है तो आप मजबूर हो जाते हैं, पानी को भी पेप्सी कहना होता है। उसके बाद अधिकारी के पास चले जाओ, अगर उनसे पूछो कि यह क्या है, पानी है या पेप्सी है, लेकिन यह पक्का है कि लिक्विड है, उस स्थिति में राजीव प्रताप रुड़डी पिछले दस साल से घूम रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1814 बजे

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस महत्वपूर्ण वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक हमारे देश के विमानन को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कुछ खामियां हैं, जिन्हें सुधार किए बिना अपने उद्देश्यों को पूरी तरह सफल नहीं बना पाएगा।

मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धातु कला और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहां निर्मित धातु उत्पाद विशेषकर पीतल एवं कांस्य की वस्तुएं दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। विमान निर्माण व एयर स्पेस उद्योग में धातु कास्टिंग, फिटिंग तथा डेकोरेटिव मेटल वर्क की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

(1815/MK/SM)

महोदय, उसमें मुरादाबाद का उद्योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुरादाबाद दिल्ली-एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से काफी दूरी पर स्थित है। मुरादाबाद बिजनौर, रामपुर, उत्तराखंड, कुमाऊं मंडल का केंद्र है। वर्तमान में हमारे जनपद को सीधा हवाई संपर्क उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारे निर्यातकों, कारोबारियों और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर हम वास्तव में भारत को 'विकसित भारत' बनाना चाहते हैं, तो हमें मुरादाबाद जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों को बेहतर हवाई संपर्क देना होगा।

यह विधेयक भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और मानकों को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों को शामिल करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत विमान निर्माण और उसके पुर्जों के लिए भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुरादाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में धातु कास्टिंग और एयरोस्पेस ग्रेड धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं।

इसके अलावा, देश के बड़े शहरों में ही विमानन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जबकि औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों को उचित हवाई संपर्क नहीं मिल पा रहा है। इस विधेयक में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जिससे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को फायदा हो। इस विधेयक में सुरक्षा मानकों को सख्त करने की बात तो है, लेकिन भारत में विमानन अनुसंधान को बढ़ावा देने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। आईआईटी, एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा अनुसंधान के लिए फंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हम आधुनिकतम विमानन तकनीक विकसित कर सकें।

महोदय, इसके साथ ही भारत में एयरोस्पेस और विमानन के पुर्जों का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन इस विधेयक में इनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार 'मेक फॉर वर्ल्ड' की तर्ज पर भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टैक्स में रियायत और निर्यात सब्सिडी प्रदान करे।

विमानन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों और टेक्निशियन्स की स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। सरकार को राष्ट्रीय विमानन कौशल विकास योजना लानी चाहिए, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। मुरादाबाद और अन्य औद्योगिक शहरों में एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं।

महोदय, अगर सरकार इस विधेयक में स्थानीय उद्योगों को शामिल करने का प्रावधान जोड़ती है, तो मुरादाबाद एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। मुरादाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए सरकार 'उड़ान योजना' का विस्तार करे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में किया है, सरकार का लक्ष्य छोटे-छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना है। मेरे लोक सभा क्षेत्र मुरादाबाद में एक हवाई पट्टी मुण्डा पाण्डे है, जिससे कुछ दिन पर एक फ्लाइट साप्ताहिक मुरादाबाद से लखनऊ के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 5 दिसम्बर, 2024 को बंद कर दी गई। उसका कारण हमें मालूम नहीं है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुरादाबाद हवाई पट्टी का अपग्रेडेशन किया जाए और देश के सभी मेट्रो पोलिटन शहरों से जोड़ा जाए, ताकि आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिल सके और उससे व्यापारियों और निर्यातकों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही, धातु उद्योग को एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग से जोड़ा जाए और विशेष औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुरादाबाद हवाई पट्टी का अपग्रेडेशन किया जाए। विमानन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों और टेक्निशियन्स को डेवलपमेंट स्कीम्स से जोड़ा जाए।

महोदय, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुरादाबाद को कनेक्टिविटी स्कीम्स से जोड़ा जाए और मुरादाबाद की मुण्डा पाण्डे हवाई पट्टी है, उसका अपग्रेडेशन किया जाए। उसको देश के जो अन्य मेट्रो पोलिटन सिटीज से जोड़ा जाए, ताकि हमारे यहां काम करने वाले लोगों को मदद मिले।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस विधेयक में जरूरी संशोधन किए जाएं, ताकि यह केवल एक सुरक्षा विधेयक न रहकर विमानन उद्योग के व्यापक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। अगर हम स्थानीय उद्योगों, अनुसंधान, कौशल विकास और हवाई संपर्क को प्राथमिकता देंगे, तो यह विधेयक भारत को एक वैश्विक विमानन महाशक्ति बनाने में सफल होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1820/RP/SJN)

1820 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill 2025.

Sir, just three to four days ago, we were discussing the exorbitant aircraft air price, and the hon. Minister has failed to give any satisfactory reply regarding the airfare. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में बैठने का सपना देखते हैं। So, my question to the Government is this. Does the Government still believe in this promise? I would like to know from the hon. Aviation Minister whether there is any mechanism to handle this exorbitant airfare.

Sir, India is a big country and, right now, we do not have any national carrier. All the airports are being operated by the private players. This Bill is designed to protect international creditors and aircraft lessors, not the Indian people. It prioritizes the financial security of foreign investors over the stability of our airlines, the livelihood of our aviation workers, and the rights of Indian passengers. This Bill gives immense power to creditors, allowing them to quickly repossess aircraft if an airline defaults on payments. So, many Indian airlines, including major players have faced financial turbulence in the past. If this Bill had been in place during the crisis faced by airlines like Jet Airways or Go First, the creditors would have swooped in immediately, repossessing aircraft without giving these airlines a fighting chance to recover.

Instead of helping the industry stabilise, this Bill could accelerate airline bankruptcies, reduce competition, and ultimately lead to higher ticket prices for ordinary citizens. What happens when airlines suddenly lose aircraft? Flights are cancelled, passengers are stranded, and disruptions become normal. Instead of ensuring safety, affordable, safe, reliable air travel for Indian citizens, this Bill threatens to create instability in the very industry it claims to strengthen.

Sir, let us not forget the hard-working people who keep our airlines running – pilots, cabin crew, engineers, ground staff, and countless others. If airlines collapse under the pressure of aggressive aircraft repossession, thousands of jobs will be at risk. Do we really want a law that puts foreign investors' interests above Indian workers' livelihood? What about our national economy?

Supporters of this Bill claim, it will bring more foreign investment into our aviation sector. But, what will be the cost? If airlines are constantly at risk of losing their planes, they will struggle to expand, innovate or even survive. This could discourage new entrants into the market, and hand over control of our aviation industry to foreign leasing companies and financiers.

What is most troubling is the lack of balance in this Bill. Yes, we must honour our international commitments. But, we must also protect our domestic interests. The Bill fails to provide airlines with sufficient time or legal records to renegotiate leases during financial distress. It disregards the fact that the aviation industry is cyclical. Ups and downs are part of the business. Instead of helping airlines recover, this Bill seems designated to push them into insolvency faster.

Moreover, the Bill overrides the existing Indian laws, including aspects of the Insolvency and Bankruptcy Code. This could lead to legal confusion, prolonged court battles, and an overburdened judiciary rather than the streamlined process.

(1825/VR/SPS)

I would like make a request to the hon. Minister. The Government of West Bengal has already provided a piece of land for construction of the second airport, very close to the Netaji International Airport. I would like to know the current status of this project.

Sir, I would also like to request the hon. Minister to introduce at least two flights at 15-day intervals from London to Kolkata and from France to Kolkata. If the hon. Minister initiates this process, I would be very happy. Thank you, Sir.

(ends)

1825 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. I rise to support this Bill. I would take this opportunity to congratulate the hon. dynamic Minister for bringing such legislation because this legislation is on the basis of the International Convention and Protocol of 2001. Even after 24 years, we are not able to ratify that Convention and Protocol. But better late than never, the hon. Minister has now come up with a clear-cut legislation by which this Convention and the Protocol will be ratified.

Sir, the Convention on International Interests in Mobile Equipment is also known as the Cape Town Convention (CTC). The Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment is known as the Aircraft Protocol. In the above Protocol, the thrust was given to the Aircraft Equipment. Both the International Convention and the Protocol were signed in the year 2001. As I have pointed out, though it was signed in the year 2001, though India was a signatory to the Convention, unfortunately, we were not able to implement it through a legislation or through the statutory backing.

Sir, the Indian aviation sector is growing like anything, with exponential growth. The aviation market is also expanding rapidly. At the same time, as rightly mentioned by our hon. friend, Mr. Rajiv Pratap Rudy — well, I am not going into all these details — aircraft are highly essential. We all know it.

As far as India is concerned, we are not purchasing aircraft but are depending on leasing them. When aircraft companies become bankrupt and are liquidated, as we have seen in the cases of Kingfisher, Jet Airways, and Go First, the creditors or lessors are in trouble while recovering the equipment, aircraft, or credit that they have provided. To rectify this issue, this legislation has been brought in. That is why, I am fully supporting it.

In this case, I would like to make only two observations. Through this statutory backing, the lessor can take back the aircraft, the equipment or the credit in a speedier way. That is the significance of this legislation. So, once again, I would like to support and welcome this move.

Sir, I would congratulate the hon. Minister for this wonderful move but I have some apprehensions. My apprehensions are regarding Clause 6 and Clause 9. Clause 6 is about remedies on insolvency. That means, Insolvency and Bankruptcy Code is there. We all know it is one of the important legislations in respect of liquidation. What would be the impact of Insolvency and Bankruptcy Code when compared to these remedies on insolvency by virtue of Clause 6 of the new Bill? That is the first observation or clarification I am seeking from the hon. Minister.

The second apprehension is about the provisions of the Act to have overriding effect given in Clause 9. In case of any inconsistency between the provisions of this Act and any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail to the extent of such inconsistency. There also, I would like to know this. What about the Insolvency and Bankruptcy Code when such an inconsistency comes? This is having the overriding effect means it will be creating a lot of legal problems. These two issues have to be clarified by the hon. Minister.

With this observation, once again I welcome and support the Bill with due congratulations to the hon. Minister. Thank you.

(ends)

(1830/AK/MM)

1830 hours

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I rise today to discuss the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, which is a piece of legislation that has significant implications for our aviation sector. While the Bill aims to align our aviation industry with global standards by implementing the Cape Town Convention and its Aircraft Protocol, it is crucial that we scrutinize its potential impact on domestic stakeholders and ensure that it does not compromise our national interests.

The aviation industry is a cornerstone of any modern economy. It facilitates global trade, connects businesses, enhances tourism, and plays a vital role in national security. Given the strategic importance of this sector, any legislation affecting it must be carefully crafted, ensuring that it provides tangible benefits without exposing the country to undue risks. This Bill, however, raises several critical concerns that must be addressed before it is enacted into law.

The Aviation Working Group (AWG), a global watchdog in the aviation sector downgraded India's compliance rating from 3.5 to 2 with international leasing laws, citing the inability of lessors to repossess aircraft. This impacted the country's credibility in the aircraft leasing market and also issued a warning that further delays could worsen the country's standing. And just because of this, the Government remembered to introduce the Bill. Otherwise, this Government would not bother to introduce the Bill.

While the Delhi High Court's April 2024 judgment in the Go First insolvency case has provided some relief to lessors and reaffirmed the importance of the Cape Town Convention, it is concerning that India's legal system, rather than its legislature, had to take the first step in enforcing an international treaty ratified in 2008. Courts should not be the primary drivers of policy implementation. This responsibility lies with the Government and the Parliament.

The Government should adopt a proactive legislative strategy that ensures India remains a stable and reliable player in global aviation finance. One of the primary objectives of this Bill is to safeguard the interests of stakeholders involved in aircraft objects, including financiers, lessors, and operators. However, the Bill lacks clarity on how it will balance these protections with

national priorities. Many countries that have adopted the Cape Town Convention have put in place safeguards to ensure that their national courts retain jurisdiction over crucial aviation-related disputes. India must do the same to protect its domestic stakeholders from potential biases in international arbitration forums.

(1835/UB/KDS)

While the Government is taking steps to improve aircraft leasing in India, there was a 43 per cent surge in India's domestic aircraft in the first half of 2024. As reported by a study conducted by the Airport Council International in collaboration with Flare Aviation Consulting, it highlights the Government's failure to regulate the aviation sector effectively and protect consumers from excessive pricing.

Sir, Chennai to Thoothukudi, normally, a domestic flight costs around Rs. 5000, and during the peak season, it goes beyond Rs. 10,000 whereas a flight from Chennai to Colombo costs only around Rs. 5500. How does the Government justify this? How can a domestic flight in Tamil Nadu cost as much as an international flight? Instead of ensuring affordability, the Government has allowed unchecked price hikes, turning air travel into luxury, accessible only to the wealthy. Even for seat and food also, we have to pay an unusual cost. Even after paying a huge cost of flight ticket, sometimes, the private airlines charge fees for seats also.

Tiruvannamalai is a major pilgrim hotspot, especially for the people of Andhra Pradesh, and a lot of devotees visit it. Tiruvannamalai is one of the largest temples. It is a tourist spot, and therefore, has a heavy footfall. For that, we need an airport in my constituency of Tiruvannamalai so that the people can travel easily.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): No, please sit down. आपकी डिमांड आ चुकी है, आप बैठ जाइये।

1837 hours

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, first of all, I want to thank the hon. Minister for starting Udaan Yatri Cafe. This is a great initiative. Last time, I heard some hon. Members say that they were not even provided water at the airport. Now, water is being provided for free. More than water, subsidized food is also provided at this Udaan Yatri Cafe. That is a good initiative taken by the Minister.

In the last 10 years, because of the Udaan Scheme that the hon. Prime Minister launched, our domestic aviation has grown to the third largest in the world. Also, the number of airports has grown from 74 to 157; almost double. The aviation sector is growing in such a way for which this Bill is very much needed. This Bill aligns with the Cape Town Convention and now, they can reclaim the aircraft, which gets stuck in case of default or insolvency. The prime example is Go Air. So many aircraft that had been leased by Go Air got stuck, and they could not be taken out and given to the other companies. To bridge that gap, this Bill is very much necessary. This Bill is also necessary because it will help India achieve a better position in the global aviation finance market. It will also help the development of domestic aircraft leasing hubs, which we are doing in Gift City in Gujarat. So, we welcome this Bill.

Sir, I want the hon. Minister as well as his co-pilot, the Minister of State, to pay some attention to two important points. There is a false narrative that is being built in this country.

(1840/GM/YSH)

Everyone says that aviation industry is in loss and airlines are in loss. It is a completely false narrative. Airlines are in loss in the sense that when they are expanding themselves, they are in losses. ... (*Interruptions*) I will give you the details with regard to that. If you look at what is happening in the last three years from 2022 to 2024, and if you look at one company, that is, Indigo Airlines, they have divested their funds. I do not find any fault when someone makes money and they divested to the tune of almost 15.8 per cent from September 2022 to August 2024, in different tranches, 2.5 per cent, 3 per cent, 4 per cent. When they divested this 15.8 per cent in total, they raised almost Rs.22,400 crore. This is what has happened in one company. So, the airline's valuation is going up. When they are divesting their funds, they are getting the money and whoever

are the investors, they are not sitting in India, they are sitting in US. I do not find any fault when they make the money, but this is a false narrative that airlines are in losses. There is another Member also who spoke in the last debate that airlines are in losses. No, they are not in losses. They are very much in profits and their company's valuations are also going up. The only way they are in losses is when there are operational losses. If you open a shop, in the first two to three years, obviously there will be operational losses. If you try to expand those shops, obviously the operational losses will be there. When they consolidate, obviously they will be in profits. This is a business which is growing at a good pace, and obviously that is why they are expanding every year. So, the operational losses will be there. That does not mean the aviation sector is in losses. They are doing very well. So, I want the hon. Minister, and also the bureaucrats who are sitting here, to get this false narrative out of their head. The reason we want this false narrative to be out of it is that by creating this false narrative, they are saying that is the reason why the prices of the tickets are going up.

This is completely not necessary, because if you look at the consolidation that has happened in the aviation industry in the last five to six years, 63 per cent is occupied by Indigo and 23 per cent is occupied by Air India. That means 90 per cent of it is occupied by two companies in this country. There is an absolute necessity for regulation to happen. If there are more players and the stake is distributed between more players, obviously there is no regulation that is needed. There will be competition. The fares will be lowered. But here the whole company, the whole sector is controlled by two players only. When the duopoly is happening, only two companies are selecting it. So, there is an absolute necessity for regulation because now the Government is not running any airlines. The only thing the Government can do is regulate them. We request the Aviation Minister to regulate these prices, to put a cap on the maximum prices. That can be possible because they are not losing money.

Secondly, I want to attract the attention of the Ministry to the sustainable aviation fuel. Almost 100 per cent of the aviation fuel used in the country is imported from outside the country. Nothing is manufactured here. Most of it is not processed here. But when we go to the State, when we say we are going to establish solar panels, solar rooftop panels, and when SECI also comes up with

new plans of establishing huge solar parks across the country and across the State, who is paying for that, Sir? It is normal people who are paying it. Obviously, when they do not get hit by renewable energies coming up, why can the airlines not take this sustainable aviation fuel? I have seen it in the answer given by the hon. Minister in the morning. As I said, one per cent sustainable aviation fuel will be done in 2027. In the next two years, he is going to do only one per cent.

If you see, in the morning also, when we were working here, 26 per cent of tariff was levied on India. Who is going to bear that? When they are taking care of their farmers, we need to take care of our farmers. How can we take care of our farmers unless we make sure that the sustainable aviation fuel is produced in our country? Our sugarcane farmers should be benefited because of the sustainable aviation fuel that is being produced here. I request the hon. Minister to look into these two issues.

(1845/SRG/RAJ)

We are a democratic alliance, so we all have our observations that can be taken up in the House. So, everyone will listen to it and everyone will act on it.

Sir, I want to give just three suggestions with regard to this Bill. One is with regard to the strengthening of the dispute resolution mechanism. Under Section 8, it grants jurisdiction, but I request the hon. Minister, the way forward is to either push them towards arbitration or to the tribunal. Again, if you put to the courts, the whole process gets delayed. So, I request the hon. Minister to look into that.

The second suggestion is with regard to timeline for making rules. In the rule making under Section 10, it is left open. When you leave it open, the hon. Minister has that courage and the Minister has that push to make everything happen, but down the line, the bureaucracy has to make it possible. When you do not define the timeline, they use it in a different way. So, I request the timeline to be mentioned

The last suggestion is with regard to the domestic insolvency law. I think Shri Premachandran Ji also has asked to bring it very close to the Insolvency and Bankruptcy Code. This whole law should be brought very close to that, so that it will be much more aligned.

With these three observations and with an assurance of making sure that the false narrative is taken out of the whole sector, on behalf of my Telugu Desam Party, we wholeheartedly support this Bill.

(ends)

1846 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : महोदय, आपने मुझे वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 की हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, बिल के पक्ष में बोलने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वायुयान मंत्री और हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री अशोक यादव जी और श्री संजय झा जी, इन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं निशिकान्त दुबे जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में देवघर और दरभंगा में हवाई जहाज चला कर वहाँ के गरीब लोगों को, जो हवाई चप्पल पहनते थे, उनको हवाई जहाज से मुंबई और दिल्ली जाने की सुविधा प्रदान की, मैं उनके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय विमानन मंत्री जी श्री नायडू जी कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते जो विमान क्षेत्र में हो रहे हैं उनको कानूनी प्रारूप देने के लिए यह प्रस्ताव लाए हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। हमारा देश विमानन क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। पट्टेदारों और पट्टेधारकों को समुचित सुरक्षा देने के लिए इस कानून को स्पष्ट और सरल बनाया जा रहा है।

महोदय, डीजीसीए के अधिकारों को भी सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा रहा है। डीजीसीए के अधिकारों को भी सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा रहा है। यह कानून भारतीय विमानन क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, भारतीय विमानन क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से लगातार 6.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। आज भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बन गया है। भारतीय विमानन ने क्षेत्र यात्रियों में भी वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 में करीब 37 करोड़ 60 लाख यात्रियों को हवाई सेवा प्रदान की है और देश में आज 197 हवाई अड्डे परिचालन में हैं। सरकार इसे वर्ष 2047 तक 350 से 400 करने के लिए संकल्पित है।

महोदय, भारतीय विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर कर काफी मजबूत बन सकता है। आज भारत में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई के लिए सरकार निर्णय ले चुकी है। देश में यह क्षेत्र पूर्णरूपेण प्राइवेटाइज हो चुका है। इसका परिणाम है कि इनवेस्टर्स भारतीय विमानन क्षेत्र में काफी रूचि दिखा रहे हैं। यह देश को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनने में अहम भूमिका अदा करेगा।

(1850/SK/RCP)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारतीय विमानन सेवा वृद्धि और विकास कर रहा है, उसी प्रकार कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विमान के लिए ईंधन और कम कीमतों पर उपलब्धता महत्वपूर्ण विषय है। हवाई अड्डे की क्षमता पर भी विकास का असर पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एयरलाइंस पर लोन का बोझ भी एक विषय है। सरकार इनवेस्टर्स के साथ मिल-बैठकर इसका रास्ता निकाल सकती है। एयरलाइन समाप्ति की ओर भी जा रही है जो एक चिंता का विषय है। विमानन क्षेत्र जिस अनुपात में बढ़ोत्तरी कर रहा है,

उस अनुपात में कौशल की भी कमी महसूस हो रही है। यह हमारे यात्रियों के लिए चिन्ता का विषय है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने राज्य बिहार की विमानन संबंधी कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। वरिष्ठ सांसद रूडी जी ने बिहार की समस्याएं सदन के सामने रखी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पटना को उच्चस्तरीय हवाई अड्डा बनाकर उस पर जल्द से जल्द उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दरभंगा हवाई अड्डा घरेलू उड़ानों के लिए पिछले वर्ष से चालू हुआ है, किन्तु यहां अभी यह व्यवस्था आंशिक है। यहां कुछ ही उड़ानें चल रही हैं। दरभंगा हवाई अड्डे को पूर्णरूपेण जल्द से जल्द विकसित करना अति आवश्यक है, क्योंकि उत्तरी बिहार का यह एक मात्र हवाई अड्डा है। नेपाल के लिए भी यह हवाई अड्डा महत्वपूर्ण है। इस हवाई अड्डे से दरभंगा सहित बिहार के कोसी क्षेत्र को भी सुविधा मिल रही है।

महोदय, अभी तक पूर्णिया का हवाई अड्डा चालू नहीं हो पाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जो कोसी और भागलपुर के लिए भी लाभदायक साबित होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 5.2 के तहत बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें सुपौल का तीरपुर, भागलपुर का सुल्तानगंज, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, चंपारण का वाल्मीकि नगर और रक्सौल, नालंदा का राजगीर, मधुबनी और सारण के छपरा क्षेत्र शामिल हैं। मैं इस सदन के माध्यम से इन सभी हवाई अड्डों का निर्माण कराने का आग्रह करता हूं, क्योंकि ये सब योजनाएं आपके पास लंबित है। मेरी मांग है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

मैं एक और बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी देश में हवाई यात्रा करे। यह विचारणीय प्रश्न है कि आज प्राइवेटाइजेशन होने से हवाई सेवा का किराया काफी बढ़ गया है। विशेषकर पर्व और त्योहारों के समय एयरलाइंस यात्रियों के किराये में शोषण करती है। अतः इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि हवाई सेवा आम लोगों की पहुंच का क्षेत्र बन सके। देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा।

मैं इस बिल के समर्थन में एक शायरी कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने
अभी तो सारा आसमान बाकी है।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।

(इति)

1853 hours

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Chairperson Sir. I rise to speak on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025. This Bill seeks to implement the international conventions on leasing of aviation equipment. The Bill aims to implement international agreements, particularly the Convention on International Interests in Mobile Equipment. Commonly, we call it Cape Town Convention, that is CTC. It is a protocol on aircraft equipment. We became a signatory to this agreement in the year 2008. The Bill is designed to bring the international agreements into India's legal framework ensuring that creditors and stakeholders in the aviation leasing space are protected under these guidelines.

The Bill empowers the Central Government to make rules and implement the provisions of the Convention and the Protocol. This legislation designates the Director General of Civil Aviation (DGCA) as the registry authority for the purposes of the Convention. The registry authority, DGCA is responsible for the registration and deregistration too. The main provisions of the Bill include the requirement of the creditors to notify the DGCA before initiating any kind of remedies in the event of a default.

(1855/PS/KN)

In cases where defaults occur, creditors are entitled to recover their assets such as aircraft, or engines, or helicopters, within sixty days, that is, two months, or any timeframe agreed mutually upon.

This legislation also intends to provide much-needed clarity and security, particularly in the leasing industry. These are all necessitated because of the way the NCLT came into play in case of GoAir, that is, Go First airline. Now, when the NCLT comes into play, naturally, in Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, under Section 10, it started operating. And that stopped the rights of the CTC to operate because it is important that unless the CTC, the Cape Town Convention, is ratified by the Parliament, it does not come into operation. And that is the reason why we are discussing this Bill and the legislation.

The Aviation Working Group monitors and assesses the implementation and application of the Cape Town Convention. With the impact of that very event of GoAir, that is, Go First -- as mentioned by Rudy ji -- the ranking, which we had and the score that we had, we came down from 69 to 63. The lessors withdrew the investment which was due to come to the country. It stopped for a while.

India has a tremendous potential as far as aviation sector is concerned. The hon. Members -- who spoke before me -- explained and discussed about the growing traffic. Yes, we do have that potential and we need to do that. Every region and every State have the potential and ambition also to have a proper infrastructure in the aviation sector.

Sir, I would like to ask one or two points to the hon. Minister. The non-obstante clause is there. I would like to ask the hon. Minister one question. The provisions may need further consideration. In Section 19(4), the Bill provides that creditors shall indemnify the insolvency administrator for cost incurred in the preservation and maintenance of the aircraft. This provision does not find any reference in the Cape Town Convention or the Aircraft Protocol. So, what could be the clarification and what is your say on this? I would like to know about it.

Similarly, in this case, it is the duty and it is the responsibility of the debtor also. When it is under moratorium, indemnity is given and indulgence is given. We now need to remove this by this legislation that during that period preservation, expenses, and maintenance, which are incurred on the flight or an aircraft, is not profit; that is on the contrary where the cost would go. Whether it will be cost taken up, or it will pass on to the lessor, or the debtor needs to be explained. I think the hon. Minister should explain this because this is a grey area where this legislation needs to put some light, and it should be corrected before it becomes a law.

Naturally, our country has the potential to grow, which would add to our economy and bolster the aviation industry also.

Thank you very much, Sir.

(ends)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : अगर सभा की अनुमति हो तो विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, जी।

माननीय सभापति : मेरे पास काफी वक्ताओं की लिस्ट है।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the House was adjourned today at three in the morning, and again, the House is going to extend. Why do you not take it up tomorrow? ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप तीन-तीन मिनट में अपने विचार रखिये।

(1900/SMN/VB)

1900 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I stand on behalf of the Nationalist Congress Party Sharad Pawar in support of this Bill, 'The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill'. I would take this opportunity to congratulate the young Ministers Mr. Naidu and Mr. Mohol. It is a coincidence that Mr. Mohol first time got elected and he comes from the same city. We share our border in my Constituency. He comes from Pune city and I come from Baramati. What is nice about this entire Bill is when Rudi Ji talked about opening the sky, I remember those days in India when you had to endlessly wait beyond waiting lists, and then it was the visionary leader Shri Manmohan Singh Ji who unfortunately we lost, who truly opened up these skies for this country. And that is when, the airports opened up. I remember going to these airports which are really little. That has now completely changed the face and the economy of this entire aviation field as well as many services.

It was an indigenous programme Atma Nirbhar Bharat which was started under the leadership of late Shri Manmohan Singh Ji. That was the time we had the most wonderful, that was actually the time India really knew what service was there in the aviation industry. We even had global players. We had Jet airways flying to London, to New York; we had Kingfisher flying globally. There are many such big success stories. And about the Go Airways airlines, many people were going to Phuket, and going to Maldives. Truly, we were a global failure. But clearly, there was something between the lip and the cup, in the policy actually which should have been intervened at that time. This is a good Bill but it is a delayed Bill. Actually, justice delayed is justice denied. I wish this Government had stepped in when actually the Go Airways needed the help, when all the other airlines needed the help, the Kingfisher needed the help, in whatever way. Now, who did it, what the promoter did, that is not what I am getting into. What I am simply saying is, they should have stepped in to save these three airlines – be it Jet Airways or be it Kingfisher or Go Airlines. These were all wonderful

international brands which the Indian people had and thousands of people benefitted, the people who were actually international players by getting jobs – be it the pilots, be it the air hostesses and the support staff. But it is unfortunate what happened. But, better late than never. I congratulate both Mr. Mohol and Mr. Naidu for bringing in this Bill.

There were just three or four very small points which I would like to highlight which most of my colleagues have mentioned but I would like to reiterate. One is the strengthening of the dispute resolution mechanism. I think this is most critical in this Bill. My colleague even Krishna Ji said about the timelines of the rule making. The reason why those three airlines collapsed was, there was no strong dispute mechanism, nor with the rules ready. Clause 6, which Mr. Premachandran has mentioned, is related to the insolvency. The word in that is the remedy. I think this is most critical. How is this insolvency clause 6 going to really expand into a reality? This is something on which we need a clarification. The DGCA needs to be more interactive. There is a mention of this as well. If you are really going to be so interactive and engaging with every stakeholder, where even the airlines need to have more easy access to DGCA because they are both on the same tab; they are on the same side. The DGCA is not competing with airlines. So, if there are more, better, friendlier, warmer relationship of trust, I am sure the airlines will be far more efficient.

There is one small point. Actually, it is just a coincidence that today, Shri Hardeep Puri talked about all the fuels. We welcome that step but the whole point on fuels is this. What are the targets? If we are saying we want greener, even the sustainable emission fuel, the prices should go down, which all my colleagues are talking about. This Government keeps talking about innovation but the innovation is worth it, not just for them to clap for each other, but when the consumer gets the benefit of it because the prices vary from State to State. So, unless the taxes on the fuel prices go down, be it what Hardeep Puri Ji was saying this morning or what challenge Mr. Naidu faces in the aviation. Unless the taxes go down and the good green fuels do not come in, this problem is never going to get solved. So, I take

this opportunity to tell them that try and innovate, globally, a lot of changes in this airline industry. It is a volatile industry. I disagree with Mr. Krishna Ji with full humility when he says that there are people who are talking in.

(1905/SM/PC)

I do not think so. An aspirational Indian today, whether it is railways or airlines, is travelling because there are times when the railway fares and airline fares are similar. So, I think it is not fair to say that everybody is talking ill about airlines; all we expect from the airline industry is to be punctual and ensure that all tickets are affordable. There is a lot of mismanagement in this sector.

If punctuality is improved, airline fares are better, and good fuel management is implemented, I am sure India will become a big global player in aviation, like Emirates and other major players. Therefore, I support this Bill and congratulate both these young Ministers who are truly trying to make a difference in the Aviation Ministry. Thank you.

(ends)

1906 बजे

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले शिवसेना पार्टी, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी और लोक सभा में हमारे गट नेता श्री श्रीकांत शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया।

आज हम the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, पहले यह भी याद दिलाना जरूरी है कि यूपीए के समय देश की अर्थव्यवस्था एक विमान की तरह थी, जो उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पायलट ही फिक्स नहीं था। अभी-अभी डॉ. मनमोहन सिंह जी का उल्लेख यहां हुआ। डॉ. मनमोहन सिंह जी जैसे सम्मानित व्यक्ति पायलट जरूर थे, लेकिन कंट्रोल कोई दूसरा आदमी ले रहा था। वह बच्चे जैसी हरकतें कर रहा था, जिसे खुद प्लेन उड़ाना था। इसीलिए, उसने डॉ. मनमोहन सिंह जी का अपमान किया और खुद पायलट बन गया।

उन्होंने यूपीए नाम की फ्लाइट को ऐसा क्रैश किया कि वह फ्लाइट आज तक दोबारा उड़ान नहीं भर पाई। हमारे महाराष्ट्र में भी श्री उद्धव ठाकरे जी को पायलट बनाने की कोशिश की, लेकिन वे टेक-ऑफ नहीं ले पाए। आज हमारे पास एक ऐसा कैप्टन है, जो न केवल वायुयान, बल्कि पूरे देश को फाइटर जेट की स्पीड से आगे बढ़ा रहा है, वे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी। मैं बधाई देता हूँ हमारे युवा मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी और हमारे महाराष्ट्र के श्री मुरलीधर मोहोल जी को, जिन्हें इस अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है।

मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह क्षेत्र और तेजी से उंचाइयां छुएगा और प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करेगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे। वर्ष 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, वहीं वर्ष 2024 तक यह संख्या बढ़कर 157 हो गई। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डों तक पहुंचने का है। उड़ान योजना के तहत 600 एयर-रूट्स चालू किए गए, जिनमें लगभग 28 परसेंट दुरुस्त और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ा गया है। अब तक सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, जिनमें 12 पहले से ही चालू हो चुके हैं।

यह विधेयक सिर्फ तकनीकी और कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के एविएशन सैक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित करने की दिशा में एक विजनरी कदम है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य है कि एयरक्राफ्ट, हैलिकॉप्टर्स, इंजन्स जैसे हाई वैल्यू मोबाइल इक्यूपमेंट्स पर मालिकाना हक और वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म इंटरनैशनल लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब तक भारत में इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं था।

इसलिए, यह the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025 लाया गया है, जो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में कानून का दर्जा देता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहले यह डीजीसीए (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को एक रजिस्टरीय अथॉरिटी के रूप में नियुक्त करता है। डीजीसीए को एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन और डीरजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। साथ ही, उसे यह शक्ति दी गई है कि उन संधियों को लागू करने के लिए निर्देश जारी हो सके।

इस विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर एयरक्राफ्ट से जुड़ी कोई सेवा जैसे एयरपोर्ट सर्विसेज़, एटीसी चार्जेज़ आदि की पेमेंट बकाया है, तो भारत सरकार किसी भी पब्लिक सर्विस एंटीटी या किसी अंतर-सरकारी संस्था को उस एयरक्राफ्ट को डिटेन करने का अधिकार रहेगा।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सर, मेरा लास्ट पॉइंट है। ... (व्यवधान) भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र केवल ऊंचाई नहीं छू रहा है, यह देश की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक छवि को नई दिशा दे रहा है। यह क्षेत्र भारत के लिए नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसीलिए, पिछले वक्ता ने जो शायरी की थी, वही मैं भी वापस कर रहा हूँ : –

“ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है,
ज़िंदगी के कई इम्तेहान अभी बाकी हैं,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने,
अभी तो सारा आसमान बाकी है।”

धन्यवाद।

(इति)

(1910/RP/CS)

1910 hours

SHRI RADHAKRISHNA (GULBARGA): Hon. Chairperson, Sir, I am grateful to you for the opportunity given to me to speak on the Protection of Interests and Aircraft Objects Bill 2025.

First of all, I would like to express my gratitude to the hon. Minister Shri Naiduji. Whenever I had requested him for the development of our area, a quick response is being received by him.

Sir, my constituency Kalaburagi, formerly known as Gulbarga, is a home to a world-class airport, boasting the second-largest land strip in Karnataka after Bengaluru. However, despite this infrastructure, the region continues to face significant challenges in terms of flight connectivity and pending development projects.

Sir, Kalaburagi has been accorded special status under Article 371(J) of the Constitution of India due to its historical inequalities and socio-economic backwardness. To ensure the much-needed development and economic growth of the region, it is imperative to establish regular flight connectivity between Kalaburagi and other major cities such as Bengaluru and Delhi.

Therefore, I urge the Government to facilitate daily flights on the following routes – Bengaluru-Kalaburagi-Delhi, and Delhi-Kalaburagi-Bengaluru. In addition, several long-pending development projects in Kalaburagi Airport require immediate attention. The DGCA granted permission for all weather operations, including night operations, on May 17, 2023. However, infrastructure upgrades are essential to fully operationalize these permissions. Currently, Kalaburagi has only two parking bays. Once the night landing simulator trial is completed, at least, two additional parking bays will be required.

Therefore, I urge the Government to expedite the following critical pending projects of Kalaburagi Airport. First one is the resumption of flights to Delhi. Next one is related to increased flight frequency between Bengaluru and Kalaburagi. Next is the establishment of Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) facilities. There is a need of introduction of IndiGo flights and expansion of routes along with expansion of parking bays.

Here, I would like to mention that hon. Leader of the Opposition, Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge, and I have relentlessly pursued this matter, but to no avail. I strongly urge the hon. Minister, through you, to ensure daily flight operations between Kalaburagi and Bengaluru as well as Kalaburagi and Delhi. Additionally, I request the Ministry to issue immediate instructions to expedite the completion of these long-pending infrastructure projects.

I would end my intervention with a sincere hope that the Government will take swift action in this regard. Thank you, Sir.

(ends)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : श्री दर्शन सिंह चौधरी जी।

माननीय सदस्य, आप तीन मिनट में अपना भाषण पूरा कीजिएगा।

1914 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : महोदय, ठीक है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा केन्द्रीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अब हमारी हवाई सेवाएँ, जो बार-बार हमारे विपक्षी मित्र बोल रहे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की यात्रा और यह वास्तविकता में बदल चुकी है। यह वर्ष 2025 का भारत है। चूँकि हमारे भारत की परम्परा महान रही है। हमारे आदिकाल से, हमारी तो रामायण में गोस्वामी जी लिखकर गए हैं कि 'चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई' और वहीं से इस परम्परा को मन की गति से चलने वाले विमान हमारे भारत में हुआ करते थे।

(1915/RV/VR)

हम भले ही आधुनिकता में वर्ष 1913 से या वर्ष 1953 के इतिहास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उत्तरोत्तर में जो इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उसमें हमारे भारत ने बहुत प्रगति की है। उस प्रगति में यह जो हमारी सरकार का दस वर्षों का कार्यकाल रहा है, इसमें अगर हम कांग्रेस-नीत सरकार और हमारी सरकार की तुलना करें तो इसमें हमें बहुत अन्तर समझ में आता है। उनकी सरकारों में उड्डयन विभाग के लिए लगभग नगण्य बजट हुआ करता था। उनके 70 वर्षों के शासन काल में, जिसमें हमारी पार्टी के 5 साल की सरकार को अगर छोड़ दें तो उनकी सरकार के समय में 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, उनको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 157 कर दिए, जिनमें 83 नए हवाई अड्डे बनाकर इस क्षेत्र का विकास किया है। जहां तक बेड़ों की संख्या की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2014 तक कुल विमानन बेड़ा 400 विमानों का था, जो अभी यह 750 विमानों तक पहुंच गया है और इसमें लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आज जो वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक आया है, तो इस विधेयक से उन कंपनियों को, जिनको लॉस हुआ था, उन समस्त कंपनियों की सहायता करते हुए उनको जिंदा करने का काम किया जाएगा।

महोदय, यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, वे यह बता रहे हैं कि वर्ष 2030 तक विमानन विस्तार के लिए 170 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसमें 150 बिलियन डॉलर विमान आदेशों के लिए, 24 बिलियन डॉलर हवाई अड्डों के विकास के लिए होंगे। स्वदेशी इंजन का विकास किया जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उड़ान योजना में छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स को लिया गया है, क्योंकि अगर हम देश की दृष्टि से देखें, प्रदेश की दृष्टि से देखें तो यहां पर हमें विकास की अलग-अलग दृष्टि दिखाई देती है। आज वर्ष 2023 में हमारे यहां 32 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 9 सीमित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 100 से अधिक घरेलू हवाई अड्डे हैं। उसमें हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी अग्रणी हो गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे एक और मांग करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी में हवाई पट्टी भी बनी हुई है। मैंने पहले भी मंत्री जी से निवेदन किया है कि वहां पर हवाई सेवा दी जाए और इसके लिए जो भी अर्हताएं हैं, चाहे फॉरेस्ट की वजह से दिक्कत हो, उन सबको दूर करते हुए इसे किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की लाखों-लाख जनसंख्या और विदेशी तक हमारे पंचमढ़ी में आ सकते हैं। यदि वहां कोई दिक्कत आ रही है तो उससे लगा हुआ क्षेत्र मटकुली है। यहां पर जितनी जमीन चाहिए, वह मध्य प्रदेश सरकार दे देगी। मध्य प्रदेश सरकार से बात हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां जरूर से एक हवाई अड्डा दें, नहीं तो फिर हेलिकॉप्टर सेवा दें, जिससे हम 'हवाई चप्पल' पहनने वालों को भी कम से कम हेलिकॉप्टर में बिठाने का काम करें।

“मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।”

“फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।”

महोदय, यह मोदी जी का भारत है। मैं पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1915 hour

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, kindly give me at least three minutes. Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity.

Sir, this piece of legislation is vital and significant. The legislation is inevitable now, and we are committed to do it because India is a signatory to the Cape Town Convention, 2001. It is learned that 80 countries have ratified the Convention and its Protocol.

Sir, as far as India is concerned, we are committed to do it. Even though it is late, as it was adopted in 2001. Maybe, because of the hon. dynamic Minister, this Bill has come to the Parliament. Anyhow, better late than never.

(1920/AK/GG)

I congratulate the Minister for taking up the matter at this stage.

The Indian aviation sector is one of the world's largest growing aviation markets. India's air travel sector has experienced a rapid growth with an estimated market size of \$13.89 billion in 2024 that is expected to reach \$26.8 billion by 2030. This growth is really very good, and we hope that we will have better performance in the future.

There are challenges before us. First is the growth rate and scope of aviation sector. Are we equipped with the finances? This is a problem that is to be discussed in detail. Secondly, budgetary support and other kind of resource-making efforts should be streamlined. Until and unless these kinds of things are done, we will have a block in our fast-moving activities.

India is a fast-growing country and we have to modernize it using modern technologies. We always have had a good name in it. There may be some limitations for the Minister in doing the things, but things have now started moving in that way. I hope that he will take swift action on all these issues.

Towards the end, I would like to say one more thing. The hon. Minister may be knowing about the issue as it is by heart to him. It is with regard to the Calicut airport. I had gone to him several times to discuss this issue with him. There is inconsistency in the charge of airfares. It still remains as it is. We had high expectations. People were saying that we will get some relief and the exorbitant charges will be controlled, and the Haj pilgrims will have better things.

In addition, I would like to mention one more issue. The Gulf Air has withdrawn as it is not there in the summer season schedule. It was a relief for the passengers. You know about it very well. It was the best international flight charge-wise and convenience-wise. It was a relief for the passengers. Now, they have withdrawn it.

I would humbly request the hon. Minister to have a talk with them and try to find out a way to bring it back. With these few words, I thank you very much.

(ends)

1922 बजे

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदय, विमानन वस्तुओं की सुरक्षा विधेयक, 2025 पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यह विधेयक भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक विमानों और उनसे संबंधित उपकरणों की सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। विमानन उद्योग आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और इसे और अधिक सुरक्षित व्यवस्थित और स्थिर बनाने के लिए हमें ऐसे कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो विमानों और उनसे संबंधित उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हम देख रहे हैं कि भारतीय विमानन उद्योग पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। जहां वर्ष 2013 में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 8.5 करोड़ थी, वहीं आज वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 16 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से विस्तार करने के साथ ही विमानों के खरीदने, रखने और संचालन से जुड़ी विभिन्न जटिलताएं भी उत्पन्न हो रही हैं।

राजीव प्रताप रूड़ी भी बैठे हैं, जब ये इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। क्योंकि जितना अनुभव इनको हवाई जहाज उड़ाने का है, उतना ही अनुभव मंत्री के रूप में इस विभाग को चलाने का इनको रहा है। इन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं कि कैसे हम हवाई क्षेत्र में अपने को और सशक्त और मजबूत बनाएं। कैसे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करे, उसको साकार करें। उस पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन बात करते-करते अंत में पटना पहुंच गए कि पटना का जो हवाई अड्डा है, बस वह बड़ा मजबूत हो जाए। जब कि हमारे देश में अन्य बड़े-बड़े शहर हैं, जो उद्योग नगरी भी हैं और क्रांति धरा भी हैं, जो हवाई यात्रा से नहीं जुड़े हैं, हवाई सेवा से नहीं जुड़े हैं, उनकी चर्चा बहुत जरूरी थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरठ, जो क्रांति की धरा है, क्रांति की भूमि है, सन् 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का काम मेरठ से हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधान मंत्री रहे और अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है।

(1925/MY/UB)

अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। मेरठ उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मेरठ में हवाई पट्टी तो है, लेकिन वहां से अभी कोई वायुयान चलाने का काम नहीं हो रहा है। मेरठ एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग नगरी है। यह खेल उद्योग नगरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, चाहे पूरी दुनिया में कहीं के भी खिलाड़ी हो, देश और दुनिया में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो मेरठ के बने बैट से हमारे खिलाड़ी क्रिकेट खेलने का काम करते हैं।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

माननीय सभापति: मैंने आपको दो मिनट ही दिया था।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका तीन मिनट समय पूरा हो गया।

... (व्यवधान)

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : मेरठ में बैंड बाजा उद्योग है। पूरी दुनिया में वहां के वाद्य उपकरण जाते हैं। वहां हवाई पट्टी नहीं है। मेरठ में रैपिड रेल है, मेट्रो रेल है। मेरा बागपत लोक सभा क्षेत्र है। यहां हवाई पट्टी नहीं है। वहां हेलिकॉप्टर नहीं जाता, हवाई जहाज नहीं जाता। बागपत में मेट्रो रेल नहीं है, रैपिड रेल नहीं है। लेकिन, मेरठ में रैपिड रेल भी है। वहां हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वह ऊर्जावान मंत्री है। वह जब से मंत्री बने हैं, यह विभाग बहुत मजबूती के साथ सशक्त बनते जा रहा है। मुझे भरोसा है कि मेरठ की हवाई पट्टी से हवाई जहाज उड़ेंगे। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे और उनको हवाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं... (व्यवधान)

(इति)

1926 hours

*DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Bill has been brought in this House to legally validate the signing of our country in the Capetown Convention of 2001 and the Protocol of 2008 in this regard. We can understand how progressive we are in this field while we are validating legally by bringing this Bill after so many years of delay. Aircrafts, helicopters, engines are categorised as Aircraft Objects in this Bill. Sir, through you, I want a clarification from the Hon Union Minister of Civil Aviation that Drones are included in the term “Aircraft” under this Bill. Because, this Bill provides powers to the Central Government and the other entities to arrest or detain such an aircraft object. Drones are nowadays in used various ways especially for commercial as well as for war purposes. Therefore, I want to know whether drones are included in this Bill under the term Aircraft Objects. When this Bill was passed in Rajya Sabha, Hon Minister for Civil Aviation gave an assurance there that the Government is taking strong measures to reduce the airfare. Many MPs also have been urging here in this House, time and again, that the air fare should be reasonably reduced. With the use of advanced technologies like Artificial Intelligence (AI), Airlines are free to fix the air fare and when you search for booking an air ticket in a particular route, immediately the ticket fare is increased from Rs. 35,000 to Rs. 72,000. This is a big exploitation being made by the airlines and air operators, I therefore urge that a system should be devised for having a nominal and justified air

* Original in Tamil

fare. There is a demand pertaining to my constituency. On the border of my Viluppuram parliamentary constituency and Puducherry parliamentary constituency, there is an airport on the Puducherry side. Land acquisition should be made for expansion of this airport. Major portion of such a land is in the territory of Tamil Nadu. Government of UT of Puducherry does not have such a large amount of funds to procure that part of land in Tamil Nadu for airport expansion. Therefore, The UT Government of Puducherry has been requesting the Union Government to allocate funds for acquiring lands for airport expansion. If those lands are acquired and this airport is expanded, there will be industrial development, besides developing opportunities and facilities relating to tourism in this area. This will be beneficial to both Viluppuram district and Puducherry Union Territory. I urge the Union Minister for Civil Aviation to kindly consider this demand and help to early fulfilment of this demand.

Thank you.

(ends)

1929 hours

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Sir, I would like to start by congratulating the youngest Cabinet Minister, Shri Ram Mohan Naidu ji who is ensuring the passage of two Bills within one year of his tenure. He has shown great leadership and taken commendable initiatives to drive the growth of the aviation industry.

The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, is one such landmark reform. This Bill will strengthen India's aviation sector and encourage investment in aircraft leasing.

(1930/GM/CP)

India is one of the fastest growing aviation markets in the world and nearly 80 per cent of commercial aircraft is leased from foreign lessors. This is significantly higher than the global average of 53 per cent. Leasing allows airlines to operate modern fleets without the heavy burden of buying aircraft. But until now, India's legal framework has failed to provide adequate protection to aircraft lessors and financiers. This gap in our laws has made leasing more expensive for Indian airlines and has discouraged global leasing companies from investing in India. A glaring example is the Jet Airways bankruptcy where the foreign lessors struggled to reclaim their aircraft due to legal and procedural delays. This has led to a lack of confidence in India's leasing market.

The Bill before us today is a much-needed step in the right direction. It gives statutory backing to the Cape Town Convention and its Aircraft Protocol which India acceded to in 2008 but did not fully implement. This Bill will ensure that aircraft lessors can reclaim their aircraft within two months in case of payment defaults, reducing prolonged legal battles; make the DGCA the designated authority for managing aircraft ownership records and ensuring compliances; encourage aircraft leasing companies to set up facilities in India, particularly in GIFT City in Gujarat where India is developing its own aircraft leasing hub; lower the leasing cost of airlines, reducing operational expenses and ultimately benefiting passengers through competitive ticket price.

Hon. Chairperson, this Bill will help Indian airlines secure better leasing terms, improving their financial health and allowing them to expand their fleet more efficiently. The Government's vision of making India a global aviation hub cannot be realized without a strong and reliable leasing ecosystem. This Bill is

a crucial step towards the goal. However, while this Bill tackles the leasing issues, we must also address a broader concern, the lack of competition in our aviation sector. Today, India's skies are dominated by just two major airlines, creating a duopoly that limits consumer choice. That hinders new entrants from establishing themselves. To foster a more competitive aviation market, we must ensure ease of access to capital for the aviation industry. The aviation sector is capital-intensive and Indian banks are often reluctant to lend to new airlines due to high-risk perception. This forces new entrants to lease aircraft from foreign lessors at higher costs or seek expensive aircraft funding. To change this, the RBI should create a special aviation credit guarantee scheme that protects banks against defaults on aircraft financing. This will encourage financial institutions to lend new airlines at competitive interest rates, reducing dependence on foreign financiers.

I have one more request for the hon. Aviation Minister. There are 35 per cent less jobs than actually required in the civil aviation industry. Kindly fill them and recruit people immediately to be future ready. Hon. Chairperson, this Bill is a step in the right direction to ensure growth in the aviation industry in India. On behalf of Jan Sena Party, I extend full support to the Bill.

(ends)

1934 hours

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to engage in a critical discussion on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025. While this legislation aims to align India's aviation laws with international standards, particularly the Cape Town Convention, it is imperative to scrutinize its implications within the broader context of our nation's aviation challenges.

At the outset, I acknowledge the Government's intent to provide legal clarity in aircraft leasing and financing by implementing the Cape Town Convention and its Protocol. This move is anticipated to bolster the aircraft leasing industry in India, potentially reducing operational cost for airlines and ideally leading to more affordable travel for our citizens.

As a representative from Kerala, I must highlight the pressing issues that continue to plague our State's air connectivity. Recently, direct flights such as the Kochi-London route have been terminated by Air India. I had discussed the matter with the hon. Minister. This has severed essential links for our expatriate community and students abroad. This decision, despite high demand, disrupts lives and livelihoods. Then there is cancellation of key domestic and international routes. The suspension of services on routes like Bahrain-Thiruvananthapuram and Kochi-Delhi by Air India Express exacerbates the challenges faced by travellers, especially during peak festive seasons. Many passengers complain that in international flights via Delhi or Mumbai to Kerala, through booking of luggage to the final destination is not allowed. The cumulative effect of reduced connectivity is the surge in ticket prices, making air travel prohibitively expensive for the average citizens. This trend not only affects personal travel but also hampers business and tourism, vital components of Kerala's economy.

(1935/SRG/NK)

While the protection of interest in aircraft objects will address certain aspects of the aviation sector, it remains silent on the regulation of airfares. The absence of a regulatory mechanism allows airlines to set prices that may not reflect fair market practices, leading to exploitation of passengers, especially in regions with limited alternatives. So, to truly revitalise India's aviation sector and to ensure equitable benefits for all regions, I propose measures like establishment of an Airfare Regulatory Authority. ... (*Interruptions*)

A dedicated body to oversee and regulate ticket pricing, ensuring transparency and fairness is essential. This will prevent arbitrary pricing and protect consumers from exorbitant fares.

Another suggestion is with regard to restoration and expansion of flight routes. The Government must actively engage with airlines to reinstate discontinued routes and introduce new ones, particularly connecting underserved regions like Kerala to major domestic and international destinations. There has been a long-standing request from Kerala to give Kannur Airport the point of call status for more international airlines to operate to and from that airport. ... (*Interruptions*) What is the point? ... (*Interruptions*) After sinking so much money, very few flights are being operated from Kannur. If point of call status is given, there will be more international flights. ... (*Interruptions*)

(ends)

1936 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आज वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण, विधेयक, 2025 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है जिसमें मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन, एयरक्राफ्ट उपस्कर से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हितों का प्रोटोकॉल, जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो इसका मकसद एयरलाइन की लीजिंग लागत को कम करना और विमान पट्टेदारों के हितों की रक्षा करना है। मैं मंत्री जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। मंत्री जी ने कहा कि बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में अतिरिक्त हवाई अड्डे की जरूरत है, यह सही बात है।

मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में विमानन क्षेत्र में आश्चर्यजनक उछाल देखा गया। वर्ष 2014 में घरेलू यात्रियों की संख्या 60.7 मिलियन से बढ़कर 2024 में 161.3 मिलियन हो गई जबकि इन अवधियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 43 मिलियन से बढ़कर 66.8 मिलियन हो गई। भारत के विमानों का बेड़ा 2014 में 329 से बढ़कर 2024 में 840 हो गया। जिस जिले में संभावनाएं हैं, वहां हवाई पट्टियों के विकास के स्वरूप को तलाशते हुए वहां घरेलू उड़ान शुरू करनी चाहिए।

आज क्षेत्रीय संपर्क योजना के माध्यम से देश का आम नागरिक जाए, जैसी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुंभ के समय का आप देख लें कि कैसे एयरलाइन कंपनियों ने लूट मचा रखी थी और सरकार का कोई नियंत्रण एयरलाइन कंपनियों पर नहीं था। लंदन जाना कुंभ जाने से सस्ता था। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जिला मुख्यालय से हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग मैंने आपसे कई बार की है। 6 फरवरी, 2025 को इसी सदन में आपने कहा कि पांच दौर की बोली लगने के बावजूद किसी भी एयरलाइन कंपनी ने नागौर में आरसीएस उड़ान का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

मंत्री जी नागौर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूरी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार को भेज दी है। मेरी मांग है कि यहां व्याप्त कमियों को दूर करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नागौर में हवाई सेवाएं शुरू की जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र के दूसरे जिले डीडवाना-कुमायन में नई हवाई पट्टी विकसित की जाए।

1939 बजे

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

यह विधेयक एयरलाइन और लीज पर पट्टा देने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की बात करता है। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि सुरक्षा किस स्तर पर लागू होगी, क्या यह केवल कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए लाभकारी होगा या आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा से जुड़ी समस्याओं को भी हल करेगा? जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो इन बातों का भी ध्यान रखें। घरेलू उद्योगों की अनदेखी, भारत सरकार इस विधेयक के माध्यम से विदेशी कंपनियों के हितों को प्रथमिकता दे रही है। यह विधेयक घरेलू विमानन उद्योग और भारत में निर्मित विमानन उपस्करों को बढ़ावा देने की बजाए विदेशी समझौतों की अनुपालना में अधिक रुचि दिखा रहा है। जबकि एयर इंडिया की स्थिति देखो, आपने एयर इंडिया को बेच दिया, फिर भी हालत नहीं सुधरी। हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी को टूटी हुई सीट मिली।

(1940/MK/RCP)

उन्होंने उसके बारे में ट्वीट भी किया था। आपने उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की होगी। आप और भी कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम तो चाहते हैं आप सांसदों के प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखिए।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : हनुमान बेनिवाल जी, आप अपने क्षेत्र राजस्थान के बारे में बात कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, मैं वही कर रहा हूँ। अब आप आ गए हैं, आप मुझे एक-डेढ़ मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा।

सर, क्या यह बिल 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के खिलाफ है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार "मेक इन इंडिया" की बात करती है, लेकिन यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी लीजिंग कंपनियों पर अधिक निर्भर बना देगा। क्या सरकार ने भारतीय विमान निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए कोई योजना बनाई है? आज आप अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के उद्देश्य से यह बिल रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे विधेयक के आने के बाद भारतीय कानूनों और न्यायपालिका का महत्व कम होगा या नहीं? माननीय मंत्री जी आप इसके बारे में अपने जवाब में जरूर बताइएगा।

यदि एयरलाइंस पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, तो वे टिकट की कीमतें बढ़ा सकती हैं। सरकार इस संभावित प्रभाव का कोई अध्ययन किए बिना यह बिल लेकर आई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि क्या आप विदेशी कंपनियों के हितों के संरक्षण के लिए यह बिल ला रहे हैं? काश आप घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान भी रखते। अगर आप एयर इंडिया को नहीं बेचते तो शायद देश में अच्छा संदेश जाता।

सर, मैं आधे मिनट में अपने इलाके के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ। एक गंभीर विषय यह है कि एयरपोर्ट्स पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, आप देख सकते हैं कि उसके लिए आम आदमी से किस तरह से पैसा वसूला जाता है। विद्यार्थी, कर्मचारी और मजदूर भी अब उड़ानों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार को टिकटों के रेट पर नियंत्रण रखना चाहिए।

कुछ विशेष सुविधाएं छात्रों, मजदूरों और हर व्यक्ति को मिले। समान रूप से, आप जिस तरह से रेल सेवा में करते हैं, उसी तरह से विमान सेवा में भी आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे, उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

सर, मैं एक और मांग करना चाहता हूँ। मैं एक बार विमान के अंदर जा रहा था, उसमें किसी की तबीयत खराब हो गई थी। विमान के अंदर भी, जहां इमरजेंसी हो, वहां कैसी व्यवस्था हो, उस बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1942 बजे

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, भारत एक गौरवशाली क्षण से गुजर रहा है। यहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और 'उड़ान स्कीम' के द्वारा जनता, जो चप्पल पहनती है, वह भी जहाज में जा रही है। मैं उस जगह से आता हूं, जहां पर डबल इंजन की सरकार ने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश आज नम्बर वन है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मेरा क्षेत्र गोरखपुर है, जहां आप भी आते हैं। मैं आपसे अक्सर वहां पर मिलता हूं। आप भी वहां से चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं, पहले तो माननीय मंत्री जी आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे तीन नये हवाई जहाज दिए हैं। तीन नये हवाई जहाज से अब गोरखपुर में हवाई जहाज की फ्लाइटिंग की मात्रा बढ़ गई है। वहां से 26 एयरक्राफ्ट्स टेक-ऑफ करते हैं। उनमें चार दिल्ली की ओर और तीन मुंबई की ओर टेक-ऑफ करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद और बंगलुरु की ओर भी टेक-ऑफ करते हैं।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी उदार हैं। आप इनसे जो भी मांगेंगे, ये आपको दे देंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ... (व्यवधान) हनुमान जी, हमारे यहां ढाई से तीन हजार लोग रोज ट्रेवल करते हैं। हमारे यहां 'गिडा' इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा एम्स है। हमारा क्षेत्र नेपाल और बिहार से जुड़ा हुआ है। कुशीनगर से भी जुड़ा हुआ है। वहां बौद्धिक पर्यटन स्थल भी है। हमारे माननीय सांसद विजय दुबे जी यहां बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान) यह देश जग गया है। वक्फ बिल के पारित होने के बाद यह देश ऐसा जगा हुआ है कि सभी लोग आनंदित हैं। हनुमान जी भी जग गए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि हम गोरखपुर में डिफेंस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि गोरखपुर अब 24x7 की कैपेसिटी वाला हो चुका है, वहां पर राज्य सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

(1945/SJN/PS)

मंत्री जी, उसको बनने में तीन साल लग जाएंगे। आप 24x7 की सुविधा दे दीजिए। इंडिगो हो या कोई भी अन्य एयरलाइन हो, मैं आपके समक्ष लिखित रूप से मांग पत्र भेज दूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर डिफेंस एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अब चार नए एप्रन भी बन गए हैं, where four big aircraft can be parked at the same time. We were suffering earlier since only one aircraft could be parked.

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : अभी तो केवल एक ही हवाई जहाज खड़ा हो पाता है। दूसरे हवाई जहाज को इंतजार करना पड़ता है। अभी नहीं हो रहा है, मई माह में होगा।

... (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मई माह में चार बड़े हवाई जहाज एक साथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिसका काम डिफेंस वाले ही कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। चूंकि आप मेरी बातों और उन सारी रोजमर्रा की तकलीफों से वाकिफ हैं, इसलिए उसकी सख्त जरूरत है।

माननीय सभापति : आप मंत्री जी से कमिट करवा लीजिए कि गोरखपुर में जल्द ही एक सिविल एयरपोर्ट बन सके।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आप चाहते हैं कि गोरखपुर में एक सिविल एयरपोर्ट बने और मैं भी वही चाहता हूं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है...(व्यवधान) मंत्री जी, वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है। मैं एक कलाकार और सांसद के रूप में वहां की जनता की सेवा भी करता हूं। वहां पर्यटन का स्थान है। इसकी बहुत जरूरत है कि आप वहां पर एक सिविल एयरपोर्ट बनाएं।

(इति)

1946 hours

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak.

I rise to support the Bill because I believe that it is a well-intentioned Bill brought in by the young Minister. Yes, there is so much more that they could have done. But, I believe, it is a step in the right direction.

The protocols of the Cape Town Convention of 2001 were brought in 2008. It has been 17 years. After 17 years, they are implementing these protocols primarily by this Bill and it is a good idea to bring them now.

The World Bank has shown the protocols. Since they have been brought in, they have reduced the delays in enforcement from ten months to two months. पहले उसमें 10 महीने लगते थे, now, it is down to two months internationally. So, yes, it is going to help us.

हम सब प्राइसिंग की बात करते हैं, किराये की बात करते हैं, आप कितनी ब्याज दर पर प्लेन ले रहे हैं और लीजिंग रेट्स क्या हैं, यह उस पर निर्भर करता है। अगर यह बिल पास हो जाता है, मैं यह अपेक्षा करूंगा कि लीजिंग का रेट कम हो, ब्याज दर कम हो, ताकि नए-नए लोग एयरलाइंस खोल सकें और एयरलाइंस वाले नए-नए प्लेन्स खरीद सकें। मेरे छोटे से संसदीय क्षेत्र सांगली में भी कोई एयरलाइंस खोल सके। वहां से कोई विमान सेवा हुई है, कॉमर्शियल और फ्रेट वाले विमान सेवा की भी शुरुआत हो सके।

महोदय, मैं दो-तीन चीजें रेकमेंड करना चाहता हूं। One is about the IBC Act. Our Act will override the IBC provisions. But Section 238 of the IBC Act also mentions that it will have overriding effects. So, I think, some clarity is required in that department. Clause 9(3) allows for aircraft detention by the Government. शायद इससे जो लेंडर है, जो लीजिंग वाले हैं, वे कहीं डर न जाएं, क्योंकि अगर सरकार प्लेन ले जा रही है, तो हमारी वसूली कैसे होगी। ऐसी बहुत-सी छोटी-छोटी बातें हैं। But primarily, I think, it is a good Bill, and therefore, I am supporting it.

Thank you so much.

(ends)

1948 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): * (Thank you, hon. Chairperson, Sir. I am starting my speech by wearing black dress as a matter of protest to the Waqf Bill passed in this House yesterday.)

Hon. Chairperson, Sir, and respected colleagues, I stand before you today not just as an MP from Vellore but as a voice of Tamil Nadu and India. This is no law for progress; it is a shackle forged for foreign creditors, a dagger aimed at the heart of aviation sector and a slap on the dreams of my people.

Sir, this Bill hands foreign lessors a golden ticket to snatch their aircraft in just two months of default with no mercy for our struggling airlines. If an airline collapses under a creditor's tyranny, who pays the price? I say to this House that this Bill has to be rewritten to shield our airlines, not deliver them to foreign creditors. And what about the DGCA? They are called a registry authority, but it is a toothless tiger; a clerk scribbling dues while foreign financiers run riot.

Sir, we need a DGCA that fights for us and not one that bows to the global profiteers. I demand a real power for the DGCA to protect the aviation industry. There is an insult to insolvency also -- 60 days to keep an aircraft, tied to payments. No distressed airline can afford it.

(1950/SMN/SPS)

It is a death sentence. If an airline falls, India's connectivity crumbles.

This House must be very strong to re-write this Bill because the Government says that the prices will be cheaper by 8-10 per cent. Where is the proof? Mark my words. Creditors will tighten the grip. Airlines will bleed for the high rising fares.

Sir, I have my humble request to the hon. Minister. Though I do not believe in the Government, I still believe in the Minister. I have been asking this Government for the inauguration of Vellore Airport. The deepest wound is Vellore airport. For years, we have begged and waited with hope. Vellore

* () Original in Tamil

is a hub for education and healthcare. Tamil Nadu deserves better. I stand here to demand a Vellore Airport within six months of time. Through this Bill, I do not find any promise for my people.

Finally, Sir, I have an important thing but it is a common issue. When we book a ticket in any of the airlines, we have to pay the upfront money but when we cancel the ticket or downgrade the class, the airlines refund the money after a long time, provided we had to go and stand in the queue and ask for the refund which is not good. It has to happen automatically. When the airlines take our money at the time of booking, they do not return the money when the cancellation or downgrade happens in the ticket. So, the Minister has to intervene and protect the consumer rights.

Again, I tell this hon. House we do not believe in this Government but we believe in the Minister. So, the Minister has to take a good action.

(ends)

1952 बजे

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद कि आपने मुझे वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। हम वास्तव में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि उनके कार्यकाल में पूरे देश के एयरपोर्ट्स की संख्या ने जिस तरह से वृद्धि की है, वह आज आम लोगों के सफर का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। माननीय उड्डयन मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं एक सुझाव के तौर पर कह सकता हूं कि एयरपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि हो, यह तो देश के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे अधिक आवश्यक यह है कि जहां एयरपोर्ट्स का निर्माण हो चुका है, वहां व्यवस्थित रूप से उड़ानें भी होती रहें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा दंश कोई झेल रहा है तो वह हमारा कुशीनगर जनपद है।

1953 बजे

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

महोदय, बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का लक्ष्य लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद स्पाइस जेट से कुशीनगर से दिल्ली, दिल्ली से कुशीनगर चार महीने नियमित उड़ानें हुईं, लेकिन चार महीने अनियमित उड़ानों के बाद खराब मौसम का बहाना देकर उन्हें बंद कर दिया। आज डेढ़ साल से ऊपर हो गया, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दो साल हो गए हैं, वह कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका रन वे पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी हवाई अड्डे से बड़ा है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर करोड़ों रुपये प्रति माह राजस्व की क्षति, चाहे सुरक्षाकर्मी के रूप में, चाहे स्टाफ के रूप में सरकार उठा रही है।

आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीवीओआर का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। क्या ऐसे समय कुशीनगर की उड़ानों को इंडिगो द्वारा प्रारम्भ कराकर, जिसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को आगे ले जाने का लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को सार्थक रूप देने का कार्य करेंगे? इसके साथ ही रोजगार के अवसर या कार्गो हब का निर्माण भी कुशीनगर के हवाई अड्डे से प्रारम्भ किया जा सकता है। आज पश्चिम चम्पारण, बिहार के यात्री हों या कुशीनगर के अगल-बगल के दर्जनों जिलों के यात्री हों, वे मजबूरन गोरखपुर हवाई अड्डे की सुविधा ले रहे हैं। यदि आप कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ करेंगे तो निःसंदेह उनको और भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कार्गो हब का निर्माण हो, जिससे गल्फ कंट्री जाने वाले लोग जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की सुविधा लेते हैं, वे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राप्त हों। मैं आज इस अवसर पर माननीय सभापति जी को धन्यवाद देता हूं।

(इति)

(1955/SM/MM)

1955 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I rise today to share my views on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, which aims to reform and modernize the regulatory and operational framework of civil aviation in India.

While the Bill reflects the Government's ambition to align India's aviation industry with global standards, I would like to draw attention to some critical administrative and technical challenges that must be addressed for its successful implementation.

Sir, today, multiple agencies, including the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Airports Authority of India (AAI), and the Ministry of Civil Aviation, operate in silos, leading to overall inefficiency. There is a pressing need to establish a single-window clearance system to streamline coordination and eliminate bottlenecks. Our aviation policies often lag behind global standards. For instance, regulations governing drone operations and airspace management have been evolving in isolation, creating uncertainty for investors and innovators. Regular policy reviews and updates are crucial.

Sir, acquiring land for new airports or expanding existing ones continues to be a major hurdle due to inconsistent state-level policies and opposition from local stakeholders. A centralised and uniform land acquisition framework with adequate compensation and rehabilitation is needed. Despite a growing aviation market, we face an acute shortage of skilled professionals. From air traffic controllers to maintenance engineers, we must invest in world-class training institutes and partnerships with global aviation academies.

Sir, unregulated constructions around airports, such as telecom towers and high-rise buildings, often violate safety norm and obstruct flight paths. Local authorities must enforce Obstacle Limitation Surface and strictly implement zoning laws. Many regional and remote airports continue to rely on obsolete air navigation systems. We must expedite the deployment of modern satellite-based navigation systems like GAGAN and upgrade surveillance technologies to ensure safe and efficient air traffic management.

As our aviation system becomes increasingly digitalized, cybersecurity must become a priority. Critical systems such as air traffic control, passenger data, and airport operations must be protected from cyber threats, with regular audits and contingency plans in place. There is a lack of consistency in environmental clearance, noise pollution norms, and carbon emission controls. The Bill must

incorporate mechanisms for sustainable aviation growth through regular environmental assessments and the adoption of green technologies.

Sir, India is poised to become one of the world's largest aviation markets. However, to truly realise this potential, we must address the administrative inefficiencies and technical shortcomings that have long plagued the sector. I urge this House to consider amendments to the Bill to promote regulatory clarity, technological modernization, skilled workforce development, and strong inter-agency collaboration. With the right implementation, India can not only ensure safer skies but also emerge as a global aviation leader.

(2000/RP/KDS)

Sir, now, I am coming to the demands of my State. The hon. Minister is very much aware of the proposal to develop the Sabarimala Airport. This is a proposal which is yet to be materialised. Thousands of Ayyappa devotees are coming to Shabrimala from Andhra Pradesh. We need an airport to cater to this need. I request the hon. Civil Aviation Minister to take up this matter.

Sir, a number of flights have been started from Trivandrum, Cochin, Kozhikode, and Kannur in Kerala. But, the only remedy for the poor Gulf passengers is the budget airlines. Then only these passengers can get a cheap ticket. Air India is one of the budget airlines. The Government has to start more budget airlines from Kerala to Gulf countries. Then only, our NRI passengers can get a cheap ticket.

There is another proposal for setting up of Air Kerala. I hope, the hon. Minister is very much aware of it. Some Middle-East people approached the Civil Aviation Minister to set up the Air Kerala. I do not know whether the Civil Aviation Minister has given approval to this.

As far as the connectivity is concerned, it is very less between Trivandrum-Chennai-, Bengaluru-Hyderabad. An Air India flight between Male- Trivandrum – Delhi has not yet been started after suspension during COVID-19. Same is the case with the flight between Trivandrum – Cochin – Delhi. It has also not started. There is a need to strengthen the air connectivity between Trivandrum-Madurai, Trivandrum-Coimbatore, Trivandrum-Mangaluru, and Trivandrum-Goa.

I also request the Government that Madurai Airport is a very important airport. We need more flights from Madurai to Singapore. That is also an important demand of the passengers from Kerala. Thank you.

(ends)

2003 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, आज आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर, जो विमान वस्तुओं में हितों की सुरक्षा से संबंधित है, बोलने का अवसर दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर पर भारत के विमानन क्षेत्र के बारे में रुडी साहब बैठे हैं और बोल चुके हैं, इसे मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कानून है। जिस विधेयक से केपटाउन कन्वेंशन हो, एयर क्रैप प्रोटोकॉल हो, इस विधेयक के बाद ये लागू होंगे और हमारे देश के कानून ग्लोबल स्तर के अनुरूप हो जाएंगे। अतः इस निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार इसे विश्वस्तरीय नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है, इस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में अगर हम कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं, तो यात्रियों को कैसे कम लागत से बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस संबंध में आप जो प्रयास कर रहे हैं, वह सराहनीय है। वर्तमान में एयरलाइन्स के परिचालन का जो खर्च है, ईंधन और तेल का 45.7 परसेंट, रखरखाव और मरम्मत के लिए 13.5 परसेंट, हवाई अड्डा उपयोग शुल्क 7.5 परसेंट, विमान चालक दल का वेतन 4.9 परसेंट, अन्य परिचालन खर्च 4.1 परसेंट, टिकट बिक्री और प्रचार खर्च 3.8 परसेंट, यह विधेयक विमान पट्टे जो लीज पर लिए जाते हैं, उनकी फाइनेंसिंग लागत को कम करेगा। अभी पीएसी की बैठक में निशिकांत दुबे जी, रुडी जी और हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए थे। काफी एक्सरसाइज की गई। सारा पैसा यानी एक्सपेंडिचर पैसेंजर पर आ रहा है। अतः अगर इस विधेयक को हम पास करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे जो लीज पर हैं, उनकी फाइनेंसिंग लागत भी कम होगी, एयरलाइन्स का परिचालन खर्च भी कम होगा, यात्रियों को हवाई यात्रा सस्ती मिलेगी। अगर यह होगा, तो इसका परिणाम भी तो दिखना चाहिए। अभी जिस तरह से रवि किशन जी ने गोरखपुर की बात की, अभी विजय दुबे जी ने बात की। आज पूरे देश में जहां 22 परसेंट ट्रैफिक हर साल बढ़ रहा है, दुनिया आज अगर भारत से प्रभावित है, तो हमारे इस बुद्ध सर्किट से आज दुनिया के तमाम देश जो गौतम बुद्ध जी के बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि पूरी दुनिया ने युद्ध दिया।

(2005/YSH/VR)

हमारे इस बुद्धिस्ट सर्किट से आज दुनिया भारत से प्रभावित है। आज दुनिया के देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो तमाम लोग हैं, चूँकि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि पूरी दुनिया ने युद्ध दिया, चाहे यूक्रेन हो, रूस हो, हमास हो या फिलिस्तीन हो तो दुनिया ने युद्ध दिया है, लेकिन भारत ने गौतम बुद्ध दिया है और वही गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में करुणा, ममता, शांति और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। उस संदेश के बाद अगर आप इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं तो यह भारत को ग्लोबल स्तर पर फाइनेंसियली मजबूत करेगा। इससे एयरलाइन्स कंपनियों को कम लागत पर विमान मिलेगा। रुडी जी ने बताया भी होगा, क्योंकि इनको जानकारी है और ये पायलट भी हैं। इस बिल के पास होने से हवाई यात्रा सस्ती होगी। विजय जी के यहां पर सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, जो वे कुशीनगर, कुशीनगर कह रहे हैं। कुशीनगर सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है। कुशीनगर गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली

है। जगदम्बिका पाल के सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में 19 बसंत ऋतुएं बिताई थीं। सारनाथ में उन्होंने पहली दीक्षा दी थी। आप इन चारों स्थानों को जोड़िए। उसके बाद पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहां पर आएंगे।

मंत्री जी, अभी आप यंग हैं और आप इस विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप इसे वैश्विक स्तर पर ले जा रहे हैं तो आखिर आपको इस विधेयक से यह लाभ तो होने ही जा रहा है। इस विधेयक को हम सब लोग पारित करेंगे। यहां पर बृजमोहन जी भी बैठे हैं और वे कह रहे थे कि आपको आज इसके लिए वादा करना होगा। या तो आप यह कहें कि इस विधेयक से कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन हम आपको इस विधेयक से लाभ बता रहे हैं कि जो पट्टेदार होंगे, उन पट्टेदारों और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा मिलेगी। विमान किराए पर देने वाली कंपनियों को भारत में लगेगा कि अब हमारा निवेश करना सुरक्षित रहेगा और उनको एक तरह से कानूनी सुरक्षा मिलेगी। यह सिर्फ एक विधेयक नहीं है। जब वर्ल्ड की कंपनियां आपको एयरक्राफ्ट लीज पर देती हैं या बेचती हैं और उनको जब लगेगा कि हमारी पूंजी यहां पर सुरक्षित है, हमारा किराया मिलेगा और कानूनी सुरक्षा भी है तो उससे निश्चित तौर से एयरलाइन्स को सस्ते ऋण मिलेंगे। उनको लीज सुविधा मिलेगी। आखिर इस विधेयक का यही तो फायदा है कि इससे निवेशकों को अधिक सुरक्षा मिलने जा रही है।

सभापति जी, आप भी सुन लीजिए। आपके यहां भी इस विधेयक का फायदा होगा। भारत को विमानन क्षेत्र में सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा, लीज भी मिलेगी और एयरलाइन्स भी बढ़ेंगी। आज से पहले उडान स्कीम नहीं थी, क्योंकि वह वायबल नहीं थी। आज अमेरिका के हर जिले में एयरपोर्ट है। आज आप यूएसए में चले जाइए, लास एंजिल्स से लेकर लास वेगास तक हर जगह एयरपोर्ट है। आज मैं सिद्धार्थ नगर और गौतम बुद्ध सर्किट की बात कर रहा हूँ। भारत में 22 प्रतिशत की दर से हर साल एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भारत एयरपोर्ट्स में या सिविल एविएशन में दुनिया का अग्रणी देश होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एयरलाइन्स जब कम लागत में विमान खरीदेंगी तो इससे कम्पटीशन भी बढ़ेगा। इसलिए आज आप वादा कर दीजिए कि बुद्धिस्ट सर्किट को आप एयरपोर्ट से जोड़ेंगे। यह कन्सर्न सिर्फ जगदम्बिका पाल का नहीं है, बल्कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का भी है, योगी आदित्यनाथ जी का भी है, रवि किशन जी का भी है और शशांक जी का भी है।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो चुका है। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, आज निश्चित तौर माननीय मंत्री जी इस चीज का वादा करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2008 hours

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU):

Thank you, Sir, I would like to thank all the hon. Members who have spoken during the discussion on the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, starting with Dr. M.K. Vishnu Prasad ji, Rajiv Pratap Rudy ji, whose knowledge and expertise, especially in the Civil Aviation subject is of no competition in this House, and definitely he always plays a co-pilot role to the Ministry in trying to guide us in a better way forward, then, Smt. Ruchi Vira ji, Smt. Pratima Mondal ji, Shri N.K. Premachandran ji, Shri C.N. Annadurai ji, Shri Lavu Srikrishna Devarayalu ji, Shri Ramprit Mandal ji, Shri Anil Yashwant Desai ji, Smt. Supriya Sule ji, Shri Naresh Ganpat Mhaske Ji, Shri Radhakrishna ji, Shri Darshan Singh Chaudhary ji, Shri E.T. Mohammed Basheer ji, Dr. Rajkumar Sangwan ji, Dr. D. Ravi Kumar ji, Shri T. Uday Srinivas ji, Dr. George Francis ji, Shri Hanuman Beniwal ji, Shri Ravi Kishan ji, Shri Vishaldada Prakashbapu Patil ji, Shri D.M. Kathir Anand ji, Shri Vijay Kumar Dubey ji, Shri K. Suresh ji and Shri Jagadambika Pal ji. चर्चा की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पांच से छः लोग बोलेंगे और एक घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी ढाई घंटे तक यह चर्चा चली है।

For two and a half hours we have been continuously discussing and about 25 hon. Members have spoken on this Bill with a great passion, with great involvement because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the Parliament and also in general with the citizens also.

(2010/RAJ/AK)

सभी की तरफ से सिविल एविएशन में इस तरह का उत्साह देखना, यह काफी स्वाभाविक है और यह आसान बात नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी के बारे में हनुमान बेनिवाल जी ने कहा है कि इसने जिस तरह से आश्चर्यजनक उछाल लिया है और यह उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है। इस उछाल के पीछे एक विजन था। भारत के सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था एवं उस मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। इसी की वजह से आज जिस तरह की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, हम वे सब हासिल कर पाए। For almost 65 years, from Independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country, flights were going around, and there were a lot of people still traveling through the air. But the numbers will say that till 2014, the total passenger traffic in the country was 10,38,00,000. वर्ष 2014 तक 10 करोड़, 40 लाख यात्री हवाई यात्रा करते थे। and by 2024, ten years difference, it grew from 10,38,00,000 to almost

22,81,00,000. यह पूरा डबल हो गया। काफी लोग कह रहे थे कि यहां सिविल एविएशन का बीज डाल दिया गया था, लेकिन अगर फल देखना है, तो केवल बीज डालने से काम नहीं होगा। हमें उसे पानी देना है। हमें उसकी देखभाल करनी है। बदलते हुए सीजन में भी हमें उस पेड़ को देखना पड़ेगा कि वह पेड़ किस हालात से गुजर रहा है। यह काम हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया है, तभी हम आज इस देश में इस तरह की ग्रोथ देख पा रहे हैं। पैसेंजर्स की ग्रोथ डबल हुई। जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, again, up to 2014, we had 74 airports in the country. अगर हम वर्ष 2024 में देखेंगे, तो 159 एयरपोर्ट्स, जब मैं बोल रहा हूं तो दो एयरपोर्ट्स अभी खुलने के लिए तैयार हैं। हमें जैसे ही प्रधान मंत्री जी की तरफ से डेट मिल जाएगा तो हम वे भी खोल देंगे। हम 159 एयरपोर्ट्स को 161 एयरपोर्ट्स कर देंगे। पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट्स की संख्या भी डबल हो गई है। Airports have doubled in the last 10 years, passengers traveling through air have doubled in the last 10 years, and most importantly as regards the number of aircraft also, which was around 340 in 2014, now if you come to 2024, there are 840 aircraft in the country. This is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also.

Now, with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do. That is the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country. There are so many countries across the world. No other country has seen this kind of progress or this kind of growth. कोई और देश इतने सारे एयरपोर्ट्स नहीं बना पाया। यहां जिस तरह से पैसेंजर्स की संख्या में ग्रोथ हुई है, वह कोई और देश नहीं दिखा पाया है। यह सिर्फ भारत में हुआ है और भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया है। पिछले दस सालों में सिविल एविएशन के जो हालात थे, वे इतने आसान हालात भी नहीं थे। There were a lot of challenges in the country. To start with, in 2019, the Jet Airways जेट एयरवेज इतने लंबे अर्से से हमारे देश में चल रही थी और काफी प्रीमियम एयरलाइन थी एवं लोगों से काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था। वह काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन जेट एयरवेज की बैंकक्रप्सी हो गई। The Jet Airways went out of picture. In 2023, another airline, Go Air also went out of picture. Now, within 10 years, two major airlines having a great capacity and great aircraft fleet have gone out of functioning. More importantly, in these ten years itself, the biggest hit any industry can see, especially civil aviation was COVID. कोविड भी इन्हीं दस सालों में हुआ है। For two years, the whole travel industry, let it be air, rail, sea, the service industry, everything in it was just suddenly stopped and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the countries also.

Now, even with these challenges, I am telling you that we have grown with a CAGR of more than 12 per cent in the country, and this is the civil aviation growth that we are seeing today.

(2015/AK/SK)

It is very important that the growth we are seeing till today needs that continuous push because as far as the Government and as far as the Ministry are concerned, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो यह शुरूआत है, हमें और काम करने पड़ेंगे। इसी केस में हम यह बिल लेकर आए हैं ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस साल में आगे बढ़ाया है, सही स्पीड और वही मोमेंटम आगे भी बढ़ाते रहें।

हम आज यहां सिविल एविएशन बिल लेकर आए हैं, केपटाउन कन्वेंशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल लेकर आ रहे हैं, यह केपटाउन कन्वेंशन से संबंधित है। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में वर्ष 2001 में मीटिंग हुई और वहां दुनिया के सारे देश मौजूद थे। इसका कारण था कि एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट लेने के बिजनेस का मॉडल थोड़ा बदल रहा था। पहले वे एयरक्राफ्ट खुद ही परचेज कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपने पैसे लगाकर खरीद रहे थे, लेकिन इससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। The burden of buying planes on your own and having them in your inventory was putting a lot of pressure on the financials of the airlines. So, one innovative model came out, which was the leasing model. एयरलाइंस बोल रही हैं कि हम खरीदेंगे नहीं, कोई और खरीदेगा और मैं लीज पर हम लेंगे। लीज लेने के लिए बीच में बैंकर्स और क्रेडिटर्स भी रहते हैं, पैसे कहीं से आ रहे हैं, प्लेन किसी के पास है और चला कोई और रहा है।

महोदय, लीजिंग में जो तीन-चार स्टेकहोल्डर्स हैं और सारे अलग देशों में बैठे हैं। हर देश का अपनी ज्यूरिस्टिक्शन्स रहती हैं, लीगल प्रोवीजन्स होते हैं, लॉज होते हैं। जब कोई इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिक्शन्स से डील करता है तो लीजिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कई समस्याएं आती हैं। वर्ष 2001 में इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि सिविल एविएशन किसी एक देश का सब्जेक्ट नहीं है, ग्लोबल सब्जेक्ट है और ग्लोबली सिविल एविएशन को ग्रो करना है तो कोई कॉमन ज्यूरिस्टिक्शन लेकर आनी होगी, जिसे सब एग्री करें। इस तरह से सबको लीजिंग करने का मौका मिलेगा और सब अपने देशों में सिविल एविएशन को इम्प्रूव करेंगे।

महोदय, वर्ष 2001 में जब केपटाउन कन्वेंशन आया तब तीन अलग-अलग प्रोटोकाल बनाए गए थे। एक प्रोटोकाल तो एयरक्राफ्ट का ही था, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में था और तीसरा रेलवेज के बारे में था। आज हम जो डिसकस कर रहे हैं, केपटाउन कन्वेंशन के एयरक्राफ्ट प्रोटोकाल के संबंध में कर रहे हैं और बिल में भी यही लिखा हुआ है। आज जो विधेयक अधिनियम बनने वाला है, यह जिस एयरक्राफ्ट प्रोटोकाल से रिलेट करेगा, वह केपटाउन कन्वेंशन से निकलता है।

महोदय, इसका मूल कारण भी यही है कि हम लीजिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दें और लीजिंग इंडस्ट्री में इंटरनेशनल कन्वेंशन से एग्री करें। वर्ष 2001 में केपटाउन कन्वेंशन हो गया लेकिन इंडिया ने उस समय एग्री नहीं किया। वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005 आ गया, फिर कहीं से प्रेशर आया कि कन्वेंशन भारत में भी लागू होना चाहिए। वर्ष 2005 के बाद प्रेशर बढ़ता गया और वर्ष 2007 में उस समय की सरकार ने तय किया कि इसे यहां भी लागू करना चाहिए। उस समय लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन लिया गया कि क्या करना चाहिए क्योंकि कन्वेंशन तो केपटाउन में बना हुआ है, अगर इसे लागू करना है तो किस तरह से इसे आगे बढ़ाएं।

The Law Ministry suggested at that time that India can accede to this Convention by giving a Cabinet approval. This was in 2007. All the discussion happened and the Cabinet approval was also given. By 2008, we had formed a Declaration based on the Convention and the Protocol, and we have submitted it to the International Civil Aviation Organization and we have become a signatory to the Cape Town Convention, but only by Cabinet approval. Things were again going well. After 2008 Cabinet approval, things were also going well. Aviation was still growing, but then some challenges came in the industry.

महोदय, वर्ष 2015 में लीजिंग बिजनेस चल रहा था। स्पाइसजेट के पास दो-तीन लेसॉर्स के प्लेन्स आए थे और स्पाइसजेट वापस उनको पे नहीं कर पा रहा था। लेसॉर्स ने सोचा कि अगर पे नहीं कर पाएंगे तो प्लेन वापस लेना चाहिए। इन दोनों के बीच इडेर एग्रीमेंट था, जिसके तहत पांच दिन में प्लेन वापस लेकर जा सकते थे। रजिस्ट्रेशन और डिरजिस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट का जो बिजनेस रहता है, वह सरकार के अंदर डीजीसीए करता है।

(2020/KN/UB)

लेसॉर्स डीजीसीए के पास गए और उन्होंने बोला कि ये तो पैसे नहीं दे रहे, तो हमें वापस लेना चाहिए। उस समय डीजीसीए बोलता है कि अभी जो लॉ है, कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो मुझे प्रावधान देता है कि मैं आपको एग्रीमेंट के तहत डी-रजिस्टर करूं तो एक समस्या वहां उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद हमने रूल्स बदला। डीजीसीए को पावर दी कि आप डी-रजिस्टर करो। But we all should realise that the rules are just the subordinate legislation. Law is the primary legislation. लॉ के साथ, अधिनियम के साथ जो शक्ति मिलती है, वह रूल्स के साथ नहीं मिलती है। उस समय यह एक हालात निकला तो उसने सोचा कि इसका कुछ जुगाड़ निकालते हैं। इसलिए वर्ष 2015 में रूल्स में चेंज कर दिया और उस समस्या का कुछ समाधान निकल गया। फिर वर्ष 2016 में हमारी सरकार ने सोचा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी लेकर आएंगे। जब कोई कंपनी बैंकरप्टसी हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंस्ट्रुमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड होना चाहिए तो इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया। उस कोड में एयरक्राफ्ट भी था। उस सेंस में एयरक्राफ्ट को कैसे डील करेंगे? अभी लेसॉर का प्लेन है। हमें अभी एक चीज समझनी है कि अगर एयरलाइन बैंक को पैसे वापस नहीं करती है और डिफॉल्ट हो जाती है तो बैंक

अगर प्लेन रखेगा, जबकि प्लेन इनका है ही नहीं। प्लेन तो किसी और के साथ लीज पर आया है। अब वह लीज जिसने दी है, वह दुःखी होता होगा कि मेरा प्लेन उनके पास रुक गया। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिनका समाधान निकालने की जरूरत बहुत बड़ी थी।

एयरलाइन लीजिंग इंडस्ट्री में आईबीसी इस तरह के चैलेंजेज बीच में डाल रही थी। फिर 2019 में, जैसे मैंने बोला कि जेट एयरवेज की प्रॉब्लम आई। फिर जेट एयरवेज निकल गया। जेट एयरवेज के समय, जो लेसॉर्स ने प्लेन दिए थे, काफी उत्सुकता के साथ पहले ही उनको पता चला कि इस तरह के हालात हो सकते हैं तो इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के इम्प्लिमेंट होने से पहले जब एनसीएलटी को मोरेटोरियम देना था, तो उससे पहले ही वह डी-रजिस्टर करके प्लेन लेकर चले गए। फिर वर्ष 2023 में गोएयर आया। ... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : क्या लेसॉर कंपनी है? ... (व्यवधान)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : लेसॉर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। जिसके पास प्लेन की ऑनरशिप है, उसको मैं लेसॉर बोल रहा हूं। वर्ष 2023 में गोएयर का एग्जाम्पल आया। जब गोएयर का मामला आया, तो गोएयर के समय एनसीएलटी ने थोड़ा सा और आगे आते हुए बोला कि अब कोई प्लेन कहीं डी-रजिस्टर नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा और उसको इधर ही रखा। मोरेटोरियम के साथ उनको इधर ही रखा। लेसॉर ने प्लेन को लीज पर दिया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको प्लेन नहीं मिल रहा था। मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? हमारे लिए लेसॉर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर लेसॉर किसी को प्लेन देने के लिए इस तरह के हार्डशिप फेस करेगा, तो इसलिए कैप्टाउन कंवेन्शन का एविएशन वर्किंग ग्रुप पूरे विश्व में बना हुआ है। इसमें लगभग 400 एयरलाइन्स हैं, ओईएम्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट को बनाते हैं और एविएशन से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। उन सब मिलकर एक एविएशन वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। वह हर क्वार्टर में कैप्टाउन कंवेन्शन का कंपलायंस इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से देश में क्या स्कोर है? ये सारे इंसिडेंस होने के बाद उन्होंने देखा कि यहां पर तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पे नहीं कर पाया तो यहां के लोकल लॉज की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट फंस जायेंगे। हम यहां पर बिजनैस क्यों करें? यहां की एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट तो हमें भी चाहिए। यह कंपलायंस का स्कोर कम हो गया और वह नीचे 50 तक आ गया। And to compare this score with other countries, Singapore has around 92, the US has around 90, New Zealand has around 90 and Ireland has around 89.

अगर यह स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा, वह बहुत बढ़ जाएगा। वह 8 से 10 परसेंट तक बढ़ जाएगा? इसके बारे में काफी लोगों ने जिक्र किया था कि 8 से 10 परसेंट तक इसकी लीजिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। उस समय हमने एयर इंडिया, अकासा, इंडिगो – हमारे यहां पर बड़ी-बड़ी एयरलाइन्स यही हैं। हमने उनसे भी पूछा कि लीजिंग इंडस्ट्री में क्या दिक्कत हो रही है? एयर इंडिया ने बोला – Upon the enactment of legislation, the improvement in India's compliance score in AWG's outlook, making Indian airlines eligible for

CTC discount, will significantly reduce the leasing cost by approximately eight to ten per cent.

(2025/VB/GM)

एयर इंडिया कह रहा है कि अगर यह अधिनियम आ जाएगा, तो लीज लेने में हमारा जो स्कोर बढ़ेगा, तो यह 8 से 10 परसेंट कम हो जाएगा। हो सकता है कि इंडिगो में 15 परसेंट तक कम हो जाए। आकासा कहता है कि अगर यह नहीं है, तो 15 हजार डॉलर लीज के रेट बढ़ जाएंगे और ये डॉलर के रेट हैं। एडिशनल 15 करोड़ यूएस डॉलर प्रति एयरक्राफ्ट भी आगे देने की नौबत आएगी।

इसलिए अगर लीजिंग का स्कोर कम हो गया, तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे, जिससे लीजिंग करने में बहुत-सी दिक्कतें होंगी। इंडिया का ऐसा मार्केट है, अभी डिस्कशन भी चल रहा था, कुछ तो बिल के संबंध में सीमित है और बाकी बातें दो चीजों के बारे में थीं।

एक बात तो यह है कि जहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ पर कनेक्टिविटी चाहिए। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, वहाँ उतने ही अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। इसलिए कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि एयर फेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के बारे में मूल समस्या यह है कि आज भारत में जितना डिमांड है, उतने प्लेन्स नहीं हैं। इसीलिए एयर इंडिया, इंडिगो, आकासा या कोई अन्य एयरलाइंस हों, अभी 1700 प्लेन्स ऑर्डर में हैं तथा अभी और भी आने के लिए बाकी हैं। अगर अभी डिमांड नहीं है, तो इतने सारे प्लेन्स क्यों ऑर्डर करेंगे? India has that kind of demand. They have ordered up to 1700 planes today and the rates at which the planes are coming into the country are up to five or 10 only. कोविड के बाद उसके सप्लाय चैन के इश्यूज हैं। इसलिए प्लेन्स बनकर आने में बहुत समय लगता है। अगर हम कहें कि 5 से 10 प्लेन्स हर महीने में आएंगे, तो 1700 प्लेन्स कब तक आएंगे? लेकिन एयरलाइंस ऑनर्स के मन में यह बात है कि इतना बड़ा डिमांड है, तो हमें इतने प्लेन्स चाहिए। अगर हमें तुरन्त प्लेन्स लाने पड़ेंगे, तो लीजिंग ही एक विकल्प है, जिसके माध्यम से ये तुरन्त लाये जा सकते हैं। लीजिंग का प्रीमियम इतना बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान उसके हिसाब से नहीं है, उसके लॉसेज उतने प्रोटेक्टिव नहीं हैं, तो उसकी लीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कोई प्लेन्स देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा, तो जितने प्लेन्स चाहिए, उतने आएंगे नहीं और जो आएंगे, वे भी बढ़े हुए दाम पर आएंगे। आपको तो पता है कि एयरलाइंस तो बिजनेस चाहती है। जैसे ही उसका लीजिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो फ्लोट होकर उसका बोझ पैसेजर्स पर ही पड़ेगा। उसके बाद एयर फेयर्स का वही डिस्कशन चलता रहेगा।

चूँकि हमें एयर फेयर्स भी रिजनेबल रखना है और एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी हमारे देश के अन्दर बढ़ाना है, तो उसके सेंस में हम यह बिल लेकर आए हैं।

मैं समझता हूँ कि आप इसके स्टोरी को समझ गये होंगे। इस बिल को लाने का मुख्य कारण यह है कि हमें AWG ग्रुप में जो स्कोर है, हमें उसको बढ़ाना था। अभी यह 50 से 61 तक आया है। जैसा कि इसके लिए विपक्ष के लोग भी काफी साथ दे रहे हैं, तो आप भी इसे पारित कीजिए, तो हम पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरह से स्कोर बना पाएंगे और हम भी तुरन्त अधिक से अधिक प्लेन्स लेकर आ पाएंगे।

इसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जैसा कि मैंने कॉस्ट एफिसिएंसी के बारे में कहा, आप कम कॉस्ट में अधिक प्लेन्स लेकर आ सकते हैं। इससे जो बर्डेन एयरलाइंस पर होगा, वह कम होगा। आप फ्लीट एक्सपेंशन तुरन्त कर सकते हैं। इतने फ्लीट मैनुफैक्चर करके जल्दी लाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप लीजिंग करते रहें, तो आप अपने फ्लीट को जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं।

मैंने एयर फेयर्स के बारे में जो बताया, ऊपर से हम केपटाउन कंवेन्शन में तो पहले से ही सिग्नेटरी बन चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी केपटाउन कंवेन्शन में हैं, तो यह अच्छा है, उसको और सशक्त करके एक अधिनियम भी बनाएं और हम इसके तहत आगे बढ़ें।

इसलिए इस केस में, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, पूरा हाउस इसके अनुरूप समर्थन करे। ये सारे विषय बिल के बारे में थे, इसलिए इस बिल को हमें जरूर पारित करना चाहिए। हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली इसका पूरा बेनिफिट हमारे आम नागरिकों और पैसेंजर्स को भी मिलने वाला है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज के सफर की बात बिल्कुल हवा-हवाई वाली बात नहीं है। इस बात को सच करके हमने पिछले 10 वर्षों में दिखाया है।

माननीय प्रतिमा मंडल जी हों या अन्य माननीय सदस्य हों, ये सारे लोग एयरपोर्ट की मांग करते हैं और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर आज भी ऐसा होता, एविएशन इंडस्ट्री या एयरलाइंस की यात्रा अगर केवल बड़े-बड़े लोगों की ही होती और बड़े-बड़े लोग उस शहर में होते, तो शायद कहते कि यहाँ पर फाइव स्टार होटल बनाएं, लेकिन वह नहीं मांग रहे हैं। सब लोगों की मांग होती है कि एयर कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए क्योंकि ये सब कहते हैं कि आप तो यहाँ पर आम नागरिकों के लिए ही बात करते हैं।

(2030/PC/SRG)

आप सब लोग चाहते हैं कि हम यहां पर कॉमन-मैन की बात करें, इसलिए हमने आपकी बात सुनी। आपने बोला कि एयरपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, नया एयरपोर्ट भी चाहिए। इसलिए, जरूर, यहां सदन में जो भी उत्सुकता से बोलते हैं, आम नागरिक की बात होती है और सिविल एविएशन आज सबके मुंह से निकल रहा है, सबके मन और दिल से निकल रहा है, तो जरूर, आम नागरिक चाहता है कि आज सिविल एविएशन और एविएशन को आगे बढ़ाया जाए। ... (व्यवधान)

यह दस सालों में हुआ है। ... (व्यवधान) मैं आपके विषय पर भी आऊंगा। ... (व्यवधान) हमने अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर काम किया है। नेयवेली एयरपोर्ट की मांग की गई थी। नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अपना एयरपोर्ट है। मैं 'उड़ान' स्कीम के बारे में बोलूंगा। हमारे देश में 'उड़ान' स्कीम ऐसी रेवोल्यूशनरी स्कीम है, हमने एक एशिया पेसिफिक कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें लगभग 40 देशों के लोग भी यहां आए थे। उस समय हमने उनको समझाया कि किस तरह से हमारे यहां ग्रोथ हुई है और उसका कारण 'उड़ान' योजना थी। सभी ने एप्रिशिएट किया कि इस तरह की स्कीम कोई भी देश, कहीं भी नहीं चला पाया और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आप दे पाए। ... (व्यवधान)

यहां दरभंगा से माननीय सदस्य श्री गोपाल जी उपस्थित हैं। दरभंगा में वर्ष 2020 से पहले कभी किसी का सपना नहीं था कि वहां एयरपोर्ट बनेगा। हमने 'उड़ान' स्कीम के तहत दरभंगा में इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनाया कि आज दरभंगा में वह बिल्कुल खाली ही नहीं है। दरभंगा में 14,000 करोड़ रुपये डालकर हम नया टर्मिनल भी बना रहे हैं। 'उड़ान' स्कीम के तहत हमने भारत में 88 एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं। हर स्टेट में, कहीं न कहीं उड़ान के तहत हमने एयरपोर्ट्स भी बनाए और उड़ान के तहत हमने वाइबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां कनेक्टिविटी भी शुरू की।

मैं मानता हूँ कि अभी डिमांड इस तरह से है कि और भी चाहिए। यह आपकी जो चाहत थी, मैंने उस चाहत को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री जी को भी बोला कि दस सालों तक जो उड़ान स्कीम थी, उसके तहत हमने काफी आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी भी लोग चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना और अभी जो फिलहाल बजट स्पीच में था, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि आगे दस सालों के लिए भी उड़ान स्कीम रहेगी। आगे दस सालों में 120 नए डेस्टिनेशन्स भी हम भारत में बनाएंगे। ... (व्यवधान)

जो उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां हर डिस्ट्रिक्ट में हैलीपैड की सुविधा भी करने वाले हैं। ... (व्यवधान) पंचमढ़ी का भी उधर ही आ जाएगा, उसमें ही कर देंगे। ... (व्यवधान) अतः नेयवेली के बारे में मैंने बताया कि वहां 16,000 करोड़ रुपये उड़ान स्कीम के तहत खर्च किए हैं और उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन 31 जुलाई है। हम जरूर उसका पालन करेंगे और उसके तहत ही हम उसे पूरा करेंगे।

वेल्लूर के एयरपोर्ट के बारे में बार-बार कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ। अब तो सरकार भी आपको अच्छी लगने लग जाएगी। In Vellore airport, we have spent Rs. 56 crore. The only thing that is pending right now is the boundary wall. Once the boundary wall is done, we will take due compliance, and by August 2025, we will make the airport operational. Through UDAN, there is already a route which is bid and ready to be operated. So, we will push the airlines also to start the route immediately. So, this is for Vellore airport.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): That is why, we have belief in you.

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : गोरखपुर के लिए 24 आवर्स की बात की गई। गोरखपुर का ऐसा है कि वहां डिफेंस का एयरपोर्ट है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस की रहती है। हम डिफेंस से मांग कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस क्षेत्र ऐसा है, उनका काफी कॉन्फिडेंशियल सिस्टम रहता है। लेकिन, अगर वे सिविलियन ऑपरेशन्स के लिए सुविधा देते हैं, तो हम जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे।

कुशीनगर एक ऐसा एयरपोर्ट है, जिसकी बात एक या दो नहीं, बल्कि दस सांसद करते हैं। हमारे श्री जगदम्बिका पाल जी ने भी कहा कि जो बौद्ध सर्किट है, उसको भी वहां से मिलाने की जरूरत है। हम जरूर एयरलाइंस के साथ बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, वहां से कुशीनगर, कानपुर और बाकी जगहों को कनेक्ट करने का काम करें। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में आपने बोला था कि कोलकाता में दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता है। वैसे आज देश

की सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के हालात हैं कि हर सिटी में दूसरा एयरपोर्ट बनाना जरूरी है। चेन्नई में एयरपोर्ट है, उसके अलावा आज परान्दुर में एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। परान्दुर एयरपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काफी तेजी से पुश कर रही है। बेंगलुरु के लिए भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है कि वहां एक और नया एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिल्ली की बात करें, तो जेवर एयरपोर्ट एनसीआर की टेरेटरी के बहुत ही करीब है। वहां भी नया एयरपोर्ट बन रहा है।

(2035/RCP/CS)

Kolkata is another major city. कोलकाता का भी यही है कि वहाँ पर भी एक नया अच्छा सा एयरपोर्ट बनना चाहिए। प्रतिमा जी, आप तो बोल रहे थे कि सरकार से हमारे पास आया है। हमने सारे मंत्रालय में चेक कर लिया, लेकिन राज्य सरकार से कोई निवेदन हमें दूसरे एयरपोर्ट के लिए नहीं आया है... (व्यवधान) हम चाहते हैं... (व्यवधान) यह मेरी तरफ से है।... (व्यवधान) This is on the floor of the House. Through the Chair, through the Member also I am requesting the State Government to take this very, very seriously because Kolkata is one of the most historical and important cities in the country. We respect that city. We want the city to grow. We want the city to have better connectivity.

Madam has asked for direct connectivity from there to Europe also. Let it be London or France. We will be definitely trying for that. But what we need to do today is to cater for another airport. For that, land is required. Land is a subject of the State. The State needs to move proactively into providing land. As soon as we get an indication of the availability of land, we will support in creating another airport there also. Since we are talking about West Bengal, there are also Malda and Balurghat Airports which were taken by the State Government to develop for training purposes. But no activity has been done for that also. So, I would request her to slightly push in creating some kind of infrastructure in Malda and Balurghat through the State Government. If any support is required from our side, you can definitely reach out to us.

नागौर का हो या कोई अन्य एयरपोर्ट हो, एक अंडर लाइन स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर भी नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, अच्छा मैंने शायद दरभंगा में 14 हजार करोड़ रुपये बोल दिया था, वह 1400 करोड़ रुपये है। कहीं अखबार में मत लिखवा दीजिए कि 14 हजार करोड़ रुपये दिए। यह 1400 करोड़ है। नए एयरपोर्ट्स की काफी सारी रिक्वेस्ट आती हैं। A lot of people ask for new airports also. The system right now is that the State Government requests the Central Government that we want to create an airport here. From our Ministry of Civil Aviation, through the Airports Authority of India, we do a

feasibility study if that site is okay to run an airport in future or not. Once the feasibility is agreed upon, we tell the State that they can proceed with procuring the land for the creation of the airport. Once the land is with the State Government, the responsibility is with the State Government to decide whether they want to construct the airport by themselves, or whether they want to bid it to any PPP model, or whether they want to give it to the AAI, Central Government so that they can build the model. So, these three options are always available with the State. नागौर के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि अगर पहले स्टेट यह तय करे कि हम यहाँ पर जमीन लेकर एयरपोर्ट बनाएंगे तो जरूर उसकी व्यवस्था किसी तरह से होगी और उसे हम आगे बढ़ाएंगे... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मंत्री जी, वहाँ जमीन भी है और हवाई पट्टी भी है... (व्यवधान)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अगर कहीं पर स्ट्रिप्स है तो थोड़ी आसानी से वहाँ पर बन सकता है, पर उसकी भी फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रिप्स ब्रिटिश के समय बने हुए थे... (व्यवधान) मैं उस पर आता हूँ। ये ब्रिटिश के समय बनी हुई थीं और आजकल ऐसा हो गया है कि स्ट्रिप तो पड़ा है, पर स्ट्रिप के चारों तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आ गई होंगी, जहाँ पर फ्लाइट को उतरने और वहाँ से उड़ने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए वहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जमीन होगी, या तो स्ट्रिप या ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड, कहीं पर भी अगर इस तरह की हम स्टडी कर पाएँ तो थोड़ी और क्लेरिटी हमें आ जायेगी कि वहाँ पर एयरपोर्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है।

जैसा मैंने कहा है, hon. Rudy ji is the most experienced and learned Member, especially in civil aviation, and a pilot also, who carries a lot of our MPs when they are going around. He has been working very strongly for the airport in Patna. Patna already has one airport in the capital city, and there is one in Bihta which is being developed. But both are very limited in their operations because of the runway and the technical limitations that these have. That is why even though it is an international airport, we are not able to have any wide body aircraft running from there. So, that is why the hon. Finance Minister in the recent budget has also announced that we are going to create another greenfield airport near Patna for international operations. The Ministry of Civil Aviation is committed to that. We will definitely work out so that what you are trying to do, what the Ministry of Civil Aviation is trying to do, what the State Government is trying to do, everything gets aligned. The people of Patna will get a new airport for travelling internationally. Through that, we will continuously work towards it. Kottayam and Sabarimala also was spoken about.

(2040/RV/PS)

जहां तक मेरी जानकारी है, मेरठ में भी करीब 30-35 एकड़ जमीन की जरूरत है। हम राज्य सरकार के लगातार सम्पर्क में हैं। जैसे ही वह मिल जाएगा, उसका कुछ हल निकाल कर वहां जरूर बनाएंगे। हम भी चाहते हैं कि मेरठ में एक बने।

कोट्टायम में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारत सरकार ने के.एस.आई.डी.सी. को 13 अप्रैल, 2023 को साइट क्लियरेंस दे दी है। उसके इन-प्रिंसिपल एप्रूवल के लिए वहां से जो एप्लीकेशन आनी थी, वह अभी नहीं आयी है। इसे मैं रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि यह यहां पर प्रोसेस में है। इसके अलावा और चीजें भी हुई हैं... (व्यवधान)

I have just talked about Sabarimala. For Sabarimala, we have sent site clearances. But we have not yet received the in-principle approval which is supposed to be coming from the State Government.

Then, Sustainable Aviation Fuel (SAF) is also an important aspect. We also want to push it. It is a greener way of generating fuel. इस पर भी काफी चर्चा होती है। वर्तमान के एटीएफ से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और चूंकि यह ऊपर ही ऊपर रहता है तो उसके कारण वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से हम दावोस भी गए थे। वहां हमने पार्टिसिपेट किया। वहां पर जो भी सेमिनार या सम्मिट हम अटेंड कर रहे थे, वहां सारी बातें 'सैफ' के बारे में ही हो रही थीं। वहां भी हमने कहा कि भारत अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कमिटेड है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम जरूर आगे आएं और पिछले दस सालों में हमने ऐसे काफी सारे काम किए हैं। एविएशन के तहत भी इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत जो पहले नम्बर पर काम है, अगर उसके बारे में बताऊं तो हमारे देश में लगभग ऐसे 80 एयरपोर्ट्स हैं, जो पूरे के पूरे 100 प्रतिशत सोलर एनर्जी, रिन्युएबल एनर्जी के आधार पर चलते हैं। By the end of 2025, we want to cross 100 airports also. इस तरह हम सस्टेनेबिलिटी में भी काफी काम कर रहे हैं।

हमने सी.ओ.आर.सी.आई.ए. (कॉर्सिया) के मैनडेट को एग्री किया है। पूरे इंटरनेशनल ट्रैवल का 1 प्रतिशत फ्यूल में हम 'सैफ' मिलाएंगे। 'सैफ' में यह चैलेंज है कि फिलहाल इंटरनेशनल ट्रैवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वह 250 करोड़ लीटर एटीएफ है। अगर इसका हम 1 प्रतिशत करेंगे तो 2.5 करोड़ लीटर आएगा। 2.5 करोड़ लीटर 'सैफ' जेनरेट करने के लिए जो प्लांट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए अगर अभी से शुरू करेंगे तो वे बनेंगे। We also want to encourage the market to come more into this. The Government is proactively looking into this. This is in coordination with the Ministry of Civil Aviation and Ministry of Petroleum and Natural Gas. हरदीप सिंह पुरी जी तो इसी विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनकी समझ मुझसे ज्यादा है। हम दोनों साथ मिल कर काम कर रहे हैं कि 'सैफ' को भारत में और आगे बढ़ाया जाए। इसमें एक चैलेंज यह है, क्योंकि वे इस संबंध में काफी उत्साह रखते हैं, इसलिए मैं यह बता दूं कि 'सैफ' को सर्टिफाई कौन करेगा? हम तो अपना बनाएंगे और यह

तो एयरक्राफ्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट में बस एयर इंडिया का होगा या इंडिगो का होगा, यह भी हो सकता है कि वह एयर फ्रांस का हो और एयर फ्रांस यह बोल सकता है कि मेरे लिए फ्रांस वाला सर्टिफाई करेगा कि यह 'सैफ' हो, इसी तरह ब्राजील के यहां की कम्पनी कहेगी कि मैं अपनी तरफ से इसको सर्टिफाई करूंगा कि यह 'सैफ' है, क्योंकि यह तो मेरे इंजन में जा रहा है। इसलिए सर्टिफिकेशन का जो इंटरनेशनल प्रोसेस है, वह भी थोड़ा-सा डिस्कशन में है कि किसको कौन सर्टिफाई करेगा और कहां-कहां इसके लोकेशनस होंगे और किस टेक्नोलॉजी से बनेंगे। 'सैफ' के तहत एक सही चीज़ यह है कि 'सैफ' का जो रॉ मैटेरियल यूज किया जाता है, उसमें फीडस्टॉक का यूज किया जाता है। जैसे जो फार्मर्स प्रोड्यूस हो या फार्मिंग वेस्ट हो या कुकिंग ऑयल का वेस्ट हो, इन सबका यूज करके हम 'सैफ' बना सकते हैं। आगे जाकर जैसे ही यह टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, इसकी सुविधा किसानों को भी मिलेगी और 'सैफ' की कॉस्ट भी कम होगी। अभी तो 'सैफ' की कॉस्ट एटीएफ की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, इसको एन्करेज कर रहे हैं। अगर इसमें और सफलता हासिल करनी है तो इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी आगे आना होगा। हमने अपने मंत्रालय की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया और बार-बार हर क्वार्टर में इसको रिव्यू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट में भी यह बात जाए कि हम सरकार की तरफ से 'सैफ' को बढ़ा रहे हैं, ताकि और उत्सुकता के साथ लोग इसके साथ आएँ।

महोदय, ऐसे काफी सारे विषय हैं। यह हो सकता है कि मैंने कुछ प्वायंट्स को मिस कर दिया है, पर मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। सेशन के समय में और सेशन न हो, तब भी मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाएँ... (व्यवधान)

महोदय, एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे पास पत्र के रूप में या पर्सनली कोई बात कहते हैं या फोन पर भी अगर कोई किसी विषय के बारे में कहता है, right from having a problem when they are going and travelling in the aircraft or airport, or air connectivity, or anything related to civil aviation, definitely, I put in my 100 per cent effort so that I can give priority to all the Members of Parliament. I have been a Member of Parliament for the last ten years. I know what they go through. I know what kind of challenges they have.

(2045/SMN/GG)

So, I am truly there with all the issues that you have presented to me and each and everything is duly noted. We do the due correspondence. Even if it is a small issue also, we give very big importance to it and I make sure that you get the reply in due time or you get the correct idea or information कि हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्या कर रहे हैं और यह लगातार चलता रहेगा। हम सबको मिल कर सिविल एविएशन को और आगे बढ़ाना है। आप जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, वह सपोर्ट आगे भी देते रहें। Only by looking at the planes that are coming, मैंने बोला कि 1700 तक अभी ऑर्डर है। एक प्लेन के लिए करीब 15 से 20 पायलेट्स चाहिए, अगर उसके रूट सारे करने हों तो। अगर

15 से 20 करने हैं और 1700 करने हैं, तो लगातार 30 से 34 हजार पायलट्स ही अगले 15 से 20 साल में चाहिए होंगे। वहीं, हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं? हर साल करीब 1600 लोग कॉमर्शियल पायलेट लाइसेंस लेते हैं। हमें फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन बनाने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा आइडिया था कि जहां पर सिर्फ पढ़ी हो, वहां भी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स खुलें तो इस तरह की कोशिश भी हम अपने मंत्रालय से कर रहे हैं। पायलट्स भी हमें जनरेट करने पड़ेंगे। पायलट्स के साथ-साथ इसमें जो ट्रेनिंग लगती है, इतने सारे वर्टिकल्स एयरपोर्ट पर रहते हैं। अंदाजे के लिए एक नंबर मैं अगर बता दूं, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट, जिस तरह से आज हैदराबाद की कनेक्टिविटी है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही डायरेक्ट एंड इन्डायरेक्ट लगभग आठ लाख लोग वहां पर काम करते हैं। Eight lakh people are working in just one airport directly or indirectly पार्किंग हो गया, ऊबर जैसी टैक्सी का हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अंदर जाते हैं ग्राउंड हैंडलिंग हो गया, कंसेशनेयर हो गया, जहां चीजें बेचते हैं, टेक्नीकल टीम हो गई, पायलट्स हो गए, क्रू हो गए और देखते-देखते आप देखेंगे कि इतने सारे वर्टिकल्स हैं कि eight lakh people working in one airport. यह एयरपोर्ट ऐसी ही चीज नहीं है, इधर से उधर घुमाने की चीज नहीं है। यह इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटर है, जॉब क्रिएटर है तो जरूर सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि अपनी-अपनी जगहों पर अगर उस तरह की ज़मीन है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोकल गवर्मेंट के साथ भी काम कर के एक एयरपोर्ट खोलने का प्रयास करें। वह अगले 10-20 साल में जरूर आप सबके काम आने वाला है। इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से आप सबने पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और समर्थन किया, मैं चाहता हूँ कि बिना किसी विरोध के इस बिल को पारित किया जाए।

धन्यवाद।

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Clarification after hon. Minister's reply, Shri Nishikant Dubey Ji.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय मंत्री जी, आपने अभी कहा कि 1700 एयरक्राफ्ट्स अलग-अलग कंपनियों ने ऑर्डर किए हैं, वे आने वाले हैं। संयोग से रूडी जी यहां बैठे हुए हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों प्रोफिट में थे। इसी फ्लीट एक्सपेंशन के चक्कर में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस डूब गई, खत्म हो गई, फाइनली सरकार को उसे बेचना पड़ा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जिन लोगों ने फ्लीट एक्सपेंशन के लिए हवाई जहाज़ के ऑर्डर दिए हैं और इस बिल के बाद जो लीज़िंग बिज़नेस में उनको फायदा होने वाला है, क्या उनके पास इतना पैसा है? यह जो हमने उदाहरण दिया, क्योंकि एक उदाहरण यह है कि जेट एयरवेज़ तब डूबा, जब उसने फ्लीट एक्सपेंशन के लिए इतिहाद के साथ अपना समझौता किया। किंगफिशर ने डेक्कन एयरवेज़ खरीदा। यह फ्लीट एक्सपेंशन का जो चक्कर है, इसमें हम एयर

इंडिया और इंडिगो से भी हाथ धो लेंगे या अकासा से हाथ धो लेंगे। मेरा आपके आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि उसको मंत्रालय ने देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि यह हमारा विषय है।

दूसरा, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है, केरोसीन तेल अलग है। सभी स्टेट उसके ऊपर टैक्स देते हैं। क्योंकि एटीएफ ही एक ऐसा है, मंत्री जी ने उस दिन जवाब में कहा कि जो किराया है, उसमें एटीएफ की कॉस्ट 45 पर्सेंट है। सबसे ज्यादा तबाही जो है इस देश में, हवाई जहाज का एसप्रेशन तो है, सभी चाहते हैं कि हवाई जहाज हो, लेकिन किराया भी कम हो, जिसके लिए कृष्णा ने भी बोला, तो एटीएफ एक ऐसी चीज है कि एक हवाई जहाज एक जगह नहीं चलता है, जैसे दिल्ली से चलता है तो वह मेरे यहां देवघर जाएगा।

(2050/MY/SM)

देवघर से चल कर कोलकाता जाएगा। यह उसका ऑल इंडिया बिजनेस है। क्या एटीएफ के बिजनेस को आप जीएसटी के अंदर ला पाएंगे? अगर आप इसे नहीं ला पाते हैं तो उसके पीछे क्या समस्या है? एटीएफ पेट्रोल और केरोसीन तेल नहीं है।

तीसरा, जो एफटीओ है, इसी हाउस में मेरे देवघर एयरपोर्ट के लिए एफटीओ अनाउन्स हुआ, मंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक चार सालों में वह एफटीओ नहीं बन पाया है। क्या वह हमारे देवघर में बनेगा?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सभापति महोदय, दो-तीन विषय हैं। एक विषय है कि क्या एयरलाइंस के इसको लेने के लिए पैसा है। एक अलग तरीके का लीजिंग मॉडल ऐप है, यह एसएलबी (सेल एंड लीज बैक मॉडल) बना है। इंडिगो इसको काफी अच्छे तरह से करता है। इंडिगो जब 100 प्लेन एक साथ ऑर्डर कर ले, 200 प्लेन ऑर्डर कर ले, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर एक प्लेन 100 रुपये का मिलता हो और आप 100 प्लेन साथ में लेते हैं तो एयर बनाने वाला भी बोलता है कि आप इसके साथ डिस्काउन्ट ले लीजिए। हो सकता है कि उनको 50 परसेंट भी डिस्काउन्ट मिल जाए। जो 100 रुपये का प्लेन था, वह 50 रुपये में मिल रहा है। वह 50 रुपये पर प्लेन वापस ले लेता है। वह 100 प्लेन 50 रुपये के हिसाब से ले रहा है। जो 10,000 होना था, वह अभी 5000 ही है। उनका 5000 रुपये खर्च हुआ। इस 100 प्लेन को वही आगे सेल कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सीधे जाकर लेता है तो उसको 100 रुपये में मिलता है। परंतु इनको 50 रुपये में ही मिल गया। जब ये सेल करेंगे तो उसे 70 रुपये पर भी कर सकते हैं, 80 रुपये पर भी कर सकते हैं। इनको ऑलरेडी 20 या 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आजकल एसएलबी मॉडल भी चलने लगा है। लीजिंग के तहत यह एक प्रॉफिटेबल मॉडल बन गया है। हम उसी लीजिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके पास उसकी जरूरी क्षमता होगी कि आगे जाते हुए वह इसे करें।

महोदय, हमने अपने बिल में भी रखा है कि डीजीसीए एक रजिस्ट्री की तरह रहेगा। लीजिंग के पर्स में जो भी क्रेडिटर हो या डेबिटर हो, उनका पूरा इंफॉर्मेशन कौन सा एयरलाइंस किस लेसॉर के साथ रहेगी, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो, किसके साथ उसने एग्रीमेंट किया है, कितने प्लेन लेकर आया है और कितने ड्यूज हर एयरक्राफ्ट पर है, इसका रेगुलर टाइम पर डीजीसीए

ख्याल रखेगा। If any bad thing happens, DGCA will come to know about it and we will take appropriate action.

दूसरी चीज, एयरक्राफ्ट फ्यूल की बात कही गई। 40 परसेंट एयर फेयर्स फ्यूल पर ही डिपेंड करता है। आने के बाद मैंने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, जहां पर पांच परसेंट से ज्यादा है, लगभग 20 स्टेट्स ने इसको 5 परसेंट से कम कर दिया है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, दिल्ली भी है। हमने अपने नए मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि दिल्ली में 25 परसेंट से कम कीजिए। एक परसेंट से ऐसा होता है कि सारे एयरलाइंस और कनेक्टिविटी देने के लिए उत्साहित होते हैं। इसके लिए हमने जरूर कोशिश की है।

माननीय सदस्य ने पूछा कि इसे आप जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाते हैं। इसको जीएसटी के अंदर लाने का एक प्रयास किया गया था। हाल ही में जीएसटी काउंसिल में इस विषय को उठाया गया था। उसमें सारे स्टेट्स भी पार्टनर्स हैं। काफी सारे स्टेट्स ने उसके खिलाफ बोला था, इसलिए वह रिजेक्ट हो गया। जीएसटी में इसका रिजेक्शन हो गया है। जब एफटीओ की बात आई तो मैंने कहा... (व्यवधान) Regarding FTOs, as I said, we need more FTOs in the country. We are opening FTOs in all the airports. We will definitely look into the Deoghar Airport. एफटीओ के लिए हम हर जगह कोशिश करेंगे कि जितना हो सके, उतना ज्यादा एफटीओज लेकर आए।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : प्रश्न यह है:

“कि वायुयान वस्तुओं में हितों का संरक्षण करने और मोबाइल उपस्कर में अन्तरराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय को कार्यान्वित करने तथा वायुयान उपस्कर विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्कर में अन्तरराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय का प्रोटोकॉल, पर केपटाउन में 16 नवंबर, 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे, तथा उनसे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची 1 से 3 विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(2055/CP/RP)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2057 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 04 अप्रैल 2025 / 14 चैत्र 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।